दशम माला, खंड 38, अंक 10

सोमवार, 27 मार्च, 1995
6 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के दिनांक 27.3.95 के वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
52	13	विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री	विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री
71	11	• •	•• •
98	प्रश्न सं. 1874	श्री बोल्ला बुल्ली रामतय्या	श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या
113	नीचे से 9	विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री	विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री
172	7	• •	• •
252	17	जल-भूतल मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
257	1	नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले
263	नीचे से 1	विस्तार मंत्री	वित्त मंत्री
324	13	(युवा मामले तथा खेल विभाग)	(युवा कार्य एवं खेल विभाग)
348	5	11.00 बजे म.प.	11.00 बजे म.पू.

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 10, सोमवार, 27 मार्च, 1995/6 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	181-185	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	186-200	19-45
अतारांकित प्रश्न संख्या	1812-1839	
	1841-2028 और	
	2030-2041	45-247
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		251-253
परम्परागत छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने और बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति पर पुनर्विचार/समीक्षा करने संबंधी याचिका		253
कार्य-मंत्रणा समिति		
अड़तालीसवां प्रतिवेदन—**स्वीकृत**		253
नियम 377 के अधीन मामले		254-255
(एक) केन्द्र द्वारा जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत दी गई विशेष सहायता का उचित उपयोग करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को अनुदेश जारी करने की आवश्यकता		
श्री मानकूराम सोड़ी		254
(दो) उड़ीसा में राउरकेला हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने और उड़ान भरने संबंधी अधिक सुविधाएं कराने की आवश्यकता		
कुमारी फ्रिडा तोपनो		254-255
(तीन) सवेर (राजस्थान) में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उपरि-पुल के निर्माण की आवश्यकता		
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)		255
(चार) बिहार के चतरा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाने की आवश्यकता		
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा		255
सामान्य बजट 1995-96 सामान्य चर्चा		
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96		
और		
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95		256-348
श्री जसवन्त सिंह		263-281
डा. देवी प्रसाद पाल		281-290
श्रीमती सुशीला गोपालन		290-298
श्रीमती सुमित्रा महाजन		298-305

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री डी. वेंकटेश्वर राव	305--309
श्री एस.बी. सिदनाल	310—316
श्री पी.जी. नारायणन	316—321
श्री प्रमथेश मुखर्जी	321—324
श्री के.एम. मैथ्यू	324—326
श्री रतिलाल वर्मा	326—334
श्री याइमा सिंह युमनाम	334—339
श्री सी.के. कुप्पुस्वामी	339—344
श्री करिया मुण्डा	344—347

लोक सभा

सोमवार, 27 मार्च, 1995/6, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त प्रश्न संख्या 181

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, क्वेशचन आवर से पहले बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट मामला है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एडजर्नमेंट मोशन दिया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रश्न काल के बाद ऐसे मामले उठाए जाते हैं, आप अब क्यों उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, हम लोग अपनी भावनाओं को आपके माध्यम से जाहिर करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बाहर क्या करते होंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक आदिवासी नेता हूं। **(व्यवधान)** महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुंडा जी, प्रश्न काल में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। अब आप बैठ जाइए। प्रश्न काल के बाद उठाइए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, सदस्यों को कभी-कभी विषयों पर चर्चा उठाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये अवसर नियमों के अनुसार नहीं दिए जाते और न ही इस प्रकार अवसर दिया जाना बहुत ठीक होता है। परन्तु ऐसा सदस्यों की भावनाओं के कारण किया जाता है।

यदि आप चाहते हैं तो इस पर चर्चा उठाने के लिए आपको अवसर उपलब्ध है। इस विषय पर पहले ही एक बार नहीं, कई बार चर्चा हो चुकी है। प्रत्येक दिन प्रत्येक सदस्य यहां इस पर चर्चा उठा रहा है और अन्य सदस्यों को प्रश्न न पूछने देना भी तो ठीक नहीं है। और हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस सभा में, यदि हम किसी अन्य सदस्य को यह कह रहे हैं कि वह नियमों के अनुसार कार्य करे तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम भी नियमों और कानून के अनुसार कार्य करें। जब आपके लिए अवसर उपलब्ध है और आप उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो यह ठीक नहीं लगता और यह सभा की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 31 मार्च के बाद बिहार में क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

11.03 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

\+

*181. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक हाल ही में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

विदेश राज्य मंत्री श्री आर.एल. भाटिया तथा ईरान के विदेश-मंत्री महामान्य डा. अली अकबर विलायती की सह-अध्यक्षता में भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक 3 जनवरी, 1995 को नई दिल्ली में हुई।

संयुक्त आयोग की इस बैठक में व्यापार, उद्योग, कृषि, परिवहन तथा संचार, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं वाणिज्य सम्बन्धी मसलों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। भारत-ईरान संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा इन निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन के तौर-तरीकों का निर्धारण किया गया। संयुक्त आयोग की इस बैठक में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया जैसे कि कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, भेषज, कपड़ा, मशीनी उपकरण, गाड़ी के पुर्जे, पैसेंजर कार, चमड़ा आदि के क्षेत्र।

इस बैठक में ईरान में परियोजनाओं के सम्बन्ध में चल रही बातचीत की समीक्षा करने के अलावा आने वाले समय में व्यापार-संवर्द्धन के प्रस्तावों सहित द्विपक्षीय व्यापार से सम्बद्ध मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों का पता लगाने के अलावा अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा इंजीनियरी से सम्बन्धित गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। संयुक्त आयोग ने यह निर्णय लिया कि भारत, ईरान तथा मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच पारगमन व्यापार से सम्बन्धित एक करार को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र बातचीत शुरू की जानी चाहिए।

3 जनवरी, 1995 को भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक के दौरान भारत और ईरान के बीच समुद्री वाणिज्यिक नौ-परिवहन से सम्बन्धित एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार में समुद्री-वाणिज्यिक नौ-परिवहन का विकास करने तथा दोनों देशों के मार्गस्थ यातायात के सम्बन्ध में दोनों देशों के पत्तनों पर अनावश्यक विलम्बों को दूर करने के लिए उपायों को सुविधाजनक बनाने के अलावा जलयानों को ठहराने, माल गोदामों संबंधी सुविधाएं देने आदि की शक्ल में विशेष सुविधाएं मुहैया करने में भारत तथा ईरान के बीच सहयोग तथा आपसी सहायता करने की व्यवस्था है।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यह हर्ष का विषय है कि महामहिम अली अकबर विलायती ने भारत-ईरान संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक के सम्बन्ध में भारत का दौरा किया। इससे हमारे दोनों देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय सहयोग के लिए उत्साह तथा वातावरण पैदा हुआ है।

महोदय, क्योंकि इस संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की गई है, मैं माननीय मंत्री से विशेषकर यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान के संलिप्त होने के विषय पर, जिसके परिणामस्वरूप कि वह इस देश में राजनीतिक ढांचे को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहा है, चर्चा की है। यदि की है, तो ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही है?

श्री प्रणव मुखर्जी : अन्तर-सरकारी आयोग पारस्परिक हितों के विषयों पर चर्चा करता है और स्वाभाविक है कि इनके अन्तर्गत विभिन्न मामले आते हैं जिनमें व्यापार, निवेश, संयुक्त क्षेत्र, आर्थिक सहयोग आदि विषय आते हैं।

जहां तक कश्मीर के बारे में हमारी स्थिति का सम्बन्ध है, ईरान समेत यह सभी देशों को विदित है कि उक्त मामलों का समाधान शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय स्तर पर होगा। न कि अन्तर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के आधार पर। ईरान का घोषित दृष्टिकोण यह है कि इसका समाधान द्विपक्षीय आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें कश्मीर के लोगों के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, दोनों देशों द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हम देखते हैं कि समझौतों के कार्यान्वयन में शायद ही कुछ प्रगति हुई हो।

दूसरे, आज विश्व की बदली हुई आर्थिक परिस्थिति तथा हमारे देश की उदार आर्थिक नीति की दृष्टि में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत-ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने तथा मध्य एशिया के देशों के लिए संयुक्त रेलवे परियोजना के मामलों पर चर्चा की है और यदि हां, तो इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही है?

श्री प्रणव मुखर्जी : इन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ है और जहां तक गैस पाइपलाइन का सम्बन्ध है, कुछ प्रगति हुई है। यह निर्णय लिया गया है कि एक व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन दल गठित किया जाए। ऐसी आशा है कि यह दल इस वर्ष के मध्य तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा और इसके पश्चात आगे कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक रेलवे परियोजना में हमारे भाग लेने का सम्बन्ध है, विशेषकर एहवाज-बन्दर-इमाम सिगनैलिंग परियोजना, जिसकी लागत लगभग 25 मिलियन अमरीकी डालर है, इस परियोजना के सभी पहलुओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। परन्तु वे हमसे यह आशा करते हैं कि इसका पूरा व्यय हम ही वहन करें। इस पर हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना, जिससे कि मध्य एशियाई गणराज्यों, विशेषकर तुर्कमानिस्तान, के बाजारों में हमारी पहुंच सुनिश्चित होगी, बफ्क-मेशाद तथा केरमान-जेहदान रेलवे परियोजना है जिसकी लागत 7 मिलियन अमरीकी डालर होगी। वह हमसे आशा करते हैं कि सारा खर्च हम ही वहन करें। इस सम्बन्ध में भी हमें धन एकत्रित करने की सम्भावनाओं का पता लगाना होगा और यह धनराशि भविष्य में परम्परागत बाजारों से जुटाई जानी होगी। यही कारण है कि इस परियोजनाओं में कुछ कमी रह गई है। परन्तु हम इसमें रूचि रखते हैं और हम इन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने के स्रोतों की सम्भावनाओं का पता चला रहे हैं।

हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा आर्थिक समबन्धों में हुई प्रगति से इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापार में विस्तार हो रहा है। गत वर्ष (1993-94) यह वृद्धि लगभग 1600 करोड़ रुपए से अधिक की थी। अतः इसमें निरन्तर विस्तार हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि नए विश्व-वातावरण में इसमें और विस्तार होगा। निस्सन्देह, ईरान "गैट" का सदस्य नहीं है। परन्तु उन्होंने विभिन्न आर्थिक उपाय आरम्भ किए हैं जिनसे कि इन दोनों देशों में पारस्परिक सहयोग सुविधाजनक होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्षजी, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि ईरान ने भिन्न-भिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दुस्तान की मदद की, चाहे आतंकवाद का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उसने क्लियर स्टैंड लिया। क्या यह सही है कि ईरान ने पिछले दिनों हिन्दुस्तान से शिकायत की कि ईरान के मामलों पर उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन नहीं किया? जो कोर्डियल रिलेशन दो देशों के बीच होना चाहिए, वह नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न है कि जब कश्मीर मामले पर ईरान के साथ विचार हुआ तो उस समय बाबरी मस्जिद ढांचे के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय इस पर हिन्दुस्तान ने ईरान को क्या कोई आश्वासन दिया था?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक बाबरी ढांचे के गिराए जाने का प्रश्न है, हमने उनको न केवल इस घटना के तुरंत बाद अपनी स्थिति से अवगत कराया था बल्कि तदन्तर विभिन्न अवसरों पर भी उन्हें उक्त स्थिति स्पष्ट की थी। अतः वहां क्या स्थिति है, इसकी उनको जानकारी है।

जहां तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इन दोनों देशों में सहयोग का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। ईरान की ओर से हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उनके द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए मामलों में हमारे सहयोग से वे सन्तुष्ट नहीं है, शिकायत की तो बात ही अलग। अनेक मामलों में हमारा दृष्टिकोण समान रहा है और हमें इसकी जानकारी है।

जहां तक कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का प्रश्न है जिनको कि सीमा की दूसरी ओर से समर्थन मिलता है, हमने ईरान को भी यह सुझाव दिया है कि वे पाकिस्तान पर अपना प्रभाव डालें कि वह उनको इस प्रकार की गतिविधियों से रोके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, भारत-ईरान संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक में हुई चर्चा की पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि ईरान में कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जिनके सम्बन्ध में चल रही बातचीत की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कृषि, मशीनरी, भेषज, कपड़ा, मशीनरी उपकरण, गाड़ी के पुर्जे, पैसेंजर कार तथा चमड़े के सामान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए संयुक्त आयोग की बैठक में किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : ये ही उद्योग हैं जिनकी पहचान की गई है, और निस्सन्देह सरकार इनको स्थापित नहीं करेगी। हमारे गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन वहां जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और इन उद्योगों का चयन करेंगे।

जहां तक कुछ परियोजनाओं का सम्बन्ध है, जिनमें कि सरकारी क्षेत्र के संगठन भाग ले रहे हैं, मैंने कुछ रेलवे परियोजनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें कि तेहरान भूमिगत रेल परियोजना शामिल है, जिसे लागू करने के लिए हमारे एच.एम.टी. को सौंपा गया है। हम ईरान की ओर से साख-पत्र जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक समुद्र में जहाजों के लंगर डालने तथा शीघ्र परिवहन के बारे में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का सम्बन्ध है, भूतल परिवहन मंत्री के साथ ईरान के महामहिम विदेश मंत्री की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और मेरे विचार में यह हमारे राज्य मंत्री द्वारा, जोकि जल-भूतल परिवहन के प्रभारी हैं, किया गया था।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, ईरान में ऐसी परियोजनाओं, जिनके लिए कि चल रही बातचीत की समीक्षा की जानी है, के बारे में उनका क्या उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने अनेक निर्माणाधीन परियोजनाओं का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि उन पर कितनी लागत आएगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जा सकता है, मौखिक रूप में नहीं।

श्री प्रमथेश मुखर्जी : आपने मुझे यह अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते का प्रयोग व्यापार के विकास के सम्बन्ध में किया जाएगा तथा देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक समझबूझ के विकास के लिए यह समझौता कहां तक मान्य होगा?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, मैं पहले ही आंकडे बता चुका हूं। यदि आप इनको देखेंगे तो स्पष्ट है कि व्यापार बढ़ रहा है। उदाहरणार्थ 1989-90 में ईरान को हमारा कुल निर्यात 132 करोड़ रुपये मूल्य का था और ईरान से हमारा आयात 389 करोड़ रुपए मूल्य का था और चार वर्ष के पश्चात् 1993-94 में निर्यात बढ़कर 500 करोड़ रुपए मूल्य का हो गया है तथा आयात लगभग 1189 करोड़ रुपए मूल्य का है। इन दोनों आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त उपक्रमों से इन दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है और जहां तक आर्थिक सहयोग का सम्बन्ध है, उसके लिए भी मैंने विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया है।

एक बात के सम्बन्ध में, जोकि एक अन्य सदस्य ने अपने प्रश्न के दौरान पहले उठाई थी, मैं आगे जानकारी देना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सम्मेलन में, उन सभी देशों में से, जोकि इसमें भाग ले रहे थे, हमने ईरान के पक्ष में मतदान किया।

[हिन्दी]

मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) स्कीम

*182. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) स्कीम के अन्तर्गत अब तक किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, वर्ष 1997 तक देश के सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जानी है। 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार, प्रदान किए गए। 59,302 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन में से अब नवीनतम संख्या 1,72,000 है। 47,579 एम ए आर आर प्रणाली पर आधारित है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(I) अद्यतन प्रौद्योगिकी का स्वदेशी रूप से विकसित एम ए आर आर उपस्कर नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है।

(II) ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(III) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों पर तार सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं और जहां कहीं भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य होता है, एस.टी.डी. सेवा भी प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक एम.ए.आर.आर. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है? इस दौरान इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में विशेषकर कितने गांवों को जोड़ा गया है? सरकार द्वारा एक लाख 59 हजार 302 पी.सी.ओ. का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि यह संख्या 47579 रही। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधा मुहैया करायी गयी है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वायरलैस सैट खड़े कर दिये गये हैं, मैंने देखा है कि गत एक वर्ष में बैटरीज सड़-गलकर बर्बाद हो गयी है कि टेलीफोन की व्यवस्था पूरे देश में इतनी दयनीय है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, मैंने उससे भी ज्यादा उत्तर दे दिया है ताकि आपको स्पष्ट मालूम हो सके। जहां तक गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था का सवाल है, इसके लिए हम दो टेक्नौलाजी का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो ओवरहैंड कॉपर वॉयरिंग द्वारा और दूसरी रेडियो टैक्नोलौजी है जिसमें हम एम.ए.आर.आर. इस्तेमाल कर रहे हैं। 1988 में पहली बार ई आर सी सोसायटी ने एमएआरआर टैक्नोलौजी डैवलप की और करीब 650 यूनिट्स हमने उनसे लिये। इसमें कुल धन कितना है, जितना भी टेण्डर के मुताबिक लगा हुआ है वह मैं आपको बता दूंगा, मगर टेक्निकली इसमें कई डिफैक्ट निकले ऐसी फील्ड से इनफार्मेशन आई। अंत में 500 का जो उनका आर्डर था, वह हमने नहीं लिया और इसके माध्यम से करीब 6250 गांवों में हमने टेलीफोन कनेक्शन दिये। मगर ये टेक्नोलौजी फेल हो गई। हालांकि मुझे कहा गया कि कई गांवों में ये चल रही है मगर मुझे ऐसा विश्वास है कि 6200 गांवों में ये टेक्नोलौजी नहीं चल रही है। उसकी वजह से हमने फैसला किया है कि इनको रीप्लेस करेंगे। आईटीआई ने भी करीब 755 ऐसे सिस्टम हमको दिये मगर उनमें भी कुछ डिफेक्ट निकला जिसको वे अपने रिपेयर सेन्टर में ठीक कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे हैं जो हमने प्राइवेट कंपनियों से लिये हैं और उनका क्वालिटी इक्विपमेंट ठीक चल रहा है। इस तरह से 47,579 गांवों को हमने रेडियो टेक्नोलौजी से कनेक्ट किया है। उसमें कुछ में ये टेक्नोलौजी न चलने की वजह से परेशानी है और जो बाकी के हैं जो कि ओवरहैंड वायर से जोड़े गए हैं, उसमें कापर वायर महंगी होने की वजह से चोरियां बहुत हो रही हैं। कभी सीजनल वेरियेशन की वजह से तारें टूट जाती हैं और आंधी-तूफान की वजह से मेनटेनेन्स ज्यादा नहीं हो पाता। इसलिए मैं मानता हूं कि गांवों में जो कनेक्शन दिये गए हैं उसमें बहुत सी खराबियां हैं। इस वास्ते हमने फैसला किया है कि क्वालिटी इक्विपमेंट, जो एमएआरआर अभी आ रहे हैं, उसमें शिकायतें न हों। कहीं-कहीं शिकायतें होंगी तो उसको दूर करेंगे। इसलिए मैं इस वास्ते मानता हूं कि गांवों में थोड़ी परेशानी है।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में बड़े जबरदस्त तरीके से इस डिमार्टमेंट में भ्रष्टाचार है क्योंकि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि यह प्रणाली एमएआरआर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई, हम इससे सहमत हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा हो रही है। पहले ये प्रणाली चलाई नहीं जा रही थी क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य से वंचित हैं। अगर यह प्रणाली चला दी गई तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और अपनी कमिश्नरी आगरा-फिरोजबाद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वहां टीडीएम के अधीनस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम डिमांड नोट किया जाता है और किसी दूसरे ने उस अधिकारी की जेब में दो-चार हजार रुपया डाल दिया तो वह उसके नाम से कनेक्शन दे देता है। आगरा मण्डल में भ्रष्टाचार हो रहा

है उससे आप भली-भांति परिचित हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या आप भ्रष्टाचार के लिए समय-समय पर मानिटरिंग करेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में यह नहीं माना कि बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, यह सरकार ने स्वीकार किया है। चोरी हो रही है, मेरा कहना सत्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी का सम्मान करता हूं लेकिन सरकार की भ्रष्टाचार की जो प्रणाली है, वह वास्तव में सही है।

श्री सुख राम : मुझे आपको जवाब देने का अधिकार तो है। मैंने यह नहीं माना कि भ्रष्टाचार की वजह से यह सिस्टम नहीं चल रहा है। वैसे इल्जाम लगाना आसान है, आपने कह दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर उस भ्रष्टाचार को साबित भी करना चाहिए।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं तैयार हूं।

श्री सुख राम : मैं यह नहीं कहता कि सभी जगह ठीक हो रहा है, कहीं-कहीं गलतियां भी होंगी, आखिर एक करोड़ परिवारों को आज देश में टेलीफोन की व्यवस्था हुई है। उसमें कहीं-कहीं गलतियां भी हो सकती हैं। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कोई भी केस ऐसा लायें जिसमें आपको यह लगे कि इसमें भ्रष्टाचार है, उसकी मैं इन्क्वायरी कराऊंगा और एक सीमित समय में इन्क्वायरी का नतीजा आपको दूंगा। लेकिन आपको कोई चीज सामने तो लानी चाहिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 1997 तक सभी गांवों में टेलीफोन दे देने की बात कही है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें दुर्भाग्यवश मेरा क्षेत्र भी है, जिसकी मांग मैं विभिन्न मंत्रियों से करती रही हूं और चार वर्ष बीत गए, जिन लोगों ने पैसा जमा करा रखा है उन लोगों को लाईन नहीं दी गयी हैं। किसी भी बड़े क्षेत्र या प्रखण्ड में एक्सचेंज खोला ही नहीं गया है।

दूसरी बात, जहां यह एम.ए.आर.आर. सिस्टम फैल हो जाता है उसकी सूचना भी मैंने आपको दी है। हजारीबाग क्षेत्र में जो आग लगी हुई है उसके लिए एक साल पहले आगाह कर दिया था कि वह रिले क्षेत्र से नहीं जुड़ा है और दूरसंचार क्षेत्र की व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी है। इस पर आपका ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए 1997 तक सभी गांवों में टेलीफोन लगा देने की नीति बड़ी भ्रामक है। क्या आपने इसके लिए कोई प्रारूप तैयार किया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री सुख राम : जब भी कोई माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई बात लाते हैं तो उस पर मेरा ध्यान जरूर जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने प्रारूप तैयार किया है और तैयार करने के बाद ही हमने इस बात को तय किया है कि 1997 तक हम सभी गांवों को टेलीफोन की व्यवस्था कर देंगे और टेलीफोन पॉलिसी में हमने इस बात को तय किया है। मगर सभी गांवों में यह व्यवस्था करनी है तो इस पर करीबन 4 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हम निजीकरण का कम्पीटिटिव एनवायरमेंट इस देश में ला रहे हैं, जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन में इसके लिए चार साल लगे वहीं हमारे देश में इसको करीबन 7-8 महीनें में, अर्थात् सितम्बर-अक्तूबर तक जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए हमने एक व्यवस्था भी कर रखी है कि उनको कम से कम 10 प्रतिशत टेलीफोन गांवों में लगाने होंगे। उनका टेंडर भी हम इसी शर्त पर स्वीकार करेंगे। उसके लिए हमने वैटेज देने की बात भी कही है कि जितने कनेक्शन वे गांवों में देंगे उस पर उनको वैटेज देंगे लेकिन उससे ऊपर कनेक्शन देंगे तो उसके लिए भी उनको वैटेज देंगे। हमने करीब पौने दो लाख गांवों को टेलीफोन दिए हैं। उसमें कई खामियां हैं। मैं नहीं कहता कि सभी जगह ठीक हो रहा है, कई खामियां हैं और जो बात माननीय सदस्यों के नोटिस में उनके क्षेत्र में आती हैं, उसे वे यहां रखते हैं, मैं उस पर विश्वास करता हूं।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम लोग जब भी कम्पलेंट भेजते हैं तो हमें उसका कोई जवाब नहीं आता .... (व्यवधान) मंत्री जी यहां एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप आंखों देखा हाल (रनिंग कमिन्टरी) न बयान करें। संसद सदस्य की तरह पेश आएं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, यह रनिंग कमिन्टरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक नहीं है। यदि आप चाहें, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप यहां बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : लेकिन यह सच है कि हम लैटर लिखते हैं। हमारे पत्रों का जवाब भी मंत्री जी नहीं देते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन में अव्यवस्था पैदा न करें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : अगर मेरे जवाब से आपकी तसल्ली नहीं होती है तो आप प्रश्न पूछिये, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि 1997 तक हम सभी गांवों में टेलीफोन प्रोवाइड कर देंगे। इस काम में बहुत बड़ा कैपिटल लगेगा। कुछ काम तो हमारे प्राईवेट सैक्टर वाले पूरा करेंगे और कुछ हमारा विभाग करेगा। जहां-जहां व्यवस्था में कमियां हैं, हम आधुनिक टैक्नोलीजी के माध्यम से उसमें सुधार करेंगे।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क नीति

+

*183. श्री रूपचन्द पाल :
श्री मोहन रावले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क नीति को तैयार करने/अंतिम रूप दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सरकार का विचार है कि सड़क निर्माण में निजी सहभागिता के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाए। उद्यमी अपने संसाधनों से सुविधा का निर्माण करेगा और उसे अपने निवेश के बदले शुल्क वसूल करने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) संसद में होने वाले विचार-विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग नीति तैयार की जाएगी।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस समय विद्यमान 77 राजमार्ग जिनकी लम्बाई लगभग 34,000 किलोमीटर है, वर्तमान परिस्थितियों में न केवल अपर्याप्त है बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास में असमानता भी है। केन्द्रीय सरकार के पास इस समय विभिन्न राज्य सरकारों से आए 130 प्रस्ताव, जोकि 38,000 किलोमीटर की लम्बाई सम्बन्धी राजमार्गों के बारे में हैं, लम्बित हैं। अब जबकि सरकार को अधिक धन की आवश्यकता है, अतः वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि इस कार्य में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सके। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विद्यमान दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इन दोषों के कारण असंतोष तथा क्षोभ पैदा हो रहा है जिसका अनुचित लाभ विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववादी तत्व उठा रहे हैं भले ही वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो अथवा अनेक अन्य स्थानों में, जिसकी जानकारी सदन को भी है।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का केवल दो प्रतिशत भाग है। वर्ष 1951 में हमारे यहां सड़क नेटवर्क 22,255 किलोमीटर का था और वह आज बढ़कर 34,058 किलोमीटर हो गया है। हमने वर्ष 2001 तक 66,000 किलोमीटर के लिए योजनाओं की पहचान की है। यदि हम अतिरिक्त 31,942 किलोमीटर को भी लेते हैं जोकि राजमार्गों को दो लेनों से चार लेनों में बदलने के लिए है, तो हमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। परन्तु एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर हमने पहले से ही 10,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों की पहचान कर रखी है, जिनके लिए कि आजकल की दरों के हिसाब से अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यदि हमें मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं तो हमें लगभग 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ये मांगें केवल एक वर्ष के लिए आई हैं। परन्तु जो धनराशि मुझे मिल रही है वह केवल 2,460 करोड़ रुपए है। खराब सड़कों के कारण हम प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए से वंचित रह जाते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए और क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खुला रूप दे रहे हैं। हमने कहा कि हम नौ क्षेत्र खोलेंगे जिनमें वास्तव में देश के अनेक क्षेत्र सम्मिलित होंगे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

(I) अमृतसर से चण्डीगढ़ से दिल्ली से पटना से कलकत्ता से भुवनेश्वर तथा सीधे मद्रास और कन्याकुमारी तक;

(II) मध्य क्षेत्र में, सीधे दिल्ली से बंगलूर से कन्याकुमारी बरास्ता त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य होकर;

(III) दिल्ली से गुजरात होकर सीधे बम्बई और फिर बंगलूर तथा यहां से नीचे की ओर कन्याकुमारी तक जाने वाली एक सड़क ;

(IV) बम्बई से कलकत्ता तक एक सड़क ।

इस प्रकार हमने वास्तव में सारे देश को जोड़ लिया है। इसी के बारे में अध्ययन किया गया है। इन प्रस्तावों को कार्य रूप देने के लिए मुझे एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं। इसलिए हमने इस योजना के बारे में सोचा कि सीधे मार्गों पर हम इसे निजी क्षेत्र को प्रस्तुत करेंगे कि वे इसमें प्रवेश करें, निर्माण करें और इसे संचालित करें। इसके लिए मैं संसद में विधान लाने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि यह मुझे इस महीने या अगले महीने मिल जाएगा। उसमें मैं संसद सदस्यों तथा मुख्य मंत्रियों की आवश्यकताओं की पहचान कर सकूंगा और एक व्यवहार्यता-अध्ययन करा सकूंगा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि नई नीतियों की घोषणा किए जाने के पश्चात आज तक मेरे मंत्रालय में मेरे पास 88,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं जिनमें कि विदेशी निवेशक-बल्कि यू कहिए कि वे विदेशी नहीं हैं, विदेशी कम्पनियों के साथ वे अधिकतर भारतीय कम्पनियां है तथा उनमें से केवल एक भी शत प्रति शत विदेशी कम्पनी नहीं है और वे सभी भारतीय कम्पनियां हैं जिन्होंने कि इस प्रकार के धन के निवेश की रूचि दर्शाई है। नीति इसी आधार पर बनाई जा रही है। यही कारण है कि आज सरकार पथकर वसूल कर सकती है। परन्तु सरकार इसे निजी व्यक्ति को नहीं दे सकती। इसके लिए अधिनियम में एक छोटे से संशोधन की आवश्यकता है जो कि संसद के समक्ष लाया जा रहा है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, माननीय मंत्री ने क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं।

महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, लघु उद्योगों का हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी योगदान है। जिन क्षेत्रों में नए सीधे मार्ग बन रहे हैं, वहां यह हो चुका है और हो भी रहा है कि रख-रखाव की कमी के कारण कुछ स्थानों पर पहले के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का परित्याग किया जा रहा है जिनका कि लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाता था। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को, जोकि लघु उद्योगों तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग मानते रहना जारी रखेगी। उनके लाभ के लिए पथकर के ढांचे से भले ही इसमें गांरटी अथवा प्रति-गारंटी अथवा इसी प्रकार का कुछ अन्य प्रावधान हो, लघु उद्योगों के व्यवहार्य बने रहने में रूकावट आ सकती है। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों को रख-रखाव की गारन्टी के साथ समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाए रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी भाग का परित्याग नहीं किया गया है। जो कुछ संसाधन भी हमारे पास हैं, हम उनके रख-रखाव में प्रयत्नशील हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जिस नेटवर्क की मैंने अभी-अभी घोषणा की है, वह किसी प्रकार भी सरकार को इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव से नहीं रोकेगा। सदैव ही समानान्तर मार्ग होंगे जोकि लोगों को उपलब्ध रहेंगे। यह एक नया प्रस्ताव है जिस पर कि मैं उल्लेख कर रहा हूं। वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा सांसदों और सभी मुख्य मंत्रियों की मांग पर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी और इस और ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। हम वास्तव में पूरे देश का ध्यान रख रहे हैं तथा एक भी राज्य इससे बाहर नहीं है और इस नेटवर्क में हमने पूर्वोत्तर राज्यों का भी ध्यान रखा है।

श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ : महोदय, मैं समझती हूं कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक भारी रूचि दिखा रहे हैं तथा उन्होंने कर्नाटक में पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में धन निवेश करने का प्रस्ताव भी रखा है। इससे निश्चय ही राज्य के उद्योगीकरण में तेजी आएगी। तथापि, इसके परिणामस्वरूप वाहनों की संख्या में बढोत्तरी से निश्चय ही जल-भूतल परिवहन के आधारभूत ढांचे पर काफी दबाव पड़ेगा। सड़कों की वर्तमान स्थिति तथा परिवहन प्रणाली इस स्थिति का तनिक भी मुकाबला करने की दशा में नहीं है।

महोदय, समाचार पत्रों में छपा था कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने सड़क परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए कर्नाटक में धन निवेश करने के सम्बन्ध में रूचि दिखाई थी। इस बारे में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों समेत गैर-सरकारी क्षेत्र को सड़क निर्माण में शामिल किया जाएगा। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, हम ने अब सारे देश में सड़कों की पहचान कर ली है। ज्यों ही संसद विधेयक पास कर देगी, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव की ओर भी ध्यान दूंगा।

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, यदि आप प्रश्न संख्या 183 तथा 193 के दिए गए उत्तरों को देखें तो पता चलेगा कि उत्तर एक-समान हैं। मैंने प्रश्न संख्या 193 पूछा है और इसलिए मुझे प्रश्न संख्या 193 पर भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए क्योंकि प्रश्न संख्या 183 तथा 193 के दिए गए उत्तर बिल्कुल एक-समान हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री अनंतराव देशमुख : ठीक है, श्रीमान्। प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) के दिए गए उत्तरों को पढ़ने के पश्चात मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि सरकार के लिए क्या यह उचित नहीं होगा कि वह पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नीति बनाए तथा उसके पश्चात आवश्यक संशोधन करे अथवा अधिनियम बनाए ताकि यह एक समग्र दृष्टिकोण बने। अन्यथा हमें इन सभी समस्याओं पर अलग-अलग विचार करना होगा।

दूसरे, क्योंकि सरकार सड़कों, भवनों, पुलों आदि के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का आशय रखती है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदेशी निवेशकों से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य के लिए हैं?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सड़क नीति वास्तव में तैयार है। हमने विभिन्न एजेसिंयों से परामर्श किया है और हमने सचिवों की समिति की सिफारिशें भी ली हैं। नीति का प्रारूप मेरे पास तैयार पड़ा है। मैंने यह सोचा कि जब संसद में इसपर चर्चा हो माननीय सदस्यों की राय जानकर इसमें कुछ परिवर्तन करूं क्योंकि सांसदों की ओर से सदैव ही बहुत अच्छे प्रस्ताव आते हैं। यदि सांसद इस नीति में कुछ समाविष्ट कराने की आवश्यकता समझेंगे, तो मैं वैसा ही करूंगा और तत्पश्चात् मैं अनौपचारिक रूप से इस नीति की घोषणा करूंगा। परन्तु नीति तैयार है और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि उदार नीति के लागू हो जाने के पश्चात विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव आए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए भी काफी प्रस्ताव दिए हैं।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया है। मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह आदिवासी क्षेत्रों के लिए सड़क नीति बनाए। क्योंझर में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खानें हैं और उस क्षेत्र में कई ट्रक चलते हैं। अतः मैंने मांग की है कि भारत सरकार क्योंझर जिले में पनिकुली से राजामुंडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह अब इसके बारे में सदन में घोषणा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुंडा, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है "क्याआपके पास आदिवासी क्षेत्रों तथा ऐसे लोगों, जहां कि खानें हैं, के लिए कोई नीति है?"

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, साधारणतया यह राज्य का विषय है। सड़कों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सीधे मार्ग (एक्सप्रेसवेज) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं। जो कुछ भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री से बात करूंगा और यदि मैं यह देखूंगा कि यह सुझाव हमारी नीति पर भी खरा उतरता है तो यदि इस मार्ग में, जोकि कलकत्ता से भुवनेश्वर होकर मद्रास जा रहा है, कुछ मोड़ देने की आवश्यकता है तो मैं यह सहर्ष सुनिश्चित करूंगा।

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य

***184. श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्युटिकल कंपनियों ने अधिसूचित औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि की है;

(ख) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक औषधियों पर से नियंत्रण हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) एकाध मामले को छोड़कर दवाइयों की कीमतों में आमतौर पर कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) जानकारी एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ). औषधों का नियंत्रण तथा विनियंत्रण औषध (कीमत नियंत्रण), आदेश, (डी पी सी ओ), 1995 के अनुसार किया जाता है, जिसकी प्रति 14-2-95 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि दवाइयों की कीमतों में असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असामान्य वृद्धि किसे कहेंगे? जब से सरकार ने नई दवा नीति की घोषणा की है, उसके बाद से 73 दवाइयों को डिकंट्रोल कर दिया गया। इससे दवाइयों के दाम अनाप-शनाप बढ़े। दवाइयां इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की जान सस्ती हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है कि टी.बी. और मलेरिया देश में फिर से बुरी तरह से फैल रहा है और टी.बी. और मलेरिया गरीबों को ज्यादा होता है। सामाजिक रूप से भी गरीब सताये जाते हैं और बीमारियां भी उनको ज्यादा सताती हैं। मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि कौन-कौन सी दवाइयों की कीमतें बढ़ी है? इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा कि उन दवाइयों की कीमतों की सूची इकट्ठी नहीं कर पाये हैं। मैं उन दवाइयों के नाम बताना चाहता हूं जो कि महंगी हो गई। मलेरिया की गोली क्लोरोक्वीन, जो कि 6 महीने पहले 20 पैसे की आती थी, उसके दाम 90 पैसे हो गये हैं। उसके साढ़े चार गुना दाम बढ़े हैं। क्या आप उसे असामान्य वृद्धि नहीं कहेंगे? टी.बी., जो कि गरीबों को ज्यादा होता है, उसकी गोली रिफौमफीसिन 450 एम.जी. के दाम 6 महीने पहले ढाई से तीन रुपये थे। 6 महीने में उसकी कीमत साढ़े पांच से 6 रुपये हो गई। मंत्री जी को मालूम ही नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं। बच्चों को टी.बी. ज्यादा होता है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आ जायें। आपको दूसरा प्रश्न पूछने का भी मौका मिलेगा।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। इसकी दवा की कीमत 35 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गई है। कीमतें जो अनाप-शनाप बढ़ रही हैं, क्या उन पर कंट्रोल लगाकर कीमतों को कंट्रोल में लाया जायेगा? मेरे प्रश्न का "ब" भाग यह है कि 6 महीने पहले घोषणा की गई थी कि 2 महीने के भीतर औषध मूल्य नियंत्रण नीति हेतु विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बना रहे हैं जो कि स्वतंत्र निकाय होगा। 8 महीने हो गये। उसे अभी तक नहीं बनाया। वह आप कब बनायेंगे?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करूंगा कि मैंने यहां काफी सावधानीपूर्वक उत्तर दिया है और मैंने कहा है कि एकाध मामले को छोड़कर—एकाध मामला मैंने पहले ही मान लिया है-दवाइयों की कीमतों में आमतौर पर कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मैं जो बात यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक औषधों तथा दवाइयों का सम्बन्ध है, प्रतिशत वृद्धि कम रही है। मेरे पास यहां वह अवधि मौजूद है जिसमें कि माननीय सदस्य रूचि रखते हैं। इस अवधि में दवाइयों की कीमतें अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में निरन्तर कम बनी रही हैं। मेरे पास ब्यौरे हैं। अप्रैल, 1994 से गत मास फरवरी, 1995 तक, उद्योग मंत्रालय के अनुसार औषध तथा दवाइयों की कीमतों में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं यह बताने में सभा का समय नहीं लेना चाहता कि किस प्रकार प्रत्येक मास औषध तथा दवाइयों के मूल्य वास्तव में सामान्य मूल्य सूचकांक की तुलना में एक वर्ष की अवधि के दौरान कम किए गए हैं।

तथापि, महोदय इस परिस्थिति पर परदा डालने के लिए नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में गहरी चिन्ता रखते हुए मैं कह रहा हूं कि कीमतों को असामान्य रूप से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैंने यहां कहा है कि कुछेक मामले हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि ऐसे कुछेक मामले कौन-कौन से हैं क्योंकि दवाइयों की संख्या हजारों में है। मैं ये ब्यौरे सदन को देने जा रहा हूं, मैं इन्हें सभा पटल पर रखने जा रहा हूं।

मैंने अपने विभाग को अनुदेश जारी किए हैं कि वह इन मामलों की पश्चान करे और मूल्यों में असामान्य वृद्धि होने की दशा में समुचित कार्यवाही करे। जो बात मैं यहां कह रहा हूं वह यह है कि चिन्ता का कोई कारण नहीं है। परन्तु हमें सदैव तथा सरकार एवं हमारे विभाग को, जब कभी भी कुछेक मामलों में असामान्य वृद्धि हो, सदैव हस्तक्षेप करना होगा और समुचित कार्यवाही करनी होगी। हम इससे अवगत हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही इस बारे में अनुदेश जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मूल्य नियन्त्रण आयोग के बारे में?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, इस विषय पर गत कुछ वर्षों से कार्य कर रहे विशेषज्ञ दल की सिफारिशों में ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। यह सुझाव मैंने स्वयं ही दिया और इसे औषध नीति में शामिल कर दिया गया है। आयोग गठित किए जाने का कार्य इस समय चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, जीवन रक्षक दवायें, जो मलेरिया और टीबी से संबंधित हैं और मैंने बताया है कि इन दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन आप बढ़ी हुई नहीं मान रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है।

सरकार ने नई नीति की घोषणा की और कुछ दवाइयों को डि-कन्ट्रोल किया, लेकिन डि-कन्ट्रोल करने के पहले बी.आई.सी.पी. की रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार ने कुछ दवाओं की कीमतें कम कीं और कीमतें कम हो भी गईं, जैसे अमोक्सीलीन, रैनिटीडीन और डिफलैनेक। इनकी कीमतें बाजार में कम हो गईं, लेकिन कीमतें कम होने के बाद सरकार ने डि-कन्ट्रोल कर दिया, इस कारण इन दवाओं की कीमतें बाजार में फिर बढ़ गईं। क्या यह कोई षडयन्त्र तो नहीं था, हमारी सरकार इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के चंगुल में तो नहीं आ गई? डि-कन्ट्रोल करने के बाद ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न भी इतना ही महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना चाहिए कि आप सभा का समय ले रहे हैं। कृपया आप सीधे अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मंत्री यह बताने की कृपा करें, डि-कन्ट्रोल करने के बाद जिन दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या आप उनको वापिस कन्ट्रोल में लायेंगे?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, यदि मैं ठीक-ठीक निवेदन करूं, यह पहली बार हुआ है कि हम विनियंत्रण की ऐसी प्रणाली लाए हैं जोकि पूरी तरह स्पष्ट है। मूल्य दर्शाया गया है और यदि मात्रा चार करोड़ रुपए मूल्य और इससे अधिक की है तथा चार करोड़ रुपए से कम नहीं है तो वह उन्हें नियंत्रण के अन्तर्गत मिलती है। लेकिन यदि इसमें एकाधिकार की स्थिति है तो चार करोड़ रुपए से कम मूल्य पर उन्हें यह नियंत्रण के अन्तर्गत मिलती है।

अब माननीय सदस्य महोदय ने एक रूचिपूर्ण मामले का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए रेनेडिटिन का मामला लें। नियन्त्रण मूल्य वास्तव में बाजार मूल्य से अधिक है। इस प्रकार इससे कभी-कभी नियन्त्रण के खतरों का पता चलता है। कई बार यदि आप इसे बाजार-मूल्यों पर छोड दें, तो मूल्य कम होते हैं। परन्तु मैं यह फिर कह रहा हूं कि कभी-कभी केवल कुछ बार मूल्य-नियंत्रण की आवश्यकता होती है, बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य-नियंत्रण की पृष्ठभूमि में सन्तुलन की आवश्यकता होती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अपने उत्तर में उन्होंने जिस औषध मूल्य नियंत्रण ओदश का उल्लेख किया है, उसका अनुसरण नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में औषध कम्पनियां इसका उल्लंघन कर रही हैं। उदाहरणार्थ क्या उन्हें जानकारी है कि अनके दवाइयों को जब कभी उनके व्यापक ("जिनेरिक") नाम से बेचा जाता है तब उनकी कीमत उस कीमत से दुगनी होती है जबकि उन्हें "ब्राण्ड" नाम से बेचा जाता है। ये औषधियां "क्लोरोमाइसिटिन", "डेक्सोमेथोजोन" तथा विटामिन-ए प्रकार की हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय इस तरह से कम्पनियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले इस प्रकार के अनुचित लाभ के बारे में सदन को बताएंगे और क्या मंत्री महोदय इस पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाएंगे। वे इस औषध नियंत्रण आदेश की अनदेखी करके पहले ही 124 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमा चुके हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने इस बारे में अनुदेश जारी किए हैं। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। मैं अत्यंत सत्यनिष्ठा से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप हमें विशिष्ट उदाहरण दें जहां कि ऐसा अनुचित लाभ उठाया गया है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैंने तीन नाम बताए हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कृपया वे तीनों नाम आज हमें दें और हम इसकी जांच करेंगे।

परमाणु अप्रसार सन्धि की समीक्षा

***185. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष होने वाली परमाणु अप्रसार सन्धि की पुनरीक्षा और विस्तार के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा परमाणु अप्रसार संधि की अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाकर परमाणु प्रसार को वैधता प्रदान किये जाने के विरूद्ध परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच कोई प्रचार अभियान चलाया है;

(ग) क्या भारत ने वर्तमान परमाणु अप्रसार सन्धि के स्थान पर किसी वैकल्पिक समझौते (पैकेज) का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि सरकार का हमेशा यह सुविदित दृष्टिकोण रहा है कि नाभिकीय अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण संधि है जो नाभिकीय शक्ति संपन्न और नाभिकीय शक्ति विहीन देशों के बीच स्थायी विभाजन करती है।

(ग) और (घ). 1988 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन में "नाभिकीय अस्त्र-मुक्त एवं अहिंसक विश्व-व्यवस्था की स्थापना से संबद्ध भारत द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना" में यह मांग की गई कि वर्ष 2010 तक सभी नाभिकीय अस्त्रों को समाप्त करने के लिए एक नई संधि संपन्न करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय बातचीत शुरू की जाए और यह बातचीत 1995 तक पूरी कर ली जाए। यह संधि, जो नाभिकीय अप्रसार संधि के स्थान पर होगी, सार्वभौमिकता, भेदभाव-रहित सिद्धान्तों पर आधारित होगी और कारगर रूप से सत्यापनीय होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

***186. श्री अरविंद त्रिवेदी :**
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) अधिक विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1994 और फरवरी, 1995 के बीच राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति और कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण, अपेक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आरम्भ करने, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण करने और प्रणाली सुधार स्कीमें आरम्भ करने के लिए धन की कमी होने के साथ-साथ विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता हुआ अन्तर होना है। अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानियां और विद्यमान परिसम्पत्तियों का कम इष्टतम उपयोग होने के कारण भी विद्युत की उपलब्धता कम है।

(घ) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक समुपयोजन, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए उचित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की आपर्ति को मानीटर करना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण तथा उच्चीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए स्कीमें आरम्भ करना, सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर चल रही परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ) और (च). केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का आठवीं योजना के दौरान 6636 मे.वा. ताप विद्युत, 1405 मे.वा. जल विद्युत और 880 मे.वा. न्यूक्लीय क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। नौंवी योजना में उच्चतर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

अप्रैल, 94–फरवरी, 95 के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

क्षेत्र/राज्य/ प्रणाली	ऊर्जा				व्यस्ततमकालीन			
	मांग	उपलब्धि (मि.यू. निवल)	कमी	(%)	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम कालीन आपूर्ति (मे.वा.)	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	674	670	4	0.6	140	140	0	0.0
दिल्ली	11245	11121	124	1.1	1850	1846	4	0.2
हरियाणा	10700	10156	544	5.1	2000	1925	75	3.8
हिमाचल प्रदेश	1674	1674	0	0.0	440	440	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	3635	2976	659	18.1	825	600	225	27.3
पंजाब	18585	17833	752	4.0	4000	3463	537	13.4
राजस्थान	15350	14570	780	5.1	2660	2412	248	9.3
उत्तर प्रदेश	33805	29735	4070	12.0	6550	5042	1508	23.0
जोड़ (उ.क्षे.)	**95668**	**89735**	**6933**	**7.2**	**16950**	**14290**	**2660**	**15.7**
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	28860	27718	1142	4.0	5410	4734	676	12.5
मध्य प्रदेश	25240	23386	1854	7.3	5080	3970	1110	21.9
महाराष्ट्र	44790	44002	780	1.8	8270	7497	773	9.3
गोवा	874	874	0	0.0	166	166	0	0.0
जोड़ (प.क्षे.)	**99764**	**95980**	**3784**	**3.8**	**18235**	**15601**	**2634**	**14.4**
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	28285	26063	2222	7.9	5000	4203	797	15.9
कर्नाटक	21030	17387	3643	17.3	4200	3235	965	23.0
केरल	8062	8006	56	0.7	1760	1594	166	9.4
तमिलनाडु	26770	26051	719	2.7	4800	4166	634	13.2
जोड़ (द.क्षे.)	**84147**	**77507**	**6640**	**7.9**	**14980**	**12575**	**2405**	**16.1**
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	8610	5683	2927	34.0	1675	1028	647	38.6
डी वी सी	7285	6725	560	7.7	1520	1030	490	32.2
उड़ीसा	8520	7832	688	8.1	1850	1401	449	24.3
प. बंगाल	12380	11576	804	6.5	2650	2168	482	18.2
जोड़ (पू.क्षे.)	**36795**	**31824**	**4971**	**13.5**	**7240**	**5210**	**2030**	**28.0**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	143.9	109.4	34.5	24.0	55	36	19	34.5
असम	2241.1	2040.8	200.3	8.9	500	345	155	31.0
मणिपुर	307.2	271.2	36.0	11.7	75	59	16	21.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	308.3	308.3	0.0	0.0	79	79	0	0.0
मिजोरम	127.6	116.1	11.5	9.0	43	31	12	27.9
नागालैण्ड	124.7	108.9	15.8	12.7	33	26	7	21.2
त्रिपुरा	284.2	252.3	31.9	11.2	82	45	37	45.1
जोड़ (उ.पू.क्षे.)	**3537.0**	**3207.0**	**330.0**	**9.3**	**840**	**620**	**220**	**26.2**
अखिल भारत	**319911**	**297253**	**22658**	**7.1**	**57530**	**48066**	**9464**	**16.5**

उत्पाद-शुल्क में दी गई रियायतें

***187. श्रीमती शीला गौतम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान औषध और औषध तत्वों पर उत्पाद-शुल्क में कितनी रियायतें दी गई;

(ख) ये रियायतें किन-किन औषधों एवं औषध-तत्वों पर दी गई;

(ग) क्या सरकार ने औषध उद्योग पर उत्पादन-शुल्क में दी गई इन रियायतों से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ इलैक्ट्रोनिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 में औषधों एवं औषध मध्यवर्तियों को उत्पाद शुल्क में कोई अतिरिक्त रियायतें नहीं दी गई थीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

फ्रांस की बी.आर.जी.एम. कंपनी के साथ समझौता

***188. श्री अंकुशराव टोपे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान ब्यूरो, केरल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने फ्रांस की बी. आर.जी.एम. कंपनी के साथ खनिज क्षेत्र में विकास परियोजनाएं शुरू करने हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) यह समझौता कब तक लागू किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार को खनन क्षेत्र में संयुक्त सहयोग के लिये अन्य विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). खनिज गवेषण और विकास पर कार्यरत भारत-फ्रांस कार्य दल के तत्वावधान में खनिज विकास परियोजनाएं आरंभ करने के लिए ब्यूरो डे रिचरचिज जियोलोजिक्यूस एट मिनियर्स (बी.आर.जी. एम.), फ्रांस और भारतीय संगठनों के बीच 9 सितम्बर, 1994 को छः तकनीकी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौते निम्न प्रकार हैं :-

(1) खेतड़ी बेल्ट (राजस्थान), (चरण-2) के साथ-साथ छिपे हुए तांबा निक्षेपों के विस्तृत गवेषण हेतु तकनीकी सहायता; परियोजना अवधि 7 महीने।

(2) राजस्थान (चरण-2) में सीसा जस्ता निक्षेपों के विस्तृत गवेषण हेतु तकनीकी सहायता; परियोजना अवधि 6 महीने।

(3) दक्षिण भारत में कुछ ग्रीनस्टोन बैल्ट में बहु-धात्विक गवेषण हेतु डाटा बेस; परियोजना अवधि 12 महीने।

(4) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को विश्लेषणात्मक और भू-भौतिकी उपकरण की आपूर्ति; परियोजना अवधि 12 महीने।

(5) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में एक खनिज संसाधन और आसूचना प्रणाली डाटा बेस स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता; परियोजना अवधि 31 महीने।

(6) निलाम्बूर घाटी, केरल में प्लेसर स्वर्ण निक्षेपों के लिए गवेषण और आरंभिक स्तरीय खनन; परियोजना अवधि 8 महीने।

पहले चार समझौतो पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने और पांचवे पर भारतीय खान ब्यूरो ने हस्ताक्षर किए थे जबकि ऊपर क्रमांक 6 पर निर्दिष्ट समझौते पर केरल सरकार (केरल खनिज गवेषण और विकास परियोजना) के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त

6 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 17.10 मिलियन एफ.एफ. है।

(ङ) विदेशी कम्पनियों से खनिज क्षेत्र में सरकार के साथ संयुक्त रूप से सहयोग करने हेतु भारत सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

***189. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधनों का सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की थी;

(ख) क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की व्यापक पुनरीक्षा करने तथा मौजूदा आवश्यकताओं और अन्य देशों की डाक प्रणाली में हुए परिवर्तनों पर विचार कर उनमें सामंजस्य रखते हुए परिवर्तन करने की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 1992 में एक समिति गठित की गई थी।

(ख) जी, हां। इस समिति ने फरवरी, 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

(ग) समिति की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

डाकघर अधिनियम पुनरीक्षा समिति की प्रमुख सिफारिशें

(क) कूरियरों को निश्चित उपबंधों एवं शर्तों के अधीन एक भार-विशेष से अधिक भार के पत्र लाने-ले जाने के लिए प्राधिकृत करते हुए पत्र लाने-ले जाने के केन्द्रीय सरकार के अनन्य विशेषाधिकार का अंशतः परित्याग।

(ख) कूरियरों को भारतीय डाकघर अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाना।

(ग) मौजूदा आवश्यकताओं और विश्व-व्यापक पद्धतियों में सामंजस्य रखते हुए डाक और सेवाओं का पुनः वर्गीकरण।

(घ) विभाग को डाक मदों की नई श्रेणियों और नई सेवाओं की शुरूआत करने में समर्थ बनाना।

(ङ) दर निर्धारण के लिए एक उत्तरदायी निकाय बनाना।

(च) नीति निर्धारण में जनता को भागीदारी का अधिकार।

(छ) प्रचालनात्मक विफलताओं के लिए विभाग को अत्यधिक जवाबदारी स्वीकार करना।

(ज) अवितरित डाक मदों को निपटाने के लिए एक नई प्रणाली निर्धारित करना।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के व्यक्ति

***190. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के व्यक्तियों पर जातिगत आक्रमणों या भेदभाव के बारे में विदेशों में स्थित हमारे मिशनों, संसद सदस्यों या अन्य स्रोतों से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय मूल के लोगों पर जातीयता से दुष्प्रेरित हमलों अथवा उनके खिलाफ भेदभाव के बारे में हमारे राजदूतावासों में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गई है। तथापि, भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा की वारदातों की खबरें समय-समय पर मिलती रहती हैं। इसे अधिकांशतः कानून तथा व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग

***191. श्री अन्ना जोशी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्योंझरगढ़ और सम्बलपुर से गुजरने वाले कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग का समुचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कलकत्ता-बम्बई मार्ग सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को गैर-योजनागत उपलब्ध निधियों में से यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

***192. श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री चित्त बसु :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से देश भारत के दावे का समर्थन और विरोध कर रहे हैं;

(घ) अन्य कौन-कौन से देश स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). 3 अक्तूबर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें अधिवेशन की आम बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने अपने भाषण में कहा कि भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था के आकार, अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने या शांति-स्थापना में योगदान में से किसी भी मानदण्ड की दृष्टि से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के योग्य है।

(ग) "सुरक्षा परिषद की सदस्यता में औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व और उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न" संबंधी महासभा का कार्यदल सामान्य सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श कर रहा है; अलग-अलग देश की उम्मीदवारी या उसके प्रति अन्य देशों की प्रतिक्रियाओं पर विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है।

(घ) जापान, जर्मनी, ब्राजील और नाइजीरिया ने भी स्थायी सदस्य बनने की अपनी इच्छा की घोषणा की है।

(ङ) भारत नए स्थायी सदस्यों के चयन के लिए वस्तुपरक कुछ मानदण्ड विकसित करने के लिए कार्यदल के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसे विश्वास है कि वह ऐसे किसी भी मानदण्ड के अन्तर्गत सदस्यता के योग्य होगा; अन्य सरकारों के साथ राजनयिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के दौरान हमारे विचार और हमारी रूचि दोहरायी जाती है।

[अनुवाद]

पुलों के लिए विदेशी पूंजी निवेश

***193. श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पूंजी निवेशकों को देश में पुल बनाने, उनका संचालन करने और उनका रख-रखाव करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विदेशी पूंजी निवेश संबंधी तरीके तय कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). सरकार का विचार है कि सड़क/पुल निर्माण में विदेशी निवेशकों सहित निजी सहभागिता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाए। उद्यमी अपने संसाधनों से सुविधा का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा और उसे अपने निवेश के बदले शुल्क वसूल करने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी निवेश के लिए रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान

***194. श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान से देश में उपलब्ध उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आग्रह किया है जो देश के गांवों तथा छोटे कस्बों में पूंजी का कम निवेश करके उपयोग में लायी जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त संस्थान से उसके इस अनुरोध का उत्तर भी मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक रूप से कब तक उपयोग किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान को कोई विशेष सुविधाएं भी प्रदान की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (च). केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने देश में केन्द्र और छोटे शहरों में खाद्य उत्पादों के उत्पादन के लिए

अनेक प्रौद्योगिकी, मशीनरी और उपकरण विकसित किए हैं। सरकार ने उन्हें इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखने की सलाह दी है। विकसित की गई इन प्रौद्योगिकियों में अनाज आधारित खाद्य उत्पाद, दालें, फल और सब्जियां, तिलहन, मसाले, दूध, मांस पॉल्ट्री और मछली शामिल हैं। उक्त संस्थान ने छिलका उतारने, दोने बनाने, दालों का छिलका उतारने, पापड़ दबाने, गेहूं मिलिंग, मिनी खाद्य मिलिंग आदि के लिए कम लागत वाली खाद्य मशीनरी और उपकरणों का डिजाइन और विकास किया है। इनमें से काफी प्रौद्योगिकी स्थानांतरित भी की जा चुकी है। भारत में इन प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए मंत्रालय ने उक्त संस्थानों को वित्तीय सहायता दी है और 150 परियोजना प्रोफाइल वाली कुछ प्रस्तकें भी तैयार करवाई हैं, जिन्हें इच्छुक उद्यमियों के बीच व्यापक प्रसार के लिए राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों के मार्फत सभी जिला औद्योगिक केन्द्रों में वितरित किया जा चुका है।

मंत्रालय उक्त संस्थान के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है। इस प्लान अवधि के दौरान विभिन्न अनुसंधान और विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए उक्त संस्थान को 252.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। उक्त संस्थान में 490 लाख रुपये की लागत से एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र स्थापित करने के लिए 150 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

हाल ही में मंजूर की गई "खाद्य उत्पादों के लिए अल्यूमिनियम पेकेजिंग" संबंधी परियोजना के अलावा बायो-टेक्नॉलाजी विभाग के सहयोग से "खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुविधा संबंधी बायो-टेक्नॉलाजी अनुसंधान" संबंधी अनुसंधान तथा विकास परियोजना को वित्त उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

आर्थिक सुरक्षा परिषद

*195. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आर्थिक सुरक्षा परिषद के गठन के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आर्थिक सुरक्षा परिषद के गठन के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में कोई वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य सदस्य देशों के साथ कोई बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। आर्थिक सुरक्षा परिषद बनाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) आर्थिक सुरक्षा परिषद बनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निष्पन्न दो रिपोर्टों में व्यक्त हुआ था जिनमें से एक रिपोर्ट का शीर्षक "मानव विकास रिपोर्ट, 1992" तथा दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक "मानव विकास रिपोर्ट, 1994" है। सार्वभौमिक शासन-प्रबन्ध से सम्बद्ध गैर-सरकारी आयोग की रिपोर्ट में भी यह विचार शामिल है। इस रिपोर्ट का शीर्षक "हमारी सार्वभौमिक प्रतिवेशिता" है और इसका विमोचन जनवरी, 1995 में हुआ। इस समय स्वतंत्र विशेषज्ञों/ख्यातिप्राप्त गणमान्य व्यक्तियों की सिफारिशें संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसे किसी प्रस्ताव का रूप नहीं लेती हैं जिस पर कार्यवाही की जा सके। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने सर्वसम्मति कायम करने के लिए इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई सारगर्भित विचार-विमर्श नहीं किया है।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

भारत-चीन संबंध

*196. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत और चीन के संबंध कितने और सुदृढ़ हुए हैं;

(ख) क्या चीन ने व्यापार, पूंजी निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के संबंध में सकारात्मक संकेत दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान दोनों देशों ने इस क्षेत्रों में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच सभी बकाया मुद्दों के संबंध में आपसी मतभेद कम हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च). 1994-95 के दौरान भारत-चीन संबंधों में निरन्तर विकास हुआ है। उच्च स्तरीय वार्ताओं का सिलसिला जारी रहा और दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में वृद्धि हुई। दोनों देश एक दीर्घावधिक, स्थायी तथा अच्छे पड़ोसी के सम्बन्धों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

2. 1994 में द्विपक्षीय व्यापार 895 मिलियन अमरीकी डालर का था जो 1993 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक था। 25 से अधिक भारत-चीन संयुक्त उद्यम भारत में हैं और अनेक चीन में हैं। यह विकास का एक आशाजनक क्षेत्र है। सहयोग

के नए क्षेत्रों में पैट्रोलियम, स्वास्थ्य एवं दवाइयां, नागर वैमानिकी, कोयला, लौह, एवं इस्पात शामिल हैं। इन सबका प्रौद्योगिकी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है।

3. चीन के साथ पिछले दो वर्षों में इस्पात, नागर वैमानिकी, पैट्रोलियम, स्वास्थ्य एवं दवाइयों जैसे क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित करार सम्पन्न किए गए हैं। 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान के परिहार तथा सीधे बैंकिंग सम्बन्ध स्थापित करने से सम्बन्धित करारों पर हस्ताक्षर किए। इन करारों से भारत-चीन व्यापार, निवेश वाणिज्यिक सम्पर्कों के विकास में मदद मिलेगी।

4. दोनों देशों के बीच अनसुलझे मसलों का समाधान खोजने के लिए विचार-विमर्श जारी है। इसके साथ ही सीमा के प्रश्न का एक न्यायोचित, न्यायसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने तथा प्रधानमंत्री की सितम्बर, 1993 में चीन की यात्रा के दौरान सम्पन्न सीमा पर शांति एवं अमन कायम करने से सम्बन्धित करार के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श जारी है। इन विचार-विमर्शों में दोनों पक्ष एक व्यावहारिक तथा प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

प्रमुख पत्तन

***197. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रमुख पत्तनों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख पत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) विदेशी पूंजी, निवेश संबंधी स्वीकृत/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, हां। महापत्तनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है। महापत्तनों में वर्ष 1992-93 के दौरान 166.58 मिलियन टन और 1993-94 के दौरान 179.26 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल किया गया जो इन वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। वर्ष 1994-95 के दौरान महापत्तनों में फरवरी, 1995 तक 176.33 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल किया जा चुका है जबकि वर्ष के लिए लक्ष्य 181.00 मिलियन टन है।

(ग) महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए वार्षिक योजना 1995-96 में 721.43 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान पांच बड़ी परियोजनाओं को चालू करने की संभावना है जिनमें से दो बम्बई में और शेष तीन पारादीप, कोचीन और मुरगांव में चालू की जायेंगी।

(घ) कांडला, मुरगांव और मद्रास के लिए विदेशी निवेश वाले पांच बड़े प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशाखापटनम, मुरगांव, कोचीन, जवाहर लाल नेहरू और कांडला पत्तनों के लिए विदेशी निवेश वाले पांच और प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

निजी निवेशकों (विदेशियों सहित) के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्यमियों के लिए संबंधित पत्तन-न्यास द्वारा आमंत्रित खुली प्रतियोगी बोलियों का उत्तर देना आवश्यक है। निवेशक को कार्य निष्पादन के न्यूनतम स्तर की गारंटी देनी होगी। प्रभारों की अनुसूची के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

***198. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) किन-किन परियोजनाओं पर इस बीच कार्य आरंभ हो चुका है और ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जाएंगी;

(ग) शेष विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) राज्य बिजली बोर्डों/पावरग्रिड कारपोरेशन/ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 54,579 मे.वा. की कुल क्षमता के लिए निजी विद्युत प्रवर्तकों के साथ 121 समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ). यह परियोजनाएं सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने, वित्तीय समापन होने और इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् कार्य करना आरम्भ कर सकती हैं। डभोल चरण-I (695 मे.वा.) का वित्तीय समापन कर लिया गया है और नवम्बर, 1997 तक यह पूरा कर लिया जाएगा। इब घाटी टीपीएस (420 मे.वा.) और पागुथान सीसीजीटी (655 मे.वा.) द्वारा सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और शीघ्र ही इनका वित्तीय समापन कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा परियोजना प्रवर्तकों को सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने और वित्तीय समापन करने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

उन निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनके बारे में राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत ग्रिड निगम/ऊर्जा प्रबंध केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	प्रकार	समझौता ज्ञापन की तिथि	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	भूपालापल्ली	120	कोयला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
2.	कुड्डापाह	420	कायेला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
3.	ईस्ट गोदावरी	100	फुरनासियो	18.2.95	रायलसीमा पैट्रो कैमिकल्स लि.
4.	गोदावरी	208	गैस/नैपथा	7.9.92	स्पैक्ट्रम टैक्नीकल यूएसए/जया फूड्स एण्ड एन.टी.पी.सी.
5.	गोपालपल्ली	250	कोयला	18.2.95	ओरिएंट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज
6.	हैदराबाद	200	फुरनासियो	18.2.95	बालाजी होटल एण्ड इन्टरप्राइजेज लि.
7.	हैदराबाद	200	एलएसएचएस	18.2.95	जीएमआर वासावी इण्डस्ट्री लि.
8.	हैदराबाद	700	सी/एन/डी/जीए	18.2.95	मै. आरपीजी इण्डस्ट्रीज लि.
9.	हैदराबाद	200	फुरनासियो	18.2.95	बालाजी डिस्ट्रील्लरीज लि.
10.	हैदराबाद	200	फुरनासियो	18.2.95	बालाजी बायोटेक. लि.
11.	जैगुरूपाडु जीबीपीसी	235	गैस/नैपथा	16.3.92	जीवीके इण्डस्ट्रीज लि. यूएसए
12.	काकीनाडा	660	नैपथा	18.2.95	मैं. कुमार्स पावर
13.	काकीनाडा	250	सी/एन/डी/जीए	18.2.95	मैं एडवांस्ड रेडियो माल्ट्स
14.	काकीनाडापोर्ट	1000	कोयला	18.2.95	मैं होडोसम पीटीवाई लि.
15.	कलिंगापट्टनम	120	कोयला	18.2.95	मैं. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
16.	करीमनगर	120	कोयला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
17.	मधिलीपट्टनम	500	सी/एन/डी/जीए	18.2.95	अनाग्राम फाइनेंस लि.
18.	मानुगुरू	1000	कोयला	18.2.95	सांघी ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज
19.	मानुगुरू	500	एलएसएचएस	18.2.95	श्री शिवा पावर लि.
20.	निजामाबाद	200	कोयला	18.2.95	मैं. रिचिमैन सिल्क्स लि.
21.	रामागुण्डम	500	सी/एन/डी/जीए	18.2.95	मैं. एडवांस्ड रेडियो माल्ट्स
22.	रानीगुंटा	200	फुरनासियो	18.2.95	मैं. बालाजी इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि.
23.	सिम्हाद्री	1000	कोयला	18.2.95	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.
24.	टीवन गिट्टोज	250	कोयला	18.2.95	मैं रिचिमैन सिल्कस् लि.
25.	विशाखापटनम	650	नैपथा/जी	18.2.95	एस्सार इन्वैस्टमैंट्स लि.
26.	विशाखापटनम	500	कोयला	18.2.95	श्री शिवा प्रिया पावर लि.
27.	विशाखापटनम	500	सी/एन/डी/जीए	18.2.95	मैं आम्टरैक्स एप्पलायंसेज
28.	विशाखापटनम टीपीएस	2×500	कोयला	17.7.92	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर यू.के.
29.	विजयनगरम	220	नैपथा	18.2.95	पान पॉवर कारपोरेशन
30.	वादापल्ली	120	कोयला	18.2.95	मैं. कृष्णा गोदावरी बेसिन पॉवर यूटिलिटीज लि.
जोड़ : 30		12123.00			

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश					
31.	कार्मेग एचईपी	600	हाइडल	6.3.93	इन्टर कोर्प. इण्डस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग लि.
32.	खारसांग जीबीपीपी	48	गैस	6.3.93	इन्टर कोर्प./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग आस्ट्रेलिया
जोड़ : 2		648.00			
असम					
33.	आदमटिल्लाओपन साइकल	15	गैस	3.9.93	डीएलएफ पावर कम्पनी लि.
34.	अमगुरी जीबीपीपी	280	गैस	10.6.93	असम पावर पार्टनर्स नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्क. यू एस/आगरा इण्डस्ट्रीज
35.	बाशकाण्डी ओएन साइकल	22.50	गैस	3.9.93	डीएलएफ पावर कम्पनी लि.
36.	कारबी लांग्पी एचईपी	2×50	गैस	6.3.93	मै. भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
37.	नामरूप टीपीएस विस्तार	90	हाइडल	15.2.95	मैं. वियमसन मागोर
जोड़: 5		507.50			
गुजरात					
38.	मंगरोल टीपीएस	250	लिग्नाइट	15.9.94	गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कं. लि. बरौदा।
39.	पागुथान जीबीपीपी	655	गैस	12.5.94	गुजरात टोरेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सिमेंस, जर्मन
जोड़: 2		905.00			
हरियाणा					
40.	यमुनानगर टीपीएस	2×350	कोयला	5.4.94	आईज़नबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल।
जोड़: 1		700.00			
हिमाचल प्रदेश					
41.	एल्लाइन-दुहांगन	192	हाइडल	28.8.93	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
42.	बास्पा	300	हाइडल	23.11.93	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
43.	धामवाड़ी एचईपी	70	हाइडल	28.8.93	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यूएसए
44.	हिब्रा एचईपी	231	हाइडल	28.8.93	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यूएसए
45.	कारचम वांग्टू	900	हाइडल	25.3.93	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
46.	मालाना एचईपी	86	हाइडल	28.8.93	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
47.	नियोगल एचईपी	12	हाइडल	28.8.93	ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली
48.	उहल-3 एचईपी	2×50	हाइडल	10.2.92	बाल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि., दिल्ली
जोड़ : 8		1891.00			

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
49.	अलमाट्‌टी डैम	600	हाइडल	26.7.92	एशिया पावर कम्पनी लि. (टापको) यूएसए, के.पी.सी.
50.	चुनचानकाट्‌टे	15	हाइडल	19.4.93	मैं. ग्रेफाईट इण्डिया लि.
51.	होस्पैट टीपीएस	2×250	कोयला	30.7.92	होकी इंटर कॉंटिनेंटल लि. यूएसए
52.	जेबीटीसी कम्पनी	2×120	गैस/कोयला	9.12.94	जिन्दल ग्रुप/ट्रेक्टेबेल, बेलजियम
53.	कमास्धारा	48	हाइडल	6.9.94	मैं. भोरूका पावर कारपोरेशन लि.
54.	मंगलूर टीपीएस	4×250	कोयला	30.7.92	कांजेंट्रिंक्स इन्क. यूएसए
55.	नागार्जुन	2×500	कोयला	27.1.94	जेस्को (नागार्जुन ग्रुप)
56.	रायचुर चरण-5 व 6	2×250	कोयला	28.7.92	पब्लिक पावर इन्ट.इन्क. (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यूएसए
57.	टुंगा एनीकट	20	हाइडल	30.4.93	मैं. डाण्डेली स्टील एण्ड पैररो एलॉयस लि.
58.	बाराही आईडीपीएच	15	हाइडल	20.10.94	मैं. भौरूका पावर कारपोरेशन लि.
जोड़ : 10		3938.00			
केरल					
59.	अनाकायाम एचईपी	8	हाइडल	29.9.92	आईडिल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज (पी) लि
60.	बूथाथानकेट्‌टू	16	हाइडल	7.8.92	सिल्कल मैटालर्जिक (पी) लि.
61.	चाथांकोट्‌टूनंदा-2	7	हाइडल	29.9.92	आईडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज (पी) लि
62.	चैम्बूक्कादावु	7	हाइडल	29.9.92	आईडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज प्रा लि
63.	कारीक्कायाम एचईपी	12	हाइडल	21.11.92	ट्रावांकौर इलैक्ट्रो कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
64.	कुथुगल एचईपी	20	हाइडल	24.8.92	इण्डसिल इलैक्ट्रोसैट्स लि.
65.	पालचुराम एचईपी	3.50	हाइडल	29.9.92	आईडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
66.	थ्रिक्कारीपुर टीपीपी	2×210	कोयला	10.1.94	बीपीएल ग्रुप
67.	उल्लूनकाल एचईपी	6	हाइडल	21.11.92	ट्रांवांकौर इलैक्ट्रिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
68.	विलांगाद एचईपी	7	हाइडल	21.11.92	हाईडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
69.	वैस्टर्न काल्लार एचईपी	5	हाइडल	29.9.92	आईडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
जोड़ : 11		511.50			
महाराष्ट्र					
70.	भद्रावती टीपीएस	2×536	कोयला	18.6.93	इस्पात एलॉयंस लि./[illegible], यू.के./ ईडीएफ/फ्रांस।
71.	दाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2015 (695-पीएच)	एलएनजी	26.6.92	एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जीई एण्ड बैक्टेल. यूएसए
72.	खापरखेड़ा टीपीएस यू.5 एवं 6	2×210	कोयला	28.1.93	एरॉन्को वाईन शिपिंग कम्पनी, [illegible]
जोड़: 3		3507.00			

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश					
73.	बिना टीपीएस	1000	कोयला	29.10.94	ग्रासिप इण्डस्ट्रीज लि.
74.	बिरसिंहपुर टीपीएस	500	कोयला	26.10.94	होस्टल इण्डस्ट्री एनर्जी इन्क. गुजरात, अम्बुजा सीमेंट लि.
75.	दौल फ्यूल नैपथा आधारित	330	गैस	12.10.94	इस्सार इन्वेस्टिगेशन लि. बम्बई
76.	ग्वालियर (डीजल) पीपी	120	डीजल	11.11.94	वार्टसिला डीजल फिनलैण्ड
77.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	2×250	कोयला	7.10.94	हार्डवोड कारपोरेशन साऊथ कोरिया
78.	कोरबा वैस्ट विस्तार	2×210	कोयला	28.7.93	मै. मुकुन्द लि.
79.	महेश्वर एचईपी	10×40	हाइडल	28.7.93	मै. एस. कुमार्स/बेचटेल यूएसए
80.	पेंच टीपीएस	500	कोयला	16.6.94	सोरोस फण्ड मैनेजमेंट यूएसए
81.	रायगढ़ टीपीएस	1000	कोयला	21.10.94	जिन्दल स्ट्रिपस प्रा.लि.
82.	रतलाम	120	डीजल	24.12.94	मै. जीवीके पावर लि.
83.	तावा एचईपी (कैप्टिव)	12	हाइडल	1.11.92	एचईजी लि.
जोड़ : 11		4902.00			
उड़ीसा					
84.	बोमलाई टीपीएस	2×250	कोयला	2.4.94	गैलेक्सी पावर कंपनी, यूएसए एण्ड इण्डेकल ऑफ शिकागो
85.	चिपुलिमा बी	200	हाइडल	16.9.94	मै. जे.के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
86.	डुबुरी टीपीएस	500	कोयला	25.1.92	कलिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यूएसए)
87.	दुर्गापुर	2×250	कोयला	1.11.94	जे.के.कारपोरेशन लि.
88.	हिराकुड बी	208	हाइडल	18.9.94	मै. जे.के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
89.	इब घाटी टीपीएस	420	कोयला	9.12.92	ए ई एस कारपोरेशन, यूएसए
90.	जालापुट होई	3×6	हाइडल	7.11.94	उड़ीसा पावर कारपोरेशन लि.
91.	लापांगा टीपीएस	500	कोयला	25.10.94	पायोनियर एण्ड पाण्डा इंजीनियरिंग, यूएसए सामलाई (पी) लापांगा कम्पनी
92.	नाराज टीपीएस	2×250	कोयला	8.10.94	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन एण्ड मै. इण्डिया पावर पार्टनर्स
जोड़ : 9		3346.00			
राजस्थान					
93.	धौलपुर	2×350	कोयला	17.2.94	मै. आरपीजी इन्टरप्राइजेज
जोड़ : 1		700.00			
तमिलनाडु					
94.	कुड्डालूर टीपीएस	2×660	कोयला	5.12.94	इंटरनेशनल कांट्रेक्टिंग एण्ड मार्केटिंग/ईजी. यूएसए
95.	गुम्माइडी पूण्डी	500	कोयला	25.10.94	विडियोकॉन इंटरनेशनल

1	2	3	4	5	6
96.	जायमकोण्डम लिग्न. पीपी	3×500	लिग्न.	27.8.93	मकनैल्ली भारत इंजीनियरिंग कं. लि. एण्ड टिडको, संयुक्त उद्यम
97.	नार्थ मद्रास–2	2×500	कोयला	25.10.94	मै. विडियोकॉन इंटरनेशनल लि., बम्बई
98.	नार्थ मद्रास टीपीपी–3	500	कोयला	25.10.94	मैं. प्रो–मैजेस्टिक एसेंडीएन, बीएचडी, मलेशिया
99.	पिल्लाईपेरूमलनल्लूर	300	गैस–नापथा	9.12.92	डायना विजन ऑफ रेड्डी ग्रुप/जे. माकोवस्की, यूएसए बालाजी ग्रुप
100.	सामायनाल्लूर डीईपीपी	100	डीजल	16.9.94	बालाजी ग्रुप
101.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	250	लिग्न.	31.8.92	एसटी पावर सिस्टम इन्क. यूएसए
जोड़ : 8		5470.00			
उत्तर प्रदेश					
102.	अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट	100	डीजल	4.2.95	मै. उनीसन पावन लि.
103.	चंदौसी पावर प्रोजेक्ट	100	डीजल	4.2.95	मै. इंडिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि.
104.	गजरौली पावर प्रोजेक्ट	100	डीजल	4.2.95	मै. आरपीजी इंटरप्राइजेज
105.	ग्रेटर नौएडा पावर प्रोजे.	100	डीजल	4.2.95	बोली के अधीन
106.	जवाहरपुर टीपीएस	800	कोयला	17.11.93	पैसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डवलपमेंट कौरप. कनाडा
107.	कोसी कला पावर प्रोजेक्ट	60	डीजल	30.1.95	मै. डीएसएन लि.
108.	मुजफ्फरनगर पावर प्रोजेक्ट	100	डीजल	4.2.95	मै. सुभाष मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट लि.
109.	चंकी पावर प्रोजेक्ट्स	100	डीजल	30.1.95	मै. डालमिया ब्रदर्स प्रा. लि.
110.	रोजा टीपीएस	2×250+1×250	कोयला	17.11.93	इंडो–गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स इंडिया एंड पावर जन. पीएलसी
111.	साहिबाबाद पावर प्रोजे.	100	डीजल	4.2.95	मै. मोदी मिरलैक्स ब्लैक स्टोन लि.
112.	सिकंदराबाद पावर प्रोजे.	100	डीजल	30.1.95	मै. डालमिया ब्रदर्स प्रा. लि.
113.	श्रीनगर एचईपी	330	हाइडल	27.8.94	मै. डंकन एग्रो इन्ड. लि.
114.	विष्णु प्रयाग एचईपी	4×100	हाइडल	14.10.92	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
जोड़ : 13		3140.00			
पश्चिम बंगाल					
115.	बक्रेश्वर टीपीएस	420	कोयला	21.9.93	डीसीएल कुलजियन कौरप. सीएनएस. जनरेशन यूएसए एंड डब्ल्यूबीपीडीसीएल
116.	बालागढ़ टीपीएस	2×250	कोयला	1.1.93	बालागढ़ पावर के.लि. (सीईएस सी/एडीबी/टीपीसी)
117.	दनकुनी	20	गैस	1.1.93	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी, यूएसए
118.	गौरीपोर टीपीएस	2×75	कोयला	20.5.94	बीटीएस, टीईएस, यूएसए, मेल, डब्ल्यूबीपीडीसीएल
119.	सागरदीघी टीपीएस	2×500	कोयला	21.9.92	डीसीएल कुलजियन कौरप. सीएमएस जनरेशन यूएसए एंड डब्ल्यूबीपीडीसीएल
जोड़ 5		2090.00			

1	2	3	4	5	6
120.	ग्रुप ऑफ पावर प्रोजेक्ट	10000	कोयला	22.9.94	कंसोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एसिया लि. हांगकांग
जोड़ : 1		10000.00			
121.	एनर्जी एफीशियेंसी जन.	200	बी-मास/एनए	13.2.95	मै. जेएमसी डवलपमेंट, यूएसए/अपोलो हॉस्पीटल
जोड़ 1		200.00			
कुल जोड़		121	54579.00		

[हिन्दी]

सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन

*199. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोपेनहेगन में हाल ही में हुए "सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन" में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों/विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सम्मेलन द्वारा कितने मुद्दे स्वीकार किए गए हैं; और

(ग) इससे क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की जा सकेंगी?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 11 से 12 मार्च, 1995 तक कोपेनहेगन में हुआ। इससे पहले 6 से 10 मार्च, 1995 तक राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। इस शिखर सम्मेलन से गरीबी उन्मूलन, संपूर्ण एवं उत्पादक रोजगार की व्यवस्था करने और सामाजिक एकता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करने तथा उसे पुनः सक्रिय बनाने का अद्वितीय अवसर मिला।

2. शिखर सम्मेलन और इसकी तैयारी प्रक्रिया के दौरान भारत ने निम्नलिखित मसलों पर बल दिया : -

(I) लोगों को प्रमुख स्थान देना और अन्य बातों के साथ-साथ लोगों को भोजन, कार्य, आवास शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना जैसे कुछ अधिकारों की गारंटी देकर उन्हें सशक्त बनाना; एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के माध्यम के रूप में लोकतांत्रिक भागीदारी वाली स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था कायम करना।

(II) गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता जिसका उल्लेख अब केवल एक अलग लक्ष्य के रूप में नहीं होता है बल्कि एक ऐसे प्रकरण के रूप में होता है जो सभी क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाही में निहित है।

(III) एशिया और प्रशान्त देशों के निम्न आय वाले देशों में गरीबी और ग्रामीण गरीबी पर ध्यान देना।

(IV) लिंग-भेद सम्बन्धी उन मसलों पर, क्षेत्रीयता के आधार पर पारस्परिक तौर पर बल देना जो सामाजिक विकास से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं।

(V) शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक अलग वचनबद्धता शामिल करना जो गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।

(VI) स्पष्ट रूप से यह मानना कि आतंकवाद समाज तथा सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था के लिए मूलभूत खतरा है।

(VII) कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।

(VIII) मंडियों की खामियों को स्वीकार करते हुए तथा इस बात को मानते हुए कि मंडी व्यवस्था को दुरूस्त करने तथा उसकी सहायता करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, मंडियों की भूमिका को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रखना।

(IX) संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करना तथा यह मानना कि इस बात का सुनिश्चय करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाए कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को तय करते समय उनमें सामाजिक विकास के लक्ष्य भी शामिल हों।

3. भारत द्वारा रखे गए उपर्युक्त सभी मुद्दे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिए गए और यह 12 मार्च, 1995 को पारित कोपेनहेगन घोषणा तथा कार्य योजना में यह परिलक्षित हुए हैं। इस घोषणा में देशों के भीतर तथा उनके बीच सामाजिक न्याय, एकजुटता, समरसता तथा समानता के उद्देश्य को लेकर सामाजिक विकास के लिए मिल-जुलकर कर कार्य करने हेतु की गई 10 वचनबद्धताएं शामिल हैं। ये वचनबद्धताएं अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित उद्देश्यों से संबंधित हैं यथा एक समर्थकारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विधिक पर्यावरण का सृजन; गरीबी उन्मूलन; पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति; सामाजिक एकता के संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति; सामाजिक विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाना; और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बेहतर बनाना। उपर्युक्त वचनबद्धताओं के उद्देश्य से कार्ययोजना में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तथा दोनों ही स्तरों पर विस्तृत योजनाओं का उल्लेख है।

4. कोपनहेगन घोषणा तथा कार्य योजना एक नए समाज के निर्माण के लिए बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सूची की शुरूआत की द्योतक है। इस शिखर सम्मेलन में मानव मात्र विशेषकर निर्धन वर्ग की हित-चिन्ता से संबद्ध मसलों पर विचार-विनिमय हुआ। भारत को उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन से इसके दूरगामी निर्णयों के क्रियान्वयन में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पुनः सक्रिय होगा।

[अनुवाद]

परमाणु अप्रसार सन्धि

*200. **श्री येल्लैया नन्दी :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को परमाणु अप्रसार सन्धि की संयुक्त प्रणाली (कंबाइंड रिजीम) और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली (एम.टी.सी.आर) के अन्तर्गत लाने और भारत के शान्तिपूर्ण प्रयोजन हेतु परमाणु कार्यक्रम को भी बन्द करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या परमाणु अप्रसार सन्धि संबंधी भारत के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). द्विपक्षीय और अन्य मंचों में नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। तथापि नाभिकीय अप्रसार संधि के न्यासी राज्यों (अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और रूस) ने उन सभी देशों से, जो अभी तक नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार नहीं हैं, इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया है। नाभिकीय अप्रसार संधि के प्रति सरकार का सैद्धान्तिक विरोध सभी संगत द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर दोहराया गया है। इस बीच भारत अपना व्यापक नाभिकीय कार्यक्रम चलाते रहने के प्रति वचनबद्ध है जो सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

जहां तक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली (एम.टी.सी.आर.) का संबंध है भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली (एम.टी. सी.आर.) जैसी तदर्थ निर्यात नियंत्रण प्रणाली के पक्ष में नहीं है और उसने सरकारी विचार-विमर्शों में प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली के सदस्य देशों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात, शिप ब्रेकिंग और कास्टिंग एकक

1812. **श्री हाराधन राय :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन पश्चिमी बंगाल में इस्पात, शिप ब्रेकिंग और कास्टिंग एककों की स्थापना हेतु विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि वह पश्चिम बंगाल में इस्पात, पोतभंजन एवं ढलाई इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है। चूंकि ये प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में हैं, इसलिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में नए पासपोर्ट कार्यालय

1813. **डा. सुधीर राय :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में कितने पासपोर्ट कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में ये कार्यालय कहां-कहां हैं;

(ग) क्या विशेषतः पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के और कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) पासपोर्ट कार्यालय-23

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नये पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना विभिन्न बातों पर आधारित है जिसमें कार्य भार और उपलब्ध संसाधन भी शामिल हैं। नए पासपोर्ट कार्यालयों के खोले जाने से ही सेवा में अपने आप सुधार नहीं हो जाता जब तक कि अनिवार्य आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसीलिए, सरकार पासपोर्ट जारी करने में लगने वाली देरी को कम करने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों का निपटान करने और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा उसे सुचारू करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

विवरण

	राज्य	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	गोवा	पणजी
5.	गुजरात	अहमदाबाद
6.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल	1. कोचीन 2. कोजीकोड 3. त्रिवेन्द्रम
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल
10.	महाराष्ट्र	1. बम्बई 2. नागपुर
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
12.	पंजाब	जालंधर
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	तमिलनाडु	1. मद्रास 2. तिरूचिरापल्ली
15.	चण्डीगढ़ का संघ शासित प्रदेश, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	चण्डीगढ़
16.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश, +उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद जिले, हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत जिले।	दिल्ली
17.	उत्तर प्रदेश	1. बरेली 2. लखनऊ
18.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

कुल : 23 पासपोर्ट कार्यालय तथा श्रीनगर में 1 पासपोर्ट संग्रह कार्यालय और शिमला में 1 पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय।

"हुडको" द्वारा आवास एजेंसियों को ऋण

1814. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में "हुडको" द्वारा विभिन्न आवास एजेंसियों को दिए जाने वाले ऋण में प्रति वर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में "हुडको" ने विभिन्न आकार के एजेंसियों के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि मंजूर की और कितनी धनराशि प्रदान की;

(ग) क्या "हुडको" का विचार मध्य प्रदेश में विभिन्न आवास एजेंसियों की ऋण की राशि बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी, कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरीदाबाद में खनन दुर्घटना

1815. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरीदाबाद में जुलाई, 1993 और फरवरी, 1995 में रेत की खानों में हुई खनन दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस खान को बंद करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बुर्किनो फासो को कृषि विकास हेतु सहायता

1816. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुर्किनो फासो को कृषि विकास हेतु सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बुर्किनो फासो की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1994 में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति द्वारा दो दिवसीय अपनी भारत यात्रा के दौरान किए गए विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने बुर्किना फासो में कृषि विकास परियोजना के लिए 15.8 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। इस अनुदान का उपयोग भारत से कृषि संयंत्र और उपस्कर खरीदने तथा छह भारतीय कृषि विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए किया जाएगा। प्राप्तकर्त्ता सरकार के परामर्श से एक परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यह परियोजना अब वास्तविक क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरणों में है।

(ग) बुर्किना फासो की सरकार ने इस पेशकश को उत्साहपूर्वक और कृतज्ञ भाव से ग्रहण किया है। 17 और 18 फरवरी, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-बुर्किना फासो संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान बुर्किना फासो पक्ष ने भारतीय पक्ष द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का क्रियान्वयन के लिए समर्थन किया।

सड़कों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक की सहायता

1817. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में क्षतिग्रस्त राजमार्गों और सड़कों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय सहायता कब तक दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को धनराशि

1818. श्री काशीराम राणा :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क निधि से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की एक विशाल राशि गुजरात को अभी तक नहीं दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष धनराशि कब तक दी जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात राज्य को आबंटित राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	आबंटन
	(लाख रु.)
1991-92	60.00
1992-93	70.00
1993-94	80.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में पुलों का निर्माण

1819. श्री प्रेम चन्द राम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत की गई/की जा रही है; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन पर कितनी राशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान किसी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने उन पुलों की संख्या निम्नलिखित है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान विशेष मरम्मत और बाढ़-क्षति-मरम्मत के प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए थे और धनराशियां जारी की गई थी :-

वर्ष	पुलों की संख्या	जारी की गई धनराशि
		(लाख रु)
1991-92	6	99.66
1992-93	1	10.19
1993-94	1	0.50

[अनुवाद]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

1820. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) को नया रूप देने और इसमें सुधार करने के संबंध में अभी तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रशियन स्टील कांगमोमरेट त्याज प्रोमेक्सपोर्ट (टीपीई) ने हाल ही में इसके अधिग्रहण के लिए अपनी स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (फरवरी, 1994 में यथा संशोधित) की शर्तों के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (इस्को) एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा-15 के तहत कंपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे जून, 1994 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है।

अधिनियम की धारा-15 के अनुसार मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज किया जा चुका है। बी.आई.एफ.आर. के पास दर्ज रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां केवल बी.एफ.आई.आर. की मंजूरी/अनुमोदन से ही पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण योजनाएं आरंभ कर सकती है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, रूस के मैसर्स त्याज प्रोमेक्स पोर्ट ने केवल "इस्को" के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के प्रति रूचि दर्शायी है। इस संबंध में कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनैक्शन

1821. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ख) उन्हें टेलीफोन कनैक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

थाईलैंड के साथ आतंकवाद के संबंध में समझौता

1822. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाइलैंड आतंकवाद, स्वापकों की आवाजाही, हथियारों की तस्करी, हिंसक अपराधों और अपराधियों की घुसपैठ से निपटने हेतु सहयोग बढ़ाने और खुली समुद्रीय व्यवस्था कायम करने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते पहले भी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, भारत और थाइलैन्ड ने आतंकवाद को रोकने के विषय में विचारों का आदान-प्रदान किया तथा दोनों पक्ष औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और आतंकवाद के साथ उसके संबंधों का मुकाबला करने के लिए सहयोग को बनाए रखने तथा उसे मजबूत करने के लिए सहमत हुए थे। दोनों पक्षों ने एक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि और कैदियों के अन्तरण पर एक करार सम्पन्न करने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया है। तथापि, आतंकवाद, औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार, हथियारों की तस्करी, हिंसक अपराधों तथा अपराधियों की घुसपैठ को रोकने के सम्बन्ध में अभी तक भारत और थाईलैंड के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है। दोनों पक्षों ने खुली समुद्री व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी करार की रूपरेखा भी नहीं बनाई है।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

रूसी परिसंघ

आतंकवाद, स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के सम्बन्ध में भारत के गृह मंत्रालय और रूसी परिसंघ के सुरक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग से सम्बद्ध एक करार रूस के गृह मंत्री श्री येरिन की भारत की यात्रा के दौरान अक्तूबर, 1995 में सम्पन्न हुआ था।

उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजस्तान और तुर्कमेनिस्तान

भारत ने उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ सम्बन्धों के सिद्धान्तों की घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अनुसार आतंकवाद और स्वापक-द्रव्यों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में सहयोग की व्यवस्था है।

संयुक्त अरब अमीरात

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्वापक द्रव्यों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने से सम्बद्ध एक करार 6 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में सम्पन्न किया है।

यूनाइटिड किंगडम

भारत और यूनाइटिड किंगडम ने एक प्रत्यर्प्रण संधि तथा अपराधों की जांच-पड़ताल और अभियोजन तथा अपराधों से प्राप्त धन और साधनों (इनमें मुद्रा अन्तरण सम्बन्धी अपराध भी शामिल है) तथा आतंकवाद निधियों का पता लगाने, उन पर अंकुश लगाने और उन्हें जब्त करने से सम्बद्ध एक करार भी सम्पन्न किया है।

आस्ट्रेलिया

भगोड़े अपराधियों की व्याख्या से सम्बद्ध राष्ट्रमंडल योजना, लन्दन प्रत्यर्पण योजना के अन्तर्गत भारत की आस्ट्रेलिया, सोलोमन द्वीपसमूह और वानुआतू के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। लन्दन योजना "सन्धि से कम स्तर" की व्यवस्था है।

म्यांमा

भारत और म्यांमा ने स्वापक औषध द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों की मांग कम करने और उनके अवैध व्यापार को रोकने एवं तत्संबंधी मामलों में आपसी सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया है।

सार्क देश

आतंकवाद का दमन करने से सम्बद्ध एक क्षेत्रीय अभिसमय तीसरे सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सम्पन्न हुआ और सभी सदस्य देशों ने उसका अनुसमर्थन किया है। तथापि उसे अभिसमय के विभिन्न प्रावधानों को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने के लिए सदस्य द्वारा समर्थकारी कानून बनाया जाना है। केवल पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़कर, अन्य सदस्य देशों ने इसे लागू करने के लिए आवश्यक कानून बना लिया है।

संयुक्त राज्य अमरीका

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने औषध द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए द्विपक्षीय करार सम्पन्न किया है। इस करार के अनुसरण में, दोनों सरकारों ने "अवैध औषधों के उत्पादन, वितरण तथा प्रयोग की रोकथाम के प्रयत्नों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके समर्थन के लिए सहयोगी उपायों" से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देश स्वापक द्रव्य विरोध क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने के लिए संयुक्त रूप से, सहयोगी दीर्घावधिक कार्यक्रम बनाएंगे।

कनाडा

दोनों सरकारों ने एक प्रत्यर्प्रण संधि सम्पन्न की। संधि का उद्देश्य आतंकवाद का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपराधियों के प्रत्यर्प्रण के लिए प्रावधान करके अपराध को समाप्त करने में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

> दोनों सरकारों ने "आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग से सम्बद्ध संधि भी सम्पन्न की है। इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी सहायता के जरिये अपराधों की जांच-पड़ताल, अभिजोयन तथा उनका दमन करने, आतंकवाद से सम्बद्ध अपराध एवं इन अपराधों से अर्जित धन का पता लगाना, उस पर अंकुश लगाना, उसका समापहरण अथवा उसकी जब्ती भी शामिल है, दोनों देशों की प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है।

टिन प्लेट का उत्पादन

1823. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और दिसम्बर, 1994 तक देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र द्वारा टिन प्लेट का अलग-अलग कुल कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) 1995-96 के दौरान देश में टिन प्लेट की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी और इस जरूरत को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1993-94 और अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में टिन प्लेटों के कुल उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(हजार टन)

	1993-94	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक) (अनन्तिम)
सरकारी क्षेत्र	50	30.0
निजी क्षेत्र	42	22.3
कुल	92	52.3

(ख) 1995-96 के दौरान टिन प्लेटों की अनुमानित स्वदेशी आवश्यकता 2.6 लाख टन है। स्वदेशी सप्लाई को बढ़ाने के लिए टिन प्लेट का निर्बाध रूप से आयात करने की अनुमति है। 1995-96 के बजट में टिन प्लेट पर आयात-शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

1824. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री प्रेम चंद राम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की मौजूदा वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में उनके वास्तविक उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे उर्वरक एककों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्येक की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता, उनका उत्पादन तथा क्षमता उपयोग अनुबन्ध में दी गई है। डिजाइन कमियों, धनराशि की समस्या की वजह से पर्याप्त रख-रखाव/मरम्मत की कमी आदि के कारण को रूग्ण कम्पनियों अर्थात् मैसर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) और मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) के एककों को छोड़कर नाइट्रोजन के मामले में उत्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। फास्फेट के मामले में गिरावट मुख्यतः अनियंत्रण के पश्चात् खुली बाजार मूल्यों में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न होने वाली मांग में कमी के कारण थी।

दो रूग्ण कंपनियां अर्थात् फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) बी आई एफ आर को निर्दिष्ट की गयी है और उनके संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में आगामी कार्रवाई बी आई एफ आर जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों की परिणाम पर निर्भर करेगा।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की (नयूट्रिएन्ट्स में) एककवार स्थापित क्षमता, उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोगिता

नाइट्रोजन

संयंत्र का नाम	1.4.94 को स्थापित क्षमता	उत्पादन (000 मी.टन)			प्रतिशत क्षमता उपयोगिता		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	19933-94
1	2	3	4	5	6	7	8
. सार्वजनिक क्षेत्र :							
एफ सी आई :							
अमेन्दरी	219.0	105.6	135.8	112.2	48.2	82.0	51.2
ोरखपुर	131.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
ामागुण्डम	228.0	88.1	58.0	88.8	38.8	25.4	38.9
ालचर	228.0	53.4	41.4	57.3	23.4	18.2	25.1
ोग : एफ सी आई	**806.0**	**247.1**	**235.2**	**258.3**	**30.7**	**29.2**	**32.0**
च एफ सी :							
ामरूप-I	21.0	0.1	0.2	0.0	0.5	1.0	0.0
ामरूप-II	152.0	35.9	23.2	3.3	23.6	15.3	2.2
ामरूप-III	177.0	90.1	113.4	84.0	50.9	84.1	47.5
्गापुर	152.0	49.9	34.2	18.8	32.8	22.5	12.4
रौनी	152.0	33.9	48.4	10.1	22.3	31.8	6.6
ोग : एच एफ सी	**654.0**	**209.9**	**219.4**	**116.2**	**32.1**	**33.5**	**17.8**

1	2	3	4	5	6	7	8
एन एफ एल :							
नांगल–I	80.0	48.3	58.1	66.5	60.4	72.6	83.1
नांगल–II	152.0	145.9	163.1	161.5	96.0	107.3	106.3
भटिण्डा	235.0	249.1	225.4	235.3	106.0	95.9	100.1
पानीपत	235.0	213.7	200.0	237.5	90.9	85.1	101.1
विजयपुर	335.0	410.6	387.4	404.0	122.9	116.0	121.0
योग : एन एफ एल	**1036.0**	**1067.6**	**1034.0**	**1104.8**	**103.1**	**99.8**	**106.6**
फैक्ट :							
उद्योगमण्डल	98.0	54.6	82.9	61.4	55.7	64.2	62.7
कोचीन–I	152.0	92.4	87.5	111.5	60.8	44.4	73.4
कोचीन–II	96.0	109.0	107.4	89.3	113.5	111.9	93.0
योग : फैक्ट	**346.0**	**256.0**	**237.8**	**262.2**	**74.0**	**88.7**	**75.8**
आर.सी.एफ :							
ट्राम्बे	90.0	77.9	81.6	83.8	86.8	90.7	93.1
ट्राम्बे–II	75.0	57.3	60.1	55.3	76.4	80.4	73.7
ट्राम्बे–II	152.0	112.1	128.9	143.7	73.8	84.8	94.5
थाल	683.0	593.3	552.5	617.3	86.9	95.5	90.4
योग : आर सी एफ	**1000.0**	**840.6**	**923.1**	**900.1**	**84.1**	**92.3**	**90.0**
एम एफ एल :							
मद्रास	176.0	149.1	145.8	99.0	84.7	82.8	56.3
सेलःरूड़केला	120.0	48.2	54.8	59.9	40.2	45.7	49.9
एन एलसी : नेवेली	70.0	62.2	50.0	51.1	88.9	71.4	73.0
पीपीएल : पारादीप	130.0	115.4	94.1	69.3	88.8	72.4	53.3
उप–उत्पाद	38.0	24.3	27.8	26.4	83.9	72.6	69.5
योग : सार्वजनिक क्षेत्र	**4376.0**	**3020.4**	**3021.8**	**2947.3**	**69.0**	**69.1**	**67.4**
II. सहकारी क्षेत्र							
इफको							
कलोल	182.0	188.3	155.9	164.5	103.5	85.7	90.4
काण्डला	120.0	134.6	118.6	132.2	112.2	98.8	110.2
फूलपुर	228.0	232.8	279.2	248.6	102.1	122.5	109.0
आवंला	334.0	390.8	375.8	416.9	117.0	112.5	124.8
योग इफको	884.0	946.5	929.5	962.2	109.5	107.6	111.4
कृभको : हजीरा	668.0	782.1	775.8	697.1	117.1	116.1	104.4
योग: सहकारी क्षेत्र	**1532.0**	**1728.6**	**1705.3**	**1659.3**	**112.8**	**111.3**	**108.3**

1	2	3	4	5	6	7	8
III. निजी क्षेत्र							
जीएसएफसी :							
बड़ौदा	236.0	294.0	311.5	264.1	124.6	132.0	111.9
सीएफएल :							
विजाग	84.0	103.9	99.9	82.4	123.7	118.9	98.1
एसएफसी :							
कोटा	152.0	167.5	164.9	186.7	110.2	108.5	122.8
आईसीआई :							
कानपुर	310.0	292.7	285.7	276.6	94.4	92.2	89.2
जैडएसी : गोवा	198.0	254.6	235.8	215.2	128.6	119.1	108.7
स्पिक-तुतीकोरिन	312.0	382.6	369.8	306.3	122.6	119.1	108.7
एमसीएफ : मंगलौर	181.0	147.1	112.2	100.0	81.3	82.0	55.2
ईआईडी पैरी इन्नोर	15.0	16.5	16.8	14.0	110.0	112.0	93.3
जीएनएफसी : भरूच	340.0	374.1	357.6	367.4	110.0	105.2	108.1
डीएफसीएल : तलौजा	53.0	3.8	23.5	2.3	–	59.1	4.3
टीएसी : तुतीकोरिन							
अल्कली	16.0	17.4	17.0	17.2	108.7	106.3	107.5
पीएनएफ : नांगल	16.0	11.1	13.6	15.5	69.4	85.0	96.9
एचएलएल : हल्दिया	29.0	27.5	31.0	13.0	94.8	106.9	44.8
आईजीएफसीसी :							
जगदीशपुर	334.0	329.5	382.4	315.2	96.7	114.5	94.4
जीएसएफसी : सिक्का	59.0	64.0	72.5	110.0	75.5	123.0	128.0
एनएफएल : काकीनाडा	228.0	–	142.3	272.0	–	93.8	119.3
जीएफसी : काकीनाडा	54.0	61.4	82.2	40.1	113.7	115.2	74.3
चम्बल फर्टस	342.0	–	–	57.2*	–	–	66.9
उप-उत्पाद	6.0	3.7	4.5	3.9	61.7	73.3	65.0
योग निजी क्षेत्र	2985.0	2552.3	2703.2	2624.6	108.8	106.7	96.9
योग (I+II+III)	**8873.0**	**7301.3**	**7430.3**	**7231.2**	**88.5**	**88.0**	**83.9**

* वाणिज्यिक उत्पादन 1.1.94 से

फास्फेट

I सार्वजनिक क्षेत्र

फैक्ट :							
उद्योग मण्डल	30.0	29.1	30.2	23.5	97.0	100.7	78.3
कोचीन-II	114.0	121.0	113.4	89.3	106.1	99.5	78.3
योग फैक्ट	**144.0**	**150.1**	**143.6**	**112.8**	**104.2**	**99.7**	**78.3**

1	2	3	4	5	6	7	8
आर सी एफ :							
ट्राम्बे-I	45.0	50.5	52.7	45.5	112.3	117.1	101.1
ट्राम्बे-II	75.0	57.3	60.1	55.3	76.4	80.1	73.7
योग आर सी एफ	120.0	107.8	112.8	100.8	89.8	94.0	84.0
एम एफ एल मद्रास	112.0	133.6	117.4	82.2	119.3	104.8	73.4
पीपीएल : पारादीप	331.0	295.0	240.4	177.1	89.1	72.6	53.5
एचसीएल : खेतरी	30.0	11.5	8.6	2.3	38.3	28.7	7.7
पीपीसीएल : अमझोर	42.0	27.2	8.4	20.6	64.8	67.6	49.0
एसएसपी एकक	13.0	6.5	5.2	4.6	50.0	40.0	35.1
योग : सार्वजनिक क्षेत्र	792.0	731.7	856.4	500.3	92.4	82.9	63.2
II. सहकारी क्षेत्र							
इफ्को : काण्डला	309.0	349.9	308.1	341.4	113.2	99.7	110.5
III. निजी क्षेत्र							
जीएसएफसी : बड़ौदा	50.0	82.6	74.5	62.9	165.2	149.0	125.8
सीएफएल : विजाग	104.0	107.8	106.1	84.6	103.7	102.0	81.3
जैडएसी : गोवा	111.0	120.5	94.4	50.1	108.6	85.0	45.1
स्पिक : तुतीकोरिन	191.0	219.2	208.5	93.7	114.8	109.2	49.1
एमसीएफ : मंगलौर	63.0	67.5	41.9	31.1	107.1	66.5	49.4
ईआईडीपैरी इन्नोर	19.0	20.6	20.9	17.6	108.4	110.0	92.6
जीएनएफसी : भरूच	33.0	28.6	30.2	26.6	86.7	91.5	80.6
डीएफसीएल : तलौचा	53.0	3.8	23.5	2.3	-	59.1	4.3
एचएलएल : हल्दिया	71.0	70.0	79.3	33.1	99.4	111.7	46.6
जीएसएफसी : सिक्का	150.0	165.6	185.6	193.0	110.4	123.7	128.7
जीएफसी : काकीनाडा	138.0	157.7	158.8	102.5	114.3	115.1	74.3
एसएसपी एकक	738.0	438.0	318.0	276.6	59.1	43.1	37.5
योग निजी क्षेत्र	1721.0	1476.7	1341.7	974.1	89.5	78.8	56.6
योग (I+II+III)	**2822.0**	**2558.3**	**2306.2**	**1815.8**	**93.0**	**82.1**	**64.3**

[अनुवाद]

"यूरिया" की मांग और आयात

1825. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार यूरिया की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता थी;

(ख) 1995-96 हेतु राज्यवार यूरिया की अनुमानतः कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) आयात किए गए यूरिया का अवतरण मूल्य कितना था; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए यूरिया का कुल आयात बिल कितना है और आगमी वर्ष में यूरिया का आयात बिल कितना होने का अनुमान है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान यूरिया की कुल आवश्यकता, जैसा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किये गये राज्यवार आवंटन में स्पष्ट है संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ख) 1995-96 के लिए यूरिया की राज्यवार आवश्यकता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया के आयात निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1992-93	18.57
1993-94	28.40
1994-95	26.75

(फरवरी, 1995 तक)

(घ) और (ङ). अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान आयातित यूरिया का भारित औसत लागत और भाड़ा मूल्य लगभग 5400 रु. प्रति टन है। अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान यूरिया के आयात पर सकल व्यय 1516 करोड़ रुपये है। सरकारी खाते में उर्वरकों के आयात के लिये बजट 1995-96 में 2607 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

(आंकड़े 000 मी.टन. में)

सं.	राज्य	खरीफ-1993	रबी 1993-94	खरीफ-1994	रबी 1994-95
		ईसीए आवंटन	ईसीए आवंटन	ईसीए आवंटन	ईसीए आवंटन
1	2	3	4	5	6
	दक्षिण क्षेत्र				
1.	आन्ध्र प्रदेश	836.55	1071.14	907.04	1102.97
2.	कर्नाटक	372.56	282.47	421.55	351.35
3.	केरल	68.68	53.84	73.08	51.92
4.	पाण्डिचेरी	9.48	11.45	8.43	13.78
5.	तमिलनाडु	236.53	468.57	214.50	510.40
6.	अण्डमान एवं निकोबार	0.24	0.44	0.55	0.44
	कुल	**1524.04**	**1887.91**	**1625.15**	**2030.86**
	पश्चिम क्षेत्र				
7.	गुजरात	354.64	451.96	367.82	537.30
8.	मध्य प्रदेश	522.50	478.50	600.82	550.50
9.	महाराष्ट्र	927.40	507.98	1008.70	666.60
10.	राजस्थान	313.50	522.50	363.00	539.50
11.	गोवा	3.04	2.09	3.08	2.20
12.	दमन एण्ड द्वीव	0.25	0.09	0.22	0.14
13.	दादर एण्ड नागर हवेली	1.03	0.33	1.29	0.26
	योग	**2122.36**	**1963.45**	**2344.95**	**2296.50**

1	2	3	4	5	6
	उत्तर क्षेत्र				
14.	हरियाणा	446.60	598.40	462.00	643.50
15.	पंजाब	887.85	1117.08	878.42	1122.00
16.	उत्तर प्रदेश	1605.80	2600.01	1765.50	2603.70
17.	हिमाचल प्रदेश	18.41	11.91	20.93	22.00
18.	जम्मू एण्ड कश्मीर	54.33	30.66	58.15	24.16
19.	दिल्ली	8.24	18.62	8.67	19.79
20.	चण्डीगढ़	0.31	0.66	0.32	0.44
	योग	**3021.54**	**4377.34**	**3193.99**	**4435.59**
	पूर्व क्षेत्र				
21.	बिहार	540.50	593.99	569.88	601.08
22.	उड़िसा	200.74	95.43	214.89	108.60
23.	पश्चिम बंगाल	288.48	544.98	337.77	552.83
	योग	**1029.72**	**1234.40**	**1122.54**	**1262.51**
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र				
24.	आसाम	23.91	23.82	25.34	27.50
25.	त्रिपुरा	8.80	7.82	6.35	8.79
26.	मणिपुर	16.46	1.89	19.80	4.40
27.	मेघालय	2.30	2.20	2.42	2.75
28.	नागालैण्ड	0.55	0.39	0.33	0.22
29.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.25	0.25	0.30
30.	सिक्किम	1.10	0.66	1.10	0.72
31.	मिजोरम	0.33	0.28	0.44	0.50
32.	टी बोर्ड (उत्तर-पूर्व)	37.50	44.00	38.50	38.50
	योग	**91.17**	**81.31**	**94.53**	**83.68**
	अखिल भारत	**7788.83**	**9544.41**	**8381.14**	**10109.14**

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

1826. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्चीली तथा सुविधाजनक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिये कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्नत देशों में विकसित की गयी टेलीफोन सेवा को देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने की स्कीमें तैयार की हैं : -

(I) एस टी डी सुविधा डायनामिक एस टी डी लॉक फैक्स आदि जैसी अधिकांश सेवाएं प्रदान करने वाले कम लागत के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।

ये एक्सचेंज डिजिटल किस्म के और अत्यधिक विश्वसनीय हैं।

(ii) रेडियो आधारित एक्सेस प्रणालियां जैसे एम ए आर आर प्रणालियां। ये विश्वसनीय हैं और ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इनका प्रचालन सौर शक्ति प्रणालियों से किया जा रहा है।

(iii) ग्रामीण एक्सचेंजों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए कम क्षमता की रेडियो आधारित संचारण प्रणालियां।

(ग) और (घ). इस समय ग्रामीण संचार के लिए प्रयोग में लाए जा रहे अधिकांश उपस्कर स्वदेशी प्रौद्योगिकी और डायस पर आधारित हैं। तथापि, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मूलभूत टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के डायासों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। आशा है कि ये कंपनियां टेलीफोन सेवा दक्षता के साथ प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों एवं उन्नत प्रबंध की शुरूआत करेंगी।

(ङ) मूलभूत टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु निविदाएं पहले से आमंत्रित की गई हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद चुने गए बोलीदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। सेवा प्रारंभ करने के लिए लाइसेंसधारियों को 12 माह का समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

1827. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा के मुख्य परिणाम और उपलब्धियां क्या रही हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). ईरान के विदेश मंत्री महामहिम डा. अली अकबर विलायती 2 से 4 जनवरी, 1995 तक नई दिल्ली आए।

उनकी इस यात्रा के दौरान भारत-ईरान संयुक्त आयोग के आठवें सत्र का आयोजन हुआ। संयुक्त आयोग की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई तथा इस पर बल दिया गया। डा. विलायती ने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से भेंट की और विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। इन बैठकों से द्विपक्षीय सहयोग विशेष तौर पर आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध मसलों, और आपसी हित चिन्ता के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। ईरानी पक्ष ने प्रस्ताव रखा कि ईरान के राष्ट्रपति अप्रैल, 1995 में भारत की सरकारी यात्रा पर आएंगे। भारतीय पक्ष ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। डा. विलायती की यात्रा के दौरान एक समुद्री वाणिज्यिक नौपरिवहन करार भी संपन्न हुआ।

पासपोर्ट जारी करना

1828. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान कालीकट, कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) इन कार्यालयों में अभी कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या इन तीन पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट के लिए आवेदनों के निपटारे में विलंब होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). वर्ष 1994 के दौरान कोजीकोड, कोचीन और त्रिवेन्द्रम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी किए गए और इन कार्यालयों में 17.3.1995 तक बकाया। पासपोर्टों की संख्या नीचे लिखे अनुसार हैं :-

	1994 में जारी पासपोर्ट	कुल बकाया	एक माह से अधिक बकाया (17.3.1995 को)
कोचीन	99410	7412	1994
कोजीकोड	179074	22074	13238
त्रिवेन्द्रम	97022	9313	1440

(ग) और (घ). कोचीन और त्रिवेन्द्रम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट 30 से 35 दिनों के उपयुक्त समय के भीतर जारी किए जा रहे हैं। कोजीकोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करने में कुछ अधिक समय ले रहा है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अन्य कार्यालयों से कार्मिकों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के जरिये उसकी स्टाफ क्षमता को बढ़ाकर कोजीकोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने के समय में कमी लाई जाए।

असम में छोटे और मध्यम कस्बों का विकास

1829. श्री उद्धव बर्मन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान असम में छोटे और मध्यम कस्बों के विकास हेतु असम सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

शहरी, कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां। गत 2 वर्षों के दौरान असम सरकार से छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आईडीएसएमटी) के अन्तर्गत विचार किये जाने हेतु 3 कस्बों अर्थात् नालवाड़ी, मंगलदोई और कोकराझार के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) अवस्थापना विकास के प्रस्तावों वाली सभी तीन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और चुने गये कस्बों के लिए रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

क्रम सं.	कस्बे का का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (पहली किस्त) (लाख रुपयों)
1.	नालवाड़ी	87.70	10.00
2.	मंगलदोई	93.18	11.00
3.	कोकराझार	134.28	24.00
			45.00

विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारण्टी

1830. श्री पी.सी. चाको : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी हेतु कुछ विकल्पों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जिन विद्युत परियोजनाओं की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति-गारंटी के विकल्पों में, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) द्वारा एच-टी उपभोक्ताओं को विद्युत की सीधे आपूर्ति करना, एस्क्रो खाता खोलना, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा सुनिश्चित की गई धनराशियां जमा कराना और आई.पी.पी. के प्रति भुगतान दायित्व इस बारे में प्रथम प्रभार है, विद्युत उत्पादन को वितरण, पी.पी.ए. को पावरग्रिड कारपोरेशन, विश्व- बैंक गारंटी इत्यादि के साथ सम्बद्ध करना शामिल है।

[हिन्दी]

नेपाल में पाकिस्तानी अड्डे

1831. कुमारी उमा भारती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों के अवैध अड्डे चलने और विध्वंसक कार्यकलापों हेतु नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ संबंधी मामला नेपाल के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार अन्य क्या कदम उठाएगी?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग). सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे आतंकवादी नेपाली प्रदेश का पारगमन के लिए प्रयोग करते हैं जिनके बारे में यह संदेह है कि उनके संबंध पाकिस्तानी आसूचना अभिकरणों से हैं। इस मामले को नेपाल के उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ भी उठाया गया है। नेपाल की सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नेपाली प्रदेश के उपयोग की इजाजत नहीं देगी। भारत सरकार इस आश्वासन का स्वागत करती है और नेपाली प्राधिकारियों से भविष्य में सहयोग की उम्मीद करती है।

[अनुवाद]

तुर्की से समझौता

1832. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुर्की के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह समझौता कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान में सहायक सिद्ध होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1995 तक तुर्की के राष्ट्रपति श्री दिमीरिल की यात्रा के दौरान दो करार संपन्न हुए थे। इस यात्रा के दौरान जो करार संपन्न हुए वे इस प्रकार हैं : पहला, दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार और दूसरा, पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(ख) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार में यह व्यवस्था है कि एक दूसरे के देश में स्थित भारतीय और तुर्की कम्पनियों को उनके वैदेशिक प्रचालनों पर दोहरे कराधान से एक बार विदेशी कर संहिता के अन्तर्गत और एक बार स्वदेशी कर संहिता के अन्तर्गत से छूट दी जाए। पर्यटन में सहयोग से संबंधित करार में यह व्यवस्था है कि एक दूसरे के देश से आने वाले पर्यटक दलों के लिए औपचारिकताओं को अपेक्षाकृत अधिक निर्बाध बनाया जाए तथा भारत और तुर्की के यात्रा संचालकों के बीच पारस्परिक संपर्क कायम किये जायें।

(ग) और (घ). भारत और तुर्की के बीच गहरी समझ बूझ के लिए योगदान का जहां तक सवाल है, इन करारों से भारत और तुर्की के बीच समग्र समझ बूझ का संवर्धन करने में सहायता मिलेगी। हमें उम्मीद है कि भारत और तुर्की के बीच संबंधों में समग्र सुधार होने से कश्मीर मसले को तुर्की पक्ष और भी अधिक अच्छे ढंग से समझेगा।

अंगोला को शान्ति सेना

1833. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला को शान्ति सेना भेजने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेना संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुरोध पर भेजी गई है;

(ग) इस सेना में कितने सैन्य दल और इनके रास्तों का ब्यौरा तथा इस सेना में कितने असैनिक कर्मचारी शामिल हैं; और

(घ) अंगोला में किए जाने वाले मिशन की अवधि कितनी है और यह किस तरह का है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जब भारतीय सैन्य टुकड़ी भेजी जाएगी तो उसमें 800 पैदल सैनिक और 214 सदस्यीय एक इंजीनियरी कंपनी होगी। इसके अतिरिक्त 19 सैन्य प्रेक्षक और 18 असैनिक पुलिस प्रेक्षक पहले ही संयुक्त राष्ट्र अंगोला साक्ष्यांकन प्रतिनिधिमंडल में तैनात किए जा चुके हैं।

(घ) यह सैन्य टुकड़ी शान्ति स्थापना के कार्य के लिए भेजी जा रही है। प्रारम्भ में इसकी तैनाती 6 माह की अवधि के लिए होगी जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। सैन्य प्रेक्षकों को प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए तथा पुलिस प्रेक्षकों को नौ माह की अवधि के लिए भेजा गया है।

पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार

1834. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51 वें अधिवेशन की कार्यवाही में ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के मुखिया की भागीदारी सुनिश्चित कराने संबंधी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं;

(ख) क्या लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग भी कश्मीर मामला उठाने हेतु कश्मीर संबंधी संसदीय ग्रुप को एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस दुष्प्रचार का मुकाबला करने और अपने इस बचाव पक्ष में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग). पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस ने हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51 वें अधिवेशन में भाग नहीं लिया। बताया जाता है कि लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने कश्मीर से संबंधित ब्रिटिश संसदीय दल को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया था कि वह कश्मीर मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करे।

सरकार का बराबर यह मानना है कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय अपरिवर्तनीय है और यह भारत का एक अविभाज्य अंग है। सरकार सीमा के पार से प्रायोजित आतंकवाद के परिणामतः जम्मू और कश्मीर में उत्पन्न वास्तविक स्थिति से विदेशी सरकारों को बराबर अवगत कराती रही है।

भारतीय सांस्कृकि संबंध परिषद्

1835. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् हेतु 1995-96 के लिए मद-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियों का गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अफ्रीका तथा लैटिन अमरीकी देशों के लिए गठित सलाहकार समितियां भंग कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के लिए कुल 2,030 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। मदवार, ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

(लाख रुपयों में)

(I)	कार्यकलाप	952.00 रुपए
(II)	विदेशों में परियोजनाएं	785.00 रुपए
(III)	निश्चित प्रभार	266.00 रुपए
(IV)	विविध पूंजी व्यय	27.00 रुपए

(ख) जी, हां।

(ग) अफ्रीका, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, लातिन अमरीका और करेबियाई और प्रवासी भारतीयों से संबंधित सलाहकार समितियां पहले से हैं। जिन्हें पिछली बार अक्तूबर, 1991 में पुनर्गठित किया गया था।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) शासी निकाय की 22 फरवरी, 1994 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एक समिति की स्थापना की गई थी जिसे भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। भूतपूर्व सलाहकार समितियों का कार्य, जो अपने-अपने क्षेत्रों की गतिविधियों को देखती थीं, भी नई समिति को सौंपा गया था।

मानवाधिकार रिकार्ड

1836. श्री विजय एन. पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार आयोग द्वारा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के रिकार्ड में सुधार करने के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मनी के साथ समझौता

1837. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जर्मन जानकारी पर आधारित नई किस्म की औषधियां बनाने के लिए जर्मनी की एक औषध निर्माता कंपनी के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड

1838. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. का हिस्सों में अथवा पूरी कम्पनी का निजीकरण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उचित मूल्य पर दवाइयां

1839. श्री फूलचंद वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1995 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित "चांदी काट रही है बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियां" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार अंश की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या देश में दवाइयों की कमी को ध्यान में रखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों से ऊंची कीमत पर दवाइयों का आयात कर रही है तथा उन्हें घरेलू बाजार में और ऊंची कीमतों पर बेच रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उपरोक्त समस्या से निपटने के लिए किसी कार्य योजना के बनाए जाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). "राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र का 5 फरवरी, 1995 का संस्करण देख लिया है। भारत सूत्रयोगों की अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगभग आत्मनिर्भर है और घरेलू उत्पादन से 75 प्रतिशत प्रपुंज औषधों की जरूरतें पूरी होती हैं। औषध नीति का एक मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक और जीवन-रक्षक तथा रोगहारी दवाइयों की उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

औषध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

1841. श्री रामपाल सिंह :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल्स कंपनियां बंद हो रही हैं और देश छोड़कर वापिस जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के क्या नाम हैं और इनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीफोनों का स्थानान्तरण

1842. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री लाल बाबू राय :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोनों के स्थानान्तरण, कनेक्शन काटे जाने और कनेक्शन पुनः जोड़े जाने के संबंध में कोई नियम अथवा मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं को, यदि कोई शुल्क देना पड़ता है, तो कितना;

(ग) क्या इन नियमों का हर जगह पालन किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उक्त नियम सरल बनाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. **अंतरण :** अंतरण नियमों के अनुसार निम्नांकित स्थिति में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा टेलीफोनों के अंतरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) किराये पर लेने वाले (हायरर) की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारी को।

(ख) किराये पर लेने वाले के जीवन काल में उसके नजदीकी संबंधियों को।

(ग) किराये पर लेने वाले का नाम बदल जाने पर।

(घ) फर्म अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा संस्था के नाम और/अथवा गठन में परिवर्तन पर।

(ङ) नियोक्ता से कर्मचारी को।

(च) सरकारी विभागों, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त संगठनों के बीच।

1.1 वह व्यक्ति जिसके नाम टेलीफोन अंतरित किया गया है, यह वचन पत्र देगा कि वह किसी भी लंबित संदेय रकम सहित उस टेलीफोन के प्रति संदेय सभी रकमों की अदायगी करेगा।

1.2 सभी उचित मामलों में 100/-रु. प्रति टेलीफोन कनेक्शन की दर से प्रभार वसूल किया जाएगा।

2. **तृतीय पार्टी अंतरण**-किसी भी उपभोक्ता को अपना टेलीफोन किसी भी व्यक्ति फर्म अथवा कंपनी को टेलीफोन के लगने के एक साल बाद अंतरित करने की अनुमति होगी। यदि टेलीफोन गैर-ओ वाई टी श्रेणी के अंतर्गत मंजूर किया गया है तो तृतीय पार्टी अंतरण की अनुमति तभी मिलेगी यदि गैर-ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उसके पंजीकरण की तारीख निपटायी गई हो। यदि टेलीफोन तत्काल योजना के तहत स्वीकृत है तो ऐसे टेलीफोनों के लगने की तारीख से तीन साल बाद उसकी अंतरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2.1 तृतीय पार्टी अंतरण के मामले में टेलीफोन की श्रेणी अपरिवर्तित रहती है।

2.2 वह व्यक्ति, जिसके नाम टेलीफोन अन्तरित किया गया है, किसी भी लंबित संदेय रकम सहित टेलीफोन के प्रति सभी देय रकमों की अदायगी करने के लिए वचन पत्र देगा।

2.3 500 रु. की लौटायी न जाने योग्य अंतरण शुल्क वसूल किया जाएगा।

3. **टेलीफोन काटना :**

3.1 टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण।

3.2 टेलीफोन का गैर-कानूनी अथवा अनुचित अथवा अनधिकृत प्रयोग करने के कारण।

4. **टेलीफोन कनेक्शन बहाल करना** - संदेय रकम की अदायगी करने के बाद, अदायगी न करने के कारण काटे गये किसी कनेक्शन को बहाल करने के लिए 100 रु. बहाली प्रभार वसूल किये जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल ने यह सिफारिश की है कि इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के उन उपभोक्ताओं के टेलीफोनों पर करीब 15 दिन तक इन-कमिंग-काल सुविधा प्रदान की जाए, जिन्होंने टेलीफोन बिलों की अदायगी करने में चूक की है, बजाए इसके कि उनका टेलीफोन एकदम ही काट दिया जाए जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

(छ) विभाग ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों वाले टेलीफोनों के उपभोक्ताओं और ऐसे उपभोक्ताओं, जिन्होंने टेलीफोन बिलों की अदायगी करने में चूक की है, उन्हें 15 दिन की इन कमिंग कॉल सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे टेलीफोन करने से पहले लंबित संदेय रकम का भुगतान कर दें। इसके अलावा, उदार नीति के तहत, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में 500/-रु. के लौटाए न जाने वाले प्रभार वसूल करके टेलीफोन के तृतीय पार्टी अंतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है और अंतरण नियमों के तहत उसी श्रेणी में टेलीफोनों के अंतरण की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8

1843. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वड़ोदरा-महाराष्ट्र खंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को चौड़ा करके उसे 4 लेनों वाला राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यह काम कब तक आरम्भ हो जाएगा; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). गुजरात में रा.रा.-8 के 51 कि.मी. लम्बे वड़ोदरा-महाराष्ट्र सीमा खंड के चुनिंदा भागों को 4 लेन का बनाए जाने का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इसमें से लगभग 26 कि.मी. लम्बे खंड को 67.14 करोड़ रु. की लागत से चौड़ा किए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। ये कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं और इन्हें 1996-2000 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

1844. कुमारी ममता बनर्जी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित होने के कारण इसके आधुनिकीकरण कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (फरवरी 1994 में यथा संशोधित) की शर्तों के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा-15 के तहत कंपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे जून, 1994 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है।

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज किया जा चुका है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज रूग्ण कंपनियां केवल बी.आई.एफ.आर. की मंजूरी/अनुमोदन से ही पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण योजनाएं आरम्भ कर सकती हैं।

हैदराबाद शहर को पानी का आबंटन

1845. श्री जे. चोक्का राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बछावत आयोग द्वारा हैदराबाद शहर को 5 टी.एम.सी. पानी का आबंटन किए जाने संबंधी निर्णय के विपरीत इस शहर को पानी का आबंटन बढ़ाकर 15 टी.एम.सी. कर दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मंजूरी हेतु संशोधित योजना पुनः प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या यह अतिरिक्त आबंटन पहले से तय शुदा आबंटन से किया जायेगा अथवा सन् 2000 तक जिस फालतू पानी की अनुमति दी गई थी उससे किया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें हैदराबाद शहर के लिए जलापूर्ति को बढ़ाकर 15 टी.एम.सी. करने की मांग की गई हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कोचीन में वेंडुरूथि पुल

1846. प्रो. के.वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन न्यास के नए वेंडुरूथि पुल को सार्वजनिक वाहनों के लिए कब तक खोल दिया जाएगा;

(ख) क्या इस पुल का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी पुल रखा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कोचीन पत्तन न्यास क्षेत्र में नए वेन्दुरूथी पुल (रा. रा.-4ए - चरण I) पर, मौजूदा राज्य सड़कों से होते हुए पहले ही वाहन चलाते हैं, यद्यपि रा.रा.-4 ए के चरण II का कार्य अभी पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग). मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र तथा खम्माम के जनजातीय लोगों के बीच समझौता

1847. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र प्राधिकरण और खम्माम जिले के जनजातीय लोगों के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके फलस्वरूप जिन लोगों को उस क्षेत्र में डोलोमाइट खान खुलने से अपनी जमीनें खोनी पड़ीं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). खम्माम जिले के माधाराम में डोलोमाइट खान खोलने के फलस्वरूप खम्माम जिले के उन जनजातीय लोगों जिनकी भूमि चली गई थी, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशाखापटनम इस्पात संयंत्र ने उनसे कोई समझौता नहीं किया है। तथापि माधाराम में वी. एस.पी. की डोलोमाइट खान के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के दौरान उन 34 विस्थापित परिवारों, जिन्हें विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी में परिभाषित किया गया था, के गृह निवासों/झोपड़ियों का अधिग्रहण किया गया था। निवास गृहों के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त वी. एस.पी. ने राज्य सरकार को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय अंशदान भी दिया है। इसके अतिरिक्त इन विस्थापित परिवारों को माधाराम डोलोमाइट खान में रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। भूमि अधिग्रहण के दौरान जिन व्यक्तियों को केवल अपनी भूमि खोनी पड़ी है, उनको वी. एस.पी. द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। यद्यपि वे व्यक्ति जिनकी भूमि ली गई है, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विस्थापितों की श्रेणी में नहीं आते। फिर भी वी.एस.पी. जिला रोजगार केन्द्र के माध्यम से उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए सहमत है, बशर्ते वे अपेक्षित अर्हता, आयु और वी.एस.पी. की श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करते हों। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उन कुछ व्यक्तियों जिनकी भूमि चली गई थी और उन्हें रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित किया गया था, को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वी.एस.पी. की कुल श्रमशक्ति आवश्यकता को सीमित कर दिया गया है और माधाराम डोलामाइट खान में अकुशल श्रेणियों में से किसी में भी वी.एस.पी. को श्रमशक्ति की आवश्यकता नहीं है।

आलू और टमाटर पर आधारित एकक

1848. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जलपाईगुड़ी में आलू और टमाटर की पैदावार अत्यधिक है;

(ख) क्या सरकार के पास जलपाईगुड़ी में आलू और टमाटर पर आधारित एककों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्वयं स्थापना नहीं करता लेकिन यह विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में आलू तथा टमाटर आधारित यूनिटों सहित नई फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार/उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय में पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में आलू तथा टमाटर आधारित यूनिट स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार सेवाएं

1849. श्री शरत पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण के संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सरकार ने मूलभूत दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग करने के वास्ते प्राइवेट सेक्टर में भारतीय कम्पनियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इस

संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शनों की विशेषताएं इस प्रकार है :—

(1) केवल भारत में पंजीकृत कम्पनियों को ही मूलभूत वायस टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसका चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(2) किसी भारतीय और विदेशी कम्पनी के बीच संयुक्त उद्यम के मामले में विदेशी इक्विटी की 49 प्रतिशत तक की अनुमति दी जाएगी।

(3) प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस सर्किल आधार पर दिया जाएगा और दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त दूरसंचार सर्किल के वास्ते केवल एक लाइसेंस दिया जाएगा।

(4) प्रथम चरण में प्राइवेट सेक्टर से लंबी दूरी के नेटवर्क (इन्टर सर्किल) के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

उपर्युक्त संदर्भित निविदाएं 16 जनवरी, 1995 को जारी की जा चुकी हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में अवैध निर्माण

1850. श्री सूरज मंडल :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कुछ फ्लैटों का, उनमें संबंधित आवंटियों द्वारा अनधिकृत/अवैध निर्माण किए जाने के कारण आवंटन रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमों के अन्तर्गत रद्द फ्लैटों को पुनः आवंटित करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित हैं;

(ङ) क्या संबंधित आवंटियों ने रद्द किए गये आवंटनों को बहाल करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सम्बन्धित आवंटियों ने इन फ्लैटों को पुनः आवंटित करने के लिए सभी निर्धारित शर्तें पूरी कर ली हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) कया फ्लैटों को पुनः आवंटित करने संबंधी अभ्यावेदन अभी भी लम्बित है; और

(ञ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अनधिकृत/अवैध निर्माण के कारण इस समय लगभग 65 मामलों में फ्लैटों का आबंटन निरस्त किया गया है।

(ग) और (घ). फ्लैट का पुनः आवंटन करने की अनुमति अनधिकृत/अवैध निर्माण को हटाने तथा निर्धारित पुनः आवंटन प्रभारों का भुगतान किये जाने के पश्चात दी जाती है।

(ङ) से (ञ). निरस्त आवंटन को पुनः आवंटित करने के बाबत समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं और इन अनुरोधों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें यह निर्धारित है कि ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाय कि अनधिकृत/अवैध निर्माण हटा दिया गया है अथवा नहीं तथा सम्पत्ति को उसकी मूल स्थिति में ला दिया गया है। अवैध निर्माणों को हटा दिये जाने तथा पुनः आबंटन प्रभार का भुगतान किये जाने के पश्चात् पुनः आवंटन किया जाता है।

चंडीगढ़ के लिए योजना

1851. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चंडीगढ़ के लिए कोई योजना मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सामाजिक संस्थाओं को भूमि/भूखण्डों का आबंटन

1852. श्री लाल बाबू राय : क्या **शहरी विकास मंत्री** या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि/भूखण्ड आवंटि करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या इन संस्थाओं को जिन प्रयोजनों के लिए भूमि/भूखण्ड आवंटित किए गए थे उनकी पुनरीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली किन-किन संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है औ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंट निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औ साथ ही शहरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है :—

1. संस्था प्रत्यक्ष रूप से आबादी के हित में काम करती हो

2. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तह पंजीकृत सोसाइटी हो अथवा उसका स्वामित्व औ

संचालन सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास हो अथवा उसका गठन या स्थापना उस समय लागू किसी कानून के तहत की गई हो;

3. यह गैर मुनाफा कमाने वाली संस्था हो और उसके पास अपने उपयोग के लिये भूमि और भवन निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो; और

4. ऐसे संस्थाओं को आवंटन, संस्थान की कार्यकलापों से सम्बन्धित मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है।

नीतिगत मामले के रूप में, सामाजिक संस्थाओं सहित प्राइवेट संगठनों को फ्लैटों का आवंटन नहीं किया जाता है।अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसे आवंटन मंत्रिमंडल आवास समिति के अनुमोदन से नीति में देते हुए विशिष्ट अवधि के लिये किये जाते हैं।

(ख) से (घ). जी, हां। आवंटन पश्चात्, समीक्षा, एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिये निर्मित/आवंटित परिसरों के संस्थाओं द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की जा रही है। पट्टा शर्तों के उल्लघंन के मामले में पट्टे की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ज्वालापुरी में डी.डी.ए. भूमि पर दुकानें

1853. श्री जीवन शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालापुरी, नई दिल्ली में डी.डी.ए. भूमि पर बड़ी संख्या में दुकानें बनी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अतिक्रमणों को नहीं रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

1854. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक किन-किन जिलों में ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना नहीं की गई है; और

(ङ) शेष जिलों में, एस.टी.डी. सुविधा सहित, ऐसे एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1855. श्री हरिभाई पटेल :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विद्युत की मांग और उपलब्धता में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इनके द्वारा विद्युत का कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जा रही/की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं के वित्त के स्रोतों का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) अप्रैल, 1994 - फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात में विद्युत की मांग 28860 मिलियन यूनिट थी जबकि 27718 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध है, जो 4.0 प्रतिशत ऊर्जा की कमी दर्शाती है जबकि राष्ट्रीय औसत कमी 7.1 प्रतिशत है।

(ख) गुजरात में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अन्तर को कम करने के लिए विभिन्न किए गए उपायों में ये शामिल हैं -विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ/तेज करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध और ऊर्जा संवर्धन आदि। निकटवर्ती प्रणाली से जब कभी भी विद्युत के अन्तरण किए जाने की स्थिति हो तो गुजरात की भी सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रों से भी राज्य को इसके समुचित हिस्से की विद्युत उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) अप्रैल, 1994-फरवरी, 1995 के दौरान जी ई बी और केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता और वस्तुतः विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(अप्रैल, 94-फरवरी, 95)

संगठन/केन्द्र	विद्युत उत्पादन क्षमता (मे.वा.)	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3
गुजरात बिजली बोर्ड		
ताप विद्युत केन्द्र		
धुवरण	534	2664
उकाई	850	3460
गांधीनगर	660	3631
वानाकबोरी	1260	6490
सिक्का	248	1189
कच्छ लिग्नाइट	140	421
उत्राण	39	124
उत्राण जीटी	144	820
धुवरण जीटी	54	72
जोड़ (ताप विद्युत)	**3921**	**18671**
जल विद्युत केन्द्र		
उकाई जल विद्युत केन्द्र	305	845
कदाना	120	416
जोड़ (जल विद्युत)	**425**	**1261**
जोड़ (जी ई बी)	**4346**	**19932**

संगठन/केन्द्र	विद्युत उत्पादन क्षमता (मे.वा.)	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)
केन्द्रीय विद्युत केन्द्र		
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
कवास जीटी	644	1977
गांधार जीटी	393	278
जोड़ (एनटीपीसी)	**1037**	**2255**
एन पी सी		
न्यूक्लीय केन्द्र		
काकरापार ए पी एस	220	248

(घ) और (ङ). 8वीं योजना के दौरान गुजरात में जोड़े जाने वाली क्षमता का परियोजनावार ब्यौरा निम्नवत् है :—

गुजरात में जोड़े जाने वाली क्षमता का परियोजनावार ब्यौरा (8वीं योजना के दौरान 20729.7 मे.वा.)

परियोजना का नाम	प्रकार	स्थिति	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लाभ 92-97 (मे.वा.)
राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं				
कदाना-2 यूनिट 3 व 4	(हाइडल)	एस	120.0	120.0
सरदार सरो. (16 प्रतिशत)	(हाइडल)	एस	40.0	40.0
सरदार सरोवर (16 प्रतिशत)	(हाइडल)	एस	192.0	0.0
कच्छ लिग्नाइट यूनिट-3	(थर्मल)	एस	70.0	70.0
सिक्का विस्तार यूनिट-2	(थर्मल)	एस	120.0	120.0@
उत्राण सीसी जीटी	(गैस)	एस	99.0	33.0@
उत्राण सीसीजीटी-एसटी	(गैस)	एस	45.0	45.0@
पागुथान सीसीजीटी*	(गैस)	सी	413.7	0.0
पागुथान सीसीजीटी*	(गैस)	सी	241.0	0.0
गांधीनगर	(थर्मल)	सी	210.0	0.0
कुल जोड़			1550.7	428.0

टिप्पणी (1) एस - स्वीकृत

(2) सी - के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत

(3) * - निजी

(4) @ - क्षमता पहले से ही चालू की जा चुकी है।

गुजरात राज्य में 8वीं योजना के प्रलेख में विद्युत क्षेत्र के लिए 2635 करोड़ रु. का परिव्यय दर्शाया गया है।

विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने के लिए जी ई बी को किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, योजना के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कुल मिलाकर 1626 मे.वा. की क्षमता जोड़े जाने की योजना प्रलेखों में परिकल्पना की गई है।

वर्धा में टेलीफोन एक्सचेंज

1856. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान वर्धा टेलीफोन मंडल में कितने टेलीफोन एक्सचेंज आरम्भ किए गए हैं;

(ख) 1995 के दौरान कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है और एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर आरम्भ किए जाएंगे;

(ग) कितने व्यक्ति टेलीफोन प्रतीक्षा संबंधी सूची में हैं और यह सूची कब तक निपटा दी जाएगी; और

(घ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं की बढ़ती हुई शिकायतों को तेजी से निपटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1994 के दौरान 10 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किए गए थे। इनमें से 9 एक्सचेंजों का प्रयोग मौजूदा एक्सचेंजों को बदलने/विस्तार करने में किया गया।

(ख) 1995 के दौरान करोडा और येलाकेली में दो नए टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) 28.2.95 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में 1432 व्यक्ति दर्ज हैं। मार्च, 1996 तक इसका निपटान हो जाने की संभावना है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतें कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, मार्च, 1997 तक, सभी मौजूदा एम ए एक्स-III और एम ए एक्स-II (एल/एफ किस्म के), घिसे-पिटे/मियाद-समाप्त एम ए एक्स-II (यू एस किस्म के) तथा एम ए एक्स-I इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को बदलने की योजना है। शेष एम ए एक्स-II (यू एस किस्म के) और एम ए एक्स-I इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजो को उनके उपयोग की मियाद समाप्त हो जाने पर बदलने की योजना है।

(दो) सभी तालुक मुख्यालयों को विश्वसनीय माध्यम के जरिए जोड़ा जा रहा है।

(तीन) अनुरक्षण क्रियाकलापों में तेजी लाई गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को हुडको द्वारा ऋण

1857. डा. साक्षीजी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न कस्बों में प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए हुडको से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान हुडको द्वारा कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

माडर्न ब्रेड

1858. डा. लाल बहादुर रावल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "माडर्न ब्रेड" को सस्ती दर पर गेहूं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) माडर्न ब्रेड फ्रेंचाइज को सस्ती दर पर ब्रेड बेचने के कारण हुए घाटे की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी; और

(ङ) "माडर्न ब्रेड फ्रेंचाइज" को सस्ती दर पर गेहूं उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). जी, हां। माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमि. की सभी ब्रेड निर्माता यूनिटों को अक्तूबर, 1994 में भिन्न-भिन्न तारीखों को प्रभावी केन्द्रीय निर्गम मूल्य की अपेक्षा प्रतिटन 1000/- रुपये कम दर पर गेहूं इस शर्त पर आवंटित किया गया कि माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 800 ग्राम ब्रेड के मूल्य में 50 पैसे तथा 400 ग्राम ब्रेड के मूल्य में 25 पैसे कम करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमि. की फ्रेंचाइज्ड यूनिटों को सस्ती दरों पर गेहूं का आवंटन सरकार के विचाराधीन था तथा सरकार ने अब फरवरी, 1995 से माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की फ्रेंचाइज्ड यूनिटों को रियायती दरों पर गेहूं आवंटित किया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1859. श्री पी. कुमारासामी :
श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1995 के इकॉनामिक टाइम्स में "एन.टी.पी.सी. प्रोजैक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों में स्थपित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) कोयला आधारित संयंत्रों के उत्थापन हेतु परियोजना स्थलनों को अभिज्ञात करने के लिए सम्भावनाओं का पता लगा रही है। रामागुण्डम कोयला आधारित विस्तार परियोजना (1×500 मे.वा.) तथा दोहरे-ईंधन (गैस तथा नैपथा) आधारित कायमकुलम परियोजना (400 मे.वा.) को अभिज्ञात कर लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एन टी पी सी को क्रियान्वयन हेतु दो परियोजनाएं यथा; (1) सिम्हादरी (विजग) अवस्थित 100 मे.वा. क्षमता वाली (कोयला दहन) और (2) हैदराबाद मेट्रो 650 मे.वा. (नैपथा आधारित), आवंटित की है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. फ्लैटों के आवंटन हेतु कोटा

1860. श्री ललित उरांव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए समूह-वार किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन हेतु 25 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित फ्लैटों का श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	जनता	एल आई जी	एम आई जी	एस एफ एस
1991-92	69	109	31	63
1992-93	545	444	-	74
1993-94	921	1413	301	58

[अनुवाद]

पुलों के निर्माण में विलम्ब

1861. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जल-भूतल मंत्रालय में पहले ही अनुमोदित निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी देने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले कब से लम्बित हैं; और

(ग) पाने-मंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर नीथरावथी नदी पर और डोलावर में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर शरावथी नदी पर नए पुलों के निर्माण कार्य के शुरू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति एक सतत् कार्यकलाप है तथा यह निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। राज्यों द्वारा इन कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों के चयन के लिए निविदा पद्धति के माध्यम से किया जाता है।

(ग) रा.रा. 48 पर नेत्रवती नदी पर एक नए पुल के निर्माण कार्य के लिए संस्वीकृति दे दी गई है तथा राज्य के लो.नि.वि. विभाग को चयनित ठेकेदार को ठेका देने की सलाह दी गई है। हान्नावर में रा.रा. 17 पर शरवती नदी पर नए पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को कुछ समय के लिए आस्थगित कर दिया गया है। इसके बजाय, 6.75 करोड़ रु. की लागत से मौजूदा पुल की मरम्मत के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और राज्य के लो.नि.वि. को तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ करने की सलाह दी गई है।

सोनीपत और दिल्ली के बीच टेलीफोन सम्पर्क

1862. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा स्थित सोनीपत को दिल्ली से स्थानीय टेलीफोन कालों द्वारा जोड़ने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) सोनीपत को दिल्ली से स्थानीय काल आधार पर जोड़ने की इच्छा व्यक्त की गई थी।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, सोनीपत इस सुविधा का पात्र नहीं है।

ऊर्जा बचाओ कार्यक्रम

1863. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "ऊर्जा बचाओ कार्यक्रम" पर भारी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वित्तीय खर्च के ब्यौरों सहित हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (एनईपीपी) के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र में 5000 मे.वा. की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता तथा पैट्रोलियम उत्पादों के 6 मिलियन टन की बचत की परिकल्पना की गई है। इसमें सभी संबंधित मंत्रालयों, विद्युत मंत्रालय सहित, द्वारा प्राप्त की जाने वाली बचत भी शामिल है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान विद्युत मंत्रालय के बजटीय आबंटन में से ऊर्जा संवर्धन गतिविधियों हेतु 40 करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है।

विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख केन्द्रीय (महत्वपूर्ण) क्षेत्र निम्नवत हैं :—

(1) जन-जागरूकता अभियान,

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) संस्थागत इमारत,

(4) ऊर्जा गतिविधि को आरंभ करने के लिये क्षमता-निर्माण।

चूंकि औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 50 प्रतिशत तक का उपभोग करता है, इसलिए अधिकतम जोर इस क्षेत्र पर और इसके पश्चात् परिवहन, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र पर है।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

1864. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल में हुई वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है और गुजरात सरकार को प्रदान की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). गत वर्षा के मौसम में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारिश से सड़क कटने, गड्डे हो जाने, खड़ंजों के धंसने और उखड़ने, पटरियों और खड़ंजों के बह जाने तथा भूतल के टूटन इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की क्षति हुई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 9.24 करोड़ रु. की मांग की तुलना में 1994-95 में अभी तक 3.04 करोड़ के मरम्मत अनुमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। अभी तक 0.50 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

1865. श्री राम कापसे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र टेलीफोन सर्किल के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान नए एक्सचेंजों को चालू करने के कार्यक्रम में स्वीकृत टाइप ई-10 बी तथा सी-डॉट एक्सचेंजों और महाराष्ट्र टेलीकाम सर्किल में तालुक मुख्यालय हेतु एस.टी.डी. योजना के बारे में तथा पूरे किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 के कार्यक्रम के बाकी कार्यों को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए समूचे कार्यक्रम को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान नये एक्सचेंज को चालू करने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में ई-10 बी टाइप के 16 नये एक्सचेंज और सी-डॉट टाइप के 338 एक्सचेंज मंजूर किये गये थे। इन एक्सचेंजों से संबंधित सभी कार्य पूरे हो गये हैं।

वर्ष 1994-95 के दौरान 35 तालुक मुख्यालयों के लिए एसटीडी के योजना थी। 20 तालुक मुख्यालय में एसटीडी प्रदान कर दी गई है।

(ख) शेष तालुक मुख्यालय में एसटीडी प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है और इसके 31.3.95 तक पूरा किये जाने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा में सफाई योजना

1866. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विजयवाड़ा में कम लागत वाली सफाई योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार तथा विजयवाड़ा नगर निगम की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). जी, हां। विजयवाड़ा के लिए 688.61 लाख रुपये की परियोजना लागत से कम लागत के 18,725 शौचालयों के निर्माण की एक योजना स्वीकृत हो गई है। केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता 190.58 लाख रुपये है। हुडको की ऋण वचनबद्धता 402.1 लाख रुपये है। शेष लागत लाभग्राहियों द्वारा स्वयं वहन की जानी है। हुडको के ऋण के लिए राज्य सरकार गारंटी देती है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए नगर निगम कार्यान्वयन अभिकरण है।

[हिन्दी]

पूछताछ सेवाएं

1867. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. ने टेलीफोन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए "195" तथा "197" टेलीफोन पूछताछ सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त सेवाएं सबसे पहले शुरू की गई थीं;

(घ) क्या उक्त सेवाएं अन्य स्थानों पर भी शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संपूर्ण देश में डायरेक्टरी पूछताछ सेवा "197" पहले से ही कार्य कर रही हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा कोड "195" से कोई भी डायरेक्टरी पूछताछ सेवा शुरू नहीं की गई है।

(उपभोक्ता संबद्ध पक्ष का नाम तथा पता बताकर "197" सेवा के जरिए स्थानीय टेलीफोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वे टेलोफोन नंबर बताकर नाम और पते की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) से (ङ). संपूर्ण देश में बड़े एक्सचेंज क्षेत्रों में "197" सेवा बहुत पहले से कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन/टेलैक्स/फैक्स

1868. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1993-94 के दौरान और अब तक कितने टेलीफोन, टेलैक्स और फैक्स कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या 1995-96 के दौरान ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1995-96 के दौरान प्रदान किये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

(i)	टेलीफोन	-	1,45,000
(ii)	टेलैक्स	-	उपभोक्ताओं द्वारा फैक्स तथा अन्य सुविधाएं अपनाने से मांग घट रही है।
(iii)	फैक्स	-	दूरसंचार विभाग द्वारा केवल फैक्स मशीनों के संस्थापन/प्रयोग के लिए लाइसेंस ही जारी किए जाते हैं। फैक्स मशीनें, स्वयं, उपभोक्ताओं द्वारा ही संस्थापित की जाती हैं।

विवरण

अनुबंध

		1993-94	1994-95 (19 मार्च, 95 तक)
	के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शन		
(i)	टेलीफोन	81,486	80445
(ii)	टेलैक्स	शून्य	शून्य
(iii)	फैक्स	दूरसंचार विभाग द्वारा केवल फैक्स मशीनों के संस्थापन/प्रयोग के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फैक्स मशीनों, स्वयं, उपभोक्ताओं द्वारा ही संस्थापित की जाती हैं।	

पाकिस्तानी घुसपैठ

1869. डा. आर. मल्लू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1994 को एक पाकिस्तानी स्टीमर ने गुजरात जिले के कच्छ में ओखा बन्दरगाह की भारतीय जल सीमा में

घुसपैठ की थी और पाकिस्तानी समुद्री एजेंसी लगभग 70 भारतीय मछुआरों को उनकी 10 मत्स्यन नौकाओं सहित पकड़कर ले गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब पाकिस्तानी समुद्री एजेंसी भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की ओर ले जा रही थी तो ये मछुआरे रस्सियों को काटकर तैरते हुए वापस देश में पहुंच गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के पास कोई विरोध दर्ज किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) कितने मछुआरों का अपहरण किया गया है और वर्तमान में कितने मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं और उन्हें मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान की हिरासत में 187 भारतीय मछुआरे हैं। सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में सभी भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई तथा स्वदेश वापिसी का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है। इन भारतीय मछुआरों की रिहाई तथा स्वदेश वापिसी के तौर-तरीकों पर राजनयिक माध्यमों के जरिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयों का पिछड़ना

1870. श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां देश में कच्चे लोहे की बिक्री के मामले में गैर-सरकारी उत्पादकों से पिछड़ रही हैं।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयों से कच्चे लोहे की हुई बिक्री में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(घ) इसके परिणास्वरूप अनुमानतः प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी, नहीं। "सेल" मुख्य रूप से इस्पात के विपणन के कारोबार में लगा हुआ है और केवल कच्चे लोहे की अधिशेष मात्रा, जो इस्पात निर्माण आदि के लिए इस्पात संयंत्रों की आवश्कताओं को पूरा करने के बाद शेष बचती है, की बिक्री करता है। अतः "सेल" की इकाइयों के गैर-सरकारी कच्चा लौह उत्पादकों से पिछड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान "सेल" की इकाइयों (इस्को को छोड़कर) से कच्चे लोहे की वर्षवार बिक्री निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (हजार टन)
1991-92	309.2
1992-93	130.6
1993-94	264.8
1994-95 (अप्रैल-फरवरी, 95)	469.6 (अनन्तिम)

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

1871. श्री हरिन पाठक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के नवीकरण हेतु एक आस्ट्रेलियाई कम्पनी को ठेका दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) के आधुनिकीकरण (चरण-I) को 4 अन्तर्राष्ट्रीय और 29 स्वदेशी पैकेजों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के संबंध में, जिनको ठेके दिए गए हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

पैकेज (अन्तर्राष्ट्रीय)	पार्टी का नाम	ठेके का मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3
एस.एम.एम.-II में सतत ढलाई शुरू करना	भारतीय सहयोगियों के रूप में मैसर्स लार्सन एंड टब्रो (एल.एंड टी.) और मैसर्स एशियन ब्राउन बोवेरी (ए बी बी) के साथ मैसर्स वाइस्ट अल्पाइन आस्ट्रिया	653.72

1	2	3
पुशर टाइप स्लैब पुनर्तापन भट्टी सं. 2 और 3 की मौजूदा 260 टन/घंटे की क्षमता का 300 टन/घंटे वाकिंग बीम टाइप फर्नेश में रूपान्तरण	विदेशी सहयोगी के रूप में मैसर्स इटालिमपिएन्टी के साथ मैसर्स मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इण्डिया लि. (मेकन)।	108.37
हॉट स्ट्रिप मिल फिनिशिंग मिल एरिया का आधुनिकीकरण तथा नए डाउन कॉयलर नं. 4 (जी.ओ. 3 तथा जी.ओ. 4) की स्थापना	भारतीय सहयोगियों के रूप में मैसर्स एस.एम.एस. (इंडिया) मैसर्स एशियन ब्राउन बोवेरी (ए.बी.बी.) मैसर्स सिम्पलैक्स और मैसर्स टाटा ग्रोथ शॉप सहित मैसर्स एस.एम.एम. जर्मनी	457.51

श्रीनिवासपुर (कोलार) में सोने का भण्डार

1872. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार जिला, कर्नाटक में सोने के भण्डार का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर अनुमानतः कितनी मात्रा में सोना उपलब्ध होगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या श्रीनिवासपुर में सोना निकालने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ङ) कुल कितने भू-क्षेत्र में सोने का भण्डार उपलब्ध है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन बिल

1873. श्री रतिलाल वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में टेलीफोन बिलों के बकायों के मामलों से संबंधित कितने विवाद उपभोक्ता संरक्षण मंच में लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) इससे सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30.11.94 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में उपभोक्ता संरक्षण मंच के पास 270 मामले विचाराधीन थे।

(ख) उपर्युक्त मामलों में 54.52 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) विभाग प्रत्येक मामले में उपभोक्ता संरक्षण मंच के समक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

उपभोक्ता संरक्षण मंच के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी इकाइयों को अनुदश भी जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

1874. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री येल्लैया नंदी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री ए. चार्ल्स :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री राम नाईक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य से प्राप्त कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). 52 विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) को निर्दिष्ट की गई हैं।

(ग) और (घ). के.वि.प्रा. के पास तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी कई विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, परियोजना प्राधिकरणों से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त किए जा रहे हैं। अन्य कई परियोजनाओं के लिए के.वि.प्रा. से तकनीकी-आर्थिक

स्वीकृति के अलावा, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र और राज्यों की अनुमोदन एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त की जानी आवश्यक हैं। विभिन्न परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय/के.वि.प्रा. द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ लम्बित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5

1875. श्री डम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और ओंगोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के चिल्कालुरीपेट (355.0 कि.मी.) से विजयवाड़ा (434.14 कि.मी.) खंड को 293.20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड आफ जापान की सहायता से चौड़ा करके दो लेन से चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी से इस परियोजना के पूरा होने की तारीख बताना संभव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

1876. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) 1992, 1993 और 1994 के दौरान जिला-वार क्रमशः कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आन्ध्र प्रदेश में 1.3.1995 की स्थिति के अनुसार (एस.एस.ए. वार प्रतीक्षा सूची)

	एस.एस.ए.	जिले का नाम	
1.	मेड़क	मेड़क	1846
2.	महबूबनगर	महबूबनगर	1585
3.	कुरनूल	करनूल	3120
4.	अनन्तपुर	अनन्तपुर	3459
5.	कुड्डप्पा	कुड्डप्पा	2808
6.	तिरूपति	चित्तूर	5183
7.	नेल्लूर	नेल्लूर	662
8.	ओंगोल	ओंगोल	3195
9.	गुंटूर	गुंटूर	12130
10.	विजयवाड़ा	कृष्णा	8690
11.	राजामुंद्री	पूर्वी गोदावरी	11847
12.	वारंगल	वारंगल	2237
13.	करीम नगर	करीमनगर	5001
14.	नालगोंडा	नालगोंडा	2722
15.	खम्माम	खम्माम	3510
16.	अदीलाबाद	अदीलाबाद	2424

	एस.एस.ए.	जिले का नाम	
17.	निजामाबाद	निजामाबाद	3461
18.	विशाखापटनम	विशाखापत्तनम	10023
19.	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	1119
20.	विजयानगरम	विजयानगरम	837
21.	एलूर	पश्चिमी गोदावरी	5489
22.	हैदराबाद	हैदराबाद	43473
			138821

विवरण–II

प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	एसएसए	जिले का नाम	1991–92	92–93	93–94	94–95 (23.6.94तक)
1.	मेड़क	मेड़क	664	1123	1520	1544
2.	महबूबनगर	महबूबनगर	404	916	2504	1954
3.	कुरनूर	कुरनूर	849	1601	2716	6051
4.	अनन्तपुर	अनन्तपुर	1448	2180	2388	1683
5.	कुडुप्पा	कुडुप्पा	348	1843	1946	1430
6.	तिरूपति	चित्तूर	1608	3004	9296	2901
7.	नेल्लूर	नेल्लूर	1409	1839	2122	2238
8.	ओंगोल	ओंगोल	356	1552	1030	2028
9.	गुंटूर	गुंटूर	2016	7181	3833	5188
10.	विजयवाड़ा	कृष्णा	2053	5221	8670	11863
11.	राजामुंद्री	पूर्वी गोदावरी	5002	3653	3774	2066
12.	वारंगल	वारंगल	1314	1251	3366	3609
13.	करीमनगर	करीमनगर	782	1182	1040	2754
14.	नालगोंडा	नालगोंडा	509	1131	1775	2629
15.	खम्माम	खम्माम	2823	1960	1875	2356
16.	अदीलाबाद	अदीलाबाद	601	706	698	1554
17.	निजामाबाद	निजामाबाद	382	1304	762	1459
18.	विशाखापटनम	विशाखापटनम	1800	4089	4624	12108
19.	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	211	454	535	1670
20.	विजयानगरम	विजयानगरम	442	388	463	1583
21.	एलूर	पश्चिमी गोदावरी	1873	3662	5477	3953
22.	हैदराबाद	हैदराबाद	17000	28507	38185	48587
		जोड़	40606	74839	92617	122649
			39551	63278	77857	10650*

(* 94–95 के दौरान पूरे सर्किल में लगभग 1,1,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है)

एम आर टी एस के लिए जापान से ऋण

1877. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :
श्री मनोरंजन भक्त :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री मोहन रावले
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में मेट्रो रेलवे स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान ने दिल्ली में मास रैपिड ट्रांसिट स्कीम के पहले चरण की 50 प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिए आसान किस्तों पर ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब तक चालू हो जायेगा;

(च) क्या परियोजना के चालू होने में कोई अड़चन विद्यमान है; और

(छ) यदि हां, तो इन आंकड़ों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की एम.आर.टी.एस. प्रणाली में, जो मै. रेल इण्डिया टेक्निकल एंड इकॉनोमिक सर्विसेज लि. (आर.आई.टी.ई.एस.) द्वारा 1991-92 में करवाये गये साध्यता अध्ययन पर आधारित है, जिसमें पूर्वी-पश्चिमी दिशा में 12 किलोमीटर का भूमिगत मेट्रो रेल कॉरीडोर और उत्तर-दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर का मेट्रो रेल कॉरीडोर, 140 कि.मी. भूतल रेल और 17.5 कि.मी. का सुगम बस मार्ग शामिल है। पूरी प्रणाली को दो चरणों में शुरू किये जाने के प्रस्ताव थे और लागत 1992-93 के मूल्यों के आधार पर लगभग 7469 करोड़ रुपये आंकी गई थी। चरण-I की लागत 1992-93 के मूल्यों के आधार पर 3,401 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। तथापि, अन्तिम रूप में दी जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर मार्ग-संरेखण परियोजना का चरणों में विभाजन और लागत को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जापान के ओवरसीज इकॉनोमिक कार्पोरेशन के एक शिष्ट मंडल ने 16.02.95 को शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय का दौरा किया और परियोजना पर उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में विचार किया था और प्रथम चरण की कम-से-कम 50 प्रतिशत निधियन करने सम्बन्धी सरकार के अनुरोध पर आगे कार्रवाई करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। फिर भी मंत्रालय को अब तक इस बारे में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) से (छ). परियोजना के प्रथम चरण के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परियोजना के निधियन में शरीक होने के लिए सहमत हो गई है। परन्तु केन्द्र सरकार का निवेश सम्बन्धी निर्णय, चरण-I की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरे होने पर ही हो सकेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1995 के मध्य तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। वित्तीय संसाधनों को जुटाये बिना ये कहना सम्भव नहीं है कि परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन

1878. डा. मुमताज अंसारी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली द्वारा टेलीफोन उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य तय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख-राम) : (क) और (ख). जी, हां। 1994-95 के दौरान, महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली के लिए 2,60,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) 28.2.1995 तक 105512 नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

नए डाकघर

1879. श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान नए डाकघर खोलने हेतु राज्यों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए डाकघर खोलने हेतु प्रत्येक राज्य से राज्य-वार प्राप्त कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या नए डाकघर खोलने हेतु राज्यों से प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार करने हेतु सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने क्विज प्रतियोगिताओं के लिए विशेष पोस्ट-कार्ड प्रचालित करने हेतु औपचारिक निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से आरम्भ कर दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (छ). जी, नहीं। यह मामला, भारतीय डाकघर अधिनियम में परिवर्तन करने के प्रस्ताव के एक भाग के रूप में विचाराधीन है।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग

1880. श्री तारा सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान कलकत्ता टेलीफोन विभाग के टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर से नियम-विरूद्ध टेलीफोन कनेक्शन काट देने, हिसाब लगाने में गलती करने और बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने से संबंधित प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद कलकत्ता टेलीफोन विभाग ने उपभोक्ताओं के साथ न्याय करने हेतु कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कलकत्ता टेलीफोन में, गणना करने में भूल-चूक एवं फर्जी बिलों के संबंध में टेलीफोन उपभोक्ताओं से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। डाकघर से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त न होने की वजह से लाइनें काट दिये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी, नहीं। भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण कनेक्शन काटे जाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

(ग) भुगतान संबंधी विवरण के शीघ्र भेजने के मामले पर डाक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब भी विलम्ब होता है, संबंधित डाकघरों में विशेष संदेश वाहक भेजकर भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

विदेशियों को काउंटर गारंटी देना

1881. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री मोहन रावले :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश की कितनी विद्युत परियोजनाओं के बारे में विदेशी प्रमोटरों को काउंटर गारंटी दी है;

(ख) कितने वर्ष की गारंटी दी गई है;

(ग) क्या सरकार भी इन परियोजनाओं में पूंजी निवेश करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितना और सरकार यह राशि किस प्रकार प्राप्त करेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में खनन

1882. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में दिये गये खनन पट्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने वन भूमि में खनिज भण्डारों के दोहन हेतु कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत जनजातीय लोगों को इन खनिज भंडारों के दोहन का अधिकार दिया जाएगा;

(च) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(छ) यह कार्यक्रम कब से लागू किया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में टेलीफोन

1883. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा में विशेषतः भुवनेश्वर में जिलावार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये;

(ख) 1 अप्रैल, 1992 और फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार कितने टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस समय प्रतीक्षा-सूची में कुल कितने आवेदक हैं;

(घ) यह प्रतीक्षा-सूची कब तक निपटा दी जाएगी;

(ङ) क्या राज्य में अन्य दूरसंचार सुविधाएं भी आरम्भ की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्षवार तथा जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) (i) दिनांक 1.4.92 की स्थिति के अनुसार चालू टेलीफोनों की संख्या 83722 है।

(ii) दिनांक 28.2.95 की स्थिति के अनुसार, कार्य कर रहे टेलीफोनों की संख्या 134084 है।

(ग) 28.2.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 8893 है।

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में उड़ीसा राज्य सहित संपूर्ण देश में वर्ष 1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

(ङ) जी, हां।

(च) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य में अन्य आधुनिक दूरसंचार सेवाएं जैसे डाटा सर्किट, फैक्स, ई पी ए बी एक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटरीकृत डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा आदि भी शुरू की गई है।

विवरण

उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों का वर्षवार तथा जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला**	1992-93	1993-94	1994-95 फरवरी 1995 तक
1.	बालासोर (भद्रक सहित)	832	585	1420
2.	बोलनगीर (सुबर्णपुर)	193	539	632
3.	कटक (जगतसिंहपुर, केन्द्र पाड़ा और जाजपुर सहित)	2678	2440	3305
4.	धेनकनाल (अंगुल सहित)	1018	1405	907
5.	गंजान (गजपती सहित)	1915	1710	701
6.	क्योंझर	520	543	570
7.	कालीहांडी (नुवापारा सहित)	91	385	415
8.	कोरापुट (रायगडा, नौरंगपुर, मलंकनगिरी सहित)	949	1293	914
9.	मयूर भंज	424	475	1046
10.	फुलबनी (बौध सहित)	343	427	322
11.	पुरी (खुर्दा और नयागढ़ सहित)	3583	5169	4955
12.	सम्बलपुर (देवगढ़, बारगढ़ और झरसुगुडा सहित)	1958	1945	1365
13.	सुन्दरगढ़	836	2305	769
	जोड़	15340	21021	17321

पिछले तीन सालों के दौरान भुवनेश्वर में प्रदान दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1992-93 के दौरान	1240
1993-94 के दौरान	2323
1994-95 (फरवरी, 95 तक)	2902

**1994 के पहले उड़ीसा में केवल 13 जिले थे। 1994 के दौरान कुछ और जिले बनाए गये और इस प्रकार उपरिलिखित 13 जिले अब 30 जिले बन गए हैं।

बांग्लादेश में बांध का निर्माण

1884. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांग्लादेश द्वारा धारला नदी पर बांध का निर्माण किए जाने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश ने धारला नदी पर बांध बनाने का काम मार्च, 1994 के अन्तिम सप्ताह से शुरू किया था। यह बांध बंगलादेश के लालमोनिर्हाट जिले के बुरीमारी गांव में स्थित है, जो भारत-बंगलादेश सीमा से 200 गज की दूरी पर बंगलादेश के क्षेत्र में है।

(ग) जी, हां।

(घ) बांध के निर्माण की जानकारी मिलते ही भारत के सीमा सुरक्षा बल ने कमाडेंट स्तर पर बंगलादेश राइफल्स के साथ यह मामला उठाकर विरोध प्रकट करते हुए कहा कि निर्माण कार्य तब तक रोक दिया जाए जब तक हम इस बारे में जांच नहीं कर लें कि इस बांध के निर्माण से नदी परिपथ के लघुपथन से भारत पर क्या-क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके बाद इस मामले को औपचारिक रूप से बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया गया।

बंगलादेश की सरकार ने कहा है कि धारला नदी के परिपथ के लघुपथन का भारतीय प्रदेश पर किसी भी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि नदी का परिपथ पूर्णतया बंगलादेश के क्षेत्र में स्थित है।

अमरीकी मानवाधिकार रिपोर्ट, 1995

1885. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी स्टेट विभाग की अध्यतन मानवाधिकार वार्षिक रिपोर्ट, 1995 की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार लगातार अमरीका की सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताती रही है कि मानवाधिकारों के प्रति भारत की वचनबद्धता किसी से कम नहीं है। सरकार अपने मासूम और नियमों का पालन करने वाले नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

भरूच और वापी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग

1886. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरूच और वापी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की है और इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर भरूच-वापी के बीच 51 कि.मी. लम्बे खंडों में 4 लेन बनाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है जिसमें से 67.14 करोड़ रु. की लागत के लगभग 26 कि.मी. लम्बे खंडों (पुल निर्माण कार्य सहित) के प्रस्ताव संस्वीकृत किए जा चुके हैं। ये कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं और 1996-2000 के बीच इन्हें पूरे करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/अनुरक्षण के लिए निधियों का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है। चालू वित्त वर्ष (1994-95) के दौरान गुजरात राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 31.5 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है और दिसम्बर, 1994 तक 25.83 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

1887. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और इन्हें चौड़ा करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई थी तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी;

(ख) राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास रख-रखाव और मरम्मत का काम अब तक शुरू किया जा चुका है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र.सं.	वर्ष	रा.रा. के विकास के लिए आबंटित राशि (करोड़ रु.)
1.	1993-94	63.50
2.	1994-95	56.50
3.	1995-96	46.00 (प्रस्तावित)

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में यातायात सघनता, कार्गो की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता जैसे कतिपय तथ्यों को ध्यान में रखकर चरणबद्ध रूप में किये जाते हैं।

डाक और तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1888. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1994 तक प्रत्येक राज्य में डाक और तार विभाग के श्रेणी-वार कितने प्रतिशत कर्मचारियों को रिहायशी आवास आवंटित किया जा चुका है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर माल लादना

1889. श्री श्रीकान्त जेना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर माल का लादना/उतारना और पोतों का आवागमन लगातार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान माल के लादने/उतारने और पोतों के आवागमन में 1993 की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) इसके उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(घ) इन पत्तनों की खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). कलकत्ता गोदी प्रणाली (सी डी एस) और हल्दिया गोदी परिसर (एच डी सी) पर वित्त वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान हैंडल किए गए कार्गो और वहां पर आए जलयानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पत्तन	हैंडल किए गए कार्गो की मात्रा (मिलियन टन)	आए जलयानों की संख्या
1992-93	सी डी एस	5.16	764
	एच डी सी	13.18	707
1993-94	सी डी एस	5.17	736
	एच डी सी	13.33	717

(ग) और (घ). कलकत्ता गोदी प्रणाली में आए जलयानों की संख्या में कमी पार्सल के आकारों में सुधार होने के कारण हुई। मौजूदा आधारभूत संरचना में सुधार करके कलकत्ता गोदी प्रणाली और हुगली गोदी परिसर की उत्पादकता और कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

1890. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अच्छे कोयले की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने में असफल रहने के कारण कोयले के आयात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयात के कारण प्राधिकरण द्वारा कुल कितने कोयले की मांग की गई और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया गया और चालू वर्ष के दौरान किस दर पर कोयले का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) "सेल" की आवश्यकता और स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धता के बीच मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक अन्तर को पूरा करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निम्न राख युक्त कोककर कोयले का आयात कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" के इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की आवश्यकता और कोल

इण्डिया लिमिटेड से वास्तविक प्रेषण के सम्बन्ध में ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

(इकाई: दस लाख)

वर्ष	सेल की आवश्यकता	कोल इंडिया लिमिटेड से वास्तविक प्रेषण
1991-92	14.20	8.88
1992-93	14.60	9.51
1993-94	15.00	9.44

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा आयातित कोककर कोयले की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (दस लाख टन)
1991-92	4.255
1992-93	4.248
1993-94	4.750

चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 (दिसम्बर, 1994) तक के दौरान लगभग 1860 रुपये प्रतिटन की औसत लागत, इसमें समुद्री भाड़ा भी शामिल है, से 38.65 लाख टन की मात्रा का आयात किया गया है। 1994-95 के दौरान कुल 55 लाख टन की मात्रा का आयात करने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में नए पासपोर्ट कार्यालय

1891. श्री अमर पाल सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) उत्तर प्रदेश में पहले ही लखनऊ और बरेली में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं। इस राज्य में कोई और नया कार्यालय खोलने का सरकार का विचार नहीं है।

(ख) और (ग). नए पासपोर्ट कार्यालयों को खोला जाना विभिन्न मानदंडों पर निर्भर करता है जिनमें कार्य की मात्रा तथा उपलब्ध संसाधन शामिल हैं। नए पासपोर्ट कार्यालय खोल देने मात्र से ही तब तक स्थिति में सुधार नहीं होता जब तक कि आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों। इसलिए सरकार पिछले बकाया आवेदनों का निपटान करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलंब को कम करने और क्रियाविधियों को सहज और सरल बनाने के प्रयास कर रही है।

शहरी विकास योजनाओं की निगरानी

1892. श्री सुधीर गिरि : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की गत तीन वर्षों के दौरान देश में शहरी विकास, शहरी गरीबी उन्मूलन और शहरी जलापूर्ति की निगरानी करने के संबंध में क्या भूमिका रही है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन विशिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या इन उद्देश्यों के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को राज्यों से रिपोर्ट मिल गई है; और

(घ) क्या उक्त रिपोर्टों की जांच कर ली गयी है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शहरी विकास/शहरी निर्धनता उन्मूलन तथा शहरी जल आपूर्ति का प्रबोधन करने में निम्नलिखित भूमिका निभाई है :—

(एक) राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्रीय निधियां रिलीज करके सहायता दी गई है।

(दो) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव, विदेशी वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, ओवरसीज डवलपमेंट एसोसिएशन, यूरोपियन यूनियन/ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फण्ड जापान इत्यादि को प्रस्तुत किए गए हैं।

(तीन) नीतिगत मामलों तथा अन्तर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से संबंधित मामलों में मार्गनिर्देश दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए कुल अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से समय-समय पर निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। प्राप्त रिपोर्टों की जांच तथा विश्लेषण किया जाता है। विगत में पाई गई कमियां/अनियमितताएं, सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के ध्यान में लाई जाती हैं यथा आवश्यक स्थल निरीक्षण भी किए जाते हैं। अतिरिक्त निधियां रिलीज करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले रिलीज की गई निधियों का उपयोग नियत प्रयोजन के लिए किया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	रिलीज किए गए अनुदान			
	1991-92	92-93	93-94	योग
नेहरू रोजगार योजना	103.00	70.99	74.97	248.96
निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं	23.00	12.75	18.00	53.75
शहरी सुगम जल आपूर्ति कार्यक्रम	—	—	11.71	11.71
कम लागत की सफाई	29.85	21.62	25.80	77.27
छोटे एवं मझौले कस्बों का एकीकृत विकास	—	—	1.99	1.99
कुल योग :				393.68

औषधियों का लाइसेन्सीकरण

1893. श्री सुधीर सावंत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई औषधि नीति के अन्तर्गत अधिकतर औषधियों के लिए लाइसेन्स समाप्त करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन औषधियों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया है;

(ग) गत वित्त वर्ष के दौरान इन औषधियों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) क्या सरकार का विचार एकत्रित औषधियों को इन और्षधियों की "एक्सपायरी डेट" से पूर्व बेचने का है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों, मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस औषध नीति, 1986 में संशोधन के अनुसार, जो सितम्बर, 1994 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित को छोड़कर, 25 अक्तूबर, 1994 के आदेशों द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(एक) विटामिन बी-1 (विटामिन एनासिन) और इसके लवण और व्युत्पाद, विटामिन बी-2 (रिबोफलेपिन) और इसके लवण व्युत्पाद, फोलिक एसिड टेट्रासाइकिलन और इसके लवण और आकसीटेट्रासाकिलन और इसके लवण।

(दो) री-कोम्बीनेन्ट डी एन ए प्रौद्योगिकी के प्रयोग वाली प्रपुंज औषधें और एक्टिव प्रिंसिपल के रूप में न्युक्लिक एसिडों के इनविवो प्रयोग वाली प्रपुंज औषधें।

(तीन) स्पेसिफिक सेल/टिसूज टारगेटिड फार्मूले के प्रयो' र आधारित सूत्रयोग।

(ग) 1993-94 के दौरान कुल 1320 करोड़ रु. की प्रपुंज औषधों का उत्पादन हुआ था।

(घ) औषधों की बिक्री के संबंधित विभिन्न मुद्दों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में लघु तथा मध्यम दर्जे के नगर

1894. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार तथा आवास और शहरी विकास निगम द्वारा गुजरात में छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का विकास करने हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और उसमें से वास्तव में अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.) 1979 में प्रारम्भ की गई तब से आज तक के अन्तर्गत गुजरात राज्य के 43 कस्बों को लाभान्वित किया गया है और 13.10 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है। स्कीम में बाजार और विपणन परिसर, सड़कें, मलजल निकासी कार्य, स्थल और सेवाएं, बस स्टैंड और अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाएं शामिल हैं।

(ख) आई.डी.एस.एम.टी. की स्कीम के अन्तर्गत, चूंकि राज्य सरकारों को केवल उदार ऋण दिये जाते हैं अतः किसी राज्य विशेष के लिए कोई निधियां तय नहीं की जाती। आई.डी.एस.एम.टी. दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति पर निर्भर करते हुए निधियां रिलीज की जाती हैं। तदनुसार, 1994-95 के दौरान गुजरात के लिए कोई विशेष नियतन तय नहीं किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत दिसम्बर, 1993 तक राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय 17.38 करोड़ रुपये है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1895. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में अब तक बदले गये तथा शेष अपरिवर्तित रहे पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार शेष पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्रातिशीघ्र इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जैसा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार, सभी विद्यमान मैक्स-III और मैक्स-II (एल/एफ टाइप), पुराने/मियाद समाप्त हुए मैक्स-II (यूएस टाइप) और मैक्स-I इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को मार्च, 1997 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों से बदला जाना है। शेष मैक्स-II (यूएस टाइप) और मैक्स-I इलैक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को उनकी उपयोगी मियाद समाप्त होने पर बदलने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों के बदले (1.3.95 तक) अब तक स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक और नये इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	1.3.95 तक शेष पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आगरा	38	1
2.	अलीगढ़	28	22
3.	इलाहाबाद	34	1
4.	अल्मोड़ा	27	2
5.	आजमगढ़	28	—
6.	बहराइच	25	—
7.	बलिया	24	—
8.	बांदा	36	—
9.	बाराबंकी	27	—
10.	बरेली	19	3
11.	बस्ती	21	—
12.	बिजनौर	34	2
13.	बदायूं	19	7
14.	बुलन्दशहर	31	—
15.	चमोली	30	—
16.	देहरादून	23	1
17.	देवरिया	29	—
18.	एटा	22	5
19.	इटावा	15	1
20.	फैजाबाद	40	—
21.	फर्रूखाबाद	20	—
22.	फतेहपुर	14	—
23.	फिरोजाबाद	4	—
24.	गाजियाबाद	26	2
25.	गाजीपुर	22	—
26.	गोंडा	28	—
27.	गोरखपुर	24	—
28.	हमीरपुर	19	—
29.	हरदोई	15	5
30.	हरिद्वार	12	—
31.	जालोन	11	—
32.	जौनपुर	26	—
33.	झांसी	17	—
34.	कानपुर	8	2
35.	कानपुर-देहात	21	—
36.	लखीमपुर खीरी	32	5
37.	ललितपुर	7	—
38.	लखनऊ	23	3
39.	महाराज गंज	14	—
40.	मैनपुरी	14	—
41.	मथुरा	29	2
42.	मऊ-नाथ भंजन	16	—
43.	मेरठ	38	2
44.	मिर्जापुर	17	—
45.	मुरादाबाद	29	2
46.	मुजफ्फरनगर	29	1
47.	नैनीताल	50	8
48.	पौढ़ी	26	—
49.	पीलीभीत	13	—

1	2	3	4
50.	पिथौरागढ़	15	5
51.	प्रतापगढ़	21	—
52.	रायबरेली	20	—
53.	रामपुर	8	8
54.	सहारनपुर	22	2
55.	शाहजहांपुर	18	4
56.	सिद्धार्थ	11	—
57.	सीतापुर	22	—
58.	सोनभद्र	17	—
59.	सुल्तानपुर	27	—
60.	टिहरी	24	—
61.	उन्नाव	17	—
62.	उत्तरकाशी	9	—
63.	वाराणसी	49	2
	जोड़	1434	98

दिल्ली में ट्राम मार्गों के निर्माण के लिए जापानी सहायता

1896. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1994 के "हिन्दुस्तान" में "जापान का दिल्ली की ट्राम सेवा के लिए ऋण प्रस्ताव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो शर्तें सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र में दिनांक 23.2.95 को प्रकाशित समाचार में दिल्ली एम आर टी रेलवे का ट्राम सेवा के रूप में वर्णन संभवतः सही नहीं है।

(ख) जापानी दल ने तीव्र जन परिवहन प्रणाली परियोजना (एम आर टी एस पी) के लिए सहायता की पेशकश की थी। विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि वे इस परियोजना के संशोधित चरण-1 की लागत के 50 प्रतिशत तक आसान शर्तों पर ऋण देने अर्थात् 1933 करोड़ रु. का ऋण देने के हमारे अनुरोध पर विचार करेंगे। हालांकि, इस संबंध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चूंकि ओ ई सी एफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकती।

"इस्को" पाइप एण्ड फाउन्ड्री कंपनी लिमिटेड का बन्द होना

1897. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की उज्जैन स्थित सहायक कंपनी इस्को पाइप एण्ड फाउन्ड्री कम्पनी लिमिटेड लम्बे समय से बन्द पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के बन्द होने से कितने कर्मचारी बेकार हो गए हैं; और

(ग) बेकार हुए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) "इस्को" पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लि., उज्जैन बन्द घोषित नहीं हुई है। तथापि, उज्जैन में स्पन पाइप संयंत्र में 1992-93 के दौरान नकद हानि होनी शुरू हो गयी। इसलिए इसको उज्जैन पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लि. के निदेशक बोर्ड की दिनांक 28.1.1993 को हुई 144 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उज्जैन स्थित स्पन पाइप संयंत्र का प्रचालन तत्काल बन्द कर दिया जाए। दिनांक 25.3.94 को (रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम के प्रावधान की शर्तों के अनुसार) इस कम्पनी को रूग्ण कम्पनी घोषित करने के लिए बी.आई.एफ.आर. को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(ख) चूंकि बन्द करने के लिए घोषणा नहीं की गयी है इसलिए कोई छंटनी नहीं की गयी है और सभी कर्मचारी अपनी सामान्य परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की उत्पादन लागत और मूल्य

1898. श्री राम पूजन पटेल : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सुपर फास्फेट उर्वरकों की उत्पादन लागत कितनी रही;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान आयातित उर्वरकों के मूल्य स्वदेशी उर्वरकों के मूल्यों से कम थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). उर्वरकों के उत्पादन की लागत संयंत्र दर संयंत्र अलग-अलग होती है जो प्रयोग किए गये फीड स्टाक, संयंत्र के

स्वास्थ्य एवं पुरानेपन, क्षमता उपयोग ऊर्जा खपत आदि पर निर्भर करता है। यूरिया के मामले में, जो इस समय एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, यूरिया का प्रति टन भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 5088 रु. है जो सरकार द्वारा मूल्यांकित शुद्ध मूल्य पर उचित लाभ के साथ अलग-अलग एककों का भारित औसत उत्पादन लागत है। भारित औसत आधार पर, स्वदेशी रूप से निर्मित यूरिया की उत्पादन लागत इस समय आयातित यूरिया की भारित औसत अवतरण लागत की तुलना में सस्ती है।

फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में, जिसमें डाई-अमोनियम फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट शामिल है, जो अनियंत्रित है और जिसका आयात असरणीबद्ध है, उनकी उत्पादन लागत और आयातों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

1899. श्री परसराम भारद्वाज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को अब तक आबंटित की गई निधियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	33.00	50.00
2.	असम	60.00	40.00
3.	बिहार	100.00	40.00
4.	दिल्ली	12.00	100.00
5.	गोवा	1.00	5.00
6.	गुजरात	70.00	80.00
7.	हरियाणा	39.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	15.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	15.00
10.	कर्नाटक	80.00	50.00
11.	केरल	20.00	55.00
12.	मध्य प्रदेश	50.00	45.00
13.	महाराष्ट्र	100.00	110.00
14.	मणिपुर	—	10.00
15.	मेघालय	25.00	10.00
16.	मिजोरम	35.00	—
17.	नागालैंड	—	10.00
18.	उड़ीसा	7.00	40.00
19.	राजस्थान	25.00	5.00
20.	तमिलनाडु	50.00	80.00
21.	त्रिपुरा	11.00	5.00
22.	उत्तर प्रदेश	79.50	100.00
23.	पश्चिम बंगाल	40.00	20.00
24.	सिक्किम	—	20.00
25.	पंजाब	—	60.00

डाक सामग्रियों का विक्रय

1900. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सामग्रियों के विक्रय के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक सामग्रियों के विक्रय और विक्रय में भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों सहित शिक्षित बेरोजगारों की सेवाओं का उपयोग करके, डाक टिकटों की बिक्री सहित मूलभूत डाक सुविधायें मुहैया कराने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

टेलीफोनों का टेप किया जाना

1901. श्री राम नाईक :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इन्डस्ट्रियल हाउसेज फोन्स बीइंग टेप्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बम्बई के औद्योगिक घराने के टेलीफोनों की टेपिंग के बारे में 18.2.95 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी रिपोर्ट बिल्कुल निराधार है। सरकार ने समाचार-पत्र में छपी इस रिपोर्ट का सरकारी-तौर पर तत्काल खंडन कर दिया।

कैप्रोलेक्टम उत्पादों (फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड) पर आयात शुल्क

1902. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैप्रोलेक्टम उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय का फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). संसद में मार्च, 1995 में पेश किये गये बजट में कैप्रोलेक्टम के आयात पर शुल्क संरचना युक्तिकरण की सामान्य नीति के अनुसार सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) यथासमय आयातों के स्थिर हो जाने से, सीमा शुल्क में कटौती के कारण, फैक्ट द्वारा उत्पादित कैप्रोलेक्टम के उठान पर प्रतिकूल प्रभाव के, यदि कोई हो, सीमान्त होने की आशा है।

(घ) और (ङ). 1995-96 के लिए बजट प्रस्तावों पर संसद में अभी बहस होनी है।

शेयर सर्टिफिकेटों की चोरी

1903. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा डाक और तार विभाग के कुछ कर्मचारियों को अन्य लोगों की मिली-भगत से डाक से शेयर सर्टिफिकेटों की चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में डाक से चोरी के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 28.2.95 को नोएडा कॉम्पलेक्स डाकघर के दो डाकियों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. सं. 12/4/95 के अंतर्गत धारा 420/468/469/471/380/411/120-बी के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें, उनकी गिरफ्तारी की तिथि से ड्यूटी से हटा दिया गया/निलम्बित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा शेयर सर्टिफिकेट की चोरी में उनके कथित रूप से शामिल होने के मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। लेकिन चोरी की शिकायतें यदा-कदा ही मिलती हैं। इनकी तत्काल जांच-पड़ताल की जाती है और दोषी का पता लगाने तथा ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

मुम्बई में टेलीफोन डायरेक्टरी

1904. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग मुम्बई आदि जैसे कुछ शहरों में टेलीफोन डायरेक्टरी "फ्लापी" में आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उद्देश्य सहित, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सुविधा से उपभोक्ता को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सुविधा का लाभ उठाने की क्या प्रक्रिया है तथा इसके लिए कितना प्रभार लगेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश के अन्य शहरों में भी यह सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च). मुद्रित की जाने वाली डाइरेक्टरियों की संख्या कम करके कागज की लागत में कटौती करने तथा डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा में सहायता करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया कि कलकत्ता टेलीफोन्स में प्रायोगिक उपाय के रूप में डाइरेक्टरी सूचना फ्लॉपी फॉम में दी जाए। इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

केरल में टेलीफोन

1905. श्री के. मुरलीधरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने कम्प्यूटरीकृत ट्रंक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में "रिमोट लाइन एक्सचेंज" स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पालघाट और एर्नाकुलम में कंप्यूटरीकृत ट्रंक एक्सचेंज की 2 प्रणालियां विद्यमान हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) शुरू किए जाने वाले रिमोट लाइन एक्सचेंजों की लाइनों की संख्या नीचे दी गई है :

पालघाट आर एल यू	5000 लाइनें
कन्नानोर आ एल यू	7000 लाइनें
कैनानन आर एस यू	2000 लाइनें
बलरामपुरम आर एस यू	2000 लाइनें

(घ) इस वर्ष जिन बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है, उनमें ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

त्रिचूर	3000 लाइनें
चंगाचेरी	2000 लाइनें
कन्नानोर	5000 लाइनें
त्रिवेन्द्रम	2700 लाइनें

अचल भू-सम्पदा की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि

1906. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर भूमि अधिकतम सीमा (विनियमन) अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम और अनिवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों द्वारा सम्पत्ति खरीद से संबंधित नियमों में छूट देने से महानगरों में अचल भू-सम्पदा के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में अचल भू-सम्पदा के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जायेंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने कहा है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम का शहरी भूमि की आपूर्ति पर बेअसर साबित हुआ है। बहुत से राज्यों में किराया नियंत्रण कानून के परिणामस्वरूप किराये में ठहराव आया है, निवेश पर लाभ में कमी हुई है तथा कब्जा वापस लेने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, इससे किराया आवास में पूंजी निवेश दुष्प्रभावित हुआ है। स्थावर सम्पदा के मूल्यों में वृद्धि कई पहलुओं के कारण हुई है जिनमें से एक भूमि की आपूर्ति तथा किराये के आवासों की कमी है। दूसरी ओर, प्रवासी भारतीयों तथा ओ.सी.बी कृत मांग वृद्धि के कारण भी स्थावर सम्पदा के मूल्यों में वृद्धि का कारक हो सकती है।

(ख) संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आवास नीति में उल्लेख है कि भूमि की आपूर्ति तथा किराये वाले आवासों में वृद्धि हेतु एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिये विद्यमान कानूनों तथा विनियमनों में उपयुक्त संशोधन किये जाएं, जो कि भूमि तथा आवास मूल्यों को स्थिर रखने का सर्वोत्तम उपाय है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आवास परियोजनाएं

1907. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदेशी सहायता से कुछ आवास निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औषधियों का मूल्य

1908. श्री बी.एस. विजयराघवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत नियंत्रण मुक्त किन्हीं दवाओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के संबंध में कोई सूचनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सूचनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) नियंत्रण मुक्त औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई औषध-नीति

1909. डा. असीम बाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध-नीति के कारण औषध निर्माण उद्योगों में काम करने वाले लोगों में कमी की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों की कीमतों में वृद्धि नई औषध-नीति के कारण हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). जी, नहीं। औषध नीति, 1986 में संशोधनों, जिनको सितम्बर, 1994 में घोषित किया गया था, से औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश और मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत रखी जाने वाली औषधों के चयन के लिए सरल और पारदर्शी मानदण्डों को अपनाने के सम्बन्ध में भेषज क्षेत्र जुलाई, 1991 में घोषित उद्योग के अन्य क्षेत्रों में उदारीकरण के अनुरूप हो गया है।

[हिन्दी]

अवैध सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1910. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और देश के अन्य भागों में अवैध रूप से चलाए जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के किसी मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में फर्जी डाक-टिकटें

1911. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कानपुर, उत्तर प्रदेश के कोषागार कर्मचारियों के सहयोग से फर्जी डाक-टिकटें बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा फर्जी टिकटों की बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कानपुर, उत्तर प्रदेश में जाली डाक-टिकटों की बिक्री करने में डाक कर्मचारियों के शामिल होने की न तो कोई शिकायत मिली है और न ही किसी ऐसे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1912. श्री महेश कनोडिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों के लिए चलायी गई स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एस.टी.डी./आई.एस.डी. केन्द्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1994 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदन पत्र राज्य-वार लंबित पड़े हैं;

(ग) अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद टेलीफोन लगाने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है; और

(घ) इस कार्य में अत्यधिक विलंब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर सामान्यतया विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के 30 (तीस) दिन बाद एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओ. कनेक्शन प्रदान कर दिये जाते हैं।

(घ) असाधारण विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश विद्यमान हैं।

दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोन

1913. श्री मंजय लाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1995 के "नवभारत टाइम्स" में "टेलीफोन खराब है सुनवाई नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार दिल्ली में विभिन्न स्थानों के कुछेक उपभोक्ताओं की टेलीफोन की शिकायतों से संबंधित है।

(ग) समाचार में उल्लिखित सभी टेलीफोन नम्बर ठीक करवा दिए हैं और वे अब उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मुताबिक कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

1914. श्री आर. अन्बारासु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में जिला-वार और मद्रास शहर में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) यह प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, तमिलनाडु सहित, देश भर में 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है।

विवरण

तमिलनाडु में (जिलावार और मद्रास शहर में) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या

	क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची की संख्या
	1	2	3
	1.	चेंगलपुट	7716
	2.	कोयम्बटूर	47650
	3.	कुन्नूर	3543
	4.	कुड्डालोर	8742
	5.	धर्मपुरी	5744
	6.	इरोडे	19965
	7.	करइक्कुडी	6881
	8.	मदुरै	20271
	9.	नगेरकोइल	6679
	10.	पाण्डिचेरी	4982
	11.	सलेम	25757
	12.	तंजावुर	16954
	13.	तिरूनेलवेलि	6690
	14.	त्रिची	27138
	15.	टूटीकोरिन	7159
	16.	वेल्लोर	14492
	17.	वृद्धाचलम	4518
		जोड़	234881
II.	18.	मद्रास	82574
		कुल जोड़	317455

पत्तनों की स्वायत्तता

1915. श्री गुरूदास कामत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों को वित्तीय और प्रशानिक स्वायत्तता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). महापत्तन न्यास, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत स्वायत्तशासी निकाय है। इस अधिनियम का विद्यमान ढांचा इतना लचीला है कि पत्तन न्यास विकास और आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित अपने स्वंय के राजस्व और संसाधन जुटा सकते हैं।

वाडिनार पत्तन को अलग करना

1916. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से तेल टर्मिनल को छोड़कर वाडिनार पत्तन को कांडला पत्तन सीमा से अलग करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने वाडीनार पत्तन को उसके तेल टर्मिनल को छोड़कर कांडला पत्तन से अलग करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) तेल यातायात में वृद्धि के रूख के कारण वाडीनार तेल टर्मिनल का विस्तार करने का प्रस्ताव है। कांडला पत्तन न्यास को विस्तार के फलस्वरूप बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदाम, तेल भंडार टावर आदि सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए अप्रयुक्त जमीन की आवश्यकता है। इसलिए वाडीनार को कांडला पत्तन से अलग करना संभव नहीं है।

दिल्ली में वाहन प्रदूषण

1917. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन कदमों में वाहन प्रदूषण को रोकने में कितनी सफलता मिली है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वाहन संबंधी उत्सर्जन के मानदण्ड, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115 में निर्धारित किए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रवर्तन दल इन सांविधिक मानदण्डों के उल्लंघन के लिए नियमित रूप से वाहनों की जांच करते रहे हैं। पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए दिल्ली के जिलों में प्रदूषण जांच सुविधा की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने यानीय प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में दिनांक 1.4.95 से चुनिंदा पैट्रोल पम्पों से शीशा रहित पैट्रोल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि पैट्रोल से चलने वाले चार पहिए वाले वाहनों के सभी निर्माता 1 अप्रैल, 1995 से ऐसे सभी वाहनों में जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शहरों में प्रथम बिक्री मे पंजीकृत किए जाते हैं, उक्त तारीख से कम से कम एक आक्सीकरण प्रकार का और एक ओ ई एम प्रमाणन से युक्त उत्कृष्ट धातु-आधारित उत्प्रेरक परिवर्तक फिट करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले मोटर वाहनों के दुष्प्रभावों के बारे में जन चेतना पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(ख) इन प्रदूषणरोधी उपायों के प्रभाव की जानकारी हेतु ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों में खुदाई

1918. श्री एन.जे. राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में सोने और तांबे की उन खानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार ने 1957 से खुदाई कार्य बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों में खुदाई कार्य बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खानों में खुदाई कार्य पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की भवन योजना

1919. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
डा. सावित्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हाउसिंग बोर्ड ने मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मकानों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर तैयार हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार को, उत्तर प्रदेश आवास बोर्ड से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

1920. श्री प्रेम चन्द राम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय देश-वार कितने विदेशी छात्र अध्ययन के लिए नामजद किए गये हैं;

(ख) क्या उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश और अन्य पड़ोसी देशों के ऐसे कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्रदान की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क), से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने व्यय पर तथा छात्रवृत्ति पर भारत में अध्ययन के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा नामित विदेशी छात्रों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण

विदेश मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से नामित विदेशी छात्रों की संख्या का ब्यौरा

अपने व्यय पर			छात्रवृत्ति पर		
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	— 5	1.	भूटान	— 117
2.	बहरीन	— 3	2.	नेपाल	— 58
3.	बंगलादेश	— 149			
4.	भूटान	— 58			
5.	मिस्र	— 1			
6.	इथोपिया	— 13			
7.	फिजी	— 2			
8.	घाना	— 1			
9.	इंडोनेशिया	— 1			
10.	ईरान	— 7			
11.	इराक	— 3			
12.	जोर्डन	— 10			
13.	कीनिया	— 10			
14.	लेबनान	— 1			
15.	मालदीव	— 12			
16.	मलेशिया	— 60			
17.	मारीशस	— 57			
17.क	म्यामांर	— 2			
18.	नेपाल	— 213			
19.	नाइजीरिया	— 2			
20.	ओमान	— 1			
21.	पाकिस्तान	— 5			
22.	फिलीस्तीन	— 36			
23.	सेशैल्स	—1			
24.	सोमालिया	— 3			
25.	दक्षिण अफ्रीका	— 2			
26.	श्रीलंका	— 33			
27.	सूडान	— 12			
28.	सीरिया	— 2			
29.	तंजानिया	— 2			
30.	थाईलैंड	— 3			
31.	उगान्डा	— 1			
32.	संयुक्त अरब अमीरात	— 1			
33.	यमन	— 20			
34.	जिम्बाब्वे	— 1			

विवरण-II

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से नामित विदेशी छात्रों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	देश का नाम	नामित उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	35
2.	अल्जीरिया	3
3.	एन्टीगुआ	1
4.	आस्ट्रेलिया	3
5.	बंगलादेश	284
6.	भूटान	10
7.	बहरीन	2
8.	बेल्जियम	7
9.	बुल्गारिया	1
10.	कम्बोडिया	1
11.	कनाडा	1
12.	चीन	54
13.	साइप्रस	1
14.	कोलम्बिया	1
15.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	2
16.	मिस्र	16
17.	इथोपिया	32
18.	फिजी	40

1	2	3
19.	फ्रांस	40
20.	गाम्बिया	19
21.	घाना	7
22.	यूनान	2
23.	जर्मनी	11
24.	हंगरी	4
25.	इंडोनेशिया	—48
26.	ईरान	— 24
27.	इटली	— 9
28.	जोर्डन	15
29.	जापान	18
30.	कजाकिस्तान	3
31.	कीनिया	43
32.	मलेशिया	8
33.	मालदीव	1
34.	मारीशस	122
35.	म्यामांर	16
36.	मलावी	2
37.	माल्टा	1
38.	मंगोलिया	20
39.	मैक्सिको	5
40.	नामीबिया	2
41.	नेपाल	251
42.	न्यूजीलैंड	2
43.	नाईजीरिया	4
44.	उत्तरी कोरिया	2
45.	नीदरलैंड	5
46.	नार्वे	1
47.	ओमान	1
48.	फिलीस्तीन	11
49.	फिलीपीन्स	2
50.	रूस	1
51.	दक्षिण अफ्रीका	4
52.	सेनेगल	2
53.	श्रीलंका	140
54.	सूडान	9
55.	दक्षिण कोरिया	2
56.	स्पेन	8
57.	स्वीडन	1
58.	सोमालिया	18
59.	तंजानिया	14
60.	थाईलैंड	41
61.	टर्की	3
62.	त्रिनिडाड एवं टोबागो	6
63.	उगान्डा	28
64.	उजबेकिस्तान	6
65.	यूनाइटिड किंगडम	4
66.	विएतनाम	26
67.	यमन	64
68.	जाइरे	8
69.	जिम्बाब्वे	4
70.	जाम्बिया	7
71.	सीरिया	13
72.	अंगोला	1

[अनुवाद]

हाई टैक सुपर कॉप

1921. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई टैक सुपर कॉप ने राजधानी में विशाल दूरसंचार यातायात की निगरानी और प्रबंध का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित एवं लगाई गई केन्द्रीय यातायात नियंत्रण और प्रबंध सूचना प्रणाली का उद्देश्य अत्यधिक व्यस्त समय में टेलीफोन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना और इसके फलस्वरूप होने वाले "ब्रेक-डाउन" को रोकना है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक इसका उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का अन्य राज्यों में हाई टैक सुपर कॉप प्रौद्योगिकी लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां, प्रायोगिक आधार पर।

(ख) इस प्रणाली में, इससे जुड़े एक्सचेंजों के सभी मार्गों पर परियात प्रवाह डाटा संग्रहण की सुविधा है।

- नेटवर्क प्रबन्ध सैल के नियंत्रण कक्ष में कम्प्यूटर स्क्रीन पर भारी परियात संकुलन/"हाई आउटेज" वाले मार्गों का "ऑन लाइन" डिस्प्ले।
- संचार सम्पर्क में बड़ी खराबी अथवा अचानक परियात बढ़ने की स्थिति में कुछ विशिष्ट मार्गों पर परियात को विपथित कर/रोक कर उपचारात्मक उपायों की सुविधा।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रणाली हाल ही में महानगर टेलीफोन नि. लि. नई दिल्ली में प्रारम्भ की गई है। अब तक इस प्रणाली में केवल डिजिटल ई-10 बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज ही शामिल किए गए हैं।

(ङ) इस प्रणाली का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(च) उपर्युक्त भाग "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रूसी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

1922. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने के आरम्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के निमंत्रण पर रूस के किसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल की भारत सरकार के साथ यदि कोई वार्ता हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है और इसका भारत-रूस संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री व्लादिमीर जिरिनोवस्की के नेतृत्व में उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 5 से 8 मार्च, 1995 तक भारत की यात्रा पर आया। यह यात्रा उनके द्वारा पहल करने पर की गई थी और इसकी मेजबानी भारतीय सांस्कृतिक संनंध परिषद् ने की थी।

(ख) लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष से मुलाकात की और विदेश मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति के साथ बैठक की। वे विदेश राज्य मंत्रियों से भी मिले। इस यात्रा के लिए कोई सरकारी कार्यसूची नहीं थी। रूस की संसद के स्टेट डूमा (निचला सदन) में सबसे बड़ी पार्टी के नेता की हैसियत से श्री जिरिनोवस्की ने भारत-रूस संबंधों और अन्य मामलों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। इस विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि भारत और रूस के बीच सौहार्दपूर्ण मित्रता और निकट सहयोग की परम्परा दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों में है और इससे इस क्षेत्र और विश्व में शांति एवं स्थिरता को योगदान मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने इन संबंधों को बहुपक्षीय तरीके से सुदृढ़ और मजबूत करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की।

दोनों पक्ष यह मानते हैं कि उनकी संसदों के बीच परस्पर क्रिया-कलाप से उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक बहुमूल्य अतिरिक्त आयाम जुड़ जाता है और यह अच्छे भारत-रूसी संबंधों के महत्व के प्रति दोनों देशों में मौजूद बहु-दलीय तथा राष्ट्रीय मतैक्य का सूचक है।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

1923. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने गांव में 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान शाखा डाकघर खोले गए हैं;

(ख) क्या भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश के जिन ग्रामों में शाखा डाकघर खोले गए हैं, उनका वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	डाकघरों की संख्या
1991-92	489
1992-93	100
1993-94	95

(ख) और (ग). सरकार ने वर्ष 1997 तक सभी ग्रामों में उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने की एक नीति बनाई है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। डाकघर, एसे सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए सुझाये गये स्थानों में से एक है। डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजनाएं

1924. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में चल रही विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नए प्रस्तावों का अभिनिर्धारण प्रारंभिक अवस्था में है। अभी इनके ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (चालू कार्यों) की सूची

क्रसं.	राज्य	रा.रा. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1.	हरियाणा	1	मुरथल और समलखा (50-74.80 कि.मी.) के बीच चार लेन बनाना	15.25
2	हरियाणा	1	करनाल और अम्बाला (132.68-212.16 कि.मी.) के बीच 4 लेन बनाना	287.22
3.	पंजाब	1	सरहिंद और पंजाब/हरियाणा सीमा (212.2-252.25 कि.मी.) के बीच 4 लेन बनाना	199.50
4.	पंजाब	1	344.5-373.7 कि.मी. तक 4 लेन बनाना	14.32
5.	पश्चिम बंगाल	2	रानिगंज और पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा (438.6-474.8 कि.मी.) के बीच 4 लेन बनाना	88.27
6.	मध्य प्रदेश	3	(क) इंदौर बाईपास का निर्माण	73.44
			(ख) इंदौर-देवास खंड (574.4-591.6 कि.मी.) को 4 लेन का बनाना	29.53
7.	महाराष्ट्र	8	बेसिन क्रीक और मनोर (439-497 कि.मी.) के बीच 4 लेन बनाना	117.73
8.	राजस्थान	14	आबु-सिरोही सड़क (229.4-280.50 कि.मी.) को सुधारना	11.49
9.	उड़ीसा	5	कटक-भुवनेश्वर खंड (0.8-27.8 कि.मी.) को चार लेन का बनाना	218.41
10.	तमिलनाडु	45	27.80 से 67.00 कि.मी. तक 4 लेन बनाना	28.19

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राज्य सड़क परियोजनाओं (चालू कार्यों) की सूची

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1	2	3
राज्य	बिहार	
1.	गंगा पर भागलपुर पुल	55.00
2.	पुल पहुंच मार्गों का निर्माण	7.60
3.	सोनपुर-छपरा का सुधार	21.50
4	हाजिपुर-मुजफ्फरपुर सड़क का सुधार	16.90
राज्य	महाराष्ट्र	
1	अम्बादि-पालघर सड़क का सुधार	14.54
2.	पुणे अहमद नगर सड़क का सुधार	14.51
3.	अकोला-कन्हेर गांव सड़क का सुधार	14.13
4.	नागपुर-कन्या सड़क का सुधार	29.15
5.	अहमद नगर-कन्हेरगांव सड़क का सुधार	14.87

1	2	3
राज्य	राजस्थान	
1.	अलवर-भिवाड़ी सड़क का सुधार	74.26
2.	उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सड़क का सुधार	26.10
3.	अजमेर-चित्तौड़गढ़ सड़क का सुधार	44.21
4.	सिरोही-माउंट आबु सड़क का सुधार	21.93
राज्य	उत्तर प्रदेश	
1.	सनौली-फरेन्डा सड़क का सुधार	36.95
2.	गोरखपुर-बलिया सड़क (99-142 कि.मी.) के भाग को सुधारना	15.92
3.	गोरखपुर-बलिया (145-253.20 कि.मी.) का सुधार	53.00
4.	फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क (80 से 140 कि.मी.) के भाग को सुधारना	33.52
5.	फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क (140-226.40 कि.मी.) का सुधार	25.52

महाराष्ट्र में पेयजल की कमी

1925. श्री अन्ना जोशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन-कौन से नगर पेयजल की अत्यंत कमी से प्रभावित हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव पेश किया है तथा नगर में पेयजल की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). महाराष्ट्र में पेयजल की अत्याधिक कमी का सामना कर रहे कस्बों की बाबत राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। तथापि, राज्य सरकार ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु पांच कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी है। 370.01 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर ये सभी पांचों परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। ये कस्बे पाटूर और तेलहाना (अकोला जिला), दियोजगांव राजा और लोनार (बलधाना जिला) मैनदारगी (शोलापुर जिला) हैं। राज्य सरकार को ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमशः 85.36 लाख रुपये और 92.5 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

मानवाधिकार स्थिति पर ब्रिटिश मीडिया

1926. डा. वसंत पवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड के मीडिया के कुछ क्षेत्र भारत में मानवाधिकार स्थिति पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं/उठाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इनके क्या परिणाम मिले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंगलैंड के समाचार जगत के कुछ माध्यम, समय-समय पर, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में रिपोर्टों को गलत रूप से और तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते रहे हैं।

(ख) और (ग). सरकार यू.के. में भारतीय मिशन के माध्यम से भारत में मानवाधिकारों की सही वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए इंगलैंड के समाचार जगत के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखती है। इन प्रयत्नों से कुछ लोगों द्वारा भारत की छवि को जानबूझकर गलत ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिशों का पर्दाफाश हुआ है और इसके साथ ही भारत की लोकतांत्रिक और संस्थागत संरचना के बारे में जानकारी बढ़ी है जो सभी भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है।

डाक सामग्री का मुद्रण

1927. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग के कुछ कार्यों जैसे डाक सामग्री का मुद्रण आदि का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक सेवा की कार्य कुशलता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) डाक संगठन के विचाराधीन पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। सरकारी सिक्यूरिटी प्रेसों के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की सिक्यूरिटी प्रेसों में भी डाक स्टेशनरी की छपाई का निर्णय लिया गया है।

(ख) सरकारी सिक्यूरिटी प्रेस समूची मांग को पूरा करने में असमर्थ रही है, अतः यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य के लिए संविदात्मक प्रक्रियायों के बारे में कार्रवाई चल रही है।

(ग) डाक सेवाओं की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों में, प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ डाकघर के कामकाज को आधुनिक बनाना, मेल प्रोसेसिंग प्रणाली में परिवर्तन, पारेषण लाइनों के अनुसार डाक का प्राथमिकीकरण, सेवाओं की गुणवत्ता की मानीटरिंग में सुधार तथा प्रीमियम सेवाओं की शुरूआत शामिल है।

(घ) मौजूदा तथा भावी आवश्यकताओं के लिए प्रबंध संरचना में, उसे अद्यतन बनाकर परिवर्तन लाने का एक प्रस्ताव विभाग के सामने है।

एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

1928. डा. सुधीर राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की मंजूरी हेतु पात्रता के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों को कुछ प्राथमिकताएं मिलती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी सी ओ, सभी पात्रों पर विचार करने के पश्चात् नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांगों, अ.जा./ज.जाति के आवेदकों, भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों और धर्मार्थ संस्थाओं/चिकित्सालयों के आवेदकों को ही वरीयता सूची में आबंटन के लिए रखा गया है।

विवरण

I. सामान्य

1. पात्रता

एस टी डी/पी सी ओ के आबंटन के लिए केवल शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ही आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा, अपने स्थानीय संसद सदस्य/विधायक/तहसीलदार और उससे ऊपर के रैंक वाले राजस्व प्राधिकारियों/रोजगार अधिकारी/जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा सदस्य/नगरपालिका पार्षद्/पंचायत अथवा ग्राम प्रधान अथवा रोटरी क्लब/लायंस क्लब आदि जैसे मान्यता-प्राप्त सामाजिक संगठनों के सचिवों से, जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक का निवास स्थान पड़ता है, बेरोजगारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है। आवेदक की शैक्षिक अर्हताएं इस प्रकार हैं :—

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: आठवीं अथवा मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इससे ऊपर की अर्हता

(दो) शहरी क्षेत्रों के लिए: कम से कम मैट्रिक अथवा हाई स्कूल या इससे अधिक आवेदन-पत्र, बेरोजगारी का प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना है। इसके साथ ही एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन का प्रचालन करने के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को मानने से संबंधित पत्र भी संलग्न किया जाना है।

2. सदाशयी व्यक्तियों का चयन

एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटन के लिए आवेदकों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसका गठन नीचे लिखे अनुसार होगा। यह समिति सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित करने से पहले आवेदकों की सदाशयता की उचित जांच करेगी। संभावित हेरा-फेरी रोकने के तौर पर बेरोजगारी प्रमाणपत्र की एक फोटो प्रति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी जाए जिसमें इसे सत्यापित करने का अनुरोध किया जाए। यह समिति उपलब्ध सार्वजनिक टेलीफोनों का आबंटन निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए करेगी :—

(क) नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदक।

(ग) भूतपर्व सैनिक/युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं।

(घ) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।

(ङ) स्वतंत्रता सैनानी अथवा उनके आश्रित।

(च) धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल।

समिति, एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित करने और नए सार्वजनिक टेलीफोनों के स्थानों का निर्धारिण करने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होगी।

समिति का गठन

(क) नए एसटीडी पे-फोन आबंटन करने की समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

(एक) गौण स्विचन क्षेत्र का अध्यक्ष अध्यक्ष

(दो) गौण स्विचन क्षेत्र के अध्यक्ष के अधीन कार्यरत, विभाग के वित्त और लेखा विंग का अधिकारी अर्थात् लेखा अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी आदि सदस्य।

(तीन) मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्य शामिल किए जाएंगे।

3. आबंटन की प्रक्रिया

समिति प्रत्येक महीने में एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी जो एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटन से संबंधित कार्य की मात्रा पर निर्भर होगा। समिति अपनी बैठकों में एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटन के लिए पात्र व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी और चयन करेगी।

4. एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटियों को ऋण की सुविधा

गौण स्विचन क्षेत्र का अध्यक्ष आवंटी को एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटन से संबंधित प्रमाणपत्र जारी करेगा ताकि वह किसी अनुसूचित बैंक से ऋण आदि प्राप्त कर सके। गौण स्विचन क्षेत्र का अध्यक्ष इस संबंध में सभी प्रकार की सहायता भी सुलभ कराएगा।

5. प्रावधान की सीमा

एक्सचेंज लाइनों की 5 प्रतिशत तक की क्षमता एस टी डी और स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटन के लिए आरक्षित की जानी है।

6. एक्सचेंज का प्रकार, जिसके साथ एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन जोड़ा जाना है।

एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन सामान्यतया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से ही जोड़े जाएं। इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज वाले स्थान पर एक नया 128 पोर्ट सी-डॉट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज अथवा 16 किलोहर्ट्ज होम मीटरिंग क्षमता सहित एक उच्च क्षमता का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोला जा सकता है और सभी एस टी डी पे-फोन इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से जोड़े जा सकते हैं। इन एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों पर काम कर रहे कॉल-लॉगर्स जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से 16 किलोहर्ट्ज साइकिल पल्स पर चलाए जाएं।

सामान्य शर्तें

(एक) एक आवेदक को केवल एक ही एसटीडी पे-फोन दिया जाए। तथापि, मौजूदा अधिसंख्य फ्रेन्चाइजी अपने मौजूदा करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार प्रचालन का कार्य करते रहेंगे।

(दो) सभी एसटीडी पे-फोन इस प्रकार संस्थापित किए जाएं कि वे सार्वजनिक सड़क/गली के सामने हों, ताकि जनता वहां तक आसानी से पहुंच सके।

(तीन) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन कम से कम 6 बजे प्रातः से 10 बजे रात तक खुले रहेंगे।

(चार) आबंटी द्वारा प्रयुक्त टर्मिनल उपस्कर के इंटरफेस का अनुमोदन किया हुआ होना चाहिए और इन्हें वहां पर किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड अथवा अन्य विनिर्माताओं द्वारा निर्मित सिंपल कॉल लागर्स/चार्ज इंडिकेटर्स का, विभाग द्वारा जिनका इंटरफेस अनुमोदन किया गया हो, इस्तेमाल किया जाएगा। स्टाप-वाच के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(पांच) एसटीडी सार्वजनिक टेलीफोन के आबंटी का एक महीने की अवधि में की गई कॉलों की कुल संख्या पर 10,000 कॉल यूनिट तक 20 पैसे प्रति कॉल 10,000 से 20,000 कॉल यूनिटों तक 15 पैसे प्रति कॉल यूनिट और 20,000 कॉल यूनिट से अधिक कॉलों पर 10 पैसे प्रति यूनिट कमीशन दिया जाएगा।

(छः) प्रतिभूति जमा राशि भी एक ही किश्त में नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी।

(सात) एसटीडी सार्वजनिक टेलीफोनों के आबंटी द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 200 किमी. के भीतर के सभी स्थानों पर पल्स दरें बाकायदा प्रदर्शित की जाएंगी।

(आठ) आवेदक द्वारा एसटीडी सार्वजनिक टेलीफोनों के आबंटन के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन-पत्र देना पड़ेगा।

(नौ) आवेदक द्वारा, उसको एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित होते ही दूरसंचार प्राधिकरण के साथ निर्धारित फार्म में एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(दस) सभी एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों पर इन-कमिंग कॉल सुविधा की अनुमति दी जाएगी।

(ग्यारह) स्थानीय क्षेत्र के भीतर एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन की शिफ्टिंग की अनुमति है। सीधी एक्सचेंज लाइनों पर लागू सामान्य शिफ्टिंग प्रभार वसूल किए जाएंगे।

(बारह) यह देखने के लिए समय-समय पर अचानक जांच की जाए कि आबंटी अपने ग्राहकों से दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार वसूल कर रहा है।

(तेरह) सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए आवेदन करने के संबंध में मार्ग निर्देश और इन्हें शासित करने वाले नियम टेलीफोन निर्देशिका के वाणिज्यिक सूचना पृष्ठों में प्रकाशित किए जाएं।

(चौदह) यदि सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदक उपलब्ध न हो रहे हों, तो स्थानीय समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं।

II. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

ग्रामीण एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के प्रचालन के संबंध में सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों का भी पालन किया जाए। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि ऐसा टेलीफोन, जो 512 लाइनों और इससे कम की कुल क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली में काम कर रहा है :—

1. ग्रामीण एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के मामले में प्रति माह प्रति सार्वजनिक टेलीफोन 100 रु. का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया गया है।

2. ग्रामीण एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के आवन्टी द्वारा 6 महीने के प्रत्याभूत राजस्व अथवा मासिक औसत राजस्व, जो भी अधिक हो, के आधार पर 600 रु. की प्रतिभूति जमा-राशि जमा करानी पड़ेगी। यह औसत राजस्व पिछले 6 महीनों के राजस्व के आधार पर निकाला जाता है।

3. एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन के प्रभारों की वसूली के लिए साप्ताहिक बिलिंग चक्र अपनाया जाएगा।

III. गैर-ग्रामीण (शहरी)

उपर्युक्त सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, गैर-ग्रामीण (शहरी) क्षेत्रों में एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का भी पालन किया जाना है।

1. लगभग प्रत्येक 100 घरों/व्यापारिक परिसरों के लिए कम से कम एक एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराया जाए।

2. सार्वजनिक टेलीफोन का आवंटन करने के लिए स्थान का चयन करते समय गौण स्विचन क्षेत्र का अध्यक्ष सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के लिए सुविधाजनक स्थानों का निर्धारण करने के उद्देश्य से नगरपालिका, सार्वजनिक संस्थाओं आदि जैसे स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करेगा। सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के लिए स्थान का चयन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थानों पर भी हमेशा ध्यान दिया जाए :—

- वाणिज्यिक आवास समितियां
- पुनर्वास बस्तियां
- सरकारी कालोनियां
- रक्षा कार्मिकों के पारिवारिक क्वार्टर
- छात्रावास
- बस स्टैंड
- पर्यटन स्थल
- हवाई अड्डा
- तीर्थ स्थान
- रेलवे स्टेशन
- धर्मार्थ संस्थाएं
- अस्पताल
- शिक्षा संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय

4. गैर-ग्रामीण (शहरी) एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में विभाग की प्रति माह प्रति सार्वजनिक टेलीफोन पर दिया जाने वाला न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 1600/-रु. निर्धारित किया गया है।

5. प्रतिभूति जमा राशि के तौर पर 5000 रु. अथवा औसत मासिक राजस्व के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है। औसत मासिक राजस्व पिछले 6 महीनों के राजस्व के आधार पर निकाला जाएगा।

6. एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रभारों की वसूली के लिए पाक्षिक बिलिंग चक्र अपनाया जाएगा। यदि प्रभार अधिक हों, तो स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा साप्ताहिक बिलिंग चक्र भी अपनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

कश्मीर के संबंध में अमरीकी रुख

1929. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू.एस. इन्कन्सिस्टेंस ऑन कश्मीर इश्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीका के साथ कोई वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में छपी खबर विभिन्न वक्तव्यों, कांग्रेस के साक्ष्यों और अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समाचार-तंत्र को दी गई टिप्पणियों और विगत वर्षों में विदेश विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रैस मार्ग-निर्देश पर आधारित है।

(ग) और (घ). सरकार अमरीका की सरकार के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के बारे में बातचीत करती रहती है। इस समाचार-पत्र की खबर में उल्लिखित मसलों के बारे में भारत के दृष्टिकोण अमरीका को पुनः बताए गए हैं। अमरीका ने भी अपनी ओर से इन दृष्टिकोणों के बारे में स्पष्टीकरण दिए हैं। इन विचार-विनिमयों से उन्होंने इन मामलों के बारे में एक-दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा है।

नेहरू रोजगार योजना

1930. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में नेहरू रोजगार योजना अभी भी लागू नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में यह योजना अभी लागू की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). जी, नहीं। केवल नागालैंड की राज्य सरकार ने अपने राज्य में नेहरू रोजगार योजना का अब तक इस दलील पर कार्यान्वयन शुरू नहीं किया कि निर्धन और पिछड़ा राज्य होने के नाते वह अपना बराबर का हिस्सा देने में समर्थ नहीं है और केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त व्यवस्था की मांग कर रहा है। तथापि, योजना के कार्यान्वयन को प्रारम्भ करने के लिए मंत्रालय, राज्य सरकार को समय-समय पर, सलाह देता रहा है।

(घ) और (ङ). नेहरू रोजगार योजना एक चलती रहने वाली स्कीम है और योजना के कार्यान्वयन में राज्य विशेष के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय निधियां, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को वर्ष दर वर्ष आधार पर रिलीज की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भी उस वर्ष विशेष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले वास्तविक लक्ष्यों के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है।

शहरी विकास योजनाएं

1931. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से संबंधित कितनी शहरी विकास योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी योजनाएं/परियोजनाएं चालू की गई तथा इस पर कुल कितना खर्च किया गया;

(ग) कब तक लंबित योजनाएं/परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी; और

(घ) चालू वित्त वर्ष की अवधि में सम्मिलित किए जाने वाल परियोजनाओं के नाम, स्थान इत्यादि का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) लघु एवं मझौले शहरों के एकीकृत विकास के योजना के अन्तर्गत शहरी विकास योजनाओं/परियोजनाओं का, राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सहायता दी जाती है। वर्तमान में, आई.डी.एस.एम.टी. योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप गुजरात की कोई भी योजना/परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार की ओर स लम्बित नहीं हैं।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 1993-94 एवं 1994-95 (23.3.1995 तक) के दौरान गुजरात के 10 नगरों के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है तथा 234.24 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है। मंजूर की गयी परियोजना के परिव्यय के ब्यौरे अगले अथवा परवर्ती के वर्षों में उपलब्ध होंगे।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कस्बों के नाम हैं: बधवान, भरूच, नाडियाड, पलिताना, बोरसाद, धोराजी, पेटलाद, दरा, सावर कुंडला और दभोई। इन कस्बों के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं में शामिल हैं: मार्केट और शापिंग परिसर, सड़कें, जल निकासी कार्य, स्थल एवं सेवाएं, बस अड्डे एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं।

[अनुवाद]

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति

1932. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम और विशेष रूप से विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति किए जाने के लिए गोदावरी नदी पर प्रारंभिक योजना को आरम्भ करने और इसे पूरा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्य अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). जी, नहीं। विशाखापटनम इस्पात संयंत्र गोदावरी नदी से विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को पम्पिंग वाटर की सप्लाई करने के लिए किसी परियोजना पर विचार नहीं कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापटनम इस्पात संयंत्र की येलेरू नहर के जरिए येलेरू जलाशय से 73 एम.जी.डी. (मिलियन गैलन प्रतिदिन) की दर से पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है और विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने येलेरू जलाशय में पांच हजार मिलियन घन फीट पानी निर्धारित किया है।

कश्मीर का मुद्दा

1933. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में ब्रिटिश विदेश सचिव ने कश्मीर के मुद्दे के समाधान हेतु एक त्रिपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार ने 9 जनवरी, 1995 को इस्लामाबाद में ब्रिटेन के विदेश सचिव द्वारा दिए गए वक्तव्य देखे हैं।

यू.के. सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे पर भारत की सैद्धान्तिक स्थिति के प्रति समझबूझ बढ़ी है; सीमा पार से प्रोत्साहित आतंकवाद में निहित खतरों को स्वीकारा गया है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मतभेदों को शिमला समझौते की रूपरेखा के अन्तर्गत द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने को समर्थन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त विभागीय एजेंट

1934. श्री राजवीर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा दें?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। तथापि, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अधीन संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डाक सुविधाएं प्रदान करते हैं जहां विभागीय डाकघर खोलने का औचित्य नहीं होता है। अतिरिक्त विभागीय डाकघर का कार्यभार प्रतिदिन दो से पांच घंटे के बीच होता है। चूंकि, अतिरिक्त विभागीय एजेंट दिन में कुछ ही घंटे काम करते हैं, इसलिए उन्हें कार्यभार के आधार पर समेकित मासिक भत्ता दिया जाता है।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को इस समय प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क. वित्तीय

1. समेकित मासिक भत्ते के अलावा, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उसी अनुपात में और उस-उस समय महंगाई भत्ता और अनुग्रह बोनस दिया जाता है जिस अनुपात में यह जब-जब विभागीय कर्मचारियों को दिया जाता है।
2. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर को 75/-रु. प्रतिमाह वितरण और सवारी भत्ता दिया जाता है।
3. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टर को 25/-रु. प्रतिमाह की दर पर कार्यालय रख-रखाव भत्ता दिया जाता है।
4. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टर को 5/-रु. प्रतिमाह की दर पर निश्चित स्टेशनरी भत्ता दिया जाता है।
5. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट/अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक को 20/-रु. प्रति माह की दर पर साइकिल भत्ता दिया जाता है।
6. 16.9.1993 से 50/- रु. प्रतिमाह की समान दर पर अंतरिम राहत।
7. 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने पर श्रेणी-आधार पर अधिकतम 6,000/- रु. तक अनुग्रह पूर्वक ग्रेच्युटी।
8. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 01.04.1992 सामूहिक बीमा स्कीम में शामिल किया गया है, जिसमें 10/-रु. प्रतिमाह भुगतान करने पर 10,000/-रु. का रिस्क कवर होता है।
9. ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को, जिन्हें अनुशासनिक कार्रवाई पूरी होने पर पूरी तरह आरोपमुक्त किया गया

हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी अपील या पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने पर नौकरी में बहाली पर पूरी तरह आरोपमुक्त होने के बाद कतिपय शर्तों के अध्यधीन एक बार अधिकतम 500/- रु. तक अनुग्रहपूर्वक-प्रतिपूर्ति राशि अदा की जाती है।

ख. नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर

1. ग्रुप "डी" संवर्ग में सभी रिक्त पद पात्र अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से भरे जाते हैं।

2. पोस्टमैन संवर्ग में रिक्त पद विभागीय ग्रुप "डी" कर्मचारियों और बाहरी उम्मीदवारों के बीच 50:50 के समानुपात में भरे जाते हैं। पोस्टमैन संवर्ग में बाहरी उम्मीदवारों के लिए रखे गए 50 प्रतिशत कोटे के रिक्त पद निम्नलिखित ढंग से भरे जाते हैं :—

(क) 25 प्रतिशत पद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से सेवा में उनकी वरिष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं बशर्ते कि वे विभागीय भर्ती परीक्षा पास कर लें;

(ख) 25 प्रतिशत पद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से, विभागीय भर्ती परीक्षा में, उनकी मेरिट के आधार पर भरे जाते हैं।

3. डाक/छंटाई सहायक संवर्गों में विभागीय कोटे से संबंधित अवशिष्ट रिक्त पद भी पात्र अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1935. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री हरिन पाठक :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक किन-किन स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जा चुके हैं और किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितने एक्सचेंज चालू किये गये; और

(घ) अब तक कितने इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज परिवर्तित किये गये हैं और पृथक रूप से कितने एक्सचेंजों को परिवर्तित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 28.2.95 तक गुजरात में 1211 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं। लगभग 75 नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वार्षिक रूप से स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक रूप से चालू किए गए
1993-94	105	105
1994-95	75	35 (28.2.95 तक)

(घ) अप्रैल से दिसंबर, 1995 के दौरान 86 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है। मार्च, 1995 तक 23 अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने का प्रस्ताव है।

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1936. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खाद्य उद्योगों की स्थापना संबंधी संभावनाओं का पता लगाने हेतु राज्य की क्षमता के आकलन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एकक किन-किन स्थानों पर लगाये जाएंगे तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी क्षमता कितनी-कितनी होगी;

(ग) क्या इन एककों की स्थापना करते समय रोजगार के पक्ष पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। लेकिन मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत ऐसे सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों को सहायता देता है। गुजरात सरकार वहां के किसी संगठन से ऐसा अध्ययन करने के लिए सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय राहत उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। सरकार खाद्य

प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रही है।

उदारीकरण से लेकर फरवरी, 1995 तक किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 210 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं जिनमें 3116 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा और 33956 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। इसके अलावा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने, विदेशी सहयोग आदि के लिए 24 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 103 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा।

कोचीन पत्तन में पुल

1937. प्रो. के.वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन में माट्टाचेरी और वेन्दुरूटी पुलों के रख-रखाव और प्रशासन की जिम्मेदारी किस प्राधिकरण की है;

(ख) इनके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी लागत आती है;

(ग) क्या इन पुलों के रख-रखाव हेतु राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कोचीन पत्तन में माट्टाचेरी और वेन्दुरूटी पुलों के रख-रखाव और प्रशासन के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तथापि, कोचीन पत्तन न्यास, लागत की प्रतिपूर्ति के आधार पर वास्तविक कार्य की देख-रेख कर रहा है।

(ख) रख-रखाव और मरम्मत, जिसमें विशेष मरम्मत भी शामिल है, पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग 30 लाख रु. व्यय होते हैं।

(ग) और (घ). चूंकि इन पुलों से गुजरने वाला अधिकांश यातायात सार्वजनिक सेवाओं में लगे वाहनों के रूप में होता है, अतः इन पुलों के रख-रखाव और मरम्मत संबंधी कार्य को राज्य प्राधिकरणों को सौंपने का प्रस्ताव है। राज्यीय और स्थानीय प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के बाद पत्तन न्यास ने तदनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलियाई निवेश

1938. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की एक प्रमुख कंपनी ने देश में खनन कार्य करने के लिए सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया जायेगा; और

(घ) इस करार की शर्तें क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) आस्ट्रेलिया की दो कम्पनियों अर्थात् मैसर्स बी.एच.पी. मिनरल्स इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन इंक (बीएचपी) और मैसर्स न्युगिनि माइनिंग लि. (एनएमएल) ने देश में खनन कार्य करने हेतु हिन्दुस्तान जिंक लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) राजस्थान में सीसे, जस्ते, तांबे, स्वर्ण और अन्य सम्बद्ध खनिजों के लिए आधारभूत गवेषण कार्य करने हेतु बीएचपी मिनरल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनएमएल के साथ किया गया समझौता भारत में पता लगाए गए स्वर्ण, अगर व्यवहार्य हो तो, के मूल्यांकन और विकास के बारे में था।

(ग) और (घ). खनन परियोजना, जिसके लिए बीएचपी मिनरल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, में तीन चरणों अर्थात् पूर्व-संभाव्यता चरण, संभाव्यता अध्ययन और खनन विकास की परिकल्पना की गई है। पूर्व संभाव्यता कार्यों के लिए 3 से 5 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुमान लगाया गया है, जिसको आस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा। हिन्दुस्तान जिंक लि. पूर्व संभाव्यता चरण में सहायता सेवाएं देगा। अगर किसी व्यवहार्य संसाधन का पता चलता है तो संभाव्यता अध्ययन और खान विकास पर आने वाले व्यय को बीएचपी और एचजेडएल के बीच उनकी क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत इक्विटी योगदान के अनुपात के आधार पर बांटा जाएगा। परियोजना के लिए कुल निवेश संसाधन के आकार और परिकल्पित प्रचालन पर निर्भर करेगा। बी.एच.पी. मिनरल्स, प्रबंधक के रूप में हिन्दुस्तान जिंक लि. के सहयोग से सभी गवेषणात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा और निर्देश देगा। एक मूल्यांकन समिति समझौता ज्ञापन के तहत समग्र नीतियों और कार्रवाइयों का अनुमोदन करेगी जबकि एक तकनीकी समिति गवेषण की प्रगति और परिणामों की नियमित रूप से निगरानी करेगी। दोनों समितियों में बीएचपी मिनरल्स और एचजेडएल के प्रतिनिधि होंगे। समझौता ज्ञापन (1) पांच वर्ष की अवधि के बाद, (2) एक पार्टी के हट जाने पर या (3) विस्तृत समझौते के निष्पादन या परस्पर सहमति होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।

एच.जेड.एल. और एन.एम.एल. आरंभिक मूल्यांकन के लिए स्वर्ण संसाधनों का पता लगाने हेतु एकजुट होकर काम करेंगे। एच.जेड.एल. पता लगाए गए संसाधनों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराएगा। एन.एम.एल. बदले में अपने खर्चे पर डाटा का मूल्यांकन और पूर्व संभाव्यता का अध्ययन करेगा। अगर किसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य संसाधन का पता लगाया जाता है तो संभाव्यता अध्ययन

और खान विकास (अगर व्यवहार्य हो तो) के खर्च को उनकी क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत इक्विटी योगदान के अनुपात के आधार पर बांटा जाएगा। समझौता ज्ञापन दो वर्ष के लिए वैध है, जब तक कि परस्पर सहमति से उसकी अवधि बढ़ायी न जाए या जब तक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना नहीं की जाती, जो भी पहले हो।

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजनाएं

1939. श्री शरत पटनायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार निजी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने संबंधी प्रक्रिया को सुधारू बनाने के संबंध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). प्रत्येक विद्युत परियोजना (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र) के लिए विभिन्न केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से कुछेक सांविधिक/गैर-सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को सुधारू बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें संभावित उद्यमियों को जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के लिए ही विद्युत मंत्रालय में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में एक निवेश संप्रवर्तन प्रकोष्ठ का गठन किया जाना शामिल है, ताकि स्वीकृतियों को आसान बनाया जा सके और इसके साथ ही मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन शामिल है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं हेतु स्वीकृतियों को तीव्र गति प्रदान करने के लिए निदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अभी तक विद्यमान व्यवस्थाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

1940. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में खोले गए खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप फल उत्पादन क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीमों के तहत आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 1992-93 और 1993-94 में उत्तर प्रदेश में 20 ऐसे केन्द्र सहित देश में 121 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे 47 केन्द्रों में कार्य शुरू हो गया है तथा 1500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

देश में फल तथा सब्जी उत्पादों का कुल उत्पादन 1992 में 4.69 लाख टन की तुलना में 1994 में बढ़कर 6.76 लाख टन हो गया लेकिन इस समय खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप फल और सब्जी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया, प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा यूनिटों की स्थापना और इन यूनिटों द्वारा उत्पादन कार्य शुरू करने में समय लगता है।

[अनुवाद]

रोहिणी में डी.डी.ए. के भू-खंड

1941. श्री सूरज मंडल :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत समय पहले रोहिणी रिहायशी योजना दिल्ली में डी.डी.ए. द्वारा आवंटित अनेक भू-खण्डों पर नियमों के अन्तर्गत ऐसे भू-खण्डों के लिए निर्माण हेतु निर्धारित समय-सीमा के समाप्त होने के काफी समय बाद तक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने भू-खण्ड हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं/जिन पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ग) क्या इन भू-खण्डों के आवंटन को रद्द करके प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए खाली प्लाटों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। अब जबकि आवंटियों ने अपने-अपने प्लाटों का वास्तविक कब्जा ले लिया है, आवंटन रद्द करने तथा प्लाट पुनः आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नीति के अनुसार मकान के निर्माण के लिए बिना किसी जुर्माने के सामान्य अवधि वास्तविक कब्जा लेने की तारीख से तीन वर्ष है। नीति/मार्गनिर्देशों के तहत यह प्रावधान है कि संयोजन शुल्क/जुर्माने इत्यादि का भुगतान करने पर निर्माण की अवधि बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए सामान्यतया 20 वर्ष तक की अनुमति दी जाती है। रोहिणी रिहायशी योजना को लागू किए केवल 14 वर्ष हुए हैं।

दूरसंचार सर्किल को तीन हिस्सों में बांटा जाना

1942. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व उत्तर-पूर्वी तथा दूरसंचार सर्किल को पंजाब, हरियाणा, तथा हिमाचल प्रदेश-तीन पृथक सर्किलों में किस तारीख को विभाजित किया गया था;

(ख) हिमाचल प्रदेश दूरसंचार के मुख्यालय को शिमला में किराये के भवन में कब स्थानान्तरित किया गया था और इसे विभाग के अपने भवन में कब स्थानान्तरित किया गया;

(ग) क्या पंजाब सर्किल के मुख्यालय को चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था और सितम्बर, 1994 को इसके लिए एक भवन का भी चुनाव किया गया था;

(घ) उक्त मुख्यालय को चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने में देरी के क्या कारण थे; और

(ङ) स्थानान्तरण कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 01-05-1987

(ख) हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल का मुख्यालय 8.10.1987 को शिमला में एक किराये के भवन में शिफ्ट किया गया था। बाद में 22.10.94 को इसे विभागीय भवन में शिफ्ट किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) भवन का चयन एक "एकल निविदा" के आधार पर किया गया था। अतः इस मामले पर निर्धारित कार्यविधि के अनुसार दूरसंचार मुख्यालय में निर्णय लिया जाना है।

(ङ) अभी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि एकल निविदा स्वीकार करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने के प्रश्न पर अभी निर्णय लिया जाना है।

भूमि आवंटन

1943. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की विभिन्न सांस्कृतिक और भाषायी संस्थाओं को अपने-अपने सांस्कृतिक केन्द्रों और स्कूल की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य भाषायी समूह-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों और स्कूलों की स्थापना करने के लिए इन समूहों को भूमि आवंटन के मामले में भारी असमानता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को किसी भाषायी सांस्कृतिक समूह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निःशुल्क भूमि आवंटन करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (छ). उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

1944. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में "ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सस्ते दरों पर टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने" की योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितने गांव लाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक हो जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने गुजरात सहित देश के सभी गांवों में कम दरों पर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति बनाई है। 15.3.1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में ऐसे 11,866 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस योजना के वर्ष 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

गन्दी बस्तियों का विकास

1945. श्रीमती शीला गौतम :
श्री महेश कनोडिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री राजेश कुमार :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गन्दी बस्तियों के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). राज्य योजना दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 8वीं योजना के दौरान स्लमों के विकास के लिए 364.91 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी है। राज्य-वार नियतनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्लमों के सुधार हेतु नियतनों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	कुल परिव्यय आठवीं योजना (1992-97)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	175.00
4.	बिहार	2150.00
5.	गोवा	7.29
6.	गुजरात	1170.00
7.	हरियाणा	1000.00
8.	हिमाचल प्रदेश	315.00
9.	जम्मू और कश्मीर	500.00
10.	कर्नाटक	4440.00
11.	केरल	450.00
12.	मध्य प्रदेश	1850.00
13.	महाराष्ट्र	6314.00
14.	मणिपुर	100.00
15.	मेघालय	161.00
16.	मिजोरम	50.00
17.	नागालैन्ड	–
18.	उड़ीसा	391.00
19.	पंजाब	900.00
20.	राजस्थान	2040.00
21.	सिक्किम	40.00
22.	तमिलनाडु	563.00
23.	त्रिपुरा	225.00
24.	उत्तर प्रदेश	4250.00
25.	पश्चिमी बंगाल	6310.00
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	50.00
2.	चन्डीगढ़	–
3.	दमन एवं दीव	15.00
4.	दिल्ली	1000.00
5.	दादर एवं नगर हवेली	–
6.	लक्षद्वीप	–
7.	पान्डिचेरी	125.00
	सकल योग	36491.00

[अनुवाद]

सड़कों की दशा

1946. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1995 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "डैंजरस रोड्स डिट्र एन.आर.आई. इन्वेस्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ

1947. डा. साक्षीजी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ द्वारा जून, 1994 के दौरान पासपोर्ट जारी करने में धांधली करने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कार्यालयों, जिन्होंने ऐसे पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली प्रमाण-पत्र दिए थे, के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यालयों द्वारा जाली प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाएं

1948. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को खराब टेलीफोनों, गलत टेलीफोन बिल और शिकायतों पर कार्यवाही करने के बारे में विलम्ब के संबंध में पृथक-पृथक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें निपटा दी गई हैं, कितनी शिकायतें अभी लंबित हैं और शिकायतों को अभी तक लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

सबूर समिति

1949. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेतर कर्मचारियों के बारे में सबूर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए गठित सबूर समिति ने 171 सिफारिशें की थीं। इनकी सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7380/95]

(ख) जिन सिफारिशों को सरकार द्वारा अंततोगत्वा स्वीकार किया गया था, उन्हें लागू किया जा चुका है।

[अनुवाद]

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग

1950. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-संयुक्त अरब अमीरात आयोग की हाल ही में हुई 8वीं बैठक में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात बैंक की शाखाओं को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त उपक्रम लगाने तथा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत में निवेश करने पर बैठक में क्या चर्चा हुई तथा बैठक के क्या निष्कर्ष रहे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पक्ष ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया और पूर्ण सहयोग की पेशकश की।

(ग) संयुक्त आयोग की बैठक में निवेश तथा पैट्रोलियम, पैट्रो-रसायन, पर्यटन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया। ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

हाउसिंग पूल

1951. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय ने विभिन्न सांविधिक और स्वायत्त निकायों को अलग से अपना आवास पूल बनाने की अनुमति प्रदान की है और प्रत्येक संगठन को आवास आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संगठन को विभिन्न टाइप के अलग-अलग कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या इन संगठनों ने आवास की भारी कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से ऐसे और अधिक फ्लैट आवंटित करने अथवा निर्मित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) एक सीमित अवधि के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई जी एन सी ए) के मामले को छोड़कर, किसी सांविधिक/स्वायत्त संगठनों को अपना स्वयं का पूल बनाने हेतु कोई क्वार्टर नहीं दिया गया है।

(ख) आई जी एन सी ए को एशिया खेल गांव में टाईप 5 के 15 क्वार्टर आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ). ऐसा कोई अनुरोध विचाराधीन नहीं है।

केरल में खनिज भण्डार

1952. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में केरल में स्वर्ण और अन्य खनिज भण्डारों के खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में खनिज भण्डारों की और खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज भंडारों का स्थानवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(एक) स्वर्ण (प्राथमिक) : कपिल संभावना –
0.35 ग्राम/टन से 4.14 ग्राम/टन के बीच।
मानकडा संभावना –
0.28 ग्राम/टन से 1.42 ग्राम/टन
कादान्नामान्ना संभावना –
0.25 से 0.57 पी.पी.एम
एट्टाप्पाडी घाटी, 350 मी. से अधिक लम्बाई में 7.8 ग्राम/टन कएयू का औसत ग्रेड।

(दो) स्वर्ण (प्लेसर) एट्टाप्पाडी घाटी,
पालाकाड जिला–
14 किमी लम्बे क्षेत्र में 0.78 जी/एम^3 औसत ग्रेड के ऑरीफेरस के 0.56 मिलियन एम^3 के कुल निक्षेप।
नीलाम्बुर घाटी,
मालापुरम जिला–
पुराने ग्रेवल के 8.5 मिलियन सीयू एम के कुल निक्षेप में 1972.44 कि.ग्रा. स्वर्ण होने का अनुमान है।

(तीन) मोलिब्डेनम : अम्बालावायंल क्षेत्र, वायानाद जिला–
परिणाम अच्छे नहीं है।

(चार) आटापाडी घाटी पालाक्काड जिला–
परिणाम अच्छे नहीं है।

(पांच) लिग्नाइट– एलापुजा, कोलाम तथा कन्नूर
मैनागोपाली, थमाराकुलम, कोमालुर, कुनाकारा, कुठिरा-वैटोम कुन्नु, पिलिकोड, कुच्चामार का पश्चिम, पालाई का पश्चिम, मालापाराम्बू तथा कालनेगारी क्षेत्र–कुल निक्षेप– 36.5 मिलियन टन।

(छ) क्ले– थिरूवानन्तपुरम तथा कोलाम–35 वर्ग किमी. क्षेत्र में लगभग 850 मिलियन टन सभी ग्रेड की चिकनी मिट्टी कासारगोड जिला 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 200 मिलियन टन चीनी मिट्टी।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मालापुरम जिले के कपिल क्षेत्र तथा पालाकाड जिले के आपाडी क्षेत्र तथा कन्नूर जिले के नीलेश्वर क्षेत्र में लिग्नाइट के बारे में खुदाई कार्य कर रहा है।

भारत-पाकिस्तान रेलवे चेक पोस्ट

1953. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर मुनाबाव खोखरापार रेलवे चेक पोस्ट को पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में काफी समय से लंबित पड़े प्रस्ताव पर फिर से विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या प्रगति की हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार मुनाबाव खोखरापार जांच चौकी को पुनः खोलने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर शुरू करने के लिए तैयार है।

(ख) सरकार का यह मत है कि 1974 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय वीजा करार के प्रावधानों के अनुसार मुनाबाव-खोखरापार जांच-चौकी को पुनः खोलने से दोनों देशों के लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर यात्रा सुविधायें मिलेंगी और कराची में स्थित भारतीय प्रधान कोंसलावास को बन्द करने के संबंध में पाकिस्तान के एकतरफा निर्णय के परिणामतः इस समय लोगों को पेश आ रही अत्यधिक दिक्कतें इनसे कुछ हद तक कम होंगी। सरकार को उम्मीद है कि पाकिस्तान इस संबंध में रचनात्मक प्रतिक्रिया दिखाएगा।

डाकघर

***1954.* श्री राम कापसे :** क्या संचार मंत्री 25 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4724 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निश्चित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य को पाने में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 1994-95 के दौरान डाकघर खोले जाने के लिए संशोधित योजना लक्ष्य	मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या
1.	असम	8	2
2.	आंध्र प्रदेश	7	–
3.	बिहार	21	1
4.	दिल्ली	10	–
5.	गुजरात	16	–
6.	हरियाणा	14	2
7.	हिमाचल प्रदेश	13	–
8.	जम्मू व कश्मीर	2	–
9.	कर्नाटक	12	1
10.	केरल	14	1
11.	मध्य प्रदेश	17	1
12.	उत्तर-पूर्व	5	–
13.	उड़ीसा	8	–
14.	पंजाब	7	1
15.	राजस्थान	17	2
16.	महाराष्ट्र	15	–
17.	तमिलनाडु	7	2
18.	उत्तर प्रदेश	31	–
19.	पश्चिम बंगाल	6	–

आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम दर्जे वाले कस्बों का विकास

1955. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जिन न्यूनतम दर्जे वाले कस्बों (मिनिमम लेवल टाउन्स) का समन्वित विकास किया जाना है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) यह योजना राज्य में कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के 33 कस्बों का लघु एवं मझौले नगरों के एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) योजना के तहत एकीकृत विकास किये जाने का प्रस्ताव है। अभी तक भारत सरकार द्वारा 24 कस्बों की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इन कस्बों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। आई डी एस एम टी योजना के तहत इन 24 कस्बों के लिए जारी की गयी केन्द्रीय कोष की कुल राशि 654.00 लाख रु. है।

(ग) आशा है कि स्वीकृत परियोजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्यान्वित हो जायेंगी। तथापि, परियोजनाओं के पूरा होने की वास्तविक तिथि आई डी एस एम टी योजना के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित राज्य अंश एवं सांस्थानिक वित्त की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आई डी एस एम टी योजना में शामिल किये जाने हेतु तय किए गए कस्बों की सूची। इस सूची में उन कस्बों के नाम भी हैं, जिन्हें आई डी एस एम टी के तहत शामिल किया जा चुका है।

क्र.सं.	कस्बों के नाम	आई डी एस एम टी के तहत शामिल अथवा नहीं
1	2	3
1.	वानापर्थी	हां
2.	कूरनूल	हां
3.	जगय्यापेटा	हां
4.	काकीनाडा	हां
5.	कुडपा	हां
6.	निदादावोलू	हां
7.	जगितियाल	हां
8.	मदनपल्ली	हां
9.	चिराला	हां
10.	रेपल्ली	हां
11.	पोन्नुर	हां
12.	निजामाबाद	हां
13.	नारायनपेट	हां
14.	श्रीकलाहस्ती	हां
15.	अनन्तपुर	हां
16.	विकाराबाद	हां
17.	तुनी	नहीं *
18.	चिलाकलुरीपेट	हां
19.	मन्दपेटा	नहीं *
20.	एलुरू	नहीं *
21.	पालाकोली	नहीं*

1	2	3
22.	अमलापुरम	हां
23.	मिर्यालागुडा	हां
24.	अदोनी	हां
25.	संगरेड्डी	हां
26.	मचेरला	नहीं *
27.	गुडूर	हां
28.	हिन्दुपुर	हां
29.	बोधन	हां
30.	मनचेरियाल	नहीं *
31.	मुजविद	नहीं *
32.	बेल्लाम्पल्ली	नहीं *
33.	सिरसिल्ला	नहीं *

* इन कस्बों की परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने हेतु राज्य सरकार से कहा गया है तथा संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्र

1956. **डा. परशुराम गंगवार :**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितने लघु, मझौले और बड़े इस्पात संयंत्र हैं;

(ख) इनमें से कितने संयंत्र कर्नाटक में हैं;

(ग) कर्नाटक में 1994-95 के दौरान लघु और बड़े इस्पात संयंत्र लगाने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए;

(घ) सरकार के पास लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ङ) उच्च श्रेणी के इस्पात का निर्माण करने वाले इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यात की गई इस्पात की मात्रा कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकारी क्षेत्र में 6 एकीकृत इस्पात संयंत्र और 2 विशेष इस्पात संयंत्र हैं। इनके अतिरिक्त, सरकारी, संयुक्त क्षेत्र में 7 लघु इस्पात संयंत्र हैं। निजी क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र, 174 लघु इस्पात संयंत्र और 700 से अधिक प्रेरण भट्टी इकाइयां हैं।

(ख) काफी संख्या में प्रेरण भट्टी इकाइयां होने के अतिरिक्त कर्नाटक राज्य में 13 इस्पात संयंत्र हैं जिनमें से 2 लघु इस्पात संयंत्रों के बन्द होने की सूचना है।

(ग) और (घ). लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। लोहा अथवा इस्पात इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की मानक नगरीय क्षेत्र की परिसीमाओं के 25 कि.मी. के भीतर स्थित न हो। लाइसेंस की मंजूरी के लिए सरकार के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में ही आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इस्पात संयंत्रों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष इस्पात का उत्पादन करने के लिए सुसज्जित किया गया है।

(च) वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94) के दौरान निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा क्रमशः 22.21 लाख टन और 11.96 लाख टन बताई गई है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में नाभिकीय निगरानी सुविधा

1957. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकांत जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस क्षेत्र से नाभिकीय परीक्षण गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु पाकिस्तान में नाभिकीय निगरानी सुविधा की स्थापना करने संबंधी अमरीका के प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). सरकार को पाकिस्तान में एक भूकंपीय प्रबोधन केन्द्र की स्थापना की जानकारी है। यह केन्द्र अमरीका की सहायता से उस अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क के एक अंग के रूप में स्थापित किया जा रहा है जिसका उपयोग भावी व्यापक परीक्षण निषेध संधि का सत्यापन करने के लिए किया जाएगा जिसपर इस समय जेनेवा में चल रहे निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की जा रही है। 1995 के दौरान होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय आजमाइशी परीक्षण में पाकिस्तान, भारत और चीन सहित 48 देश भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतें

1958. श्री रामपाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान सरकार को कुल कितनी टेलीफोन संबंधी शिकायतें मिलीं;

(ख) कितनी शिकायतों को दूर किया गया और कितनी अभी भी लंबित पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार को पिछले 6 महीनों के दौरान अगस्त, 94 से जनवरी, 95 तक दोषपूर्ण टेलीफोन की लगभग 91.3 लाख शिकायतें प्राप्त हुई, जो प्रति माह प्रति 100 लाइनों का लगभग 17.7 बैठती है।

(ख) 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें अगले दिन तक निपटा दी जाती हैं। कुछ शिकायतों को दूर करने में अपेक्षाकृत अधिक समय केबिलों में अत्यधिक दोष के कारण लग जाता है, जिन्हें यथा संभव कम से कम समय में दूर कर दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :—

(एक) उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है।

(दो) धीरे-धीरे दोष मरम्मत केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(तीन) ग्राहक सेवा केन्द्रों को मजबूत किया जा रहा है।

(चार) उपस्कर का उन्नयन/आधुनिकीकरण दोषों की संख्या कम करने के लिए एक नियमित कार्य के रूप में किया जाता है।

(पांच) दोषों को शीघ्रता से दूर करने के लिए नये एवं आधुनिक औजार और जांच सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

मंगलौर पासपोर्ट कार्यालय

1959. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले से पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) क्या दक्षिण कन्नड़ जिले की मांग को पूरा करने के लिये मंगलौर में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) वर्ष 1994 में बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले से 18371 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए।

(ख) 1994 में बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कुल 82171 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए।

(ग) जी, नहीं। तथापि, बंगलौर में एक संग्रह केन्द्र खोला जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार से न्यूनतम स्टाफ और परिसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

गुजरात और राजस्थान में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

1960. श्री रतिलाल वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा गुजरात और राजस्थान में कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में पाये गये खनिज भण्डारों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने गुजरात और राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है :-

गुजरात

1. बड़ौदरा जिले के खंडिया क्षेत्र में तांबा गवेषण;
2. जामनगर जिले की अलेच पहाड़ियों में स्वर्ण नमूना विश्लेषण के उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले हैं,
3. बनासकांठा जिले में महत्वपूर्ण खनिज;
4. जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और अमरेली जिलों में चूना पत्थर ग्रेड का सीमेंट;
5. भड़ौच, राजापर्दी और वासतन क्षेत्रों में लिग्नाइट का अनुमानित कुल भंडार 4. मि. टन है; और
6. अतल गांव के समीप टंगस्टन के लिये किये गये गवेषण से 0.07 से 1.6 प्रतिशत टंगस्टन के भंडारों के संकेत

मिले हैं। रामपुरा, गंगवारा और कपासिया में कुछ संभावित क्षेत्रों का पता चला है।

राजस्थान

1. आधार धातुएं : उत्तरी सिन्देसर में किये गये अन्वेषण से 936.18 मि. टन अयस्क भंडार का अनुमान लगाया गया है जिसमें 4.7 प्रतिशत औसत का सीसा+जस्ता है और उत्तरी सिन्देसर पट्टी के दूसरे खण्ड में 7.34 मि. टन अयस्क भंडार का अनुमान है जिसमें औसतन 1.07 प्रतिशत सीसा, 2.42 प्रतिशत जस्ता, 32 पीपी एम एजी और 116 पीपीएम सी डी है। दक्षिण सिन्देसर पर्वत खण्ड में 5.90 प्रतिशत पीबी+जैड एन सहित 300 एम लम्बे खनिजीकृत क्षेत्र का अनुमान लगाया गया है। पाली जिले के चीतर खण्ड में तांबे के लिये किये गये अन्वेषण से 800 एम. लम्बे खनिजीकृत क्षेत्र का पता लगा है।

2. अजमेर जिले के सावर बाजता बेल्ट में आधार धातु गवेषण से सावर क्षेत्र के टीखी खंड के दक्षिण विस्तार में औसतन 200 पीपीवी 5.45 प्रतिशत पीबी, 85 पीपी एम ए जी स्वर्ण अंश सहित 3.0 मि. टन अयस्क भंडार के संकेत मिले हैं। उत्तरी टीखी विस्तार में 0.5 प्रतिशत सी. यू., 0.52 प्रतिशत पी बी और 0.64 प्रतिशत जैड एन और 200 पी पी वी (औसत) स्वर्ण अंश सहित 1.02 मि. टन अयस्क भंडार के संकेत मिले हैं। सिरोही जिले के पीपेला खण्ड में औसतन 0.5 प्रतिशत सी. यू, 0.25 पी पी एम ए यू सहित 1.13 मि. टन भण्डार का पता चला है।

3. पाली जिले के पिपालिया खंड में टंगस्टन और लीथियम गवेषण से 600 एमं और 400 एम के दो खनिजयुक्त क्षेत्रों का पता चला है जिनमें क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.11 प्रतिशत का डब्ल्यू ओ ग्रेड के तथा मोतिया खण्ड में, 1 प्रतिशत डब्ल्यू ओ सहित 200 एम लम्बे टंगस्टन वाले क्षेत्र का पता लगा है। लगभग 10 किमी. के लीथियम बहुल क्षेत्र का पता लगाया गया है।

4. स्वर्ण : सिरोही जिले के दनवा खण्ड में स्वर्ण के गवेषण से 0.18 से 2.57 पी पी एम स्वर्ण मूल्य का पता चला है। अंजारी खंड में 0.58 पी पी एम से 1.30 पी पी एम ए यू, पाया गया है, पिपेला खण्ड में 0.25 पी पी एम ए यू और 0.15 सी यू सहित 1.13 मि. टन स्वर्ण अयस्क का पता चला है। बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी-भूमिका क्षेत्र में दो यूरीफेरस क्षेत्रों में 0.32 प्रतिशत सी यू और 0.03 प्रतिशत सी.ओ. सहित 3.1 प्रतिशत पीपी एम से 1.95 पीप पी एम ए यू और दूसरे 2.95 पी पी एम ए यू की पुष्टि की गई है। आगे कार्य प्रगति पर है।

5. लिग्नाइट : बीकानेर जिले के कूचौर अथूनी और बनिया क्षेत्र में लिग्नाइट गवेषण से 3.15 से 7.9 एम लिग्नाइट का पता चला है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले रूग्ण एकक

1961. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले सभी रूग्ण एककों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1962. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर आज तक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ख) 1995-96 के दौरान कब तक राज्य के अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए जायेंगे तथा ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डी डी ए द्वारा भूमि अधिग्रहण

1963. डा. मुमताज अंसारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए नियत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि 1994-95 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए 130 करोड़ रुपये की धनराशि तय की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए तय की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रुपये करोड़ों में)

1991-92	1992-93	1993-94
46.30	25.63	77.35

[अनुवाद]

सौराष्ट्र में ढलवां लोहे की कमी

1964. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में ढलवां लोहे की कमी है;

(ख) इस श्रेणी में फाउन्ड्रियों की ढलवां लोहे की वार्षिक जरूरत कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ढलवां लोहे का वर्ष-वार कितना आबंटन किया गया; और

(घ) इस क्षेत्र के इस्पात उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु ढलवां लोहे के अतिरिक्त आबंटन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में कच्चे लोहे की कमी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों (फाउन्ड्रियों सहित) की कच्चे लोहे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा संबंधित राज्य के लघु उद्योग निगम को उनकी मांग, विगत समय में उठाए गए माल और प्रमुख उत्पादकों के पास कच्चे लोहे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। गुजरात की लघु उद्योग इकाइयों को वितरण करने के लिए गुजरात लघु उद्योग निगम को विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा किया गया आबंटन और पिछले 3 वर्षों के दौरान निगम द्वारा उठाए गए माल की मात्रा निम्नानुसार है :-

(लाख टन)

वर्ष	आबंटन	उठाया गया माल
1992-93	1.53	1.33
1993-94	1.29	0.60
1994-95	1.40	0.52 (अक्तूबर, 94 तक)

(घ) इस समय देश में कच्चे लोहे की कोई कमी नहीं है। 1.3.95 की स्थिति के अनुसार मुख्य उत्पादकों के पास लगभग 1.8 लाख टन कच्चे लोहे की माल सूची थी। देश में कच्चे लोहे की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने में मदद कर रही हैं। अप्रैल, 94 से फरवरी, 95 के दौरान कुल 24.8 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.5 प्रतिशत अधिक है। गौण उत्पादक, जो प्रमुख रूप से फाउण्ड्री ग्रेड के कच्चे लोहे का उत्पादन करते हैं, के उत्पादने में 167.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्चे लोहे का निर्बाध रूप से आयात करने की अनुमति है और पहले ही इस पर से शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि घरेलू उपलब्धता पर्याप्त होने के कारण अप्रैल-नवम्बर, 94 के दौरान केवल लगभग 800 टन कच्चे लोहे का आयात किया गया।

[हिन्दी]

रायपुर (मध्य प्रदेश) में हीरे की खानें

1965. **श्री खेलन राम जांगडे :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर के देवभोग क्षेत्र में हीरे की खानें कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) देवभोग की उन खानों का ब्यौरा क्या है, जहां खनन कार्य चल रहा है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार रायपुर में हीरा खनन कार्य को गैर-सरकारी क्षेत्र को या मध्य प्रदेश खनिज निगम को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

1966. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान टेलीफोन बिलों की बिना वसूली की गई राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी; और

(घ) आज तक ऐसे कितने मामले हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है और इनमें अन्तर्निहित राशि का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

वर्ष	वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि (करोड़ रूपयों में)	वृद्धि का प्रतिशत
1990-91	482	
1991-92	663	37.55
1992-93	906	36.65
1993-94	1158	27.81

(ग) बिल जारी करना और देयताएं वसूल करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और बकाया टेलीफोन राशियों की वसूली के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। बिल संबंधी विवादों/अदालती मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किए जाते हैं। अन्य मामलों में, पत्राचार/व्यक्तिगत दौरों तथा कानूनी कार्रवाई द्वारा भुगतान कराने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाना

1967. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के मुख्यालयों और कुछ राष्ट्रीय आयोग के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कब तक स्थानान्तरित कर दिए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने जून, 1988 में 25 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया। तदनन्तर, वायुदूत नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का कार्यालय दिल्ली में बने रहने की अनुमति दी गई थी। चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित हो चुके हैं। दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किए जाने वाले बकाया सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि, वास्तविक स्थानान्तरण भूमि की उपलब्धता, भवन का निर्माण, धन की व्यवस्था आदि बहुत से निर्धारक पहलुओं पर निर्भर करता है, अतः कोई समय-सीमा निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है।

विवरण

दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम

1. राष्ट्रीय बीज निगम लि.
2. भारतीय राज्य फार्मस् निगम लि.
3. सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन
4. भारतीय खाद्य निगम
5. हास्पीटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.
6. भारतीय हेलिकाप्टर निगम
7. एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लि.
8. भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
9. राष्ट्रीय उर्वरक निगम लि.
10. भारतीय उर्वरक निगम
11. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम
12. राष्ट्रीय जल-विद्युत ऊर्जा निगम
13. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.
14. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
15. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.
16. राज्य व्यापार निगम लि.
17. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
18. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि.
19. भारतीय सीमेंट निगम
20. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (दिल्ली, पंजाब व राजस्थान)

स्मारक टिकटें

1968. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से अनके भूतपूर्व सांसदों/स्वतंत्रता सेनानियों/पश्चिम बंगाल के अन्य प्रख्यात नेताओं की स्मृति में स्मारक टिकटें जारी करने के संबंध में अनेक सांसदों ने अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान ऐसे कितने अनुरोध प्राप्त हुए; और

(ग) ऐसे देशभक्त राजनीतिज्ञों/नेताओं/स्वतंत्रता सैनानियों की स्मृति में डाक-टिकटें कब तक जारी की जाएंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के विशिष्ट व्यक्तियों पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए, संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों की संख्या इस प्रकार है :—

1993 – 3
1994 – 8

(ग) ये 11 अनुरोध, 8 विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित थे। इनमें से 2 पर डाक-टिकट जारी किए गए। तीन प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ रखे जाएंगे। शेष तीन प्रस्ताव निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते इसलिए ये सार्थक नहीं बन पाए।

गुजरात में डाक सेवाएं

1969. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सभी गांवों और महत्वपूर्ण शहरों में डाक सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों और शहरों की अलग-अलग संख्या क्या है जिनमें डाक सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं; और

(ग) राज्य के शेष गांवों और शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। 8122 ग्रामों और सभी 266 शहरों में डाकघर सुविधा उपलब्ध हैं और इन डाकघरों द्वारा गुजरात के सभी ग्रामों और शहरों में डाक का दैनिक वितरण किया जा रहा है।

(ग) "योजना स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से नए डाकघर खोलकर डाक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान गुजरात के लिए 45 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 10 विभागीय उप डाकघरों की मंजूरी दी गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान, गुजरात में 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 12 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

शहरी क्षेत्रों का विकास

1970. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु शहरी आयोजकों से और अधिक प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या 23 फरवरी, 1995 को नई दिल्ली में मास्टर प्लान के बारे में विचार (एप्रोच), इसकी प्रभाविता और इसके विकल्प पर कोई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस कार्यशाला में विचार-विमर्श हुआ था और सरकार ने किन-किन शहरों के लिए मास्टर प्लान की स्वीकृति दी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 24-25 फरवरी, 1995 को "मास्टर प्लान एप्रोच" उपादेयता एवं विकल्प (इट्स इफिकेसी एण्ड एल्टरनेटिवस) पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ग) कार्यशाला में, विद्यमान मास्टर प्लान एप्रोच से सम्बद्ध समस्याएं सम्भव विकल्प, कस्बा/शहर, महानगर और जिला विकास आदि की प्रभावकारी योजनाओं को तैयार करने तथा क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया गया। नगर नियोजन राज्य का विषय है। योजनाओं का अनुमोदन और उनका संशोधन समय-समय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अभी तक लगभग 900 वृहद योजनाएं/विकास योजनाएं विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत तैयार की गई हैं, जबकि लगभग 300 कस्बों के लिए योजनाएं प्रारूप अवस्था में हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1971. श्री येल्लैया नंदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "एम एन सी एन्ट्री में क्लाग प्राइम रूट्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्द्धित परियात की मांग पूरी करने के लिए अंतःएक्सचेंज संचार सम्पर्कों में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में, दूरसंचार नेटवर्क का प्रचालन करने वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियों को उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सर्किल के भीतर अपना स्वयं का अंतःएक्सचेंज नेटवर्क स्थापित करना होगा। दूरसंचार विभाग भी एक चरणबद्ध तरीके से अपने नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। इस प्रकार टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज को जोड़ने वाले मार्गों पर सृजित की जा रही अतिरिक्त क्षमताओं से पूरा किया जा सकता है।

गुजरात में खनिज पर आधारित उद्योग

1972. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में स्थापित खनिज पर आधारित उद्योग का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-श्रीलंका समझौता

1973. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मूल के लोगों के संबंध में हुए भारत-श्रीलंका समझौतों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत मूल के कितने लोगों ने अब तक भारतीय नागरिकता के पंजीकरण हेतु आवेदन किया है और उनमें से कितने लोगों का अब तक पंजीकरण हो गया है और कितने लोग वास्तविक रूप से स्वदेश भेजे गए हैं;

(ग) भारत मूल के कितने लोगों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उनमें से कितने लोगों का पंजीकरण हो गया है;

(घ) 1994 के अन्त तक श्रीलंका और भारत के लोगों का कितने प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है; और

(ङ) भारत मूल के कितने लोग नागरिकता विहीन लोग हैं और समझौते के समय नागरिकता विहीन लोगों की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत-श्रीलंका करारों के अन्तर्गत कोलम्बो स्थित भारत के हाई कमीशन और कैंडी स्थित भारत के सहायक हाई कमीशन ने 28.2.95 तक भारतीय मूल के 5,92,918 व्यक्तियों को (इनमें से 4,20,319 व्यक्तियों को अभिलेख बद्ध होने के आधार पर और 1,72,599 व्यक्तियों को स्वाभाविक वंशवृद्धि के आधार पर) पंजीकृत किया है और उन्हें भारतीय नागरिकता दी है।

(ख) 1964 और 1974 के करारों के अन्तर्गत भारतीय मूल के कुल 5,06,000 (अभिलेखबद्ध) व्यक्तियों ने पंजीकरण और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोलंबो स्थित भारत के हाई कमीशन और कैंडी स्थित भारत के सहायक हाई कमीशन में आवेदन किया। इनमें से 4,20,319 व्यक्तियों को अभिलेखबद्ध होने के आधार पर और 1,72,599 व्यक्तियों को स्वाभाविक वंशवृद्धि के आधार पर अर्थात कुल 5,92,918 व्यक्तियों को 28.2.1995 तक पंजीकृत किया गया और उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई । इनमें से 31.12.94 तक 4,61,999 व्यक्ति प्रत्यावर्तित किये जा चुके हैं।

(ग) 1964 और 1974 के करारों तथा 1986 के समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका की सरकार ने भारतीय मूल के 4,69,000 (अभिलेखबद्ध) व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता देने के लिए सहमति व्यक्त की। श्रीलंका की सरकार ने 31.12.1988 तक 3,37,620 व्यक्तियों को (इनमें से 2,37,151 व्यक्तियों को अभिलेखबद्ध होने के आधार पर) तथा 1,00,469 व्यक्तियों को स्वाभाविक वंशवृद्धि के आधार पर श्रीलंका की नागरिकता दे दी थी। भारतीय मूल के शेष 2,31,849 राज्य विहीन व्यक्तियों को "राज्य विहिन व्यक्तियों को नागरिकता देने के सम्बन्ध में 1988 में पारित (विशेष प्रावधान) अधिनियम सं. 39" के अधीन श्रीलंकावासी मान लिया गया है।

(घ) श्रीलंका की नागरिकता देने का मुद्दा भारतीय नागरिकता देने के मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिसका परस्पर अनुपात 4 और 7 है। 31.12.1988 के बाद भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों ने श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त की है उनके पंजीकरण संबंधी आंकड़े श्रीलंका की सरकार ने नहीं दिए हैं। इसलिए भारतीय और श्रीलंका के कोटे की पूर्ति के बारे में प्रतिशत-अनुपात सम्बन्धी आंकड़े दे पाना संभव नहीं है।

(ङ) भारत-श्रीलंका करार के क्रियान्वयन के समय भारतीय मूल के 9,75,000 राज्य विहीन व्यक्ति श्रीलंका में रह रहे थे। "राज्य विहीन व्यक्तियों को नागरिकता देने के सम्बन्ध में 1988 में पारित (विशेष प्रावधान) अधिनियम सं. 39" के बाद शेष बचे व्यक्तियों को श्रीलंका का नागरिक मान लिया गया है और इस प्रकार भारतीय मूल के जिन राज्य विहीन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोलम्बो स्थित भारत के हाई कमीशन और कैंडी स्थित भारत के सहायक हाई कमीशन में आवेदन किया है, उन्हें छोड़कर श्रीलंका में भारतीय मूल का कोई राज्यविहीन व्यक्ति नहीं है। 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार, भारतीय मूल के 73,563 व्यक्तियों ने (इनमें से 70,044 व्यक्तियों ने अभिलेखबद्ध होने के आधार पर तथा 3519 व्यक्तियों ने स्वाभाविक वंशवृद्धि के आधार पर) भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया है लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मामले में कोई रूचि नहीं ली। मूल आंकड़े अर्थात् 9,75,000 की तुलना में उनका प्रतिशत अनुपात लगभग 7.5 प्रतिशत है।

टेलीफोन केबलों की चोरी

1974. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केबलों की चोरी के कारण देश में टेलीफोन नेटवर्क को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है और इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केबलों की चोरी और उनको नष्ट होने से रोकने हेतु पारम्परिक "कॉपर केबल" के स्थान पर "फाइबर आप्टिक केबल" का प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। विभाग, स्थानीय नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रयोग की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस

1975. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस की कमी के कारण कई उर्वरक संयंत्रों की विस्तार योजनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्राकृतिक गैस पर आधारित चालू उर्वरक संयंत्रों की संख्या कितनी है और इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन संयंत्रों के विस्तार और कुशल कार्यकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क), (ख) और (घ). आंवला (उत्तर प्रदेश) में इफ्को और विजयपुर (मध्य प्रदेश) में एन.एफ.एल. के संयंत्रों के विस्तार के लिए तथा शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में मै. बिन्दल एग्रो केमिकल्स लि. के नये संयंत्र को स्थापित करने के लिए भी प्राकृतिक गैस आवंटित पहले ही की जा चुकी है। कुछ अन्य प्रस्ताव हैं जिन पर केवल देश में गैस की उपलब्धता में वृद्धि या अन्य देशों से गैस के आयात के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है। इफ्को के फूलपुर (उत्तर प्रदेश) के विस्तारण जैसे कुछ अन्य प्रस्तावों की दोहरी फीड स्टाक के आधार पर योजनायें बनाई जा रही हैं ताकि जैसे ही प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें शुरू किया जा सके।

(ग) इस समय देश में नाइट्रोजन की 44.03 लाख टन की उत्पादन क्षमता वाले गैस पर आधारित 18 उर्वरक संयंत्र है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के निजी विद्युत संयंत्र

1976. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में केन्द्र सरकार की नीति और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) अब तक आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 12125 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिए 30 विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापन हेतु 26 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

1977. श्री चित्त बसु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात परियोजना गम्भीर संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में किस प्रकार का संकट है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की इस परियोजना को रेलवे विभाग द्वारा कम क्रयादेश दिए जाने के कारण यह संकट पैदा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। अप्रैल-94 से फरवरी, 95 के दौरान लुप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 87 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

रेलवे की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिया एवं धुरी संयंत्र को आधुनिक बनाया गया है। तथापि, रेलवे द्वारा दिए गए आर्डरों में कमी के कारण संयंत्र के उत्पादन-मिश्र के उत्पादन में भारी कमी करनी पड़ी।

(घ) यह मामला सतत रूप से भारतीय रेल के साथ उठाया जा रहा है। "सेल" निर्यात को शामिल करते हुए अन्य उपभोक्ताओं को सप्लाई करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

छोटे पुल और पुलिया

1978. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर अत्यधिक पुराने छोटे पुलों

और पुलियों के पुनर्निर्माण अथवा इन्हें अच्छी तरह से मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में पूरे किए जा चुके कार्यों और जहां कार्य अभी प्रगति पर है, उसका राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत पुराने पुलों और पुलियों को आवश्यकता के अनुसार उनकी पारस्परिक प्राथमिकता/संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बदला जाता है अथवा सुदृढ़ किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) 353 छोटे पुलों को चौड़ा किए जाने/उनके पुनर्निर्माण कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा चुका है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए है।

विवरण -I

छोटे पुलों के ब्यौरे

(आठवीं योजना में चौड़ा किए जाने/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत 1 करोड़ रु. से कम लागत के कार्य)

क्र.सं.	राज्य	पूरे किए गए	प्रगति पर
1.	असम	-	3
2.	बिहार	-	6
3.	गुजरात	-	4
4.	हिमाचल प्रदेश	-	8
5.	केरल	-	1
6.	मध्य प्रदेश	-	2
7.	महाराष्ट्र	-	9
8.	मेघालय	-	4
9.	उड़ीसा	-	3
10.	राजस्थान	-	3
11.	तमिलनाडु	1	8
12.	उत्तर प्रदेश	-	3
13.	पश्चिम बंगाल	3	1
		4	55

विवरण-II

पुलियों के ब्यौरे

(आठवीं योजना में स्वीकृत)

क्र.सं.	राज्य	पूरे किए गए	प्रगति पर
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	13
2.	असम	-	8
3.	बिहार	-	2
4.	हरियाणा	-	1
5.	हिमाचल प्रदेश	-	1
6.	मध्य प्रदेश	-	3
7.	महाराष्ट्र	-	6
8.	मणिपुर	-	2
9.	मेघालय	-	8
10.	नागालैण्ड	-	1
11.	उड़ीसा	-	6
12.	राजस्थान	-	2
13.	तमिलनाडु	-	5
14.	उत्तर प्रदेश	-	13
15.	पश्चिम बंगाल	-	10
	कुल	2	81

उर्वरकों की कमी

1979. **कुमारी ममता बनर्जी :**
श्री सी. श्रीनिवासन :
डा. असीम बाला :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान देश में उर्वरकों की कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार विनिर्माताओं को उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता हटा लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, जो कि मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत आता है, सरकार द्वारा सुनिश्चित

की जाती है। चालू रबी मौसम के समाप्त होने तक देश में यूरिया के भण्डारण के पर्याप्त रूप से संतोषजनक होने की संभावना है। 1995-96 में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि प्रत्याशित है और स्वदेशी उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अन्तर जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किए गये आबंटन में दर्शाया गया है, को आयातों से पूरा किया जाता है।

विनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता बाजार शक्तियों द्वारा शामिल की जाती है। 1995-96 के लिए देश में फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के अथशेष भण्डारों के पर्याप्त रूप से संतोषजनक होने की संभावना है।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आवास योजनाओं में पूंजी निवेश

1980. श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को भारत में आवास निर्माण योजनाओं में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अनिवासी भारतीयों की भागीदारी पहले से ही है और निकट भविष्य में वे किन-किन परियोजनाओं में पूंजी निवेश करेंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) आवास और स्थावार सम्पदा विकास में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक स्कीम तैयार की है। यह स्कीम व्यक्तिगत अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीयता मूल के अनिवासियों द्वारा अधिकांशतः स्वामित्व वाली विदेशी निगमित निकाय ओवरसिज् "कारपोरेट बाडीज" के लिए खुली है।

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनमें एन आर आई/ओ सी बी द्वारा निवेश किया जा सकता है, इस प्रकार हैं:

(I) दो मकानों तक प्रत्यावर्तन के लाभ सहित भारत में रिहायशी संपत्तियों का स्वामित्व।

(II) सेवायुक्त भूखण्डों का विकास और ईमानदार रिहायशी परिसरों का निर्माण।

(III) स्थावर सम्पदा, जिसमें व्यवसाय केन्द्रों और कार्यालयों सहित रिहायशी तथा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण शामिल है।

(IV) टाऊनशिप का विकास।

(V) सड़कों और पुलों सहित नगर स्तर शहरी अवस्थापना सुविधाएं।

(VI) भवन-निर्माण सामग्री उत्पादन इकाइयां। अधिमानतः प्री फैब ढांचों तथा अन्य सम्बद्ध मदों से सम्बन्धित।

(VII) उक्त (II) से (VI) में भारतीय बिल्डरों/उद्यमियों के साथ साझेदारी/सहयोगी उद्यम।

(VIII) आवास वित्त कम्पनियों में निवेश।

विशिष्ट परियोजनाएं राज्य स्तर पर प्रतिपादित और क्रियान्वित की जानी है।

यूरिया का आयात

1981. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उर्वरक एककों को यूरिया का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इसके लिये कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक एकक कितनी मात्रा में यूरिया आयात कर सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान एककों द्वारा फरवरी, 1995 तक कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). खरीफ 1994 के दौरान आयातित यूरिया की आवक में गिरावट को देखते हुए, सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों अर्थात्, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) और पाइराइट्स, फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि. (पी पी सी एल) को एम एम टी सी निर्दिष्ट सरणीबद्ध अभिकरण के प्रयासों को सम्पूरित करने के लिए वर्ष के दौरान यूरिया की सीमित मात्रा का आयात करने की अनुमति दी। एन एफ एल और पी पी सी एल को सी आई एस/खाड़ी मूल का यूरिया, एम एम टी सी के पारम्परिक आपूर्तिकर्त्ताओं से, जिन्होंने वर्ष 1993-94 और 1994-95 (सितम्बर 1994 तक) के दौरान एम एम टी सी को यूरिया की आपूर्ति की थी, नहीं खरीदने के लिए कहा गया था। एम एफ एल को भी एम एम टी सी के वचनबद्ध आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीद करने से मना किया गया। फरवरी, 95 तक, ये कम्पनियां यूरिया का कोई आयात नहीं कर सकी हैं। पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान यूरिया के आयात एम एम टी सी के माध्यम से असरणीबद्ध किए गए थे।

पूर्वोत्तर राज्यों में डाकघर

1982. श्रीमती बिभूं कुमारी देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1993-94 और वर्ष 1995 के दौरान अब तक, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने डाकघर खोले गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश में कुल कितने डाकघर खोले गए; और

(ग) प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में नए डाकघर खोलने के कुल कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं और ये प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में खोले गए डाकघरों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1995 के दौरान, आज तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 44 डाकघरों सहित, पूरे देश में 801 डाकघर खोले गए।

(ग) अरुणालच, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में नए डाकघर खोलने का एक-एक प्रस्ताव लंबित है। इन प्रस्तावों को डाकघर खोलने के विभागीय मानदंड पूरे होने पर अनुमोदित किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में खोले गए डाकघरों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1993-94 के दौरान खोले गए डाकघर
1.	अरुणाचल प्रदेश	8
2.	मणिपुर	11
3.	मेघालय	8
4.	मिजोरम	6
5.	नागालैंड	5
6.	त्रिपुरा	6
	कुल	44

व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक टेलीफोन वर्ग

1983. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने आवासीय टेलीफोनों को व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक के रूप में वर्गीकरण करने का निश्चय किया है और महानगर टेलीफोन लिमिटेड आदि को अप्रैल, 1995 तक वर्गीकरण पूरा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वर्गीकरण का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक वर्ग के टेलीफोनों के लिए अधिक टैरिफ लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस वर्गीकरण से दूरसंचार विभाग को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा;

(च) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं और व्यापारी वर्ग ने दूरसंचार विभाग के उपरोक्त वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोष व्यक्त किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नई दिल्ली सहित सभी दूरसंचार सर्किलों में उपभोक्ताओं का व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए लक्ष्य तारीख अप्रैल, 95 के मध्य निश्चित नहीं की गई है।

(ख) जो टेलीफोन व्यापार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें व्यापार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। एक व्यक्ति के निवास पर केवल एक टेलीफोन ही गैर-व्यावसायिक माना जाएगा।

ऐसे वर्गीकरण की आवश्यकता परियात पैटर्न का अध्ययन करने और संरचना की गणना करने के लिए होती है।

(ग) अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ). कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। ये अधिकतर इस विषय पर उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त जानकारी से संबंधित हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग

1984. श्री के. मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट-कोझीकोड राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किए जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सांविधानिक रूप से भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। पालघाट-कोझीकोड सड़क एक राज्य सड़क है इसलिए यह केरल सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाएं

1985. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त सड़क परियोजनाओं की धीमी प्रगति/इनका कार्यान्वयन न किए जाने के कारण विश्व बैंक ने अपना ऋण रद्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजनाएं

1986. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री लाल बहादुर रावल :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई विभिन्न आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब शुरू की गई थी;

(ख) इनमें से पूरी हो चुकी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और श्रेणीवार अब तक कुल कितने फ्लैट आवंटित किए गये हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कोई ऐसी नई योजना शुरू की है, जिसमें आवेदकों के लिए पंजीयन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई पुरानी योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(च) यदि हां, तो पुरानी योजनाएं अभी तक लम्बित रहने के बावजूद नई योजनाएं शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजनाएं शुरू किये जाने से पूर्व पहले से चल रही योजनाओं को पूरा कराने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजनाओं और प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित फ्लैटों की श्रेणीवार कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में "विस्तार योग्य आवासीय योजना-1995 की घोषणा की। योजना आम जनता के लिए खुली थी। तथापि, न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना, 1979 एवं अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के पंजीकृत व्यक्ति भी योजना पुस्तिका में उल्लिखित निर्धारित प्राथमिकता संख्या तक के एल.आई. जी. एवं एम.आई.जी. श्रेणी के लिए आवेदन करने के पात्र थे। नए आवेदकों को 15,000/- रु. की प्रारम्भिक राशि जमा करानी आवश्यक थी जबकि न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना एवं अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को यह राशि जमा करवानी आवश्यक नहीं थी।

(ङ) न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना, 1979 एवं अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का बैकलॉग है तथा प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	एल.आई.जी.	एम.आई.जी
न्यू पैटर्न की पंजीकरण योजना,1979	19248	13415
अम्बेडकर आवास योजना, 1989	8027	6512

(च) विस्तार योग्य मकारन प्रारम्भ में न्यू पैटर्न की पंजीकरण योजना, 1979 एवं अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के पंजीकृत व्यक्तियों को दिए गए थे। चूंकि स्वीकृति दर बहुत कम थी, इसलिए विस्तार योग्य आवासीय योजना, 1995 की घोषणा की गयी तथा उसे सबके लिए खोला गया। तथापि, इस योजना में उक्त दोनों योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। जहां तक स्ववित्त पोषित आवासीय योजना-VII, 1995 का सम्बन्ध है, इसकी घोषणा श्रेणी-II के एस.एफ.एल. फ्लैटों के देने के लिए की गयी थी जिनके लिए कोई बैकलॉग नहीं था।

(छ) और (ज). दिल्ली विकास प्राधिकरण की आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. श्रेणियों के सभी प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट देने की योजना है बशर्ते कि भूमि एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण-I

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1969	बन्द
2.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1971-72	बन्द
3.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1972	बन्द
4.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, (अनु.जा./अनु.ज.जा.), 1973	बन्द

1	2	3
5.	सामान्य आवास पंजीकरण योजना, 1976	बन्द
6.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-I, 1977	बन्द
7.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-II, 1978	बन्द
8.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-III, 1979	बन्द
9.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-IV, 1981	बन्द
10.	सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की विशेष योजना (एस.एफ.एस.), 1981	बन्द
11.	सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की विशेष योजना (एस.एफ.एस.), 1983	बन्द
12.	सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1982	बन्द
13.	सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य आवास पंजीकरण योजना-1983	बन्द
14.	न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना-1979	सजीव/खुली
15.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-V, 1982	बन्द
16.	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना-VI, 1985	बन्द
17.	अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए अम्बेडकर आवास योजना, 1989	खुली
18.	स्व वित्त पोषित आवास योजना-VII, 1995	बन्द
19.	विस्तार योग्य आवास योजना-1995	खुली

विवरण-II

डी.डी.ए. की विभिन्न योजनाओं के तहत आवास विभाग द्वारा दिनांक 31.03.94 तक किये गये फ्लैटों का आबंटन

	जनता	एल.आई.जी.	एम.आई.जी.	एसएफएस
सामान्य आवास योजना	17717	22791	25082	-
न्यू पैटर्न की योजना, 1979	57428	46290	29308	-
अम्बेडकर आवास योजना-1989	1466	1857	-	-
स्व वित्त पोषित योजना	-	-	-	39567
योग	76611	70938	54390	39567

भारतीय कम्पनियों के विरूद्ध शिकायतें

1987. श्री तारा सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के भारतीय मिशन के पास भारतीय सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों के खिलाफ उनकी गलतियों तथा उनके परिणामस्वरूप विदेशी कम्पनियों को हुए घाटे के संबंध में विदेशी उद्यमियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों के इस रवैये की वजह से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में अविश्वास उत्पन्न होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा सरकार द्वारा मामले को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार को जर्मनी की कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरूद्ध की गई कुछ वाणिज्यिक शिकायतों के बारे में जानकारी है। वाणिज्यिक किस्म की शिकायतों का निपटान मुख्य रूप से सम्बद्ध पक्षों द्वारा स्वयं किया जाता है। जहां कहीं भी आवश्यक होता है सरकार इस प्रकार के मतभेदों को दूर करने के लिए यथासंभव मदद करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघर भवन

1988. श्री दत्ता मेघे :

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और बिहार में किन-किन स्थानों पर कितने डाकघर भवनों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में 29 डाकघर भवनों और बिहार में 14 डाकघर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिन स्थानों पर ये भवन बनाए जा रहे हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान पूरा हो जाएगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

विवरण

निर्माणाधीन डाकघर भवनों के नाम

महाराष्ट्र

1. डाकघर भवन, अहमदनगर
2. डाकघर भवन, किनवात नानदेड़
3. प्रधान डाकघर भवन का विस्तार, धुले
4. सिद्धार्थ नगर डाकघर , गोरेगांव
5. मीरा रोड डाकघर और एस.पी.एम. क्वार्टर
6. कानाकोना डाकघर भवन
7. खेड डाकघर भवन और एस.पी.एम. क्वार्टर
8. साओनेर डाकघर भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स
9. गोण्डिया प्रधान डाकघर भवन एवं एस.पी.एम. क्वार्टर
10. भण्डारा प्रधान डाकघर भवन (पुनः निर्माण)
11. वानी डाकघर भवन
12. सिरांचा डाकघर भवन
13. सक्करदारा डाकघर एवं एस.पी.एस. क्वार्टर
14. काम्पटी प्रधान डाकघर भवन अनुप्रस्थ विस्तार
15. यवतमाल प्रधान डाकघर भवन अनुप्रस्थ विस्तार
16. खामगांव प्रधान डाकघर भवन (पुनः निर्मित)
17. घटजी डाकघर भवन एवं एस.पी.एम. क्वार्टर
18. रिसोद डाकघर भवन एवं एस.पी.एम. क्वार्टर
19. जलगांव जामोद डाकघर भवन एवं स्टाफ/क्वार्टरस्
20. नेदगांव-काजी डाकघर भवन एवं एसी.पी.एम. क्वार्टर
21. कोरेगावं डाकघर भवन एवं एस.पी.एम. क्वार्टर
22. माधा डाकघर भवन एवं एस.पी.एम. क्वार्टर शोलापुर
23. पिम्परी डाकघर पेन्सिलीन फैक्टरी (अनुप्रस्थ विस्तार)
24. पी ओ एन टी डी पुणे
25. कोलनगुटे डाकघर (गोवा क्षेत्र)
26. जलगांव प्रधान डाकघर (औरंगाबाद क्षेत्र)
27. शंकर नगर (नागपुर क्षेत्र)
28. मोरशी
29. धमनगांव

बिहार

1. डाकघर भवन, बौद्ध गया
2. डाकघर भवन, लक्खीसराय
3. डाकघर भवन, जमालपुर
4. डाकघर भवन, बड़हारा
5. डाकघर भवन, वार
6. डाकघर भवन, बोकारो सेक्टर VI
7. डाकघर भवन, टोटो, गुमला
8. डाकघर भवन, गंझी, छपरा
9. डाकघर भवन, रघुनाथपुर
10. डाकघर भवन, सिलहट
11. डाकघर भवन, सिमरी बख्तियारपुर
12. डाकघर भवन, पकड़ी भवन
13. डाकघर भवन, चकई
14. डाकघर भवन, लौड़िया

[अनुवाद]

विदेशी सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1989. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खण्डूरी :
श्री अन्ना जोशी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में उदारीकरण प्रक्रिया शुरू किये जाने के समय से विदेशी सहयोग से अथवा विदेशी कंपनियों द्वारा देश में शुरू किए गये खाद्य प्रसंस्करण एककों/उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उदारीकरण के कारण खाद्य प्रसंस्करण एककों/उद्योगों में पूंजी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(घ) क्या इन उद्योगों की कोई निर्यात प्रतिबद्धताएं थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एककों ने निर्यात संबंधी प्रतिबद्धताओं को कहां तक पूरा किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). जुलाई, 1991 में उदारीकरण करने से लेकर अब तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी तथा घरेलू दोनों निवेशों

को बढ़ावा मिला है। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). वर्तमान उदारीकृत नीति निर्यात दायित्व के अनुसार लाभांश सन्तुलन, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के तटस्थीकरण तथा कुछ मामलों में कतिपय मूल्य की वस्तुओं के निर्यात लक्ष्य सात से दस वर्ष तक के होते हैं। जब से ये शर्तें प्रभावी हुई हैं इस मंत्रालय में इन्हें पूरा न करने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विवरण

उदारीकरण से लेकर अब तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव

(धनराशि करोड़ रु. में)

उप क्षेत्र	अनुमोदन (संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/ औद्योगिक लाइसेंस/100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट आदि			औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	
	संख्या	**कुल निवेश**	**विदेशी निवेश**	**संख्या**	**कुल पूंजी निवेश**
अनाज मिलिंग तथा अनाज आधारित उत्पाद	36	531	311	163	4004
फल तथा सब्जी उत्पाद	155	1240	203	182	1872
मांस और पाल्ट्री	30	1085	291	39	216
गहन समुद्री मत्स्यन, मछली प्रसंस्करण तथा एक्वाकल्चर	150	2050	536	62	303
फरमेन्टेशन उद्योग	162	1401	195	276	5727
साफ्ट ड्रिंक्स/वाटर/ कन्फेशनरी आदि सहित उपभोक्ता उद्योग	19	905	720	199	3697
दूध और दूध से बने उत्पाद	6	297	210	914	11960
खाद्य योग्य, स्वाद आदि समेत अन्य	9	170	62	-	-
खाद्य तेल/तिलहन	-	-	-	1211	10630
जोड़	587	7679	2529	3046	38409

[हिन्दी]

भूतपूर्व संसद सदस्यों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सरकारी आवास पर कब्जा

1990. **श्री ललित उरांव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व संसद सदस्यों भूतपूर्व राज्यपालों, सरकारी अधिकारियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कब्जे वाले सरकारी आवास का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी आवास पर कब्जा करने वाले राजनैतिक दलों, स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर बकाया राशि की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इन आवासों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गये हैं और इनके क्या परिणाम निकले?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत वास खाली करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

विवरण

1.1.95 की स्थिति के अनुसार सरकारी वास पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए पूर्व मंत्रियों/पूर्व राज्यपालों/पूर्व सरकारी अधिकारियों/अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ब्यौरे

क्र.सं.	आवंटी का नाम (सर्व/श्री)	वास का विवरण
1.	के.सी. लेंका	5, वी.आर. मेहता लेन
2.	पूर्व राज्यपाल श्री सुरेन्द्रनाथ का परिवार	68, लोधी एस्टेट
3.	भीष्मनारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल	सी VI, पण्डारा पार्क
4.	श्रीमती इन्द्रानी देवी	6, कृष्ण मेनन मार्ग
5.	देवी लाल, पूर्व उप प्रधान मंत्री	16, तुगलक रोड
6.	श्रीमती चित्रा नारायण	11, ताल कटोरा रोड़
7.	एस. कानूनगो	ए बी-83, शाहजहां रोड़
8.	रवीन्द्र नायक	सी-6-3, शाहजहां रोड़
9.	एस.वी.रमेश बाबू	सी-2-3, शाहजहां रोड़
10.	सी.वी. गौतम	सी-II/29, मोती बाग
11.	एच.एन. शर्मा	सी-II/151, चाणक्यपुरी (उन्नत)
12.	आर.सी. जैन	सी-II/81, मोती बाग
13.	एस.के. पाण्डेय	सी-II/46, शाहजहां रोड़
14.	एस.डी. शर्मा	सी-II/13, मोती बाग
15.	एस.के.एन. नायर	सी-II/73, बापा नगर
16.	वी. सोमय्या	सी-II/20, बापा नगर
17.	एस.पी. वागला	सी-II/33, तिलक मार्ग
18.	एन.सी. गुप्ता	I-I (एमएस) शाहजहां रोड़

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी पर सेमिनार

1991. श्री पी.सी. चाको : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटैक्कर ने हाल ही में पारिस्थितिकी पर सेमिनार आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या शहरी पर्यावरण में तेजी से ह्रास के कारण पर्यावरण की स्थिति खराब हुई है तथा गरीबी एवं कठिनाइयों में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सेमिनार में कुछ सुझाव दिये गए;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सुझावों पर अमल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। तथापि, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर द्वारा 7-10 फरवरी, 1995 के दौरान "शहरी पर्यावरण" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

(ख) सेमिनार में सात विषयों पर विचार-विमर्श किया गया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :— (I) पर्यावरणीय संसाधन तथा शहरी क्षेत्र (II) भूउपयोग तथा पर्यावरण सम्बन्धी परिचर्चा (III) शहरी पर्यावरण स्वरूप का प्रतिमान निर्माण (IV) शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा का सदुपयोग, (V) शहरी क्षेत्रों के लिए अवस्थापना तथा जन सुविधाएं (VI) शहरी क्षेत्र और प्रदूषण तथा (VII) शहरी क्षेत्रों का पर्यावरणीय स्तर। सेमिनार का मुख्य लक्ष्य, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को शहरी विकास प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने की संभावनाओं का पता लगाना था।

(ग) जी, हां।

(घ) सेमिनार में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम लागत वाली प्रौद्योगिकी

1992. श्री महेश कनोडिया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसाधित खाद्य पदार्थों के भंडारण, संसाधन और विपणन के संबंध में कम लागत वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). सरकार भण्डारण, प्रसंस्करण, पेकेजिंग और विपणन के संबंध में कम लागत वाली/लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहन/सहायता देकर कम लागत वाली प्रौद्योगिकी को अपना रही है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और कुछ अन्य अनुसंधान संस्थानों ने मंत्रालय के सहयोग से ऐसी अनेक कम लागत वाली/लागत प्रभावी प्रोद्योगिकी का पता लगाया है जिनका देश में विकास और विपणन किया जाना है। सरकार ने उद्यमियों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को भी उदारीकृत कर दिया है और ऐसे विदेशी प्रौद्योगिक करारों को स्वतः अनुमोदन की मंजूरी दी है जहां जानकारी, डिजाइन, ड्राइंग शुल्क आदि की कुल लागत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो। सरकार कार्यशालाओं, सेमिनारों, विचार-विमर्शों और साहित्य तथा राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के मार्फत कम लागत वाली/लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का भी प्रचार प्रसार कर रही है।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा

1993. श्री मंजय लाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण की स्थिति में दूरसंचार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार कर्मचारियों के हितों की रक्षा से संबंधित मुद्दों तथा दूरसंचार विभाग को निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा में आने से उत्पन्न चुनौतियों और उनके साथ बराबरी रखने हेतु प्रभावी नीतियों का निर्माण करने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक समिति का गठन किया है जिसमें दूरसंचार विभाग के तीन स्टाफ फेडरेशनें तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति ने ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए कई निर्णय लिए हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक संलग्न विवरण-I होंगे। दूरसंचार विभाग ने विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कार्यकुशलता का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए है जिन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना है ताकि उन्हें नई प्रोद्योगिकियों के संचालन के योग्य बनाया जा सके (संलग्न विवरण-II) इस प्रक्रिया से दूरसंचार विभाग के कर्मचारी अभिरूचिपरक परिवर्तन और दक्षता उन्नयन द्वारा भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे।

विवरण-I

दूरसंचार सुधार समिति के निर्णय

(एक) दूरसंचार विभाग द्वारा सूचना विवरणिका वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाएगी। जिसमें नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन करने, उनको शिफ्ट करने, अतिरिक्त उपसाधनों, प्रतीक्षा सूची, भविष्य योजना तथा वाणिज्यिक सूचना के बारे में जानकारी होगी।

(दो) देश में कहीं से भी नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण संभव हो जाएगा। मानक फार्मेट सभी ग्राहक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे।

(तीन) तीसरी पार्टी को टेलीफोन दिए जाने/उनके वैध स्थानांतरण की पद्धति को कारगर बनाया जाएगा ताकि चार सप्ताह के समय के भीतर आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे मामलों में जिन टेलीफोनों का स्थानांतरण किया गया है, बिलों का निपटान शीघ्रता से किया जाएगा।

(चार) किराएदार द्वारा मकान मालिक के टेलीफोन के प्रयोग करने की मौजूदा पद्धति को सरल बनाया जाएगा। मकान मालिक और किराएदार से शुल्क के रूप में 100/- रु. सहित एक संयुक्त घोषणा अनुबंधित अवधि के लिए पर्याप्त होगी।

(पांच) इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जुड़े टेलीफोनों की सुरक्षा अभिरक्षा की जाएगी जब ये अभिरक्षा 6 माह या उससे अधिक की हो। सुरक्षा अभिरक्षा का पुनः स्थापन एक माह के भीतर किया जाएगा।

(छः) मौजूदा व्यवस्थाओं के अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए बैंकों का प्रयोग किया जाएगा।

(सात) अधिक से अधिक ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जाएंगे ताकि ग्राहकों की अधिकांश आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की सेवा सुविधा प्रदान करने वाली उपभोक्ता से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जा सके। ग्राहक सेवा केन्द्र 1,500 लाइनों या उसे अधिक की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्रों में खोले जाएंगे

(आठ) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सरलीकृत प्रपत्रों का प्रयोग किया जाएगा।

(नौ) इन सेवाओं से अधिक बिल आने या अधिक समय तक टेलीफोनों के खराब पड़े रहने जैसे मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार के धन की वापसी 60 दिनों के भीतर

कर दी जाएगी। इस अवधि के बाद विलंब होने के मामले में ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(दस) जहां भी एस टी डी/आई एस डी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां से सुविधाएं उपभोक्ता के आवेदन पर 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।

(ग्यारह) अप्राधिकृत रूप से की जाने वाली कालों तथा उपस्करों की हेरा-फेरी को रोकने के लिए सतर्कता दलों का गठन किया जाएगा।

(बारह) वर्ष 1995-96 में समुन्नत ग्राहक सेवा पर अधिक जोर दिया जाएगा।

विवरण-II

समूह "ग" और "घ" स्टाफ के लिए प्रशिक्षण स्कीम

1. **पुनर्गठित संवर्गों के लिए प्रशिक्षण :** इस पुनर्गठन स्कीम के अंतर्गत, फोन मैकेनिक, दूरसंचार तकनीकी सहायकों और वरिष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायकों के पुनर्गठित संवर्गों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण योजना निम्नानुसार है :—

- फोन मैकेनिकों के लिए स्विचन/बाह्य संयंत्र क्षेत्र में 12 सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण।
- स्विचन/पारेषण/बाह्य संयंत्र क्षेत्र में 13 सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण।
- कम्प्यूटर प्रचालन के क्षेत्र में वरिष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक को 4 सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण।

2. **पुनर्गठित संवर्गों के लिए विकल्प न देने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण :** समूह "ग" और "घ" के शेष कार्मिकों, जो न तो अपना विकल्प देंगे और न ही पुनर्गठित संवर्ग के लिए पात्र होंगे, उनके कौशल का उन्नयन करने के लिए एक प्रशिक्षण योजना बनाई गई है ताकि वे प्रशिक्षण के बाद उस क्षेत्र में अत्याधुनिक उपस्कर का संचालन करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण स्कीम निम्नानुसार है :—

(क) नियमित मजदूरों/लाइनमैनों/वायरमैनों/उप-निरीक्षकों के लिए : 3 सप्ताह के प्रशिक्षण मॉड्यूल जिसमें 34 वीडियो पैकेज शामिल हैं।

(ख) टेलीफोन आपरेटर/दूरसंचार कार्यालय सहायक/तार सहायक/टेलीग्राफिस्ट के लिए : 3 सप्ताह के प्रशिक्षण मॉड्यूल जिसमें 29 वीडियों पैकेज और कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटी) शामिल हैं।

ये प्रशिक्षण 265 गौण स्विचन क्षेत्र मुख्यालयों में प्रदान किए जाएंगे।

समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य दो पारियों में चलाकर प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमताओं में वृद्धि करके तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो, शाखा प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर 3 वर्ष की समय सीमा में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

हज यात्रा

1994. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने हज यात्रा के लिए सभी आवेदकों को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) हवाई मार्ग तथा समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(घ) हवाई मार्ग तथा समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को अलग-अलग गत वर्ष कितनी राजसहायता प्रदान की गयी थी तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी राजसहायता दी जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार ने केन्द्रीय हज समिति के प्रबंधों के अन्तर्गत हज पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए हज 1995 का कोटा बढ़ाकर 31,000 कर देने का निर्णय लिया है। हज 1994 का कोटा 25,000 निर्धारित किया गया था।

(ग) 1995 में केन्द्रीय हज समिति के प्रबंधों के अन्तर्गत हज पर जाने वाले सभी हज यात्री विमान से यात्रा करेंगे।

(घ) हज 1994 के लिए सरकार ने विमान से जाने वाले हज यात्रियों के संबंध में अधिकतम 5000/- रुपये प्रति व्यक्ति यात्रा खर्च वहन किया था। समुद्री जहाज से यात्रा करने के मामले में सरकार हज यात्रियों के किराये और अतिरिक्त सामान के प्रभारों से होने वाली आय की कटौती करने के बाद जहाज को चलाने की कीमत का भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार उन चार्टर विमानों/जहाजों के लिए भुगतान करती है जिनकी व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन से एम.वी. निकोबार वापस लिये जाने के स्थान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और मुख्य भूमि के बीच के लिए की जाती है जो यह भुगतान भी अंडमान एवं निकोबार के यात्रियों से होने वाली आय की कटौती करने के बाद किया जाता है। हज 1994 के लिए केवल चार्टर विमानों की व्यवस्था एम.वी. निकोबार को हटा लिये जाने के स्थान पर की गई थी। इन पर जहाज से जाने वाले प्रति हज यात्री का औसत खर्च हज 1994 के लिए 32000/- रुपये आया।

हज 1995 के लिए इस संबंध में निर्णय अभी लिया जाना है कि सरकार विमान यात्रा से संबंधित कितना व्यय वहन करेगी।

एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण

1995. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और मुम्बई के बीच एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण पर होने वाले अनुमानतः व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब से शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). इस समय अहमदाबाद और वड़ोदरा के बीच एक एक्सप्रेस मार्ग निर्माणाधीन है। बड़ोदरा-बम्बई एक्सप्रेस मार्ग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से ब्यौरेवार इंजीनियरी शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण पूरा करने पर लगभग 312.11 करोड़ रु. के व्यय होने की संभावना है।

(घ) अहमदाबाद और वड़ोदरा के बीच निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है और मार्च, 1998 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

गुजरात में इस्पात संयंत्र

1996. श्री हरिन पाठक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने का विचार छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). गुजरात में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। लोहा अथवा इस्पात इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्र की सीमा के 25 कि.मी. के भीतर स्थित न हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1997. श्री सुधीर सावंत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का सही रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के तहत 15.6.1989 से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और प्रबंधन का कार्य सौंपा है तथा इससे संबंधित अथवा इसके आनुषंगिक मामलों का कार्य भी प्राधिकरण को देखना है।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन लक्ष्य

1998. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में 30 सितम्बर, 1994 तक कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया;

(ग) उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उर्वरक उत्पादन की मध्यावधि समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) आठवीं योजना के लिए उर्वरकों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य योजनावधि के अंतिम वर्ष के अंत तक न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में 98.00 लाख टन नाइट्रोजन और 30.00 लाख टन फास्फेट है।

(ख) 1993-94 और 1994-95 (30 सितम्बर, 1994 तक) में

लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन और प्राप्त लक्ष्यों की प्रतिशतता नीचे दी गयी है :—

(लाख टन में)

वर्ष	लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन		लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रतिशतता	
	नाइट्रोजन	फास्फेट्स	नाइट्रोजन	फास्फेट्स	नाइट्रोजन	फास्फेट्स
1993-94	78.00	22.00	72.31	18.16	92.7	82.5
1994-95 (30.9.94 तक)	39.86	11.69	37.51	11.63	94.1	99.5

(ग) उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार के इफको के आंवला (उत्तर प्रदेश) स्थित यूरिया संयंत्र तथा विजयपुर (मध्य प्रदेश) स्थित नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) के यूरिया संयंत्र की क्षमता को दुगुनी करने, मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) के अमोनिया/यूरिया/एन पी के संयंत्रों, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (कोचीन) के 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र के पुनरूद्धार और कलोल (गुजरात) स्थित इफको के अमोनिया-यूरिया संयंत्र की विस्तार परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मैसर्स बिन्दल एग्रो कैमिकल्स लि. भी शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में गैस पर आधारित एक अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगा रहा है जिसके 1995-96 के उत्तरार्ध में चालू किए जाने की आशा है। इन परियोजनाओं से 4497 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 25.2 लाख टन यूरिया और 3 लाख टन कम्पलैक्स फर्टिलाइजर के योगदान मिलने की आशा है।

(घ) और (ङ). देश में उर्वरक उत्पादन की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

हीरे की खानें

1999. श्री प्रेम चन्द राम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुछ नई हीरे की खानें खोली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये खानें कहां-कहां हैं और इन खानों में अनुमानतः हीरे का कितना भंडार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गए क्षेत्रीय गवेषण के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के कोदामाली के दक्षिण-पूर्व तथा जांगरा, पायालीखंड, बाहराडीह स्थानों पर तथा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के चिगिचेरला के पास हीरे के संकेत मिले हैं। बाहराडीह तथा पायालीखंड में 10 सैंट वजन वाले हीरे के चार टुकड़े तथा चिगिचेरला में 0.38 कैरट तथा 0.67 कैरट के दो हीरे मिले हैं। निक्षेप संगणना के लिए अग्रिम कार्य जारी है।

[अनुवाद]

खनन परियोजनाओं में निवेश

2000. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में देश में खनन गतिविधियों के विकास के लिये परियोजनावार और राज्य-वार कितना स्वदेशी और विदेशी निवेश किया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में खनन कार्यों को करने हेतु मंजूर की गई संयुक्त उद्यम वाली बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्यमों का खनिज उत्पादन तथा निर्यात और रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में क्या प्रभाव पड़ेगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्पीड पोस्ट सेवा

2001. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। सभी राज्यों की राजधानियां, केवल चार राजधानियों, यथा आईजोल गंगटोक, इटानगर और कोहिमा को छोड़कर, राष्ट्रीय नेटवर्क से और ये चारों प्वाइंट-टू-प्वाइंट लिंक से जुड़ी हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में डाकघर

2002. प्रो. के.वी. थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या नए डाकघर खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केरल में डाक सेवाओं द्वारा कुल कितनी डाक सामग्री पहुंचाई जाती है;

(ङ) क्या डाक सामग्री पहुंचाने में विलम्ब के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो डाक सामग्री को शीघ्रता से पहुंचाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल में 5039 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में 4 नए डाकघर खोलने और 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। कालीकट हवाई अड्डे के लिए एक विभागीय उप डाकघर की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ) केरल में डाक सेवाओं द्वारा 1,31,90,81,859 देशीय और 21,85,62,757 अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं का प्रतिवर्ष निपटान किया जाता है।

(ङ) डाक वस्तुओं के वितरण में विलंब के बारे में शिकायतें केवल यदा-कदा होती हैं। ऐसी शिकायतों का प्रतिशत 0.0003 है, जो कि नगण्य है।

(च) जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, विलम्ब के कारण का पता लगाने के लिए तत्काल जांच-पड़ताल की जाती है और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। विलंब को दूर करने के लिए डाक की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। डाक का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, जहां डाक को शीघ्र पहुंचाना अपेक्षित है, इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त अब प्राइवेट एयरलाइंस का भी उपयोग किया जा रहा है। जहां कहीं भी लाभदायक है, बस सेवाओं के उपयोग के लिए केरल राज्य सड़क परिवहन के साथ निकट संपर्क रखा जाता है।

खनन नीति

2003. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री राजेश कुमार :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ ने खनन नीति को और उदार बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मांगों की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). जी, नहीं। तथापि, भारतीय खनिज उद्योग संघ ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 को लागू करके इस अधिनियम की हाल ही में समीक्षा की गई थी। इसमें फिलहाल और कोई संशोधन परिकल्पित नहीं है।

सोडा

2004. श्री शरत पटनायक : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में सोडे की कुल कितनी मांग रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सोडे का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) रसायन उद्योग द्वारा सोडे की बढ़ती हुई औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) देश में कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की अनुमानित मांग नीचे दी गई है :—

मद	1993-94 (टन प्रतिवर्ष)	1994-95 (टन प्रतिवर्ष)
कास्टिक सोडा	10,80,000	11,20,000
सोडा ऐश	16,80,000	18,20,000

(ख) दो वर्षों के उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

मद	1993-94 (टन प्रतिवर्ष)	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक अनुमानित) (टन प्रतिवर्ष)
कास्टिक सोडा	10,79,700	8,65,100
सोडा ऐश	14,04,100	10,69,000

(ग) जहां तक सोडा ऐश का संबंध है। अप्रैल, 1978 से सोडा ऐश उद्योग लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है और ओ.जी.एल. के अन्तर्गत सोडा ऐश का आयात अनुमत्त है और वास्तविक उपभोक्ताओं और संघों के लिए भी आयात अनुमत्त है। जहां तक कास्टिक सोडा उद्योग का संबंध है, प्राप्त हुए औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों के आधार पर 1994 में लगभग 8.09 लाख टन प्रतिवर्ष और वर्ष 1995 के दौरान 1.2 लाख टन की क्षमता के आशय पत्र जारी किए गए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खिचड़ीपुर के फ्लैटों का गिराया जाना

2005. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दि मयूर विहार चरण एक में बहुत से फ्लैटों को उनके निर्माण के खराब होने के कारण गिरा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जिन्हें बहुत सी जांच समितियों की रिपोटों में घटिया किस्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी पाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फ्लैटों के गिराये जाने के कारण सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मयूर विहार चरण-I में 163 फ्लैट (265 फ्लैटों में से) और 220 फ्लैट (300 फ्लैटों में से) गिराये जाने हैं। क्योंकि उनका निर्माण घटिया है।

(ख) और (ग). इन दोनों निर्माण-कार्यों के ठेकेदारों को दिल्ली विकास प्राधिकरण में काली सूची में डाल दिया गया है तथा आगे निविदाएं भरने से वंचित कर दिया गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को 163 फ्लैटों बाबत 57.67 लाख रुपये तथा 220 फ्लैटों बाबत 125 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

बोकारो स्टील लिमिटेड में स्टील वैगन

2006. **श्री सूरज मंडल :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड में स्टील के वैगनों के आवंटन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है;

(ख) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड ने नवंबर-दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 माह में कुछ पार्टियों को बीस इस्पात के वैगन आवंटित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). बोकारो स्टील लिमिटेड में इस्पात के वैगनों के आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :—

मुख्य माल भाड़ा यातायात प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व रेलवे बोकारो इस्पात संयंत्र के दैनिक मांग-पत्र के आधार पर रैकों, जिनमें वैगनों की विभिन्न संख्या शामिल होती है, का प्रतिदिन आवंटन करता है। रैक का आकार 20-30 से 58 वैगन के बीच होता है और रेलवे द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। इन रैकों के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र उनके इस्पात उत्पादों को खरीदने वाली पार्टियों, अन्तर इस्पात संयंत्र के लिए "सेल" की अन्य इकाइयों और "सेल" के स्टाकयार्डों के पक्ष में वैगनों का आवंटन करता है।

नवम्बर, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान पार्टियों के लिए बुक किए गए 20 वैगन रैकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पार्टियों को आबंटित वैगनों का ब्यौरा

दिनांक	वैगनों की संख्या	उत्पाद	गंतव्य स्थान
1	2	3	4
नवम्बर, 1994			
16	20	तप्त बेल्लित क्वायल	राजेन्द्रा स्टील, कानपुर
30	20	तप्त बेल्लित क्वायल	रविन्द्रा, बिहार
दिसम्बर, 1994			
15	20	प्लेट/शीट	बी.एच.ई.एल, मुकन्द, रायपुरम
25	20	शीत बेल्लित क्वायल	आई.ओ.सी., हल्दिया
28	20	तप्त बेल्लित, शीत बेल्लित उत्पाद	स्टील ट्यूब ऑफ इण्डिया, देवास

1	2	3	4
29	20	शीत बेल्लित क्वायल	भात बर्ज, नैनी
29	20	शीत बेल्लित क्वायल	बामर लारी एण्ड कम्पनी
जनवरी, 95			
शून्य			

चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग

2007. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को यहां से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चंडीगढ़-मोहाली सड़क की अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़क के रूप में पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ से गुजरने वाले रा.रा. सं. 21 के विकास और रख-रखाव के लिए 1994-95 के दौरान 40.00 लाख रु. की राशि आंवटित की गई है।

(ग) और (घ). चूंकि चंडीगढ़ मोहली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 का एक भाग है इसलिए यह सड़क अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़क की श्रेणी में नहीं आती है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश

2008. **श्रीमती शीला गौतम : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं में पूंजीनिवेश हेतु अनिवासी भारतीयों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या जो भारतीय छः महीनों तक विदेशों में रहे हैं वे अनिवासी भारतीयों का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वे भारतीय परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(ग) क्या ऐसे अनिवासी भारतीयों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य बिजली बोर्डों में संसाधनों की कमी के सन्दर्भ में तथा तेजी से बढ़ती हुई विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के वास्ते विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से 1991 में एक नीति तैयार की गई थी और इस समय यह क्रियान्वयनाधीन है। यह नीति भारतीय तथा विदेशी, अनिवासी भारतीय निवेशकों सहित, दोनों को ही विद्युत परियोजनाएं लगाने की अनुमति प्रदान करती है। इस नीति के अनुरूप विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एक बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य भारतीय तथा विदेशी प्रवर्तकों (जिसमें अनिवासी भारतीय और संयुक्त उद्यम प्रस्ताव शामिल हैं) को सौंपा गया है। वे सभी भारतीय तथा विदेशी प्रवर्तक, एन आर आई सहित, जो पहले विद्युत क्षेत्र में क्रियाशील नहीं थे और अब निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित कर रहे हैं। अपनी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु उपयुक्त विद्युत कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना सुनिश्चित कर रहे हैं।

बरेली उत्तर प्रदेश हेतु नया सर्कल

2009. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली, उत्तर प्रदेश में संचार के नए सर्कल की स्थापना हेतु कई जन प्रतिनिधियों और संस्थानों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुछ अभ्यावेदनों की जांच की गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्कल का मुख्यालय देहरादून में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लंबित अभ्यावेदनों पर अंतिम जवाब एक महीने के भीतर जारी कर दिए जाने की आशा है।

विवरण

कुछ जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्रमांक	दिनांक	जन-प्रतिनिधियों संस्थाओं के नाम
1.	9.12.1994	राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली
2.	12.12.1994	श्री संतोष गंगवार, संसद-सदस्य (लोक सभा), बरेली
3.	20.2.1995	श्री भगवान शंकर रावत, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति
4.	20.2.1995	श्री भगवान शंकर रावत, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

2010. **श्री अंकुशराव टोपे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में गठित जोशी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित की गई जोशी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि 1997 तक मांग पर टेलीफोन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों में संपूरक भूमिका का निर्वाह करने हेतु निजी प्रचालकों द्वारा निवेश की गुंजाइश है।

(ग) सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करके मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा कर दी है। मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं :—

1. दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त एक निजी प्रचालक होगा।
2. निजी क्षेत्र को लाइसेंस सर्किल-आधार पर प्रदान किए जाएंगे।
3. मूलभूत वी एस दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में भागीदारी-करने के लिए केवल भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को ही अनुमति दी जाएगी।
4. भारतीय एवं विदेश कम्पनी के बीच संयुक्त उद्यम के मामले में, 49 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी इक्विटी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन टेप किया जाना

2011. **डा. साक्षीजी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अग्रणी राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

2012. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री पी. कुमारासामी :
श्री छेदी पासवान :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसंबर, 1994 के "दि हिन्दुस्तान" टाइम्स में "पावर डेफीशीट पार्टेन्ड्स डार्क डेज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने संबंधी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यान्वयन का वर्तमान स्तर क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। 8वीं योजना के दौरान 20729.7 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की संभावना है, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष

अर्थात् 1996-97 में उर्जा की कमी 14.7 प्रतिशत और व्यस्ततमकालीन कमी 28.9 प्रतिशत होगी। जहां तक निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का संबंध है, इस समय 43,000 करोड़ रु. के निवेश से 9845 मेगावाट क्षमता की 16 परियोजनाओं पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है, इसकी अधिकांश क्षमता निकट भविष्य में चालू किए जाने की आशा है। इनमें से दभोल चरण-I (695), पागुथान (655 मेगावाट), गोदावरी (235 मेगावाट), जेगरूपाडु (208 मेगावाट) और बज-बज (500 मेगावाट) जैसी परियोजनाएं 1997-98 तक स्वतः ही पूरी कर ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त 22743 मेगावाट की क्षमता वाली 31 त्वरित रूप से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के आगामी बैच, जिनके लिए लगभग 84,000 करोड़ रु. का निवेश अपेक्षित है, का कार्य भी नौवीं योजना और आगे की अवधि में पूरा किए जाने हेतु आठवीं योजना के दौरान हाथ में लिए जाने की आशा है।

(ग) से (ङ). 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30537.7 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गयी थी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 8वीं योजना के दौरान 20729.7 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जा सकेगी।

उपलब्धि में कमी के मुख्य कारण निम्नत्रत हैं :—

- भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना।
- निधियों की कमी एवं नकदी प्रवाह की समस्याएं।
- स्टील, सीमेन्ट, विस्फोटक आदि जैसे मुख्य निवेशों की समयानुसार कम सप्लाई/विलम्ब होना।
- प्रमुख सिविल कार्यों के लिए ठेकों को अन्तिम रूप देने/सौंपने में विलम्ब होना।
- कार्यस्थल पर संगठनों तथा अवसंरचनात्मक निकास कार्य के सृजन में परियोजनाओं के प्रारम्भ के चरणों में विलम्ब होना।
- मुख्य उपस्कर और विभिन्न आनुषंगिक उपस्करों हेतु आर्डर देने में विलम्ब होना।

इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं, नए चालू किए गए यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना और विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना आदि।

[अनुवाद]

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र की क्षमता का उपयोग

2013. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र ने शत-प्रतिशत उत्पादन क्षमता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधिकतम उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन क्षमता के विस्तार की अभी भी गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में न्यूनतम लागत से उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि प्राप्त की जा सकती है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). 30 लाख टन वार्षिक अपरिष्कृत इस्पात क्षमता के विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को जुलाई, 1992 में चालू किया गया है। यह इस्पात संयंत्र इस समय अपने उत्पादन के इष्टतमीकरण की प्रक्रिया में है और आशा है कि 1996-97 तक शत-प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लेगा।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में वाणिज्यिक प्रचालन आरम्भ होने के बाद उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि हुई है। 1993-94 के दौरान इसने तप्त धातु के संबंध में 70 प्रतिशत और अपरिष्कृत इस्पात के संबंध में 45 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त किया। आशा है कि यह 1994-95 के दौरान तप्त धातु के संबंध में 82 प्रतिशत और अपरिष्कृत इस्पात के संबंध में 64 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लेगा।

(ग) और (घ). विशाखापटनम इस्पात संयंत्र का विन्यास इस प्रकार से रूपांकित किया गया है कि इसमें अपनी क्षमता 100 लाख टन तक बढ़ाने की क्षमता है। यद्यपि संसाधनों की कमी के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संयंत्र 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

केरल में पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

2014. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने में उन्हें प्राथमिकता देने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). केरल में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण का संवर्धन करने के लिए औद्योगिक संवर्धन केन्द्र परियोजनाएं स्थापित करने हेतु पांच स्थानों का अनन्तिम रूप से पता लगाया गया है। ये स्थान हैं: कन्नानूर जिले में ग्राम मनाथेरी, अलेप्पी जिले में वयलार पूर्व, पत्तनमथिट्टा जिले में कुन्नमथनम, मलापपुरम जिले में पनक्कड़ और कोजीकोडे जिले में ग्राम ओलवन्ना-पंथोरनकंवु।

इन सभी स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही स्थापित हैं। संवर्धन केन्द्र विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूरसंचार विभाग के पास टेलीफोन/टेलेक्स आदि संबंधी अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं की बल्क बुकिंग करे। प्रस्तावित संवर्धन केन्द्र परियोजनाओं के लिए अपेक्षित दूरसंचार सुविधाओं की योजना

संवर्धन केन्द्र विकास प्राधिकरण द्वारा बल्क बुकिंग करने के बाद बनाई जाएगी।

हाइब्रिड डाक सेवा

2015. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाइब्रिड डाक सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कितने क्षेत्र में लागू की जायगी; और

(ग) यह किस हद तक डाक सेवा में सुधार लाने में सहायक होगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) हाइब्रिड डाक सेवा वी एस ए टी (वैरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) और सेटेलाइट चैनल के माध्यम से डाटा और टैक्स्ट भेजने और डाकिए द्वारा प्राप्तकर्ता को वितरण की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा इस समय दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ, पटना, और शिमला के लिए उपलब्ध है जहां नई दिल्ली जी पी ओ बम्बई जीपीओ, अण्णा रोड जीपीओ, मद्रास, लखनऊ जीपीओ, पटना जीपीओ और शिमला जीपीओ में वी एस ए टी काम कर रहे हैं। हाइब्रिड डाक सेवा के माध्यम से 3.00 बजे अपरान्ह तक बुक किए गए संदेश अपने गंतव्य स्थान पर उसी दिन वितरित किए जाते हैं। इसका सेवा शुल्क निम्नानुसार है :-

न्यूनतम शुल्क	2 किलोबाइट्स या उससे कम के डाटा के लिए 40/-रु.
अतिरिक्त शुल्क	दो किलोबाइट्स के अतिरिक्त डाटा या उसके किसी भाग के लिए 5/-रु. (केवल फ्लॉपीज पर)।
डाटा एंट्री शुल्क	प्रत्येक ए-4 आकार की तैयार टाइप की हुई शीट या भाग के लिए 10/-रु.

(ग) हाईब्रिड डाक सेवा से टैक्स्ट को शीघ्र और कुशलता से भेजा जाता है और यह सेवा डाकिए के माध्यम से प्राप्तकर्ता के घर पर वितरण की भी सुविधा प्रदान करती है। ग्राहक इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन की इस सुविधा का कम्प्यूटर टर्मिनल या फैक्स लगाए बिना फायदा उठा सकते हैं।

"एनरोन" द्वारा काउंटर गारंटी हेतु अभ्यावेदन

2016. श्री राम कापसे : क्या **विद्युत मंत्री** 13 जून, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरोन विकास निगम द्वारा दिए गए काउन्टर गारंटी संबंधी अभ्यावेदन के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) दभोल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत क्रय करार के अन्तर्गत, दभोल विद्युत कम्पनी को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के भुगतान सम्बन्धी दायित्वों हेतु महाराष्ट्र सरकार की गारंटी से सम्बन्धित प्रति-गारंटी समझौते पर दिनांक 15.9.1994 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत/चीन सीमा वार्ता

2017. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री आर. सुरेन्द रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 के दौरान नई दिल्ली में भारत-चीन विशेषज्ञ दल की आधिकारिक स्तर की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच और अधिक सीमा चौकियों को खोलने, भारत-चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या में कमी करने तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा का निर्धारण करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सीमा मुद्दे पर और अधिक वार्ताएं करने के संबंध में विदेश सचिवों के स्तर पर बैठकें आयोजित करने के संबंध में कोई तारीख तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अपनी तीसरी बैठक में, दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थिति शांतिपूर्ण है। विश्वास उत्पन्न करने के अतिरिक्त उपायों पर अपनी बातचीत जारी रखते हुए उन्होंने सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना देने तथा विमानों के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने सम्बन्धी प्रारूपों पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान किया। दोनों देशों के सीमा कार्मिकों के बीच बैठकों के लिए सिक्किम में नाथुला में और भारत-चीन सीमा क्षेत्र के मध्य भाग में, जिसके संबंध में सहमति होनी बाकी है, अतिरिक्त बिन्दु निर्धारित करने पर सहमति हुई।

(ङ) और (च). विदेश सचिवों के स्तर के संयुक्त कार्यदल की अगली बैठक नई दिल्ली में वर्ष 1995 में परस्पर सहमत तारीख को. होगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के टेलीफोन बदले जाना

2018. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन पाने और टेलीफोन लगाये जाने और कालों के मामले में रियायती दरों के हकदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की टेलीफोन की मांग, गैर-ओ वाई टी-एस डब्ल्यू एस श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज की जाती है, जिनके संस्थापन में तत्काल श्रेणी के टेलीफोनों के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न प्रकार है :—

1. नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई संस्थापन शुल्क वसूल नहीं किया जाता है।
2. उपभोक्ता से सामान्य किराया प्रभार की केवल आधी रकम वसूल की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2019. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फिलहाल टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में कुल कितने आवेदन पत्र हैं;

(ख) 1995-96 के दौरान कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली की प्रतीक्षा-सूची में 121189 व्यक्ति दर्ज हैं।

(ख) 1995-96 के दौरान 2,60,000 नये टेलीफोन कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में दिल्ली सहित, समूचे देश में व्यावहारिक मांग होने पर 1997 तक टेलीफोन उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शन

2020. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
डा. आर. मल्लू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विशेषतः बंगलौर और मैसूर में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए अब तक कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों की किस वर्ष तक प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है; और

(ग) मार्च, 1995 के अंत तक कितने नए टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1.3.95 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक, सर्किल में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए दर्ज व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) कर्नाटक सर्किल - 128631 सहित,
(ii) बंगलौर - 50021 तथा
(iii) मैसूर - 1343

(ख) प्रतीक्षा-सूची के निपटान की स्थिति नीचे दी गई है :—

क्र.	सर्किल/शहर	ओ-वाईटी	गैर-ओवाईटी (एस)	गैर-ओवाइटी (जी)
1.*	कर्नाटक सर्किल	29.8.89	1.3.88	3.12.84
2.	बंगलौर (एक एक्सचेंज क्षेत्र के अलावा जहां 29.6.89 तक की प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है)	31.10.94	1.1.94	24.6.91
3.	मैसूर	अद्यतन	7.9.94	30.6.94

* लम्बी अवधि से लंबित पड़े मामले दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों की एक्सचेंजों में हैं, जहां समीपस्थ टेलीफोन एक्सचेंज उपभोक्ता परिसर से काफी दूर होते हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए 1,12,000 नये टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 65,000 बंगलौर तथा 6,000 मैसूर शहर में प्रदान करने का प्रस्ताव है।

खनिजों की रायल्टी दरें

2021. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों की रायल्टी दरों तथा अन्य करों की समीक्षा के लिए किसी अध्ययन दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के निदेश पद क्या हैं तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अध्ययन दल द्वारा कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(i) खनिज क्षेत्र के लिए कराधान प्रणाली की जांच करना तथा समुचित कर ढांचे का सुझाव देना, जो देश में खनिजों की तीव्र विकास तथा खनिज आधारित उद्योग के लिये सहायक हो।

(ii) उपरोक्त उद्देश्य तथा खनिज क्षेत्र के राज्यों के राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता के मध्य समुचित सामंजस्य स्थापित करना तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की इसी अनुसूची में दिये गये खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा स्टोइंग हेतु रेत को छोड़कर) पर रायल्टी की दरों में समुचित संशोधन का सुझाव देना।

(iii) उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डैड रेन्ट की चालू दरों के बारे में समुचित संशोधन का सुझाव देना।

(ग) अध्ययन दल से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

भारत के गहरे समुद्र में विदेशी पोतों की अनुमति

2022. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
डा. आर. मल्लू :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड और लीज्ड पोत संचालकों ने कुल कितने अधिग्रहण क्षेत्र की घोषणा की है;

(ख) टनभार और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी पोतों द्वारा तटीय जल में चोरी छिपे मत्स्यन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चोरी छिपे मत्स्यन को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या गहरे पानी में संयुक्त रूप से मछली पकड़ने का भारतीय गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या चार्टर्ड और विदेशी पोतों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति के विरोध में निरन्तर अभ्यावेदन किए जाते रहे हैं; और

(ज) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड और लीज्ड जलयानों द्वारा किया गया कुल घोषित शिकार 8919 टन था।

(ख) भारतीय कंपनियों को गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की चार्टरिंग और लीजिंग की अनुमति दी गई है तथा ऐसे परिचालनों में सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता बहरहाल क्रमशः चार्टर और लीजिंग के लिए क्रमशः प्रति जलयान 10,000 रु. वार्षिक तथा प्रति जलयान 25,000 रु. वार्षिक की दर पर लाइसेंस शुल्क अदा किया जाता है। इसके अलावा, उनके द्वारा कुल शिकार पर 1 प्रतिशत की दर से निर्यात उपकर का भी भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ). समय-समय पर भारतीय जल में विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा अनाधिकार करने की घटनाएं हुई हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय जल में अनाधिकार शिकार करते समय गिरफ्तार किए गए जलयानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनाधिकार शिकार करने वाले विदेशी मत्स्यन जलयानों के विरूद्ध भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 तथा इसके तहत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च). संयुक्त उद्यम के तहत गैर-श्रिम्प संसाधनों का दोहन करने के लिए जलयान चलाए जा रहे हैं। संयुक्त उद्यम के तहत जलयानों के परिचालन से भारतीय गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जोकि अधिकांशतः श्रिम्प संसाधनों के दोहन में लगे हुए हैं।

(छ) और (ज). गहन समुद्री मत्स्यन नीति के विरूद्ध विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित मछुवारों की एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से परामर्श करके तथा स्थिति का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करके हाल ही में इस मामले की पुनरीक्षा की गई है। बहरहाल गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के परिचालन से तटवर्ती मत्स्यन पर कोई विपरीत प्रभाव

प्रमाणित नहीं हुआ। दूसरी तरफ यह पाया गया कि तटीय सीमित संसाधनों को पाने के लिए तटवर्ती मत्स्यन प्रयासों में बेरोकटोक और अनियंत्रित वृद्धि से पारम्पिरिक मत्स्यन नौकाओं और मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है। तथापि मछुआरों द्वारा की गई लगातार मांगों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे मामले की समीक्षा होने तक गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी किसी और आवेदन पत्र पर कार्रवाई न की जाए।

विवरण

1993-94 के दौरान अनाधिकार शिकार करते समय पकड़े गए ट्रालर

क्रम सं.	राष्ट्रीयता	ट्रालर संख्या	क्रम संख्या	टिप्पणी
1.	थाईलैंड	20	309	
2.	मयंमार		64	
3.	पाकिस्तान	08	126	
4.	ताइवान	01	04	
5.	श्रीलंका	25	121	
6.	उत्तरी कोरिया			
7.	बंगला देश			
8.	दक्षिण कोरिया			
9.	मलेशिया			
10.	इंडोनेशिया			
11.	चीन		12	
12.	फिलिपीन्स		06	
	योग	54	642	

विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण

2023. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में विद्युत टैरिफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की ओर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके तेजी से निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). विश्व बैंक के साथ हुए आवधिक विचार-विमर्श के दौरान बैंक ने भारत की विद्युत क्षेत्र की वित्तीय दशा में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपाय सुझाए हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य विद्युत बोर्डों की टैरिफ प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना भी शमिल है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार भी काफी चिन्तित है और इस मामले पर राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन सहित अन्य विभिन्न मंचों पर भी विचार-विमर्श किया गया है। विश्व बैंक एवं अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से लिए गए ऋण तथा विद्युत टैरिफ निर्धारण का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

(घ) 28 फरवरी, 1995 को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों की विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की तरफ बकाया राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों की बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकारों से दिनांक 8 एवं 9 जनवरी, 1993 को आयोजित राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन सहित, समय-समय पर कई बार अनुरोध किया गया है। दोषी राज्यों से केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की अतिदेय राशि को राज्यों को देय केन्द्रीय योजना सहायता में से समायोजित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

दिनांक 28 फरवरी, 1995 को केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को देय बकाया राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	रा.बि.बो./ राज्य	आरईसी 2/95	एनटीपीसी 2/95	नीपको 2/95	डीवीसी 2/95	एनएचपीसी 2/95	पीएफसी 2/95	पीवीसी 2/95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.29	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.53	0.00	1.14	0.00	-0.18	0.00	0.12
3.	असम	50.61	0.00	67.69	1.60	34.64	0.00	-0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	164.34	333.51	0.00	669.34	5.97	67.67	−7.53
5.	गुजरात	0.45	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	−7.86
6.	गोवा	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	−1.33
7.	हरियाणा	0.00	305.97	0.00	0.00	160.35	0.00	5.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	15.69	0.00	0.00	17.27	0.00	−1.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.21	256.68	0.00	0.00	57.56	0.08	−3.51
10.	कर्नाटक	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	0.03	3.77
11.	केरल	0.22	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
12.	मध्य प्रदेश	91.80	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	−14.15
13.	महाराष्ट्र	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	−7.40
14.	मणिपुर	0.00	0.00	8.23	0.00	17.00	0.22	1.49
15.	मेघालय	11.12	0.00	0.92	0.00	0.49	0.00	0.11
16.	मिजोरम	0.00	0.00	1.34	0.00	1.46	0.01	0 02
17.	नागालैण्ड	0.13	0.00	5.98	0.00	3.45	0.04	0.61
18.	उड़ीसा	57.79	62.73	0.00	3.00	1.59	0.00	−2.72
19.	पंजाब	0.00	25.23	0.00	0.00	36.05	0.33	−6.29
20.	राजस्थान	33.16	139.38	0.00	0.00	27.02	0.03	6.17
21.	सिक्किम	0.15	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
22.	तमिलनाडु	0.23	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	−0.34	0.00	3.75	0.00	−0.09
24.	उत्तर प्रदेश	203.46	832.20	0.00	0.00	125.62	108.92	72.48
25.	प. बंगाल	102.26	53.22	0.00	188.38	5.15	29.73	1.31
26.	डेसू	0.00	357.12	0.00	0.00	86.15	0.00	6.48
27.	डीवीसी	0.00	118.79	0.00	0.00	0.15	0.00	7.80
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	−0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.34
29.	यू टी सी	0.00	3.74	0.00	0.00	0.04	0.00	0.17
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0.00	−0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.22
32.	पाण्डिचेरी	0.00	−0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
33.	सहकारिताएं	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकारें	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावरग्रिड	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़:	728.52	3098.28	84.96	862.32	586.16	207.06	115.95

दिनांक 28 फरवरी, 1995 के अनुसार संचयी राशि 5678.25 करोड़ रुपये

मुम्बई में गन्दी बस्तियों को जन सुविधाएं

2024. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुम्बई में केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में जन सुविधाएं देने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). इस मामले में मान्य नीति यह है कि महाराष्ट्र सरकार (I) बम्बई एयरपोर्ट के नजदीकी स्लम, जो रनवे के समीप होने के कारण पक्षियों का खतरा उत्पन्न करते हैं, (II) प्रतिरक्षा भूमि, जहां महत्वपूर्ण स्थापनाएं होनी हैं, (III) रेल पटरियों के 30 फुट के दायरे में बनी झोपड़पट्टी और (IV) ऐसी भूमियों, जो भू स्वामी विभागों द्वारा अपने तत्काल उपयोग हेतु अपेक्षित है, को छोड़कर केन्द्र सरकार की अन्य भूमियों पर स्थित स्लमों में जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य जारी रख सकती है। उपर्युक्त नीति के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों से सीधे "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होता है तथा ऐसा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाता है।

डी.डी.ए. फ्लैटों का पुनः पंजीकरण

2025. श्री आर. जीवरतनम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों पूर्व लीज होल्ड प्रणाली के अन्तर्गत डी.डी.ए. फ्लैटों के आवंटियों ने अपने आवंटन पंजीकृत करा लिए थे;

(ख) यदि हां, तो, क्या फ्लेटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदले जाने सम्बन्धी चालू योजना के अन्तर्गत उक्त फ्लैट आवंटितियों को इन फ्लैटों के फ्री होल्ड में बदले जाने के बाद भी फिर से इन्हें पंजीकृत कराना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के पंजीकरण की क्या जरूरत है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लीज होल्ड अधिकारों को फ्री होल्ड में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप एक नया अन्तरण विलेख निष्पादित किया जाता है जिसे प्रश्नाधीन सम्पत्ति का स्वामित्व फ्री होल्ड के रूप में घोषित करने के लिये पंजीकृत कराना आवश्यक है। ऐसे मामलों में आवंटी द्वारा परिवर्तन प्रभारों, अतिरिक्त परिवर्तन प्रभारों, अधिभार तथा उपलब्ध धन जो भी मामला हो, पर ही स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

विदेशों द्वारा एफ.पी.आई. की स्थापना

2026. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है; और

(ख) स्थान तथा शर्तों सहित उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का क्या ब्यौरा है जिन्हें इन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लगाने की इजाजत दी गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). उदारीकरण से लेकर अब तक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण, गहन समुद्री मत्स्यन और एकीकृत एक्वाकल्चर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. द्वारा विदेशी निवेश करने संबंधी 191 मामलों को मंजूरी दी है। भारतीय साझेदार के सहयोग अथवा बिना सहयोग के विदेशी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले इस निवेश में उन विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाने वाला निवेश शामिल है जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार कर रही है। इनमें से जिन प्रमुख विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं उनके स्थान समेत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ऐसे अनुमोदनों की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ लाभांश संतुलन और 7 वर्ष की अवधि तक विदेशी मुद्रा का तटस्थीकरण शामिल है। कुछ कंपनियों ने 7 से 10 वर्षों तक के लिए कतिपय निर्यात लक्ष्यों का उललेख किया है और अल्कोहल पेयों के मामले में निवेश संबंधी प्रस्तावों को भारतीय साझेदारों की मौजूदा के भीतर मंजूर किया गया है। इसके अलावा अनेक प्रमुख विदेशी कंपनियों जैसे मैसर्स मैक कैन फूड्स, कनाड़ा, मैसर्स फार्म फ्रिट्स, नीदरलैंड, मैसर्स डोल इंटरनेशनल, अमरीका, मैसर्स क्वाटर ओट्स, अमरीका, मैसर्स बी.एस.एन., फ्रांस आदि आदि ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश में रूचि दिखाई है।

विवरण

प्रमुख विदेशी कंपनियों की सूची जिनके भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

	बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम	निर्माण की जाने वाली मद	स्थान	टिप्पणी
	1	2	3	4
1.	मैसर्स केलांग एंड कंपनी अमरीका	मक्का, चावल, गेहूं, जई और जौ से अनाज आधारित उत्पाद	तलोजा(जिला) महाराष्ट्र (गैर नगरीय)	–
2.	मैसर्स पेप्सी इंक, अमरीका	प्रसंस्कृत आलू/खान्न आहार, साफ्ट ड्रिंक सान्द्रण	संगरूर (जिला) पंजाब (गैर नगरीय)	10 वर्ष में 400 करोड़; रु. का निर्यात लक्ष्य
3.	मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होलिंग अमरीका	मृदु पेयसांद्रण	पुणे(जिला) महाराष्ट्र	7 वर्षों में 400 करोड़ रु. का निर्यात लक्ष्य
4.	मैसर्स मैक डोनल्ड कारपोरेशन, अमरीका	मैक डोनाल्ड रेस्तरा	विभिन्न शहरों में मैक डोलाल्ड रेस्तरा	चालू करने के शुरू के 7 वर्षों तक लाभांश देश से बाहर नहीं जाएगा
5.	पिजा हट इंटरनेशनल हांगकांग	रेस्तरा	विभिन्न शहरों में पिजा हट रेस्तरा	वहीं
6.	गोग्राम कंपनी लि. कनाडा	विहस्की, स्कांच और फल रस	दौराला, जिला मेरठ (उ.प्र.) (गैर नगरीय)	5 वर्षों तक विदेशी मुद्रा तटस्थीकरण बनाए रखने के लिए भारतीय सहयोगियों को लाइसेंस क्षमता के भीतर अल्कोहल पेयों का उत्पादन
7.	यूनाइटिड डिस्टिलरी ब्रिटेन	स्कांच, विहस्की आदि	जिला नासिक महाराष्ट्र	वही
8.	होरम वाकर ग्रुप ब्रिटेन	वही	कपूरथला जिला पंजाब	वही
9.	मैसर्स हींज इटालिया इटली	दूध उत्पाद फल और सब्जी उत्पाद मछली प्रसंस्करण आदि	अलीगढ़ उ.प्र.	वही
10.	मैसर्स के.एफ.सी., हांगकांग	रेस्तरा	विभिन्न शहरों में रेस्तरा	चालू करने के शुरू के 7 वर्षों तक लाभांश देश बाहर नहीं जाएगा
11.	मार्स इंकारपोरेटिड अमरीका	कोको आधारित कंफेक्शनरी उत्पाद	हरियाणा (गैर) नगरीय (क्षेत्र)	– –
12.	मैसर्स विलियम रिगले जे. कंपनी अमरीका	च्यूइंगम	बंगलौर (कर्नाटक)	–
13.	मैसर्स फरफैटी एस.पी.ए इटली	वही	गुड़गांव (हरियाणा)	

1		2	3	4
14.	सी.पी. एक्वाकल्चर थाईलैंड	एकीकृत एक्वाकल्चर और मछली प्रसंस्करण	जिला मद्रास तमिलनाडु	-
15.	कालूसबर्ग इंटरनेशनल डेनमार्क	बीयर	जिला फतेहपुर उ.प्र.	-
16.	हालस्टिन ब्रानेरै, जर्मनी	बीयर	जिला रायगढ़ महाराष्ट्र	-
17.	हैनिनजर ब्रान जर्मनी	बीयर	जिला अलबर राजस्थान	-
18.	फास्टर ब्रूइंग ग्रुप, आस्ट्रेलिया	बीयर	-	-
19.	हाफ प्रान मंचैन जर्मनी	बीयर	जिला रिवाड़ी हरियाणा	-
20.	फिनसर फाइनेंशियल सर्विस लि. लंदन	वाइन	जिला बंगलौर कर्नाटक	-
21.	मैसर्स कारगिल साउथ एशिया लि.	सीट्रिक एसिड	उ.प्र./महाराष्ट्र	

सिंगरौली परियोजना की पुनर्वास समस्याएं

2027. श्री श्रीकांत जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली में एन टी पी सी द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाओं द्वारा पैदा की जा रही पारिस्थितिकीय और पुनर्वास समस्याओं के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पारिस्थितिकीय समस्याओं के हल करने और विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). जी, हां। सिंगरौली क्षेत्र के लिए इलैक्ट्रिसाइट डी-फ्रांस, फ्रांस द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सिंगरौली, विन्ध्याचल और रिहन्द में एन टी पी सी के विद्युत केन्द्र शामिल हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि वर्तमान में वायु और जल-प्रदूषण के स्तर ग्राह्य सीमा के भीतर हैं। इससे यह भी पता चला है कि उत्पादन क्षमता का 11000 मे.वा. तक का विस्तार जैसाकि योजना बनाई गई थी, वायु और जल गुणवत्ता मामलों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुरूप हैं। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्य योजनाएं बनाए जाने के लिए एनटीपीसी ने परामर्शदाताओं के जरिए एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन आरम्भ किया है, ताकि सिंगरौली क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आधारभूत आंकड़े तैयार किए जा सकें। इन योजनाओं में आरम्भ की जाने वाली विभिन्न पुनर्वास और पुनः स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों,जैसे कि पुनर्वास कालोनियों में आधारभूत ढांचा, विभिन्न आय उत्पादन स्कीमें, प्रशिक्षण, सार्वजनिक भागीदारी की प्रक्रिया, शिकायत निवारण और उनके क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु प्रणाली के बारे में विशिष्ट ब्यौरा शामिल है।

औषध विनिर्माताओं द्वारा उपकर संग्रहण

2028. श्री नवल किशोर राय : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषध विनिर्माता उपकर का संग्रहण कर हैं;

(ख) यदि हां, तो यह उपकर किस दर पर एकत्रित किया जा रहा है और इस उपकर संग्रहण पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और मार्च, 1994 तक प्रति वर्ष कुल कितनी राशि एकत्र की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार एकत्र किए गए उपकर के कुछ अंश का उपयोग अनुसंधान और विकास पर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ). यह प्रस्ताव है कि "औषध नीति, 1986 में संशोधन" के पैरा 22.8.2 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए उप-कर एकत्र किया जाए, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है :—

जी एम पी समेत औषध नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और आर एण्ड डी को बढ़ावा देने के लिए कानून के माध्यम से औषधों तथा भेषजों के उत्पादन पर 1 प्रतिशत का उप-कर लगाया जाएगा जिसके ब्यौरों की गणना स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।"

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

2030. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के चार गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों को उपग्रह प्रणाली से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें उपग्रह प्रणाली से जोड़ने का क्या प्रयोजन है और इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की निम्नलिखित गैस विद्युत परियोजनाओं को अत्यधिक लघु द्वारक टर्मिनल्स (वैरी स्माल अपारचर टर्मिनल्स) के माध्यम से मुख्यालय, नई दिल्ली के साथ सम्बद्ध किया गया है :—

1. औरेया, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश
2. अन्ता, जिला-बरान, राजस्थान
3. कवास-पी.ओ. आदित्यनगर, गुजरात
4. झनोर-गांधार, जिला भरूच, गुजरात

(ग) विद्युत परियोजनाओं के अधिक दक्षपूर्ण कार्यकरण हेतु एनटीपीसी की परियोजनाओं और इसके मुख्यालय के बीच संचार सुविधा हेतु लिंक स्थापित किए गए हैं। गैस केन्द्रों को निगम मुख्यालय के साथ उपग्रह संचार लिंक अन्तः सम्बद्ध का दिसम्बर, 1994 में सफलतापूर्वक प्रचालन किया गया है और संचार सेवाओं का अत्यधिक सफलतापूर्वक सदुपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा फ्लैटों का आवंटन

2031. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा श्रेणीवार कुल कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कितने फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को फ्लैटों के शीघ्र आवंटन के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित फ्लैटों का आवंटन किया गया है:

	जनता	एल.आई.जी.	एम.आई.जी.	एस.एफ.ए.
1991-92	3004	1400	348	1130
1992-93	5285	2053	1443	1437
1993-94	2686	6520	7540	2251

(ख) और (ग). वर्ष 1995-96 में किये जाने वाले आवंटनों की संख्या अन्य घटकों के साथ-साथ नये परियोजना क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। तथापि, डी.डी.ए. ने भूमि और अवस्थापनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर आठवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के अन्त तक सभी प्रतीक्षारत पंजीकृतों को फ्लैट देने की योजना बनायी है।

[अनुवाद]

कायकुलम ताप विद्युत संयंत्र

2032. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में कायकुलम ताप विद्युत परियोजना में अपने हिस्से के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत नेशनल पावर ग्रिड में विद्युत के वितरण के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल को कितनी विद्युत मिल सकेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). प्रस्तावित कोयला आधारित कायकुलम ताप विद्युत परियोजना (420 में.वा.) से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रारम्भ में एनटीपीसी द्वारा दक्षिण क्षेत्र के सभी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ अधिक मात्रा में आपूर्ति करने का अनुबंध किया गया था। इसके बाद, तकनीकी-आर्थिक मामलों को मद्देनजर रखते हुए इसे 400 मेगावाट क्षमता की एक संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। केरल राज्य विद्युत बोर्ड इस परियोजना द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत की आपूर्ति चाहता था।

अतः केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा एनटीपीसी के मध्य एक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के आधार पर एनटीपीसी ने दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्यों के साथ भी विद्युत क्रय पर विचार-विमर्श के लिए मामला उठाया। यद्यपि, केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत क्रय करार अन्य राज्यों को ज्यादा सार्थक प्रतीत नहीं हुआ और तदनुसार एनटीपीसी ने विद्युत क्रय करार पर दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्यों के साथ हस्ताक्षर नहीं किए।

[हिन्दी]

पट्टाधारकों पर बकाया धनराशि

2033. श्री राम कृपाल यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास अधिकारी द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्तियों के पट्टाधारकों/अवैध कब्जाधारकों के पट्टा और अन्य समझौतों के अन्तर्गत परिवर्तन प्रभाव तथा अन्य प्रभारों के रूप में भारी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) कितनी पार्टियों पर एक करोड़ रुपयों से अधिक का बकाया है;

(ग) क्या बहादुरशाह जफर मार्ग पर स्थित एक समाचार पत्र के परिसर/भवन से लगभग पच्चीस करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस देय को शीघ्रति-शीघ्र वसूल किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी पार्टियों की संख्या 24 है।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकतर मामलों में मसलन न्यायाधीन हैं, तथापि, मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और कुछ पार्टियों ने मामले को न्यायालय से बाहर सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार, सरकार नितिनिर्देशों के अनुसरण में बकायों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

डी.डी.ए. द्वारा ग्राम सभा की अधिगृहित भूमि

2034. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्राम सभा की भूमि का अधिग्रहण करके दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे निकायों को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का क्या उपयोग किया जाएगा; और

(ग) ग्राम सभा की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और सरकार पर इसका कितना मुआवजा बकाया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः, भूमि का उपयोग शहरी विस्तार एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

(ग) शहरीकृत गांवों की ग्राम सभाओं की लगभग 12,197 बीघा 4 बिसवा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 19.98 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि राजस्व खाते में है।

[अनुवाद]

किराया बकाया

2035. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और आई सी सी आर के प्रेसीडेंट द्वारा किराये के रूप में सरकार को देय लाखों रुपये माफ कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने अन्य पूर्व मंत्री और भूतपूर्व संसद सदस्य अभी भी सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए हैं और प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) क्या इसी तरह से वह बकाया राशि भी माफ करने का कोई प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिक ठहरने की आवश्यकता को क्षतिपूर्ति की बजाय सामान्य लाइसेंस फीस वसूल कर नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आधार पर उनके द्वारा 1,02,027.00 रुपये की राशि देय है। श्री वसंत साठे ने अब 23,451/-रुपये की राशि के अलावा 78,576/-रुपये की राशि अदा कर दी है।

(ग) जिन पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों के पास अब भी सरकारी आवास है उनके नाम तथा उनके विरूद्ध बकाया धनराशि के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

जिन पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों ने 28.2.95 तक सामान्य पूल आवास खाली नहीं किये उनके विरूद्ध बकाया धनराशि का ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	आवंटिती का नाम	आवास का ब्यौरा	28.2.95 तक बकाया राशि
	सर्व/श्री		
1.	शरद पवार	5 जनपथ	6,71,870/ रु.
2.	एम.एम.अली खान	103-105, नार्थ एवेन्यू	3,73,877/ रु.
3.	एम.एम. जैकब	4, कुशक रोड	3,59,113/ रु.
4.	बी.एन. पाण्डे	1, लोदी एस्टेट	31,245/ रु.
5.	पं. रवि शंकर	95, लोदी एस्टेट	3,76,842/ रु.
6.	एम.सी. भंडारे	3, मोती लाल नेहरू मार्ग	1,68,206/ रु.
7	एम. पद्मनाभन	7, रायसीना रोड	2,45,411/ रु.
8.	डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी	5, सफदरजंग रोड	3,60,248/ रु.
9.	कमल मोरारका	12,तीन मूर्ति लेन	15,813/ रु.
10	स्व. श्री दरबारा सिंह का परिवार	9,के.एम.मार्ग	18,59,935/ रु.
11	के.सी. लेंका	5,बी.आर. मेहता लेन	14,721/ रु.
12.	एच.के.एल. भगत	34,पृथवीराज रोड	4,69,680/ रु.

विदेशी निवेशकों से प्राप्त आवेदन

2036. **श्री अनन्तराव देशमुख : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने 25 वर्ग कि.मी. से ज्यादा बड़े क्षेत्र में खनन के अधिकार मांगने हेतु विदेशी निवेशकों से प्राप्त आवेदनों से निबटने के लिए केन्द्र सरकार से सुझाव मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). 25 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिये केन्द्र सरकार की सलाह मांगते हुए आंध्र प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

एशिया ब्राउन बोवेरी

2037. **श्री श्रीकान्त जेना : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशिया ब्राउन बोवेरी से इस फर्म द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड से प्राप्त ए.सी.सी. बैबकाक का आधुनिकीकरण करके तथा भारत को अपना निर्यात आधार बनाकर विद्युत उपकरणों के निर्यात हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). ए.सी.सी. बॉबकॉक लिमिटेड (ए.बी.एल.) के पुनरूद्धार सम्बन्धित पैकेज आसिया ब्राउन बोवेरी (ए.बी.बी.) के निवेश प्रस्ताव पर आधारित हैं, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों की युटिलिटियों और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों हेतु बिक्री तथा सेवा प्रदान करना और ए.बी.एल. से ए.बी.बी. द्वारा घटकों के स्रोत हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करके परिणामस्वरूप इनका निर्यात कराना है। कुछेक संशोधनों के पश्चात् आई डी बी आई द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा समर्थन किया जा रहा है और मामला बी.आई. एफ.आर. के विचाराधीन है।

दूरसंचार विभाग का विकेन्द्रीकरण

2038. डा. आर. मल्लू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूर संचार विभाग के विकेन्द्रीकरण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। सरकार का फील्ड इकाइयों को निजी क्षेत्र के साथ अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उन्हें और अधिक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

फलों और सब्जियों का निर्यात

2039. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री यैल्लैया नंदी :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक देश को कितने और कितनी कीमत के फलों और सब्जियों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु अनेक प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1993-94 में देश वार किए गए निर्यात की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं तथा अप्रैल से दिसम्बर, 1994 तक किए गए फल और सब्जियों के अनन्तिम निर्यात मूल्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपनी स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा चुनिंदा देशों में कुछ विशिष्ट फल और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने, व्यापारिक मेल मिलाप के लिए क्रेता-विक्रेताओं की बैठकें कराने, विदेशों में प्रदर्शनियों और दौरों में भाग लेने के लिए सहायता उपलब्ध कराने आदि जैसे अन्य विकासात्मक कार्य कर रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 के लिए फल और सब्जियों का निर्यात

उत्पाद समूह-फल और सब्जियां

देश	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3
संयुक्त अरब अमीरात	141715.344	9163.273
बंगला देश	104925.653	5108.001
मलेशिया	56061.976	3487.600
सऊदी अरब	38555.796	3324.460
सिंगापुर	36345.065	2747.731
श्रीलंका	39552.042	2652.253
ब्रिटेन	6893.765	2303.168
स्पेन	1095.863	1096.826
जर्मनी	1473.158	1051.611
कुवैत	8852.722	967.138
बेहरीन	10117.716	896.982
फ्रांस	854.581	810.738
नीदरलैंड	1482.924	794.610
ग्रीस	621.070	679.094
अमेरिका	923.256	420.031
मारिशस	6860.622	404.615
क्वातार	4637.249	377.266
मिस्र	227.025	295.990
डेनमार्क	217.538	197.120
पाकिस्तान	3273.541	179.931
इटली	217.310	166.216
कनाडा	651.126	136.894
ओमान	1301.582	125.414
इजरायल	205.861	124.571
मालदीव	1137.706	122.820
स्विट्जरलैंड	394.525	109.955
रूस	373.039	96.955
जोर्डन	112.850	88.174
नेपाल	3001.317	82.001
आस्ट्रेलिया	479.854	70.852
पुर्तगाल	84.612	64.386
बेल्जियम	195.906	61.709
आस्ट्रिया	67.638	51.219

1	2	3
हांग कांग	751.919	49.408
नार्वे	50.900	45.367
जापान	486.528	44.109
चीन	168.278	42.682
नीदर लैंडएंटीलस	52.254	31.828
आयर लैंड	29.000	24.334
यमन अरब गणतंत्र	179.648	23.961
सेशल्स	190.000	15.409
टनिशिया	10.000	
लेबनान	10.000	13.446
मोजाम्बिक	117.410	9.049
दक्षिण अफ्रीका	112.076	7.981
याड	37.200	7.080
इंडोनेशिया	59.350	6.594
तुर्की	20.000	5.316
अन्य देश	16.142	4.635
फिनलैंड	15.066	4.549
स्वीडन	22.322	2.954
रियूनियन	50.000	2.736
तंजानिया	7.242	2.506
केन्या	16.595	2.291
यूक्रेन	8.074	1.166
टोंगा	4.271	0.508
न्यूजीलैंड	4.500	0.391
कांगो	1.288	0.300
नाइजीरिया	1.000	0.217
माली	0.232	0.079
बरूनी	0.120	0.064
जामिया	0.250	0.058
थाइलैंड	0.283	0.041
कैमरून	0.300	0.036
वियतनाम	0.700	0.030
सोमानिया	0.835	0.023
मैक्सिको	0.100	0.020
मंगोलिया	0.092	0.019
पनामा	0.200	0.016
सूडान	0.300	0.014
इथोपिया	0.016	0.004
यूंगाडा		0.000
ग्रुप योग	475331.708	38542.[illegible]

विवरण–II

अनन्तिम आंकड़े : मूल्य (लाख रु. में)

देश	अप्रैल 94 से दिसम्बर, 94 मूल्य
1	2
फल और सब्जियां	
मिस्त्र	207.68
इथोपिया	0.31
फिन लैंड	8.50
फ्रांस	922.31
जार्जिया	2.03
जर्मन गणतंत्र	1524.03
चीन	3.97
ग्रीस	432.86
हांग कांग	65.64
इंडोनेशिया	0.27
आयरलैंड	7.87
इजरायल	30.20
इटली	206.06
आइवरी कोस्ट	0.31
जापान	75.37
जोर्डन	114.66
केन्या	5.87
कोरिया गणतंत्र	2.50
कुवैत	558.33
लेबनान	0.16
मलावी	11.12
मलेशिया	484.14
मालद्वीव	443.41
माली	5.03
मारीशस	163.32
मैक्सिको	5.98
मंगोलिया	0.15
मोजाबिक	
नेपाल	126.40
नीदरलैंड	
नीदरलैंड एंटीलस	802.33
न्यूजीलैंड	5.70
नार्वे	24.25
ओमान	39.51

1	2
पाकिस्तान	109.36
पनामा गणतंत्र	6.88
फिलीपीन्स	0.03
पुर्तगाल	87.48
क्वातार	171.28
रियूनियन	5.78
रोमानिया	
रूस	108.26
साउदी अरब	1833.51
सेशल्स	6.17
सिंगापुर	2330.74
सोलोमन द्वीप	7.13
सोमालिया	
दक्षिण अफ्रीका	90.68
स्पेन	900.99
श्रीलंका	2097.32
अर्जेंटीना	16.08
आस्ट्रेलिया	269.01
आस्ट्रीया	20.53
बहमास	0.05
बेहरीन द्वीप	532.36
बंगलादेश	1808.37
बेल्जियम	290.18
ब्रोत्सवाना	0.04
ब्राजिल	4.86
बरूनी	3.39
कनाडा	207.36
चाड	
चीनी ताइपै	
चीनी गणतंत्र	
कांगो गणतंत्र	
डेनमार्क	121.40
सेंट हेलना	0.03
सूडान	
स्वीडन	6.96
स्वीटजरलैंड	854.92
तंजानिया गणतंत्र	1.58
थाईलैंड	0.27
टोंगा	
त्रिनीदाद	1.09
टूनिसिया	13.31
यूगांडा	
अरब अमीरात	7175.45
ब्रिटेन	2596.97
यूक्रेन	0.18
अमरीका	524.35
वियतनाम स.गा.	0.07
यमन गणतंत्र	
जाम्बिया	0.39

राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति

2040. प्रो. रीता वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उत्तर प्रदेश और पंजाब विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की काफी अधिक धनराशि इन दोनों राज्यों बोर्डों पर बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिंक विद्युत केन्द्रों को भारत कुकिंग कोल लिमिटेड से कोयले की आपूर्ति में कमी आई है। कोयले की आपूर्ति में कमी, कोयला कंपनियों और रेलवे द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों को अनुमोदित कोयला लिंकेज के अनुरूप कोयला आपूर्ति किए जाने में असमर्थता के कारण हो सकती है।

(ग) कोल कम्पनी के अनुसार, इन दोनों राज्य बिजली बोर्डों पर 28.2.95 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राशि बकाया है :

	निर्विवाद	विवादग्रस्त	कुल
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	-	10556	10556
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	3915	4256	8171

(घ) विवादग्रस्त बकाया राशियां कोयले की कम प्राप्ति, आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता और सांविधिक लेवियों इत्यादि के कारण विवाद की वजह से हैं।

[हिन्दी]

जलापूर्ति योजनाओं का विकास

2041. श्री एन.जे. राठवा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गुजरात को जलापूर्ति योजनाओं के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्यान्ह

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सदन में जो कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस बिहार में उत्पन्न हो रहा है उसके संबंध में बोलने का मौका दिया था और आज मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन मुद्दों को दोबारा उठाने का मौका दिया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, हम लोग इस मामले को नहीं उठाते यदि पानी सिर से ऊपर नहीं जाता। मैं तो डेढ़ महीने तक लगातार बिहार में घूमने के बाद आया हूं। यह मुझे नहीं बल्कि कुछ पोलिटीकल पार्टी के लोगों को लगे कि उनके हित में काम हो रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगे। लेकिन जब कल पार्लियामेंट का चुनाव आएगा और यही काम यदि कल पार्लियामेंट के चुनाव के समय में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के साथ होगा तब माननीय सदस्यों को पता चलेगा यह प्रेसीडेंट रूल हैं या चीफ इलैक्शन कमिशनर का रूल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में जानबूझ कर यह कोशिश की जा रही है कि संवैधानिक संकट पैदा किया जाये। पहले यह तय था कि 15 मार्च को बिहार विधान सभा का सत्र खत्म हो रहा है और 15 मार्च तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना चाहिये था लेकिन जानबूझ कर डेट को बढ़ाते चले गये। पहले 5,7 और 9 तारीख रखी गई, फिर 15, 19 और 21 रखी गई, उसके बाद 25 तारीख और फिर 28 तारीख रखी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 तारीख तक बिहार में जो चुनाव हो जाने चाहिये थे, वह बिहार का चुनाव बीरबल का खिचड़ी बन गया है और किसी को मालुम नहीं है कि इन चुनावों के नतीजे कब तक प्रकाशित होंगे? चुनाव निष्पक्ष हो, इसमें बिहार सरकार की तरफ से कहीं कोई आपत्ति नहीं उठायी गई। सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. की जितनी जरूरत है यह तय करना भारत सरकार और इलैक्शन कमीशन का काम था। इलैक्शन कमीशन ने चाहा वहां होम कमिशनर को बदला, डी.जी.पी. पुलिस को बदला। उसने चाहा तो होम सैक्रेटरी को बदला। जिला मजिस्ट्रेट को भी बदलने का काम किया गया। हम लोगों की एक ही मंशा थी कि चुनाव एक नियत समय के अनुसार हो जाने चाहिये, लेकिन अभी भी अप्रैल के पहले सप्ताह में पूरे गया जिले के जितने भी हमारे हर पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जितने भी प्रीजाइडिंग आफिसर्स हैं, जितने भी डी.एम. व एस.पी. हैं, इन सब को दिल्ली बुलाया गया है। हमें नहीं मालूम कि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो हम लोगों को यू.एन.ओ. बुलाया जायेगा क्योंकि बिहार में इलेक्शन कमीशन का आफिस है, वहां भी बुलाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जब अप्रैल के पहले सप्ताह में रख दिया गया है तो इसका मतलब है कि 30 मार्च तक वहां चुनाव का काम पूरा नहीं होगा और नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वहां निश्चित रूप से जो राष्ट्रपति शासन लागू करने का विचार सरकार के मन में है,...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आपको मालूम है पहले कहा गया कि तब तक किसी भी राज्य में होने वाले चुनावों के परिणाम नहीं निकाले जायेंगे जब तक कि सब राज्यों में चुनाव नहीं हो जायेंगे। 11 तारीख को बिहार में चुनाव का पहला चरण चल रहा था और उसी तारीख को महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के चुनावों का रिजल्ट भी आउट हो रहा था। चीफ इलैक्शन कमिशनर के द्वारा कहा गया कि बजट पेश नहीं होगा क्यों कि उससे दूसरे राज्यों के चुनाव प्रभावित होंगे लेकिन बजट पेश कर दिया गया। महोदय, 1 लाख 35 हजार रुपया कॅडीडेट्स के खर्चे के लिए रखे गये और वह खर्चा 20 दिन के अंदर पहले अमुमन होता था और नोमिनेशन के सात दिन के पीरियड तक नोमिनेशन रहता था, दो दिन के बाद स्कुटनी होती थी, फिर विदड्राल होता था और विदड्राल के 20 दिन के अंदर चुनाव हो जाते थे। लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं, हम सर्दियों में कोट पहन कर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और अब गर्मियां आ गई हैं, अभी तक चुनाव परिणाम नहीं आए हैं और खर्चा वही 1.35 लाख ही है। मतलब यह कि कितना बड़ा मखौल हो रहा है। ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, क्या ऑफ दी रिकार्ड?

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही से बाहर नहीं है। आपकी टिप्पणी कार्यवाही से बाहर है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, कोई संवैधानिक संस्था सरकार से ऊपर नहीं है। कहां पर कब इलेक्शन होगा, यह देखना सरकार का काम है, सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, लेकिन लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं। पार्लियामेंट चल रही है जो कि सर्वोच्च संस्था हैं, लेकिन आज तक हमको मालूम नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य है या नहीं और वहां पर चुनाव कब होंगे, इसके बारे में सरकार पार्लियामेंट में बताएगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त तारीख तय कर रहे हैं कि 16 जुलाई के पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में जान बूझ कर संवैधानिक संकट उत्पन्न किया जा रहा है। पहले 15 तारीख बताई गई थी, अब 31 मार्च की तारीख दी गई है, जब कि वित्त वर्ष समाप्त होता है, इससे पहले हमको नहीं लगता कि बिहार में चुनाव परिणाम आ जाएंगे। इस संबंध में मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को दोशी नहीं मानता हूं, इसके लिए भारत सरकार दोशी है, भारत सरकार जान बूझ कर इस तरह का काम कर रही है। इस संबंध में मेरा चैलेंज है कि जितना निष्पक्ष चुनाव होगा, उतनी ही मजबूती से बिहार में जनता दल सरकार बनाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, भले ही कितनी तिकड़म लगाओ या रिजल्ट देर से अनाउंस करो। मेरा कहना है कि चुनाव को पोलीटीकली फाइट करो, टेक्नीकली फाइट मत करो, इलेक्शन कमीशन की आड़ में शिकार करने की कोशिश मत करो, नहीं तो भविष्य में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कहीं भारत सरकार बिहार में चुनाव रोकने की साजिश तो नहीं कर रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। क्या 30 तारीख से पहले वहां के चुनाव नतीजे आने शुरू हो जाऐंगे, यदि नहीं तो फिर सरकार की क्या मंशा है, यह मैं जानना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नियम है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक सेशन में एक ही विषय बार-बार नहीं उठाया जा सकता, इसके बावजूद इस विषय को 4-5 बार सदन में उठाया गया, इस पर भी हर आदमी बोलना चाहेगा तो यह कैसे संभव है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को डायरेक्ट कर दीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, विगत शुक्रवार को विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया है, परंतु हमारे देश में आज भी 6 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक से मरते हैं, जो बहुत चिंताजनक है। औषधि विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद यह स्थिति बहुत चिंताजनक है और हमारी स्वास्थ्य नीति के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। अभी मंत्री महोदय दवाइयों के संबंध में जानकारी दे रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि तपेदिक से संबंधित दवाएं मंहगी हो रही हैं। सरकार कैंसर, पोलियो आदि रोगों के बारे में तो जागरूकता पैदा कर रही है, लेकिन टी बी रोग के प्रति उतना काम नहीं हो रहा है और हमारी जनता की अज्ञानता, अशिक्षा, कुपोषण, कार्य करने की प्रदूषित परिस्थितियां, अजागरुकता आदि कारणों से हमारे यहां शहरों, गांवों में किसान, मजदूर इस रोग के शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में प्रति 1000, 5 वर्ष से अधिक आयु के 5 व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हैं। हमारे यहां लोग यह नहीं जानते कि एक रोगी 20 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, टी बी रोग के संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, प्रत्येक औषधालय में इस रोग के उपचार की सुविधाएं हों, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए तथा टी बी उपचार से संबंधित दवाइयां सस्ती होना चाहिए, ताकि इस असाध्य रोग को साध्य बनाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह के समाचार पत्रों में एक अत्यन्त चिन्ताजनक समाचार छपा है। बिहार में आई.ए.एस. अधिकारियों की पत्नियों के संघ ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि बिहार के मुख्य मंत्री के किसी घनिष्ठ रिश्तेदार ने एक आई.ए.एस. अधिकारी की पत्नी, जो कि शक्तिनगर में मतदान-केन्द्र संख्या 23 में अपना मतदान करने गई थी, को यह धमकी दी है कि यदि उसने अपना मतदान किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। यहां तक कि उसने उसके लड़के का अपहरण करने की धमकी भी दी है। यह एक अत्यंत चिन्ताजनक बात है जबकि हम कानून के शासन की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र सम्बन्धों की बात कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे और न बढ़ाएं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता।

मैं यह कह रहा हूं कि जबकि गृहणियां चिल्ला रही है और जब वे मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को अभ्यावेदन दे रही हैं, तो इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए तथा सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। और जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। यह एक गम्भीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं इसका समर्थन करता हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर.एल. भाटिया यहां मौजूद हैं। आज एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में हमारा ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि जब उक्त मंत्री महोदय पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर पाकिस्तान उच्चायोग गए, तो उनसे उचित व्यवहार नहीं किया गया। मैं यह मामला दोनों देशों में एक प्रकार से वैरभाव पैदा करने के लिए नहीं उठा रहा हूं। ऐसे लोग मौजूद हैं जोकि भड़काना चाहते हैं और सम्बन्धों में एक प्रकार की कटुता पैदा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान के लोगों के प्रति सद्भावना है। भड़काने वाली स्थिति के बावजूद हम चाहते हैं कि मधुर सम्बन्ध विकसित हों और बने रहें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं। और यदि ऐसा हुआ है तो हमारी निराशा उन तक उचित प्रकार पहुंचाई जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज शून्य काल केवल पन्द्रह मिनट का ही क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास आज अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, अर्थात् बजट। ऐसा कभी-कभार ही होता है।

12.13 1/2 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7243/95]

(2) (एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7244/95]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आदि

जल-भूतल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) सा.का.नि. 650(अ), जो 23 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापटनम पत्तन कर्मचारी वर्गीकरण नियंत्रण और अपील संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 834(अ), जो 2 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7245/95]

(2) (एक) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7246/95]

(4) (एक) कोचीन गोदी श्रम बोर्ड, कोची के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन गोदी श्रम बोर्ड, कोची के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7247/95]

परम्परागत छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने और बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार/संवीक्षा करने संबंधी याचिका

12.14 1/2 म.प.

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं परम्परागत छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने और बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति पर पुनर्विचार/संवीक्षा करने के लिए संयुक्त उद्यमों के विरूद्ध राष्ट्रीय मत्स्य कार्यवाही समिति, कोची के राष्ट्रीय संयोजक श्री थामस कोचेरी द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

12.15 म.प.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 मार्च 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर आते हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाने के पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि आज सामान्य बजट पर चर्चा किस समय आरम्भ करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : सम्भव है, इसके तुरंत पश्चात्।

12.16 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्र द्वारा जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का उचित उपयोग करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को अनुदेश जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बस्तर जिला में पानी पीने के लिए हर गांव में हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी है पर ज्यादा पानी की तकलीफ के मई-जून के माह में अधिकांश हैंड पम्पों में पानी सूख जाता है। अत्यधिक गर्मी के दिनों में भू-जलस्तर नीचे चले जाने से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हैंड पम्प का खनन केवल दो सौ फुट तक होता है। अन्य क्षेत्रों में अधिक संख्या में हैंड पम्प होने से नीचे जलस्तर पर ज्यादा दबाव बढ़ा है। इसलिये अब हैंड पम्प का खनन दो सौ से बढ़ाकर तीन सौ फुट तक गहराई का खनन करने का आदेश दिया जाये।

अतः केन्द्र शासन से निवेदन है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में केन्द्र से जो विशेष सहायता के अन्तर्गत समस्या मूलक गांवों के लिये भारी राशि का आबंटन किया जाता है उसके सही उपयोग हेतु राज्य शासन को दिशा निर्देश दिया जाये।

(दो) उड़ीसा में राउरकेला हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने और उड़ान भरने संबंधी अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, राउरकेला को आदिवासी क्षेत्र का मुख्य केन्द्र होने के अलावा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का वहां एक इस्पात कारखाना होने का गौरव प्राप्त है। यह हावड़ा-बम्बई के मुख्य रेल-मार्ग पर स्थित है और इस कारण इसे अच्छी रेल परिवहन सुविधाएं प्राप्त हैं। उद्योगपतियों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा वहां उद्योग लगाए जाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध किए जाने के बावजूद, वे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं क्योंकि यहां विमान सेवा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं

हैं। किसी समय भारतीय विमान पत्तन के स्वामित्वाधीन वहां का हवाई पट्टी (एअरस्ट्रिप) इस समय भारतीय इस्पात प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन है। इस हवाई अड्डे पर केवल दिन के समय छोटे तथा मध्यम आकार के विमानों के उतरने की सुविधा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि एयर बस तथा बोइंग विमानों के वहां रात के समय भी उतरने तथा उड़ान भरने की सुविधाएं उपलब्ध करके इस हवाई अड्डे का विकास किया जाए ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियां भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकें। इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

(तीन) सेवर (राजस्थान) में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आगरा-जयपुर हाईवे पर भरतपुर के पास सेवर से दिल्ली-बम्बई जाने वाली बड़ी लाइन निकलती है। रेलगाड़ियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने के कारण स्टेशन के पास स्थित रेल फाटक अक्सर बंद रहता है जिसके कारण फाटक के बाहर बड़ी संख्या में वाहन रुके रहते हैं। इसी मार्ग से अधिक दूरी तक जाने वाली बसें, पर्यटक बसें, ट्रक ट्रेक्टर, ट्रालियां आदि गुजरती हैं। इन सबको घंटों फाटक के खुलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बसों में जाने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई तथा असुविधा होती है तथा ट्रकों आदि में ले जा रही सब्जी देरी से पहुंचने के कारण उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। रेल फाटक बंद होने के कारण फाटक के आस-पास से रेल लाईन पार करने की कोशिश करते हैं जिससे अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः मेरा माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही सेवर उपरि पुल का निर्माण करवायें जिससे वहां की जनता राहत की सांस ले सके।

(चार) बिहार के चतरा जिले के बहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का चतरा जिला देश का अति पिछड़ा और अति गरीब जिला है। यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आबादी देश और बिहार राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अधिक है फिर भी समेकित विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंकों ने यहां ऋण के रूप में जो आर्थिक मदद की है वह लक्ष्य से बहुत कम है। वर्ष 1993-94 में बैंकों का निर्धारित लक्ष्य 5504 था किन्तु उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा अग्रसारित 5710 आवेदन पत्रों में 30 अप्रैल, 1994 तक सिर्फ 2076 की ही स्वीकृति दी है। इसी प्रकार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चतरा द्वारा निर्धारित लक्ष्य 22 के विरुद्ध सिर्फ एक ही आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया। अतः सरकार से मांग है कि वह इस पिछड़े इलाके में विशेष ध्यान दें और निर्धारित लक्ष्य को हर हालत में पूरा करे।

12.20 म.प.

सामान्य बजट, 1995-96 सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं, अर्थात् सामान्य बजट-प्रथम क्रम 1 मद संख्या 8, 9 तथा 10 एक साथ ली जाएंगी और आवंटित समय दस घंटे है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ चार में मांग संख्या 1 से 26, 28, 29, 31 से 58, 60 से 91, 93 और 95 से 99 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्य सूची के स्तम्भ 5 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	235,13,00,000	1,91,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	37,16,00,000	50,87,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	91,48,00,000	-
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	47,80,00,000	32,59,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	18,73,00,000	4,04,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1063,72,00,000	40,85,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन विभाग	11,94,00,000	8,85,00,000
8.	पर्यटन विभाग	15,41,00,000	2,74,00,000

1	2	3	4
	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4,45,00,000	15,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	29,21,00,000	74,36,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	105,89,00,000	14,42,00,000
12.	पूर्ति विभाग	5,45,00,000	–
	संचार मंत्रालय		
13.	डाक विभाग	372,69,00,000	12,31,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	1584,36,00,000	1159,17,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
15.	रक्षा मंत्रालय	337,80,00,000	3,42,00,000
16.	रक्षा पेंशनें	476,13,00,000	–
17.	रक्षा सेवाएं–थल सेना	2140,49,00,000	–
18.	रक्षा सेवाएं–नौ सेना	261,29,00,000	–
19.	रक्षा सेवाएं–वायु सेना	710,72,00,000	–
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	118,07,00,000	–
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	1224,55,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	71,39,00,000	1,19,00,000
	विदेश मंत्रालय		
23.	विदेश मंत्रालय	191,81,00,000	7,84,00,000
	वित्त मंत्रालय		
24.	आर्थिक कार्य विभाग	579,70,00,000	27,67,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	112,96,00,000	59,99,00,000
26.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	132,14,00,000	1053,96,00,000
28.	राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1416,46,00,000	79,17,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	–	49,00,00,000
31.	व्यय विभाग	2,28,00,000	–
32.	पेंशनें	165,94,00,000	–
33.	लेखा परीक्षा	66,85,00,000	–
34.	राजस्व विभाग	52,44,00,000	89,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	66,66,00,000	28,25,00,000

1	2	3	4
36.	अप्रत्यक्ष कर	100,80,00,000	35,95,00,000
	खाद्य मंत्रालय		
37.	खाद्य मंत्रालय	903,71,00,000	27,69,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6,85,00,000	1,50,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
39.	स्वास्थ्य विभाग	181,84,00,000	61,23,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	315,89,00,000	3,00,000
	गृह मंत्रालय		
41.	गृह मंत्रालय	47,38,00,000	2,70,00,000
42.	मंत्रिमंडल	8,44,00,000	–
43.	पुलिस	498,98,00,000	69,08,00,000
44.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	62,24,00,000	32,74,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	39,15,00,000	41,56,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
46.	शिक्षा विभाग	450,42,00,000	9,00,000
47.	युवा कार्य और खेल विभाग	21,78,00,000	34,00,000
48.	संस्कृति विभाग	32,62,00,000	–
49.	महिला और बाल विकास विभाग	129,15,00,000	–
	उद्योग मंत्रालय		
50.	औद्योगिक विकास विभाग	130,43,00,000	23,00,000
51.	भारी उद्योग विभाग	3,33,00,000	39,92,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	27,00,000	
53.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	109,17,00,000	50,89,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	22,31,00,000	3,14,00,000
55.	प्रसारण सेवाएं	215,50,00,000	50,36,00,000
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मंत्रालय	94,63,00,000	18,00,000
	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	58,60,00,000	–
58.	चुनाव आयोग	55,00,000	–
60.	कम्पनी कार्य विभाग	2,73,00,000	1,00,000

1	2	3	4
	खान मंत्रालय		
61.	खान मंत्रालय	28,09,00,000	4,83,00,000
	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
62.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	37,39,00,000	4,01,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	29,00,000	-
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	13,46,00,000	33,00,000
	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
65.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	46,00,000	71,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
66.	योजना	18,98,00,000	4,23,00,000
67.	सांख्यिकी विभाग	11,49,00,000	96,00,000
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	131,84,00,000	-
	विद्युत मंत्रालय		
69.	विद्युत मंत्रालय	95,87,00,000	469,31,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
70.	ग्रामीण विकास विभाग	2286,36,00,000	-
71.	परती भूमि विकास विभाग	17,80,00,000	-
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
72.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	64,31,00,000	6,00,00,000
73.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	67,01,00,000	1,50,00,000
74.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	16,09,00,000	-
	इस्पात मंत्रालय		
75.	इस्पात विभाग	81,00,000	48,26,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
76.	भूतल परिवहन	6,36,00,000	8,10,00,000
77.	सड़कें	93,85,00,000	157,45,00,000
78.	पतन दीपस्तम्भ और नौवहन	30,12,00,000	45,38,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
79.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	91,54,00,000	4,51,00,000

1	2	3	4
	शहरी विकास मंत्रालय		
80.	शहरी विकास और आवास	85,77,00,000	32,93,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	60,46,00,000	32,52,00,000
82.	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,51,00,000	92,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
83.	जल संसाधन मंत्रालय	61,67,00,000	4,56,00,000
	कल्याण मंत्रालय		
84.	कल्याण मंत्रालय	162,40,00,000	30,78,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
85.	परमाणु ऊर्जा	98,56,00,000	111,12,00,000
86.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	8600,00,000	50,00,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
87.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	26,44,00,000	3,59,00,000
	महासागर विकास विभाग		
88.	महासागर विकास विभाग	9,45,00,000	1,54,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग		
89.	अन्तरिक्ष विभाग	138,75,00,000	14,02,00,000
	संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
90.	लोक सभा	8,13,00,000	-
91.	राज्य सभा	4,16,00,000	-
93.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	6,00,000	-
	विधानमण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
95.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49,43,00,000	29,41,00,000
96.	दादरा और नगर हवेली	10,75,00,000	3,33,00,000
97.	लक्षद्वीप	19,05,00,000	2,66,00,000
98.	चंडीगढ़	56,54,00,000	11,03,00,000
99.	दमन और दीव	9,45,00,000	2,48,00,000
	जोड़ (राजस्व/पूंजी)	17886,02,00,000	5442,30,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या 1 से 7, 9, 11 से 15, 17 से 25, 27, 29, 32 से 34, 36, 38 से 47, 50 से 56, 58 ,60, 63 से 65, 67 से 69, 71,72, 75 से 80, 82, 83, 88 से 90, 92, 94 से 98।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें सामान्य

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग राशि

मांग की सं.	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि	264,51,00,000	-
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	3,12,00,000	73,90,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	18,63,00,000	-
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	23,68,00,000	-
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	1,00,000	7,81,00,000
6.	उर्वरक विभाग	75,00,00,000	-
7.	नागर विमानन विभाग	69,90,00,000	-
9.	नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	25,20,00,000	-
11.	वाणिज्य विभाग	252,19,00,000	-
12.	पूर्ति विभाग	78,00,000	-
13.	दूरसंचार मंत्रालय	3,41,00,000	-
14.	डाक सेवाएं	120,98,00,000	18,02,00,000
15.	दूरसंचार सेवाएं	1,00,000	199,99,00,000
17.	रक्षा पेशनें	14,84,00,000	-
18.	रक्षा सेवाएं थल सेना	256,98,00,000	-
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	77,87,00,000	-
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	205,15,00,000	-
21.	रक्षा आयुध निर्माणिया	35,84,00,000	-
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		102,11,00,000
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	-
24.	विदेश मंत्रालय	80,74,00,000	1,16,00,000
25.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	12,86,00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	255,08,00,000	1075,60,00,000
29.	राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	871,90,00,000	94,00,00,000
32.	व्यय विभाग	-	1,82,00,000
33.	पेंशनें	24,66,00,000	-
34.	लेखा परीक्षा	7,73,00,000	-
36.	प्रत्यक्ष कर	33,00,00,000	45,00,00,000
38.	खाद्य मंत्रालय	1100,28,00,000	-
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	-	1,00,000
40.	स्वास्थ्य विभाग	185,88,00,000	2100,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	222,76,00,000	214,00,000
42.	गृह मंत्रालय	13,35,00,000	-
43.	मंत्रिमंडल	10,04,00,000	-
44.	पुलिस	60,99,00,000	3,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	-	20,94,00,000
46.	अन्य क्षेत्रों की सरकारों का अन्तरण	5,00,00,000	-
47.	शिक्षा विभाग	173,25,00,000	-
50.	महिला और बाल विकास विभाग	57,00,000	-
51.	औद्योगिक विकास विभाग	3,00,000	-
52.	भारी उद्योग विभाग	1,00,000	60,31,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	25,00,000	-
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,00,000	-
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	6,50,00,000	1,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	32,92,00,000	-
58.	विधि और न्यास	1,39,00,000	-
60.	खान मंत्रालय	1,58,00,000	-
63.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,11,00,000	-
64.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	-	552,08,00,000
65.	योजना	-	9,00,00,000
67.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	22,00,000	-
68.	विद्युत मंत्रालय	-	2,00,000
69.	ग्रामीण विकास विभाग	200,01,00,000	-
71.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	12,26,00,000	-
72.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	16,17,00,000	267,00,000
75.	भूतल परिवहन	57,00,000	4,00,00,000
76.	सड़कें	174,84,00,000	69,00,00,000
77.	पतन, दीपस्तम्भ और नौवहन	77,74,00,000	3,00,00,000

1	2	3	4
78.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	-	106,50,00,000
79.	शहरी विकास और आवास	25,60,00,000	21,01,00,000
80.	लोक निर्माण कार्य	47,38,00,000	26,71,00,000
82.	जल संसाधन मंत्रालय	-	6,89,00,000
83.	कल्याण मंत्रालय	4,90,00,000	23,77,00,000
88.	अन्तरिक्ष मंत्रालय	20,00,00,000	-
89.	लोक सभा	6,08,00,000	-
90.	राज्य सभा	3,83,00,000	-
92.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,00,000	-
94.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,00,00,000	1,00,000
95.	दादरा और नगर हवेली	50,00,000	2,01,00,000
96.	लक्षद्वीप	2,56,00,000	1,07,00,000
97.	चंडीगढ़	14,22,00,000	-
98.	दमन और दीव	30,00,000	3,09,00,000
	जोड़	5162;35,00,000	2567,54,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह। उपस्थित नहीं है। अगले सदस्य हैं, श्री देवी प्रसाद पाल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। जसवन्त सिंह जी, आपका नाम पुकारा गया था।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : जिस समय मेरा नाम पुकारा गया मैं उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे माननीय अध्यक्ष ने बताया था कि निश्चय ही यह चर्चा आरम्भ की जाएगी परन्तु मैं यह आशा नहीं करता था कि यह...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आप एक क्षण रुकें। श्री जसवन्त सिंह आ गए हैं। मैं उनका नाम पुकार चुका हूं। अब आप कृपया बैठ जाएं।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मुझे बजट का समर्थन करना है। अतः यह हर्ष का विषय होगा कि इस चर्चा का आरम्भ मैं करूं। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, तरीका यह नहीं है। सामान्य बजट पर चर्चा कोई राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आपको बाद में अवसर मिलेगा। अब मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

डा. देवी प्रसाद पाल : मेरे विचार में महोदय, मैं आरम्भ कर सकता हूं क्योंकि मुझे बजट का समर्थन करना है। यदि विपक्ष अपनी टिप्पणी देना चाहे, तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : उनका उत्तर वह नहीं देंगे। उनका उत्तर विस्तार मंत्री देते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छोटी-छोटी बातें नहीं उठानी हैं। क्योंकि इस समय हम सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करने जा रहे हैं, मेरे विचार में यह काफी लाभप्रद होगा कि वित्त मंत्री यहां उपस्थित रहने की कृपा करते। मुझे अपने मित्र की महान योग्यता पर पूरा विश्वास है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : उपाध्यक्ष महोदय, वह इस समय मंत्रिमंडल की बैठक में है। महोदय, वह आ जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। निवेदन केवल यह है कि यदि श्री चन्द्रशेखर मूर्ति के मंत्रिमंडलीय सहयोगी आपस में परामर्श करना चाहते हैं, तो यदि वे पीछे चले जाएं और पीछे के बैंचों पर बैठकर परामर्श करें तो कम बाधा पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : तब मैं चला जाता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, यह आपके लिए नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके यहां उपस्थित रहने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं मनमोहन जी को यहां आने के लिए कहूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथमतया, मैं माननीय वित्त मंत्री को (भले ही वह अनुपस्थित हैं) बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना उत्तरोत्तर पांचवां बजट पेश किया। जहां तक मुझे मालूम है देश में किसी अन्य वित्त मंत्री ने ऐसी प्रतिष्ठता अर्जित नहीं की और निश्चय ही जिस स्तर पर भी बहुत कम ही वित्त मंत्री हैं जिन्हें कि इस वित्तीय नीति सम्बन्धी दस्तावेज के माध्यम से पांच उत्तरोत्तर वर्षों के लिए अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यदि मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा इस लिए करूं कि यह सुअवसर उनको मिला तो इसके साथ-साथ मैं उन्हें सावधान भी करूंगा क्योंकि अब कोई बहाना नहीं रह जाएगा जिसका कि वह सहारा ले सकें।

मुझे भली प्रकार याद है कि जब उन्होंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया, उन्होंने यह "मुख्य धारणा", जो कि मुझे युक्तियुक्त नहीं लगी और कुछ-कुछ अतिरंजनपूर्ण भी लगी, प्रस्तुत करके अपना भाषण आरम्भ किया कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जितनी गिरावट आनी थी, वह 1989 तथा 1991 के बीच के वर्षों के दौरान आई। अतः जो कुछ भी केन्द्रीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने अब किया है वह अनिवार्यतया इन दो वर्षों की अवधि में आई कमी को दूर करना है। मैं यह भी अवश्य बताना चाहता हूं कि एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते, उन्होंने जितने भी अपने उत्तरोत्तर बजट भाषण दिए हैं, उनमें वह इस बात को सदैव दोहराते रहे हैं। उनके बजट हमें भाषण में यह पांचवी बार है कि उन्होंने कहा है: हमें एक कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। अतः जब मैंने इस प्रशंसा से आरम्भ किया कि वित्त

मंत्री को पांचवां उत्तरोत्तर बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला है तो मैंने उन्हें सावधान भी किया कि जहां तक अब केन्द्रीय वित्त मंत्री का सम्बन्ध है अब कोई बहाना नहीं रह गया है; अब वह इस बात के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहरा सकते कि देश के साथ क्या हो रहा है। मैं एक गलत बात को ठीक करना भी आवश्यक समझता हूं जिसे कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बार-बार दोहराया है। यह बात समझ में आती है कि जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो उन्होंने अपने पूर्वाधिकारियों पर दोषारोपण करके वाद-विवाद में एक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त किया, भले ही वह उद्देश्य कितना ही छोटा क्यों न हो। परन्तु जब वह पांच बार इसे दोहराते हैं तो इसके ठीक किये जाने की आवश्यकता है और वह शुद्धि यह है कि यदि राष्ट्र को, यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था 1991 की अवधि के दौरान, जबकि वह इन्हें विरासत में मिली, कठिन स्थिति में थी तो इसके साथ दो अकाट्य बातें भी रिकार्ड की जानी चाहिए। वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था की उस स्थिति के लिए 1985 से 1989 की अवधि के दौरान राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया अपव्यय सम्पूर्णतः जिम्मेवार है। यदि इस विषय पर कि यह अपव्यय था—मैं इस समय उस सरकार के राजनीतिक लाम्पट्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजीव गांधी सरकार के आर्थिक अपव्यय की बात कर रहा हूं—एक वाद-विवाद रखा जाए तो यह बात सिद्ध की जा सकती है कि राजीव गांधी सरकार का आर्थिक अपव्यय ही था जिससे कि डा. मनमोहन सिंह को वह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जिनका कि वह बार-बार उल्लेख करते हैं।

दूसरे, यह बात भी रिकार्ड में लाई जानी चाहिए कि इस अर्थव्यवस्था, जो कि डा. मनमोहन सिंह को निरन्तर मिलती रही, के लिए किसी न किसी रूप में स्वयं वह ही सीधे जिम्मेवार है। यदि वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी जैसा कि उन्होंने पांचवीं बार कहा तो निश्चय ही डा. मनमोहन सिंह भी पहले की अवधि के दौरान अपने विभिन्न रूपों में इसके लिए जिम्मेवार हैं।

महोदय, इस धारणा को ठीक करके, वित्त मंत्री को उनको प्राप्त सुअवसर के लिए बधाई देकर तथा उनकी प्रशंसा करके, मैं यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं यह ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं बजट सम्बन्धी इस दस्तावेज का किस प्रकार उल्लेख करूं। मैंने उनके बजट भाषण में यह देखा है कि जो कुछ भी वित्त मंत्री ने किया है वह यह है कि आरम्भ के आठ या नौ पृष्ठों में एक प्रकार से अपनी प्रशंसा की है और स्वर्गीय पण्डितजी का उनकी नीतियों की निरन्तरता के बारे में सरसरी उल्लेख किया है—मैं नहीं जानता किस प्रकार। और फिर अत्यन्त अशोभनीय तथा अत्यन्त अविश्वसनीय तरीके से प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन के कुछ प्रशंसनीय उल्लेख किए गए हैं और इन दोनों के बीच इस बजट दस्तावेज में एक कर्तव्य-मात्र के रूप में उत्पादन तथा आयात शुल्क की दरों में परिवर्तन सम्मिलित है और तत्पश्चात् यह बजट भाषण उर्दू की नज्म से, जोकि बिल्कुल अनावश्यक हैं, समाप्त हो जाता है। सचमुच यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उर्दू नज्म की वहां क्या आवश्यकता थी। परन्तु ऐसा लगता है कि अब यह एक फैशन बन गया है। अतः यह एक प्रकार की बजट-खिचड़ी है जिसमें आरम्भ में अपनी स्वयं की प्रशंसा, अन्त में अनावश्यक उर्दू नज्म तथा बीच में शुल्क में परिवर्तन शामिल है और शुल्क में परिवर्तन भी अनिवार्य थे। तब इन बजट दस्तावेजों की आवश्यकता ही क्या थी? **(व्यवधान)**

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : यह उर्दू नज्म शेरों में है।

श्री जसवंत सिंह : मुझे उर्दू नज्म के विरूद्ध बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री मेरी योग्यता तथा ज्ञान के साथ तनिक भी न्याय नहीं कर रहे हैं। निस्सन्देह, मैं उनके ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकता। परन्तु मैं भी उर्दू नज्म का कुछ-कुछ ज्ञान रखता हूं और कुछ-कुछ इसकी समझ भी। परन्तु यहां मैं यह कह रहा हूं कि जहां बजट-भाषण समाप्त होता है, उस स्थान पर उर्दू नज्म असंगत है। मैं समझने की बात नहीं कर रहा हूं... **(व्यवधान)** । मैं प्रत्येक व्यवधान का उत्तर नहीं दूंगा। परन्तु यह आत्मश्लाघा, उर्दू नज्म और बीच में शुल्क परिवर्तन की बजट-खिचड़ी है। सचमुच, मैं यह सब समझ नहीं पा रहा हूं। यह पांचवां बजट है; हमारी आशाएं अधिक हैं। फिर भी, वित्त मंत्री मात्र एक इन्सान हैं और एक इन्सान के नाते, यदि वह आत्मश्लाघा में लिप्त हो जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं के तकनीकी प्रबन्धन का श्रेय लेना चाहते हैं, तो निश्चय ही वह श्रेय ले सकते हैं। वह श्रेय क्यों नहीं ले सकते? यह इन्सान की आम कमजोरी रही है और यदि वित्त मंत्री ऐसा कर रहे हैं तो मैं इन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा परन्तु बजट की सर्वोपरि मेरी क्या धारणा बनी है? मैं निराश हूं। अतः पहली धारणा निराशा की है। इन बजट दस्तावेज में जिस चुनाव-राजनीति का प्रभुत्व है, उससे मै निराश हूं।

मेरी दूसरी कठिनाई तुलनात्मक अधिक, चिन्ताजनक है। इसका कारण यह है कि सत्तारूढ़ दल को मतदाताओं के हाथों भारी पराजय मिलने के तुरन्त बाद वे कुछ ही दिनों-सप्ताहों तथा महीनों के विचार-विमर्श की तो बात ही अलग-के भीतर एक ऐसी चीज लेकर आ गए जिसे कि वे बजट की संज्ञा देते हैं जोकि अन्यथा एक दस्तावेज है और मेरे अनुसार वह अधिकांशतः दिशाहीन है। यह प्रयोजनहीन भी है। यह एक प्रकार की अस्पष्ट कामचलाऊ, बेमानी लेखा-सम्बन्धी दस्तावेज है।

महोदय, कांग्रेस के कुशासन के अन्तिम वर्ष, कदाचित अन्तिम महीनों, में जब मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए कहा गया तो मैंने अपने आपसे पूछा कि मैं 1995-96 के बजट पर कैसी टिप्पणियां दूं, इस पर किस प्रकार चर्चा आरम्भ करूं। वास्तव में मेरे पास दो विकल्प थे। या तो मैं, जो इस विशेष बजट में बड़ी खामियां हैं, उनपर चर्चा करूं अर्थात् व्यवस्था के प्रबन्ध के स्तर पर बजट, जहां कि बजट वास्तव में वित्तीय नीति का दस्तावेज होता है और यह चुनाव-पूर्व का अथवा मत इकट्ठे करने का प्रयास नहीं होता और जहां हम व्यापक मुद्दों पर चर्चा करते हैं न कि शुल्क दरों के छोटे-छोटे मुद्दों पर। जहां कि शुल्क दर 65 प्रतिशत से कम होकर 45 प्रतिशत तक अथवा 65 प्रतिशत से

हट कर 20 प्रतिशत हो जाता है और मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि मैंने बजट में समाविष्ट प्रत्येक शुल्क-दर की प्रासंगिकता की खोजबीन करने के प्रयास में अपने को लगाया और किसी अन्य प्रयोजन में नहीं तो कदाचित हम महत्वपूर्ण बातों की अनदेखी करके महत्वहीन बातों में उलझ जाएंगे।

अतः महोदय, मैं केवल उन्हीं मुद्दों पर अपने विचार रखूंगा जो कि मेरे ख्याल में वित्त मंत्री के 1995-96 के बजट-भाषण तथा बजट-प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न होते हैं। निस्सन्देह, यह सभी मुद्दे नहीं हैं, और यह भी हो सकता है कि कुछेक मुद्दों की ओर मेरा ध्यान न गया हो एवं स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दों को विवादास्पद बनाया जाएगा। परन्तु मेरे विचार में वे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मेरे मन में इस समय सर्वोपरि हैं। इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैंने अपनी राजनीतिक धारणाओं को इनसे अलग रखने का प्रयास किया है। हालांकि, निस्सन्देह, मैं उस प्रकार की निष्पक्षता का दावा नहीं कर सकता जैसाकि सत्तारूढ़ दल कहता है कि वह देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते समय इस निष्पक्षता का प्रयोग करता है।

महोदय, बिल्कुल पहला ही मुद्दा जिसकी ओर मैं सरकार तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के विपरीत दावों के बावजूद, सभी प्रमाणपत्रों के बावजूद, जिनसे कि कदाचित आप सन्तुष्ट हुए होंगे, मैं इस सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था अनिवार्यतया कमजोर है। हम एक गम्भीर गलती कर रहे होंगे। यह सरकार एक गम्भीर गलती कर रही होगी कि यदि हमारे भुगतान संतुलन के तकनीकी प्रबन्ध के आधार पर और केवल इसी आधार पर आज आपके पास लगभग बीस अरब डालर की विदेशी पूंजी किसी न किसी रूप में मौजूद है— मैं देश में इस दुलर्भ मुद्रा की आमद के विश्लेषण में नहीं जाना चाहता— और यदि केवल इसी आधार पर सरकार ने यह तर्क देना है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था कठिनाई में नहीं रह गई है, यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार से ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है कि अब उसका ग्राफ निरन्तर तथा अनिवार्यतया ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो आप एक गम्भीर गलती कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोरी है और इसके लिए आपको सावधान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। यह कमजोरी अनेक बातों पर आधारित है और अब मैं पहली बात का उल्लेख करता हूं जिसके आधार पर मैं यह समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है। पहला कारण जिसके आधार पर कि मैं यह समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है, वह यह है कि प्रथमतया जिस प्रकार से, जिस दिशा में तथा जिस गति से सुधार किए जाने चाहिए, उसके लिए सरकार में राजनीतिक इच्छा का अभाव है।

दूसरी बात यह है महोदय, कि सरकार में सभी व्यक्तियों द्वारा, जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी इस बारे में कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जा रहा है, राजनीतिक सहमति का अभाव है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक सहमति अथवा उनके दल के बीच?

श्री जसवंत सिंह : मैं स्पष्ट करूंगा। केवल राजनीतिक दलों के बीच ही राजनीतिक सहमति नहीं है, आप और विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच भी राजनीतिक सहमति नहीं है, केन्द्रीय सरकार तथा संघ के राज्यों के बीच भी राजनीतिक सहमति नहीं है, बल्कि देश में सामान्यतया तथा व्यापक रूप में राजनीतिक सहमति का अभाव है और जो कुछ भी आप अर्थव्यवस्था के साथ कर रहे हैं, उसका यही कारण है। इस राजनीतिक सहमति के सार के रूप में, राजनीतिक दलों के यहां उपस्थित प्रतिनिधि इस राजनीतिक सहमति को प्राप्त करने का साधन बनते हैं। इस राजनीतिक सहमति अथवा राजनीतिक इच्छा के अभाव का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि किसी सुसंगत तथा सुविचारित दर्शन-शास्त्र के समर्थन के बिना आपने एक आर्थिक नीति तैयार की जिसे कि आपने "नई आर्थिक सुधार नीति" की संज्ञा दी। "नई आर्थिक नीति" नाम का एक वाक्यांश आपके हाथ में पड़ गया, और क्योंकि यह वाक्यांश आपके हाथ में पड़ गया, अतः आपकी पार्टी के भीतर भी इस बात पर कोई समझौता नहीं है कि यह आर्थिक नीति है क्या। केवल इस मान-चित्र की विस्तृत रूपरेखा की भरपाई करने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि एक आधारभूत राजनीतिक दर्शन के विद्यमान होने का भी प्रश्न है, मात्र जिससे ही आपके आर्थिक विचार को उभर कर बाहर आना है। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और इससे मेरा अभिप्राय सरकारी बैंचों पर बैठे सदस्य के प्रति कोई निरादर की भावना नहीं है। निस्संदेह राष्ट्र की सेवा उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है और निस्संदेह वे जन हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। परन्तु यदि आप में राष्ट्र-हित की भावना विद्यमान है और आप जन-हित के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब आप इस बात को जारी नहीं रख सकते जिसे कि आप नई आर्थिक नीति की संज्ञा दे रहे हैं, जब तक कि आपका कोई आधारभूत राजनीतिक दर्शन न हो जिसे कि आप प्रस्तुत करते हों। वह बुनियादी राजनीतिक दर्शन क्या है? आपकी आर्थिक विचारधारा क्या है? क्योंकि यही बुनियादी दोष है, इसलिए आपका यह बजट एक औपचारिक कार्यवाही रह जाती है जोकि सम्पन्न की जानी चाहिए। और कभी आप कहते हैं, "यह फरवरी में की जानी चाहिए।" और फिर आप कहते हैं, "नहीं, नहीं। यह फरवरी में नहीं की जा सकती, यह हम मार्च में करेंगे।"

मैं यहां पर ही बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि जहां तक यह अत्यधिक नौकरशाही, लालफीताशाही, विनियमन हटाने, विनियन्त्रण करने आदि का सम्बन्ध है, मेरे विचार में पर्याप्त सहमति विद्यमान है। राष्ट्र में इस बारे में भी सहमति विद्यमान है कि जहां तक सरकार के इस दमनकारी हाथ का सम्बन्ध है यह भारतीय प्रतिभा को प्रस्फुटित होने में विफल बनाता है। अतः परमात्मा के लिए, इसे हटाएं। इसके बारे में लगभग सहमति है। बिल्कुल यही है जोकि आपने नहीं किया

है। क्योंकि आप ऐसा करने में विफल रहे हैं, अतः जहां तक जन-साधारण का सम्बन्ध है, यहां तक कि मेरा एवं आपका भी सम्बन्ध है, हम अभी भी अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के शिकार हैं चाहे हमारा काम डाकघर में हो, रेल-टिकट खरीदना हो, अथवा बस पकड़नी हो, अथवा ग्रामीण भारत में चाहे यह पुलिस की भूमिका हो अथवा थानेदार की अथवा पटवारी अथवा तहसीलदार की भूमिका हो। जहां तक एक साधारण भारतीय नागरिक का सम्बन्ध है, आपके नए आर्थिक सुधार का उसके लिए क्या अर्थ है? इसका तनिक भी कुछ अर्थ नहीं है। इससे उसका लेशमात्र भी कल्याण नहीं हुआ है। यदि आपने सरकार को कारगर बनाया होता, यदि आपने शासन में सुधार लाया होता, यदि आपने सरकार में बहुलता दूर की होती, यदि आप भारतीय नागरिक को यह महसूस करने दें कि वह स्वाधीन है तथा वह अपनी रचनात्मक प्रतिभा का कार्यरूप दे सकता है तो परिस्थिति में निश्चय ही सुधार होता। परन्तु ऐसा करने में आप निश्चय ही असफल रहे हैं हालांकि इस बारे में सहमति विद्यमान है।

ऐसे मुद्दे कौन-कौन से हैं जिनके बारे में सहमति नहीं है? विश्व व्यापीकरण तथा बाजार-शक्तियों के मुद्दों पर कोई सहमति नहीं है।

अतः जब हम में से कुछ ने कहा, हमने किया और मैंने अभी भी भारतीय रचनात्मक प्रतिभा पर से नौकरशाही के इस अनावश्यक नियंत्रण को हटाए जाने के पहलू को अपना समर्थन जारी रखा है परन्तु निश्चय ही इस सम्बन्ध में मतभेद है कि बाजार-शक्तियां आखिर हैं क्या। सभी बातों का उत्तर बाजार शक्तियां नहीं हैं। यहां पर राज्य की आवश्यकता महसूस होती है, एक संवेदनशील राज्य की, एक ऐसा राज्य जोकि जनता का ध्यान रखता हो और फिर एक ऐसा राज्य जोकि भ्रष्ट न हो। आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। मैं ये तीनों गुण आपको भेंट नहीं कर सकता; और फिर जब इन गुणों में से आपके पास एक भी गुण नहीं है तब फिर राज्य नागरिकों के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप किस प्रकार कर सकता है और उस पर भी यह कह सकता है कि यह आर्थिक नीति हम नागरिकों के लिए ही लाए हैं।

महोदय, यही कारण है कि दूसरे पहलू पर, जिसे कि आप आजकल प्रचलित भाषा में "विश्व व्यापीकरण","बाजार-शक्तियां" आदि की संज्ञा देते हैं, राष्ट्रीय सहमति विद्यमान नहीं है। यही कारण है कि मैंने यह कहकर अपनी बात आरम्भ की थी कि यदि कोई कमजोरी है तो इसका कारण यह है कि राजनीतिक विचारधारा का अभाव है और इसके साथ जुड़ा हुआ है राजनीतिक इच्छा का अभाव और इनके कारण राजनीतिक सहमति का अभाव उत्पन्न हुआ है। मैं इस बिन्दु पर और अधिक नहीं बोलूंगा परन्तु यह आपके विचार के योग्य है और हालांकि केन्द्रीय वित्त मंत्री यहां नहीं है—मैं समझता हूं कि किसी अन्य स्थान पर व्यस्त हैं—तब भी मुझे कोई सन्देह नहीं कि मेरे प्रिय मित्र, वित्त राज्य मंत्री, वह सब कुछ, जो मैं कह रहा हूं, उन तक पहुंचा देंगे।

महोदय, अब मैं तीसरे पहलू पर आता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा परन्तु मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि वित्तीय घाटे एवं वित्तीय अनुशासन के बारे में मुझे अपने गम्भीर विचार तथा वित्तीय आंकड़ों के प्रति कुछ चिन्ता व्यक्त करते रहना पड़ेगा। तीन अलग-अलग वित्तीय बिन्दु हैं—वित्तीय घाटा, वित्तीय अनुशासन का अभाव तथा वित्तीय आंकड़ों के बारे में कुछ चिन्ता। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट के प्रस्तुतीकरण के समय से ही कुछ दावों को आरम्भ किया कि वित्तीय घाटा कम होकर किसी निश्चित प्रतिशतता पर आना चाहिए। मैं आंकड़ों पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता। उन्होंने यह कहा कि आने वाले वर्षों में यह घाटा कम होकर कुल घरेल आय का 5.5 प्रतिशत रह जाएगा। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जोकि हाल ही में दिल्ली आए थे और जिन्होंने कि भारत सरकार के आंकड़ों को गलत बताया था, पर भी विश्वास नहीं करना चाहता। मैं अपना विश्वास उन्हीं आंकड़ों पर जारी रखूंगा जोकि मुझे मेरी सरकार देती है न कि उन आंकड़ों पर, जोकि मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। मैं आप पर भरोसा करूंगा। परन्तु क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं, क्योंकि राष्ट्र उन आंकड़ों पर विश्वास करता है जो आप देते हैं, तो कृपया इन आंकड़ों को एक महत्वहीन दस्तावेज न बनाएं जिसपर कि यहां केवल कार्यवाही-सी हो। प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह 5.5 अथवा 7.3 अथवा 6.8 प्रतिशत है। प्रश्न यह है : इस वित्तीय घाटे का मुख्य कारण क्या है।

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि इस वित्तीय घाटे का एक कारण यह भी है कि लघु बचतों से धन का अन्तरण हुआ है, उन्होंने कहा कि क्योंकि लघु बचतों में वृद्धि हुई, अतः राज्यों को धन का अन्तरण हुआ और इसलिए वित्तीय घाटा अधिक है; यदि आप इसे सम्मिलित न करें तो यह घाटा कम होगा।

महोदय, मेरा निवेदन है कि बजट-निर्माण की तकनीक के दृष्टिकोण से कदाचित उक्त तर्क दिया जा सकता है परन्तु यह बहुत असंतोषजनक तर्क है। यह ऐसा उत्तर नहीं है जिसकी हम वित्त मंत्री से आशा करते हैं। यह निश्चय ही एक ऐसा उत्तर है जोकि शायद कोई वित्त सचिव किसी वित्त मंत्री को दे। मुझे आशंका है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री अभी भी इस बात में अन्तर नहीं कर पा रहे हैं कि जब वह संसद में केन्द्रीय बजट पर अपना भाषण दे रहे हैं तो उस समय वह तकनीकी उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी वह कह रहे हैं उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा संतोषप्रद उत्तर देना होगा। बढ़ी हुई लघु बचतों को राज्यों को अन्तरित किया जाना वित्तीय घाटे को कम न किए जाने का एक कारण हो सकता है परन्तु एक और कारण, जो कि शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और निश्चय ही एक ऐसा कारण है जिसकी ओर सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है, वह है सरकारी खर्च में अनुशासन का घोर अभाव। यह आपका पांचवां बजट है। आपका यह दावा है कि आपने अपना कार्य अति उत्तम ढंग से तथा सम्पूर्ण रूप से किया है। मैं आंकड़ों का उल्लेख करके सभा को उबाना नहीं चाहता कि गत पांच वर्षों में किस प्रकार सरकारी खर्च निरंतर अनियंत्रित तथा गैर-जिम्मेदाराना रहा है। मैं इस वाद-विवाद को इस कम स्तर पर नहीं लाना चाहता। इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य, माननीय चन्द्रशेखरजी यहां उपस्थित हैं। वह मेरी गलती सुधारेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया याद करें, लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व जब सरकारी खर्च का प्रश्न सामने आया, तो माननीय वित्त मंत्री ने अनेक घोषणाएं कीं। प्रधान मंत्री ने कहा कि इसको अवश्य ही कम किया जाना चाहिए और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए वह दो अतिरिक्त सचिवों, तीन संयुक्त सचिवों आदि के पद कम कर रहे हैं। सारी बात एक मजाक बनकर रह गई। आप अनियंत्रित सरकारी खर्च के पूरे प्रश्न को लापरवाही से ले रहे हैं।

न केवल यह नहीं किया गया बल्कि इन सभी वर्षों में जबकि परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके संसद में बने रहने की जिम्मेवारी सौंपी है, मैंने इस प्रकार का घोर गैर-जिम्मेदाराना सरकारी खर्च नहीं देखा। इस सरकार के मंत्री निजी विमानों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं जैसे कि वे निजी टैक्सियां हों। जब कोई मंत्री किसी समारोह के लिए जा रहा हो तो वह इस बात को अपनी गरिमा पर कुठाराघात समझता है यदि कोई अन्य मंत्री जो शायद उसी स्थान पर उसी समारोह में शामिल होने जा रहा है, उसके विमान में यात्रा करे। निस्संदेह वे अब इण्डियन एयरलाइन्स के विमान द्वारा यात्रा करना अपनी गरिमा के विरूद्ध समझते हैं। कोई भी मंत्री इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रा नहीं करना चाहता। वे सभी अपने निजी विमान का प्रयोग करना चाहते हैं। वे इन विमानों के स्वामी नहीं हैं। पहले वे सभी उपक्रमों के विमानों द्वारा यात्रा किया करते थे चाहे वह तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हो अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य उपक्रम। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता। केवल यह ही नहीं। यदि, उदाहरण के तौर पर, भोपाल में कोई समारोह होता है तो कोई मंत्री विमान लेगा और स्वयं ही वहां जाएगा। कोई अन्य मंत्री दूसरा विमान लेगा और तीसरा मंत्री तीसरा विमान लेगा। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है। यदि स्थिति यह है तो मंत्रिमण्डलीय सचिव अथवा अन्य सचिव भी ऐसा ही क्यों न करें। अतः वे भी ऐसा ही करते हैं।

[हिन्दी]

यहां गाड़ियों के काफिले निकलते हैं जब शाम को संसद की बैठक समाप्त होती है और हमें यहां खड़े रहने की जरूरत होती है। उसमें आपको ज्यादा जांच-पड़ताल नहीं करना होता है। 30-30, 40-40 गाड़ियों के काफिले और कैसे सरकार के स्पैंडिंग की बात करते हैं, किस देश में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, आंकड़ों के आधार पर आप मेरी बात का खण्डन कर सकते हैं। मैं इस विशेष बिन्दु पर अधिक नहीं बोलना चाहता परन्तु जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है आप इस बात का खण्डन करने की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं कि क्या भारत एक गरीब देश है अथवा नहीं। व्यक्तिगत रूप में मेरा यह विचार है कि भारत एक समृद्ध देश है, शायद धन के दृष्टिकोण से नहीं, परन्तु अनेक अन्य दृष्टिकोण से। आप अनन्तकाल तक इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या भारत एक गरीब देश है अथवा नहीं। परन्तु भारत निश्चय ही गरीब लोगों का देश है और यदि भारत ने गरीब लोगों का देश बने रहना है, सरकारी खर्च में इस प्रकार का अपव्यय भारत के प्रति अपराध है और यदि यह भारत के प्रति अपराध है तो यह ठीक नहीं है कि वित्त मंत्री हमें उपदेश दें और अपने उत्तरोत्तर पांचवें बजट भाषण में उस अस्थायी भुगतान शेष की कठिनाई का उल्लेख करना जारी रखें जो कि 1989 तथा 1991 के दो वर्षों में अस्थायी रूप में उत्पन्न हुई। सरकारी खर्च में इस प्रकार अनियंत्रित अपव्यय वित्तीय अनुशासन के अभाव का एकमात्र सर्वाधिक बड़ा कारण है और इससे ही वित्तीय घाटे के उन आंकड़ों पर प्रश्न-चिन्ह लगता है जोकि वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किए हैं।

महोदय, अब मैं अगले बिन्दु पर आता हूं जो कि बैंकों, बीमा तथा अन्य ऐसे संस्थानों के बारे में है। बैंकिंग प्रणाली में सुधार काफी समय से लम्बित है। मल्होत्रा समिति रिपोर्ट के नाम से बीमा सुधार सम्बन्धी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है।

महोदय गत चार से छः सप्ताहों में भारत से बाहर हुई तीन घटनाओं से मुझे दुःख पहुंचा है। ग्रेट-ब्रिटेन की ही मुख्य कम्पनियां समाप्त हो गई हैं। इनमें से एक है "स्टिफन बारबुर्ग" और दूसरी है "बेरिंग ब्रादर्स" जोकि बहुत बड़ा प्रसिद्ध बैंक था और इतना ही पुराना तथा प्रसिद्ध जितना कि "बैंक ऑफ इंग्लैंड" है। "क्रेडिट लिओने ऑफ फ्रांस" इस दौरान भारी कठिनाई में पड़ गया और इसके परिणामस्वरूप फ्रांस की सरकार को इसके बचाव के लिए आगे आना पड़ा। मैं "क्रेडिट लिओने" के बारे में कुछ न कहकर निश्चय ही बेरिंग ब्रादर्स और स्टिफन बारबुर्ग के बारे में बोलूंगा। केवल पन्द्रह दिनों के भीतर ही न केवल अपराधी की पहचान कर ली गई बल्कि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी कार्यवाही की जानी थी, इस बैंक अर्थात् "बेरिंग ब्रादर्स" के विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जानी थी, वह की गई और वह कार्यवाही पारदर्शी भी थी। इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, अनियंत्रित, रूप से चली आ रही गलत कार्यवाहियों के परिणामों के विरूद्ध, संरक्षण प्रदान किया।

मेरे संसदीय जीवन का सर्वाधिक दुःखद अनुभव है यह अभागी संयुक्त संसदीय समिति। मैं ऐसा कहने के लिए समिति के सभापति, जोकि यहां विद्यमान हैं, से बार-बार क्षमायाचना करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अभागी कौन? रिपोर्ट अथवा समिति?

श्री जसवन्त सिंह : उस समिति की रिपोर्ट ही अभागी है। समिति ने 18 मास की दीर्घ अवधि तक घोर परिश्रम किया और सर्वसम्मति से रिपोर्ट प्रस्तुत की। आप इस रिपोर्ट को पसन्द न करें और न ही आपको यह कहने की आवश्यकता है कि यह एक सम्पूर्ण रिपोर्ट है। संसद की कोई भी रिपोर्ट कभी भी सम्पूर्ण नहीं हो सकती। कुछ उपचारी उपाय किए जाने के लिए, कुछ सुधार किए जाने के लिए यदि यह अधूरा कदम भी था तो भी आपको अपनी नई आर्थिक नीति, सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम आदि के लिए इस रिपोर्ट की ओर ध्यान देना

चाहिए था। जो भी गलतियां आप कर रहे थे उनको सुधारने के लिए आपको इस रिपोर्ट का सहारा लेना चाहिए था। इस राष्ट्रीय प्रयास की ओर आपको इस रिपोर्ट का प्रयोग एक रचनात्मक दस्तावेज के रूप में करना चाहिए था। परन्तु इसके बजाय आपने इस रिपोर्ट के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह अशोभनीय दस्तावेज है—एक ऐसा दस्तावेज जिसे कि छिपा दिया जाना चाहिए। किसी तरह, समय बीतने के साथ और ठीक उसी नौकरशाही-घबराहट के साथ, जिसका कि हम उल्लेख करते आ रहे हैं और जिसके विरूद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं, और आपसे उसे हटाए जाने के लिए कहते रहे हैं, ठीक उसी तरह के नौकरशाही-नियंत्रण के कारण आपने अब उस रिपोर्ट को दफना दिया है। अब लगभग अप्रैल, 1995 है। एक भी बैंक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई और उसमें सुधार नहीं हुआ। वे बिल्कुल नहीं रुकते। जिन विदेशी बैंकों ने भारत से खिलवाड़ किया उन सबके बारे में बहुत गम्भीर टिप्पणियां की गई हैं।

1.00 म.प.

किसी को भी सजा नहीं दी गई है। वे सभी लोग अभी भी अपना कारोबार चला रहे हैं।

वित्त मंत्री महोदय, इस प्रसंग में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में अन्यों ने क्या किया है चाहे वह बेरिंग ब्रादर्स है अथवा स्टेफन बारबुर्ग अथवा क्रेडिट लिओने। मैं यह अत्यन्त दुःख के साथ कह रहा हूं तथा इसमें काफी शर्म महसूस कर रहा हूं। यदि आपकी बैंकिंग प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो आप किस प्रकार आर्थिक सुधार कार्यक्रम रख सकते हैं? यदि आपकी बैंकिंग प्रणाली क्रियाशील नहीं है तो आप कुल मिलाकर, जो इमारत खड़ी करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद किस पर रख रहे हैं। अथवा विश्वव्यापीकरण, बाजार-शक्तियों आदि की बात करने का क्या लाभ? कृपया याद रखें, कि यह आवश्यक नहीं कि साम्यवाद के अन्त अथवा कार्ल मार्क्स के अन्त का अर्थ मिल्टन फ्रीडमैन की विजय है। यह दावा करना ठीक नहीं है कि क्योंकि हम बाजारीकरण अथवा बाजार-शक्तियों की बात करते हैं, अतः यह लाभकर होने के समान है। कृपया यह भी याद रखें कि प्रत्येक बाजार-शक्ति अथवा बाजार-तत्व में लाभ के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। राज्य को अवश्य ही करुणा रखनी होगी, देख-रेख की भावना रखनी होगी और भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा। अल्प-बल तथा कार्यान्वयन दोनों के भ्रष्टाचार से दूर। परन्तु न ही तो आपमें करुणा है और न ही देख-रेख की भावना। निस्संन्देह, आप अभ्रष्ट नहीं हैं। आप यह सब कुछ राष्ट्र की कीमत पर जारी रखे हुए हैं। आप इस शानदार इमारत की बात करते हैं, अर्थात् यह कि आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार करना चाहते हैं, और आप इसकी बुनियाद दलदल पर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने कमजोर अर्थव्यवस्था का उल्लेख करके अपनी बात आरम्भ की थी। यदि आपकी बैंकिंग प्रणाली सक्षम नहीं है, तो इस नई आर्थिक नीति का क्या लाभ; यह नई आर्थिक नीति किस के लिए है?

मैं आपको एक गम्भीर चिन्ता की बात बताना चाहता हूं जो मेरे मन में है। माननीय वित्त मंत्री के भाषण में इसका कुछ उल्लेख है। आखिरकार, वह इन्सान हैं और यदि वह जो कुछ भी परमात्मा ने वर्षा के रूप में भेजा, उसके लिए श्रेय लें तो कोई अन्तर नहीं पड़ता।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हमारा कृषि का उत्पादन हुआ है यह विषय कुछ ऐसा है कि जिसको मैं अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर हिन्दी में रख सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है वह यह है कि आज हमारा कृषि का उत्पादन एक जगह आकर प्लेटो हो गया है, करीब 180-185 मिलियन टन पर और उससे आगे नहीं जा रहा है। अब आप अपनी पीठ थपथपा लें या अपने आपको बधाई देना चाहें, या कहें कि कोई बड़ा तीर मार लिया है, तो आप यह कर लीजिए। यह तो देश के ऊपर मालिक की बहुत बड़ी दुआ रही कि 5 साल से लगातार अच्छी बरसात होती रही।

श्री संतोष मोहन देव : मालिक तो आपका ही है, राम ने कृपा की।

श्री जसवंत सिंह : हां, राम ने कृपा की।...**(व्यवधान)** क्योंकि विषय ऐसा है, क्या मैंने कोई गलती की है।...**(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) **:** क्या आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा न हो।

श्री जसवंत सिंह : मैं तो चाहता हूं कि आगे भी भगवान को कृपा बनी रहे और हमारे देश का उत्पादन बढ़ता रहे, लेकिन आप इतना कह देते कि जो कृषि उत्पादन बढ़ा है, इसके पीछे भगवान की कृपा है। आप बताना चाहते हैं कि यह सरकार की कोई बड़ी विलक्षण नीति है, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। मैं वास्तव में दो तीन पहलुओं पर चेतावनी देना चाहता हूं, जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, यह 180-185 मिलियन टन पर आकर रुक गया है। अब इसमें आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए या संतोष कर लीजिए। श्री नाथू राम मिर्धा जी यहां बैठे हैं, जो एग्रीकल्चर कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, वे भी मेरी बात से असहमत नहीं होंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) **:** इनकी रिपोर्ट धूल खा रही है।

श्री जसवंत सिंह : अब इनकी रिपोर्ट की कद्र इनकी पार्टी वाले ही न करें, तो उसमें तो हमारा दोष नहीं है। 180 मिलियन टन, 185 मिलियन टन पर आकर रुक गये। आप हर बार यही कहेंगे कि जब तक अच्छी बरसात होती रहेगी, हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। यह कब तक चलेगा?

मैं वित्त मंत्रीजी को दूसरी कठिनाई के बारे में बताना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि आज कृषि में कैपिटल इंवेस्टमेंट होना रुक गया है। आप उद्योग में पैसा लगा रहे हैं, शहरों में लगा रहे हैं, लेकिन गांवों में जो कृषि पर खर्चा होना चाहिए

वह नहीं हो रहा है। वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि यह बात सही है कि नहीं हो रहा है और उसके लिए हम एक नया लेंडिंग इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि गांवों में खर्चा नहीं हो रहा है और आप कानूनी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, अभी की नहीं सोच रहे हैं। जब तक कृषि में केपिटल इंवैस्टमेंट नहीं होगा, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ईश्वर न करे कि हमें फिर वे दुर्दिन देखने पड़ें। चैत में जो बरसात होती है, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है-'चैत बरसे चड़पड़े-सावन सूखो जाये।' इसका मतलब है कि चैत में अगर बारिश हो जाती है तो सावन सूखा निकलता है, ऐसा वहां के लागों का मानना है। हम चाहते हैं कि सावन में बारिश हो। अगर हमारी सारी कृषि केवल वर्षा पर निर्भर है, तो आप बैठे-बैठे अपनी पीठ मत थपथपाये। मेरा यह निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें कि कृषि पर पैसा क्यों नहीं लग रहा है।

अब मैं कृषि क्षेत्र में तीसरी कठिनाई आपको बताना चाहता हूं, आप इसके मर्म को समझें। केवल भारत एक ऐसा देश है जो जानवर की चर्बी को गलाकर खाना नहीं बनाता। विश्व में सारे देश जानवर की चर्बी से खाना पकाते हैं। इसीलिए भारत में घी, तेल और डालडा हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं। आपकी नीतियों के चलते हमारे देश में आयल-सीड पर कितना नुकसान पहुंचेगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह आप गम्भीरता से सोचें। मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहा पर माननीय दाऊजी बिराजे हैं। पहले अपने यहां सोयाबीन की खेती नहीं होती थी। आपने कहा कि सोयाबीन पोष्टिक है, तो उसकी खेती यहां होने लगी। साथ-साथ आपने मंगफली या अन्य आयल-सीड के बारे में कहा कि भारत में इनको प्रोत्साहन दिया जायेगा, क्योंकि हम खाने के तेल के लिए दूसरे देशों पर कब तक निर्भर रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के अखबार में आया है कि सोयाबीन का आपका आयात करीब 15 या 35 हजार टन है। अमरीका का यह उत्पाद जब अपने देश में पहुंचेगा तो इसका भाव वह होगा जो हमारी मंडियों से भी कम होगा। फेर हमारा किसान क्या करेगा? अगर यही रास्ता मूंगफली के बारे में भी अपनाया गया तो क्या होगा? अमरीका में बहुत मूंगफली होती है। मैं वित्त मंत्रीजी से और उनके दल से पूछना चाहता हूं कि जब वह यहां आयेगी तो हमारे देश के किसानों की जो कीमत उपज पर लगती है, उससे भी कम भाव में यहां वह बिकने लगेगी तो हमारी मूंगफली के उत्पादन का क्या होगा? अभी जो आपके कल-कारखाने लगे हैं, जो वेजिटेबल आयल एक्स्ट्रेक्ट करते हैं।

जो हमारे देश के लिये एक आवश्यक चीज है, उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। उसका क्या परिणाम निकलेगा? हमारे वित्त मंत्री जी ने केवल इतना कहकर संतोष कर लिया कि हमारी कृषि नीति के कारण उत्पादन 180 मिलियन टन हो गया है। यह चूंकि सरकार की नीति के कारण हुआ है, इसलिये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिये और इसके लिये हम नये इंस्टीट्यूशन्स खड़े कर रहे हैं और उसको पैसा देंगे। ईश्वर न करे यदि विश्व में अनाज और तेल की कमी आ गयी तो आप मानकर चलिये कि भारत को मांगने पर कोई देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आप खरीदन के लिये जायें भी, तो भी नहीं ला सकते हैं। मैं इस बात के लिये आपको चेतावनी देना चाहता हूं। यदि मेरी समझ में गलती हो तो माननीय वित्त मंत्री जी, आप उस गलती को सुधारें और संक्षेप में मैंने जिन कठिनाइयों को आपके सामने रखा, उसका उत्तर दें।

[अनुवाद]

सरकार ने बजट तैयार करते हुए सामाजिक कार्यक्रम के विषय पर काफी समय व्यतीत किया और बजट-भाषण में इस कार्यक्रम के लिए कई पृष्ठ प्रयोग किए। मुझे प्रसन्नता है कि लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय-जल, ग्रामीण विकास तथा गरीबों की दशा जैसे विषयों के सम्बन्ध में सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं, उनके महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करने के लिए वित्त मंत्री महोदय ने समय निकाला। परन्तु एक संदेह मुझे परेशान कर रहा है और वह सन्देह यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने ये सभी उल्लेख, बजट-भाषण में ये सभी पैराग्राफ इसलिए नहीं दिए हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों के प्रति सरकार की कोई दृढ़ धारणा है बल्कि इसलिए कि सरकार चुनावों में मतदाताओं के हाथों बार-बार मिली भारी पराजय से मजबूर है और यह कि मतदाता कुछ संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप इस राजधानी नगर दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपके अपने लिए है।

मैं चाहूंगा कि सरकार मेरी इस बात पर विचार करे कि आप अपनी शेष आर्थिक विचारधारा में सामाजिक कार्यक्रम को एक अनुबन्ध के रूप में जोड़ें। यदि आपकी शेष आर्थिक-विचारधारा में राजनीतिक आधार का प्रमाण है जिसके कारण कि सामंजस्य का अभाव है तब जिस प्रकार का भी सामाजिक कार्यक्रम आप दस्तावेज में सम्मिलित करें, जैसाकि बजट-भाषण में है, उसमें आपकी दृढ़ धारणा का अभाव बना रहेगा और इस सामाजिक कार्यक्रम का एक अन्य पहलू यह है कि एक भ्रष्ट सरकार इस सामाजिक कार्यक्रम को कार्यरूप नहीं दे सकती। यदि किसी सरकार का सारा ढांचा ही भ्रष्ट हो, तब आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करना जारी रख सकते हैं तो एक अगाध कुएं में आप ये हजारों करोड़ रुपए डालते चले जाएं, भ्रष्टाचार के इस कुएं में आपका सारा धन डूब जाएगा और वहां नहीं पहुंचेगा जहां कि इसे पहुंचना चाहिए।

यदि आप आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए आवश्यक सहमति अर्जित करना चाहते हैं और इसको इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, तब आपका सामाजिक कार्यक्रम इस सहमति से प्रेरित होना चाहिए कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आप पेय-जल जैसी एक प्राथमिक आवश्यकता का प्रश्न ही लें। मुझे इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के गांवों को तो आप एक ओर रखें, देश में एक भी महानगर नहीं है जहां कि 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित है।

हम में से अधिकांश यहां ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हैं। यदि हमने पेय-जल की स्थिति के बारे में आपको बताना है, उस भयानक तथा विस्मयकारी स्थिति के बारे में, जो स्थिति आज देश में पेय-जल की कुल मिलाकर है, तथापि, मैं इसे एक सावधानी के रूप में छोड़ दूंगा जैसाकि मैं सरकार को पहले सावधान कर चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : 11 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल मिल रही है।

श्री जसवंत सिंह : जब भी हम सरकारी दावतों में जाते हैं तो वहां मिनरल वाटर की बोतल मिलती है। मुझे लगता है कि हमारी जो समझ है, हमारा जो सोच-विचार है, उसमें कहीं एक प्रकार की विकृति आ गई है। हम 30 रुपए की एक पानी की बोतल पीने को तैयार हैं जबकि 30 रुपए लीटर तो दूध का भी भाव नहीं है। आज जहां देश में पानी दूध से महंगा हो गया है, आप इसपर विचार करें कि हम कहां पहुंच गए और कहां जा रहे हैं?

[अनुवाद]

महोदय, अब मैं एक और चिन्ता के विषय पर आता हूं, जिसके तीन पहलू हैं - लोक-ऋण, मुद्रा और आर्थिक प्रभुसत्ता। वित्त मंत्री महोदय ने कल कहा कि यह कोई बड़ी चिन्ता की बात नहीं है और यह कि मैं इसके आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं और आगे यह कि लोक-ऋण में वृद्धि की दर कम हो गई है। यदि आप इससे संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, आप संतुष्ट हों। उन्होंने आगे कहा : "लगभग 80 अरब से 90 अरब डालर के कुल विदेशी ऋण की तुलना में अब हमारे पास विदेशी मुद्रा के रूप में 20 अरब डालर के रक्षित भण्डार हैं।"

यह सही माप नहीं हैं, यह समान को असमान के बराबर मानना है। जहां तक ऋण तथा आर्थिक प्रभुसत्ता का प्रश्न है। मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता। मैं आपको एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और यदि माननीय वित्त मंत्री इसका खण्डन करते हैं तो मैं आभारी होऊंगा। यह कि विश्वव्यापीकरण-उन्मुख अर्थव्यवस्था में किसी राष्ट्र की प्रभुसत्ता, मात्र आर्थिक प्रभुसत्ता ही नहीं, ऋण लेने वाले से उसके पास चली जाती है, जो ऋण देना है। यह अकाट्य बात है। यह जीवन की सच्चाई है। ऋण लेने वाला सदैव ही अपनी जिम्मेवारी का कुछ भाग ऋणदाता के हाथ सौंप रहा है। मैंने "जिम्मेवारी" शब्द का प्रयोग सावधानी से किया है क्योंकि जोकि वास्तव में सौंपी जाती है वह है प्रभुसत्ता।

आप यह कहकर खाली एक संतोष प्राप्त कर सकते हैं: "नहीं, हम अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दावा करते रहेंगे।" फिर भी, मेरा दावा है कि आपकी राष्ट्रीय तथा आर्थिक प्रभुसत्ता की तीक्ष्ण रूपरेखा पहले ही धुंधली हो चुकी है। यदि आप विदेशी ऋण तथा राष्ट्रीय ऋण के सारे प्रश्न का समाधान इसी प्रकार ही करते रहे जैसे कि अब कर रहे हैं तो यह रेखाचित्र और भी धुंधला हो जाएगा तथा आर्थिक एवं राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और भी क्षीण हो जाएगी। राष्ट्र न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक जैसे साहूकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा बल्कि अन्यों के प्रति भी। आखिरकार वे साहूकार ही तो हैं। वे आपको पैसा उधार देते हैं। कोई भी साहूकार पैसा उधार देते समय शर्तें रखेगा। आप इसे क्यों नहीं मानते? आप राष्ट्र के सामने आएं और साफ-साफ कहें, "यह समस्या यह है जोकि हमारे सामने है, और यह कुछ है जोकि हमें करना है और यह तरीका है जिससे कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे।" आप यह नहीं कर रहे हैं। आप यह करें। एक अन्य पहलू और भी है।

माननीय वित्त मंत्री ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऋण पर ब्याज देने का अनुपात क्या है। ऋण-ब्याज अनुपात के प्रश्न पर उनका यह कहना है कि हमारी स्थिति मैक्सिको जैसी नहीं है। मैं आश्वस्त हुआ कि हमारी मैक्सिको जैसी स्थिति नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। परन्तु मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री इस समस्या को अत्यधिक रूप में कम करके आंक रहे हैं। मैक्सिको-जैसी स्थिति एक वास्तविकता है। मैक्सिको हमें संकेत दे रहा है, मैक्सिको हमें बता रहा है, यह हमें सावधान कर रहा है। हमारी स्थिति कोई अधिक भिन्न नहीं है।

एक तकनीकी ब्यौरा दिया गया है कि जहां तक चालू जमा खाता घाटे का सम्बन्ध है, हमारा घाटा केवल 0.6 प्रतिशत है जबकि मैक्सिको का चालू जमा खाता घाटा काफी अधिक है। इसलिए मैक्सिको में वह सब कुछ हुआ। परन्तु मैक्सिको के साथ केवल इसी कारण से ऐसा नहीं हुआ, यह उस घोर अनिश्चितता के कारण भी हुआ जिससे कि उनकी मुद्रा ग्रस्त थी।

यदि मैं उस घोर अनिश्चितता की बात कर रहा हूं जिससे कि मुद्रा ग्रस्त है, तो पैसों के मूल्य में आई तेज गिरावट की बात नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं बात यह कर रहा हूं कि अन्ततः आज डालर-येन दर को क्या हो रहा है। डालर को क्या हो रहा है? और जो कुछ भी डालर को हो रहा है उसके कारण रुपए को क्या हो रहा है? आप अवश्य ही राष्ट्र को विश्वास में लें तथा आप संसद में हमें भी बताएं कि आपका मुद्रा-दरों के प्रबन्ध के बारे में क्या समझौता है। आपको संसद को यह बताना चाहिए और मैं निवेदन करता हूं कि आप उत्तर दें।

महोदय, मैं दो स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं उनको विस्तार से नहीं पूछूंगा। प्रथमतया, आप प्रत्येक चीज के लिए निर्यात-आधारित विकास पर निर्भर पर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, आप संसद के समक्ष अपने निर्यात-आधारित विकास के दर्शनशास्त्र को स्पष्ट करें। विश्व व्यापार संगठन की वास्तविकता की दृष्टि में और विश्व व्यापार संगठन के कई प्रति-उत्तरदायित्वों की दृष्टि में मैं निर्यात-आधारित विकास के दावे से संतुष्ट नहीं हूं। कृपया मुझे आश्वस्त करें।

मेरा दूसरा प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में है। प्रतिरक्षा बजट के ब्यौरों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास उस समय काफी वक्त होगा जब वह बजट हमारे सामने आएगा। परन्तु लगभग 1987 से 1995 तक यदि प्रतिरक्षा पर हमारा व्यय कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2.6 प्रतिशत रह गया है और यदि यही कमी रही जो कि एक वास्तविकता है, और यदि गत वर्ष के बजट से, जिसके पुनरीक्षित प्राक्कलन लगभग 23,500 करोड़ रुपए से 25,00 करोड़ रुपए थे, जोकि इस वर्ष का बजट है, तो 11 प्रतिशत की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, हमारी रक्षा सेनाओं पर वास्तविक खर्च में यह कोई बढ़ौत्तरी नहीं है बल्कि इस खर्च में गिरावट है। तीसरे, यह कि प्रतिरक्षा बजट के 65 प्रतिशत भाग का व्यय सेना कर्मचारी वर्ग पर होता है। चौथी बात यह है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि वेतन आयोग का अगला प्रतिवेदन अब आने वाला है और निस्सन्देह, वेतन आयोग के प्रतिवेदन का प्रभाव, जहां तक कि सरकार के कुल खर्च का सम्बन्ध है, प्रतिरक्षा बजट पर भी पड़ेगा। यदि प्रतिरक्षा बजट की यह स्थिति है, यदि वास्तव में यह प्रतिरक्षा बजट में कुल प्रभावी कमी है तो आप इस सदन, इस संसद को हमारी सशस्त्र सेनाओं की अपेक्षित प्रभावी रूप से युद्ध लड़ने की क्षमता की गांरटी कैसे दे सकते हैं? इस बात की दृष्टि में कि वर्तमान थल सेनाध्यक्ष तथा नौसेनाध्यक्ष दोनों ने सार्वजनिक रूप में यह कहा है कि आप सशस्त्र सेनाओं को पर्याप्त धन नहीं दे रहे हैं—नौसेनाध्यक्ष ने तो यहां तक कहा है : यदि मैं मजगांव पोत निर्माण कारखाने को क्रयादेश नहीं देता तो इस राष्ट्रीय परिसम्पत्ति की गुणवत्ता सम्भवतया पूर्णतया खराब हो जाएगी।

अन्त में मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा, मैं आत्मा के भ्रष्टाचार की बात करूंगा और मैं धन-सम्बन्धी मामलों के बारे में भ्रष्टाचार की बात करूंगा। मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि आपका नया आर्थिक सुधार कार्यक्रम अथवा आपकी नई आर्थिक नीति, अथवा जो भी आप इसे संज्ञा दें, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है।.. **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्री महोदय अब आ गए हैं.. **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : वित्त मंत्री महोदय, मुझे खेद है कि... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) **:** जो कुछ आप कह चुके हैं, उसे अब आप न दोहराएं.. **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : मैं नहीं दोहराऊंगा। महोदय, मैंने जब वह सब कुछ कहा जोकि मैं कहना चाहता हूं उस समय मुझे आपके यहां होने का लाभ नहीं मिला।

महोदय, अब मैं अपना भाषण मात्र दो वाक्य कहकर समाप्त करना चाहता हूं.....**(व्यवधान)** जो कुछ भी हो, महोदय मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि व्यक्तिगत रूप में मैं माननीय वित्त मंत्री का बहुत आदर करता हूं। महोदय, मेरी अभी भी यह राय है कि एक अत्यंत जटिल स्थिति, जिसके लिए कि वह उत्तरदायी हैं, के तकनीकी प्रबन्ध में उन्होंने उत्कृष्ट गरिमा तथा तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन किया... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : उनके आ जाने से आप बदल गए.. **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : नहीं, यह नहीं बदला है। सचमुच में यह नहीं बदला है, तनिक भी नहीं... **(व्यवधान)** यह स्वर इसलिए बदला है क्योंकि मेरे अच्छे मित्र श्री संतोष मोहन देव.. **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं तो यही कहूंगा "जाकि रही भावना जैसी, तिन हरि मूर्त पाई जैसी।" अब मैं क्या बताऊं। आप नहीं समझेंगे। आपकी भावना अगर ऐसी ही है तो उस भावना को मैं कैसे सुधारूं?

[अनुवाद]

जो कुछ भी हो, महोदय, मैं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बोल रहा था। हमारे यहां सफल सुधार कार्यक्रम नहीं हो सकता। वास्तव में, हमारे यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। यदि इसी तरह का भ्रष्टाचार बना रहा जिससे कि आज देश पीड़ित है तो यहां कोई भी कार्यक्रम नहीं चल सकता। किसी पटवारी अथवा थानेदार और किसी ऐसे व्यक्ति को, जोकि सौ रुपए अथवा पांच सौ रुपए लेता है, को सजा देने से क्या लाभ जबतक कि आप यह स्वीकार न करें कि भ्रष्टाचार अब इतना फैल चुका है कि जबतक कि इसका निवारण नहीं किया जाता तो एक राष्ट्र के रूप में हम अपने आपको भारी हानि पहुंचाएंगे।

महोदय, मैं अपने इन अच्छे मित्र को, जोकि अन्यथा बहुत योग्य व्यक्ति हैं, मात्र एक परामर्श देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि प्रथमतया यह किसने कहा। मैं नहीं जानता कि क्या यह ग्रेट-ब्रिटेन के भूतपूर्व "चांसलर ऑफ एक्सचेकर" थे - शायद वह ह्यू गेटस्कैल थे। केवल दो प्रकार के वित्त मंत्री हैं, वे जोकि इससे पहले कि वे पकड़े जाएं, छोड़कर चले जाते हैं, और एक वे जिन्हें कि बर्खास्त कर दिया जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले बजट में ही मैंने उल्लेख किया था। मुझे उस समय भी बजट-चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था और मैंने उन्हें उस समय बताया था कि वह एक माध्यम हैं; कि वह स्वयं अपने राजनीतिक संगठन, जिसके कि अब वह सदस्य हैं, की राजनीतिक चालबाजियों से अनभिज्ञ हैं और जब परिस्थिति कठिन हो जाएगी तो सम्भवतया यह संगठन वित्त मंत्री की विपरीत दिशा में चल पड़ेंगे और सभी बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराएंगे। महोदय, यही कारण है कि मैंने उन्हें "चान्सलर ऑफ एक्सचेकर" की याद दिलाई है कि वित्त मंत्री महोदय, केवल दो प्रकार के वित्त मंत्री होते हैं, एक वे जो इससे पहले कि वे पकड़े जाएं, छोड़कर चले जाते हैं और वे जिन्हें कि निकाल बाहर फैंक दिया जाता

है। श्रीमान, आप इसी प्रकार की महान बुद्धि रखते हैं और मुझे विश्वास है कि आप सही निर्णय लेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह पश्चात् 2.25 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.26 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.25 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.33 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.33 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

सामान्य बजट 1995-96—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1995-96

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1994-95

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं डा. देवी प्रसाद पाल को बोलने के लिए कहूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चर्चा के लिए आवंटित कुल समय 10 घंटे है और इसमें प्रत्येक पार्टी का अंश निम्न प्रकार है: कांग्रेस (आई)-चार घंटे और तीस मिनट, भाजपा-दो घंटे दो मिनट, सी.पी.आई.(एम)-38 मिनट, जनता दल-25 मिनट, सी.पी. आई.-15 मिनट आदि। अतः हमें आवंटित समय का ठीक अनुसरण करना है।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं।

जब श्री जसवंत सिंह अपना भाषण दे रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उनका काफी सम्मान करता हूं। मैं उनसे सहमत हूं जब उन्होंने यह कहा कि यह उनका पांचवां अवसर है जब वह बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस पर केवल यहीं कहना चाहता हूं कि किसी देश के वित्त मंत्री के जीवन में यह एक अनुपम अवसर होता है कि उन्हें देश का बजट प्रस्तुत करने के पांच उत्तरोत्तर अवसर मिले। परन्तु यह जानकर मुझे दुःख हुआ जबकि वह यह कह रहे थे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट आत्मश्लाघा है सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं उनका सम्मान करता हूं केवल इसके लिए ही नहीं कि वह क्या कहते हैं बल्कि इसके लिए भी कि वह यह सब किस प्रकार कहते हैं। उनके वाक्पटुतापूर्ण उद्‌गार के लिए भी मेरे मन में समान आदर है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि यह बजट आत्मश्लाघा कैसे है। मैं उनके ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं; उन्होंने कहा कि बजट केवल किसी वर्ष विशेष की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखे-जोखे का दस्तावेज नहीं है, यह सरकार के आर्थिक दर्शनशास्त्र का प्रतिबिम्ब है, यह उस सफलता का प्रतिनिधित्व करता है जोकि सरकार आज तक प्राप्त कर चुकी है और वह उस आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करने जा रही है जिसके लिए कि राष्ट्र के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना है। अब यदि इस पहलू को ध्यान में रखा जाए तो कोई भी आत्मश्लाघा नहीं है। वित्त मंत्री ने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सरकार की क्या सफलताएं हैं तथा इसकी भूलें क्या हैं और यह भविष्य के लिए क्या करने जा रही है।

यह बात भुलाई नहीं जानी चाहिए कि जून, 1991 में जब वर्तमान सरकार ने हमारे प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में सत्ता सम्भाली तो देश की वित्तीय स्थिति ढह चुकी थी। यह कहना ठीक नहीं है कि प्रत्येक बार, सभी पांचों अवसरों पर उन्होंने वह बात दोहराई है। इस बात को अब सभी भलीभांति जानते हैं। जून 1991 में, जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो हमारा औद्योगिक उत्पादन केवल आधा प्रतिशत था। हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति हमारे पन्द्रह दिनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। मुद्रास्फीति की दर सर्वाधिक ऊंची थी, अर्थात् अगस्त, 1991 में 17 प्रतिशत से अधिक। पिछली सरकार से जो आर्थिक स्थिति हमें विरासत में मिली, उसकी यह दशा थी। अतः सरकार को अल्पकालीन तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार के उपाय करने पड़े। सरकार का मुकाबला करने के लिए सरकार को कुछ अल्पकालीन उपाय करने पड़े जिन्हें मैं समय के अभाव के कारण नहीं दोहरा रहा हूं। संकट दूर हो जाने के पश्चात् नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति तथा नई कर-नीति के रूप में नए आर्थिक उपाय सामने लाए गए जिसके फलस्वरूप 1992-93 और 1993-94 के हमारे प्रयोगों के परिणाम संतोषजनक रहे और उस समय किए गए आर्थिक तथा वित्तीय सुदृढ़ीकरण के कारण ही हमें इन वर्षों के दौरान यह सफलता मिली। सरकार का अन्तिम लक्ष्य यह है कि हमारे आर्थिक विचार का लाभ जन साधारण तक पहुंचे। यही कारण है कि गत वर्ष भी तथा इससे पूर्व के वर्ष में भी सरकार की वित्तीय नीति में इस बात पर बल दिया गया था कि ग्रामीणवासियों की आर्थिक दशा में कैसे सुधार किया जाए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया। वर्तमान बजट में उन्होंने बताया है कि हमारी नीति गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाना है, हमारी नीति देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में सुधार करना है तथा हमारा आर्थिक लक्ष्य यह है कि हमारे आर्थिक विकास के लाभ हमारे समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचें। यही कारण है कि वर्तमान बजट मुख्यतया उस उद्देश्य पर आधारित है।

जब जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि बजट में प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों की दरों में कतिपय परिवर्तनों के सिवाय और कुछ भी नहीं है तो मुझे दुःख हुआ। सरकार की आर्थिक नीति किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन है और वह उद्देश्य है कि विकास की गति कैसे

बढ़ाई जाए। उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों में आर्थिक विकास में किस प्रकार सुधार किया जाए। दोहरा उद्देश्य है आर्थिक विकास का सामाजिक विकास के साथ संतुलन कायम करना और यही कारण है कि गरीबी उन्मूलन इस बजट का मुख्य उद्देश्य है और उसकी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भिन्न-भिन्न उपाय किए गए हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बजट में नीति की निरन्तरता को कायम रखा गया है। यह एक नीति जोकि जून, 1991 में आरम्भ की गई है। पूर्व के इन सभी वर्षों में इस नीति को लागू किया गया है और इसे प्रभावी बनाया गया है और इसके परिणाम सामने आए हैं और परिणाम यह है कि आज हमारा आर्थिक विकास 5.3 प्रतिशत है जबकि यह उस समय केवल एक प्रतिशत था जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली। जब यह सरकार सत्ता में आई तब हमारा औद्योगिक विकास केवल आधा प्रतिशत था। आज यह 8.7 प्रतिशत है तथा निर्माण-क्षेत्र में यह 9.2 प्रतिशत है और पूंजीगत सामान अर्थात मशीनरी आदि के क्षेत्र में यह 24.7 प्रतिशत है अतः ये सफलताएं हैं जोकि हमारी नई आर्थिक नीति का परिणाम है।

जब वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में इस नीति की घोषणा की गई थी, तो अनेक माननीय सदस्यों के सिर पर विदेशों पर हमारी आर्थिक अधीनता का भूत सवार था और आज भी मैं श्री जसंवत सिंह के भाषण में उसका अवशेष देखता हूं। हम काफी संतोष से यह देख सकते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में वर्तमान वित्त मंत्री ने जिस नीति की घोषणा की थी, वह सही सिद्ध हो रही है। हालांकि आरम्भ में कुछ गलतफहमी के कारण उसकी कुछ आलोचना की गई थी, परन्तु अब लगभग सभी विभिन्न राजनीतिक दलों में व्यापक राष्ट्रीय सहमति उभरी है।

श्री जसंवत सिंह कह रहे थे कि राष्ट्रीय सहमति का अर्थ राजनीतिक दलों में सहमति नहीं है परन्तु इसका अर्थ है— जन साधारण में सहमति। मुझे खेद है कि मुझे उन्हें याद दिलाना होगा कि जब राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय सहमति हो, लोकतन्त्रीय संविधान में तथा लोकतंत्रीय देश में सभी दल जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए यदि राष्ट्रीय सहमति उभरती है, तो स्वाभाविक रूप से यह कहा जा सकता है कि इस नीति को जन साधारण का समर्थन प्राप्त है। क्या सफलता है? पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार, जिसने कि पहले इसकी आलोचना की थी, ने अब इस नीति की क्षमता समझ ली है यह बात ज्ञात है कि नई आर्थिक नीति का अर्थ है— व्यापार तथा औद्योगिक नीतियों दोनों तथा हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आर्थिक गतिविधियों तथा हमारी आर्थिक जीवन की अन्य सभी गतिविधियों का उदारीकरण। इस उदारीकरण के परिणामस्वरूप सरकार नौकरशाही, नियंत्रण तथा लाइसेंसों के चुंगल से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना चाहती है। श्री जसंवत सिंह ने यह कहा : उदारीकरण की नीति के बारे में क्या है? आज भी हमने काफी नियंत्रण रखे हैं। मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि इन सबको एक दिन में ही हटाया नहीं जा सकता। परन्तु सरकार का मुख्य ध्यान इन सभी नियंत्रणों तथा लाइसेंसो को हटाना है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों की पूंजी का बड़े पैमाने पर सीधा निवेश हो तथा हमारे देश के निवेशक भी पूंजी निवेश करें।

हमने देखा है कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। जून, 1991 में हमारी विदेशी मुद्रा एक अरब एक करोड़ डालर की थी और अब यह बीस अरब डालर हो गई है। इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि हालांकि आरम्भ में आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे अब हमने इसका इस कारण से उदारीकरण कर दिया है कि हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। वर्ष 1994-95 में हमारा निर्यात 17 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। अब विदेशी निर्यात से हमारे 90 प्रतिशत आयात का वित्तपोषण होता है। इससे पूर्व विदेशों को हमारे निर्यात से हमारे 60 प्रतिशत आयात का वित्तपोषण होता था। यही है वह आर्थिक परिदृश्य जो कोई भी वित्त मंत्री, यदि उसने देश के समक्ष पूरा चित्र रखना है, प्रस्तुत करेगा। यह कोई आत्मश्लाघा का मामला नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री ने कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है जो कि पैदा हुई हैं। उदाहरणार्थ हमारे यहां अभी भी मुद्रास्फीति है जिसपर नियंत्रण पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम इसे कम करके 17 प्रतिशत से वर्तमान में 11 प्रतिशत तक ले आए हैं। हमारा घाटा वांछनीय सीमा तक नहीं रखा जा सका परन्तु फिर भी इस पर नियन्त्रण पाने के लिए प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। "आर्थिक सर्वेक्षण" ने बताया है कि मुद्रास्फीति मुख्यतया दो कारणों से होती है। प्रथमतया मुद्रा की सप्लाई 16 प्रतिशत के दर्शाए गए स्तर से अधिक हो गई है। सरकार ने देश की मुद्रा सम्बन्धी नीति को कड़ा बनाने के लिए उपाय किए हैं। दूसरा कारण है विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डार में वृद्धि और इस सम्बन्ध में भी यह सुनिश्चित करने के लिए नीति अपनाई गई है कि इस भण्डार को यूं ही न गंवा दिया जाए जिसके कारण कि मूल्यों में वृद्धि हो। अब यह स्थिति है जिसपर कि देश सफलतापूर्वक पहुंचा है। यह किसी भी सरकार के लिए, जो गत कुछ वर्षों से सत्ता में है, बड़े संतोष का विषय है। अब सारे संकट पर काबू पा लिया गया है और हम पुनर्जीवन के मार्ग पर हैं, हम आत्मनिर्भरता के मार्ग पर हैं और हम प्रतिस्पर्धा के मार्ग पर हैं और केवल इसी माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था जीवित रह सकती है। यह हम पर अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं द्वारा थोपा गया है। सोवियत रूस का ध्वंश यूरोप में पूर्वी राज्यों के उभरने, चीन के उभरने तथा आर्थिक क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के उभरने से देश के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि वह अपने में प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भरता और दक्षता की भावना पैदा करे। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि कोई भी आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है। चीन विश्व के प्रमुख साम्यवादी देशों में से एक है और उसकी विदेशी निवेश भारत के विदेशी निवेश से आठ या नौ गुना अधिक है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि विदेशी निवेशों के कारण चीन ने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता का विश्व के समक्ष त्याग किया है। इसी प्रकार सभी पांच साम्यवादी देशों में विदेशी निवेश भारत की तुलना में कहीं अधिक है।

आज जबकि हम व्यापक आर्थिक उपाय निरन्तर अपना कर पुनर्जीवन के मार्ग पर अग्रसर हैं। सरकार का ध्यान इस ओर है कि भारत के कोटि-कोटि लोगों की, जो कि गांवों में रहते हैं, गरीबी किस प्रकार हटाई जाए। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि यह चुनाव-बजट है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कोई इसी वर्ष ही नहीं चलाया गया था। यह पहले के वर्षों में भी विद्यमान था तथा गत वर्ष के पूर्व वर्ष में भी। हमारा ध्यान गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है। ग्रामीण विकास के लिए धनराशि गत वर्ष 7,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। यह कोई चुनाव-बजट नहीं है। इसलिए जब यह कहा गया कि यह कार्यक्रम केवल एक ही विशेष प्रयोजन के लिए रखा गया है, तो मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह तथ्यों का निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण नहीं है।

अब एक बात जो मैं इस महान सभा के समक्ष रखना चाहता हूं, वह यह है कि हमारा गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम क्या है। हमारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यह है कि यदि देश का विकास होना है, तो आधारभूत ढांचे संबंधी हमारी सुविधाओं का विकास होना चाहिए। जब तक कि आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं का विकास न हो, हम अपनी, सड़कों, अपने पुलों का सुधार नहीं कर सकते और न ही हम उद्योगों एवं कृषि का विकास कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकार आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुधारों की ओर अधिक ध्यान दे रही है। इस प्रयोजन के लिए वित्त विधेयक में इस वर्ष कर-विधि की धारा 80-I(ए) में संशोधन किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को, जोकि आधारभूत ढांचे के विकास में लगे हुए हैं, करों में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। करों में कमी की यह सुविधा लघु उद्योगों को भी दी गई है जिन्हें कि धारा 80-I(ए) का लाभ पहली बार मिल रहा है। अतः निश्चय ही यह कोई चुनाव-बजट नहीं है। सारी योजना यही है कि ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र दोनों में आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए तथा देश के आधारभूत ढांचे का किस प्रकार विकास किया जाए। ऐसे उद्योग, जोकि अब अपनी पूंजी आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं में लगाएंगे, तो ऐसे उद्योगों से उन्हें, जो आमदनी होगी, उस पर करों में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। हमारी कर नीति का भी निश्चय ही यह प्रयास रहता है कि लघु उद्योगों का विकास किस प्रकार किया जाए। अतः ये उपाय एक ऐसे क्षेत्र में सुधार करने हेतु किए गए हैं जो कि हमारे उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हैं। हमारे विदेशी निवेशक अपने विदेशी निवेश के 80 प्रतिशत से अधिक भाग सड़कों, पुलों, विद्युत तथा दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं।

केवल एक बात है जिसकी ओर कि मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जबकि सड़कों तथा अन्य आधारभूत क्षेत्र को मूल्य ह्रास राशि की काफी छूट दी गई है, यह सुविधा दूरसंचार उद्योग को भी दी जानी चाहिए क्योंकि यह उद्योग भी बड़े-बड़े आधारभूत उद्योगों में से एक है जिस पर कि देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है।

हम अपने ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। "नाबार्ड" ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए भिन्न-भिन्न शाखाएं खोली हैं तथा इनसे राज्य सरकारों और राज्यों के स्वामित्वाधीन उपक्रमों को ऋण दिए जाएंगे ताकि वे अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा कर सकें। हमने देखा है कि कई बार मुद्रास्फीति आरम्भ हो जाती है क्योंकि सरकार, या तो राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी अन्य उपक्रम एक बहुत ही बड़ी योजना आरम्भ कर देता है परन्तु अन्ततोगत्वा धन की कमी के कारण यह योजना अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि सरकार ने राज्य सरकारों तथा राज्यों के स्वामित्वाधीन उपक्रमों को इस प्रकार के ऋण देने की कार्यवाही की है जहां कि पहले से चली आ रही परियोजनाएं धन की कमी के कारण पूरी न हो सकीं। इस प्रयोजन के लिए सारे देश में "नाबार्ड" की भिन्न-भिन्न शाखाएं होंगी।

हमारे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों को राहत पहुंचाने के प्रयोजन से उन्हें वित्तीय ऋण तथा सहायता दी जाती है। वे हमारे गांवों में रह रहे हैं, उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती। "नाबार्ड" का एक विशेष विभाग होगा। ये कार्यक्रम हैं जो कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान गरीबी को हटाने के लिए आरम्भ किए हैं।

सरकार ने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। जून 1991 में जब यह सरकार सत्ता में आई तो केवल तीस लाख नौकरियां थीं। उस समय से लेकर प्रत्येक वर्ष साठ लाख नौकरियां उपलब्ध कराई गई और अब रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान सरकार का उद्देश्य केवल गरीबी का उन्मूलन करना ही नहीं है बल्कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में सुधार करना भी है। अब कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये प्रयास केवल चुनाव को सामने रखकर किए जा रहे हैं। ये प्रयास केवल इसी वर्ष के बजट में ही नहीं किए गए हैं बल्कि इससे पूर्व के बजटों में भी किए गए हैं। यह उसी नीति को जारी रखना है जोकि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत पहले हमारे मुख्य प्रयास के रूप में अपनाई गई थी। अतः, मैं बहुत सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि जैसाकि श्री जसवंत सिंह समझते हैं कि करों की दरों में केवल परिवर्तन ही इस बजट की एकमात्र महत्वपूर्ण बात है, ठीक नहीं है। यह बजट एक आर्थिक नीति, एक आर्थिक दर्शनशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। निस्संदेह बजट में परिवर्तन है, दरों में परिवर्तन किया गया है। हर बार वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए कि किसी वर्ष विशेष में कौन से दर उचित रहेंगे।

इस वर्ष भी छूट की सीमा 35,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है ताकि मध्यम वर्ग तथा छोटे वर्ग के लोगों में निवेश की भावना उत्पन्न की जा सके। धारा 80-एल के अन्तर्गत राहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दी गई है। इसके साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र को, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र में, धारा 80I ए के अन्तर्गत कर में छूट दी गई है। साफ्टवेयर उद्योग को, जोकि सामान का निर्यात

करके धन अर्जित कर रहा था, धारा 80 एच एच ई के परन्तुक को हटाकर किसी भी निर्यात उद्योग के स्तर पर लाया गया है।

अब ये विषय हैं जिनका सम्बन्ध कि वास्तव में देश के आर्थिक विकास से है। केवल यह ही नहीं। वर्तमान बजट ने कुछ कठिनाईयां तथा बाधाएं जो विद्यमान थीं, उनको भी दूर किया है। उदाहरणार्थ, आप विकलांग लोगों का ही मामला लें। बीस हजार रुपए तक उनकी आय को छूट दी गई है; यदि विकलांग लोगों के अभिभावक अथवा माता-पिता यदि कुछ निधियों में निवेश करते हैं, तो इनकी मृत्यु के पश्चात् भी वह आय भी, जोकि इन विकलांग लोगों की सहायता के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, छूट के अन्तर्गत आती है।

एक बात है जोकि मैं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष कहना चाहता हूं। नई कर-नीति ने आय के विभिन्न साधनों के सम्बन्ध में आय के मूल स्रोत पर ही कर की राशि काट लेने का नियम लागू किया है। इससे पूर्व यह केवल निर्माण ठेकों के सम्बन्ध में था तथा श्रमिक-ठेकों के सम्बन्ध में भी। परन्तु अब इसे व्यावसायिक लोगों की आय पर तथा विज्ञापन ठेकों और अनेक अन्य ठेकों पर भी लागू किया गया है। यह सच है कि यदि कर की कटौती मूल स्रोत पर ही हो जाती है तो वह अन्ततोगत्वा उस व्यक्ति की आय से समायोजित कर दी जाएगी जिसकी आय से कि यह काटी जाती है। परन्तु एक कठिनाई है। वित्त मंत्री निश्चय ही अपने मंत्रालय से पूछेंगे कि प्रशासनिक समस्या अथवा कठिनाई कितनी दूभर होगी। इस समय भी सावधि जमा राशियों पर उद्गम स्थान पर ही कर की कटौती का जहां तक सम्बन्ध है बैंक पहले ही यह कठिनाई प्रकट कर रहे हैं जो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में आ रही हैं तथा और भी अधिक कठिनाई पैदा होगी जब प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। यदि उस व्यक्ति को, जिसकी आय से कि उद्गम स्थान पर ही आयकर काट लिया जाता है, समय पर प्रमाणपत्र नहीं मिलता तो उसकी आय से राशि तो काट ली जाएगी परन्तु उसे अपने कर-निर्धारण के समय इस राशि का आंकलन नहीं मिलेगा। अतः उसपर दोहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री के विचारार्थ यह सुझाव रख रहा था कि आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति समय पर ऐसा प्रमाणपत्र नहीं देता कि उसने मूल स्रोत पर ही आयकर काट लिया है और उस कर का भुगतान सरकार को कर दिया है तो कुछ दाण्डिक प्रावधान होना चाहिए ताकि वह प्रमाणपत्र समय पर देने के लिए बाध्य हो।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन प्रशासनिक कठिनाइयों को आरम्भ ही क्यों किया जाए। या तो आप कहें कि मूल स्रोत पर काटा गया 30 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत आयकर और वह आयकर ही माना जाएगा जब तक कि वे यह नहीं बताते कि उनकी आय काफी कम है। मेरा नम्र निवेदन है और इसे मैं वित्त मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं कि अवधारणा पर आधारित कर को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में अनिवार्य--कर बना दिया जाना चाहिए। हालांकि केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत कृषि-आय पर कर नहीं लगता परन्तु यदि अवधारणा पर आधारित कर को 15 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत पर अनिवार्य-कर बना दिया जाता है, तो जब कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कहता है कि उसकी आय कम है तो वह सामने आए और अपना लेखा-जोखा दे और यदि ऐसा पाया गया कि उसकी आय कम है तो उसे वह राशि वापस कर दी जाएगी परन्तु अवधारणा पर आधारित के माध्यम से बहुत लोगों को कर की परिधि में लाया जा सकता है और अधिक प्रशासनिक कठिनाइयां भी पैदा नहीं होगी जोकि अन्यथा मूल स्रोत पर आयकर काटने की दशा में सामने आती हैं।

दूसरी बात जिस पर कि विचार किए जाने की आवश्यकता है वह है कि 5000 रुपए से कम मूल्य के संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास को इस वर्ष के बजट में समाप्त कर दिया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप में वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि डाक्टर, वकील तथा अन्य व्यावसायिक लोगों, जिन्हें कि पुस्तकों का अध्ययन करना होता है, पुस्तकें खरीदनी होती हैं जिन्हें कि संयंत्र तथा मशीनरी की संज्ञा दी जाती है। पहले से ही यह कहा जा रहा है कि यदि यही स्थिति है, यदि खरीदी गई पुस्तकों पर उन्हें शत-प्रतिशत छूट नहीं दी जाती तब कोई भी व्यक्ति पुस्तकें नहीं खरीद सकेगा और इसलिए, यदि वित्त मंत्री शायद सकल मूल्य ह्रास के कारण इस छूट को हटाना चाहते हों, तब भी अपवाद के रूप में इस छूट को पुस्तकों तथा अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में, जिनसे कि व्यावसायिक लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं, कायम रखा जा सकता है। अन्यथा इससे व्यवसाय में ज्ञान की वृद्धि में बाधा आएगी और निश्चय ही लोग, यदि उन्हें शत प्रतिशत मूल्य ह्रास की सुविधा नहीं दी गई, पुस्तकें नहीं खरीदेंगे।

जैसाकि मैं कह रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही एक निधि की व्यवस्था है, जोकि गरीबी उन्मूलन के लिए है और जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने की है, तथा उस निधि में किसी भी अंशदान पर आयकर में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निधि में अंशदान करता है तो उसे भी पूरी छूट दी जाएगी।

इन उपायों का आशय समाज के कमजोर वर्गों की दशा में सुधार करना है। हमारे प्रौढ़ शिक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य के प्रयोजन के लिए व्यय में वृद्धि की दर बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह दर बढ़ाकर 93 प्रतिशत कर दी गई है।

एक बार जब हम वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित कर लेंगे, एक बार जब हम उस संकट को दूर कर लेंगे जोकि जून 1991 में अभूतपूर्व दशा में हमारे सामने आया, तो विकास के लाभ जन-साधारण तक पहुंचेंगे। सरकार का आर्थिक लक्ष्य यही है।

प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हम लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हैं। माननीय वित्त मंत्री ने भी इस वचन को पूरा करना है जोकि प्रधान मंत्री ने देश को दिया हुआ है। यही वह वचन है जिसे कि हम इस वर्ष के बजट में पूरा कर रहे हैं। हमने अपने गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों की ओर काफी ध्यान दिया है। हमने अपने ग्रामीण रोजगार अवसरों की ओर काफी ध्यान दिया है ताकि देश में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके। इसके

साथ यह भी सच है कि देश के सामने इस समय ऐसी मुद्रास्फीति है जिसे कि हम पूरी तरह दूर नहीं कर सकते थे। परन्तु वित्तीय घाटा तथा इससे उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को दूर करने के दो तरीके हैं।

3.00 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

जैसाकि वित्त मंत्री ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में कहा कि वित्तीय घाटा इन दोनों तरीकों में से किसी एक द्वारा पूरा किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि यदि आप अपने खर्च में कमी करें, तो विकास में बाधा पड़ेगी, और इस प्रकार आप अपनी मुद्रास्फीति को कम करते हैं। दूसरा तरीका है कि यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं, तो आपने निर्णय लेना है। अब हमारे पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार है। हमारे खाद्यान्न भण्डार की स्थिति भी बहुत अच्छी है। हमारे खाद्यान्न भण्डार पहले की वर्षों की तुलना में कहीं अधिक हैं। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ है। हमारे निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इक्विटी अंशों के रूप में विदेशी पूंजी में वृद्धि हो रही है। अब इक्विटी शेयर देश में आ रहे हैं। देश ने निर्णय लेना है कि क्या अब हमें अपना व्यय कम करना है तथा आर्थिक विकास को कम करना है अथवा कुछ मुद्रास्फीति के जोखिम पर हमने अपने आर्थिक कार्यक्रम जारी रखने हैं, हमने अपने आर्थिक विकास को जारी रखना है। हमने अभी यही चयन करना है। यदि आज हमने चयन करना है तो हमें अपने आर्थिक विकास में बाधा न डालने का चयन करना चाहिए। निस्संदेह मुद्रास्फीति विद्यमान है। जैसाकि वित्त मंत्री ने बताया, सरकार खर्च कम करके वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयत्न कर रही है। निस्संदेह यह वह क्षेत्र है जहां कि मेरे विचार में और अधिक वित्तीय अनुशासन की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री ने भी हमें सावधान किया है। पहले के वर्षों के बजटों में तथा गत वर्ष के बजट में भी, उन्होंने सावधान किया है कि जब तक कि वित्तीय अनुशासन को कार्यरूप नहीं दिया जाता, वित्तीय घाटे को काफी सामान्तक कम किया जाना कठिन होगा। वर्तमान बजट में भी इन सभी प्रयासों के बाद बजट घाटा कम होकर केवल 5.5 प्रतिशत तक आया है। हम इसे कुछ और कम कर सकते थे। परन्तु हम अपनी आर्थिक वृद्धि, अपने आर्थिक विकास के जोखम पर ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति यह है।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह कह रहे थे कि यह आर्थिक नीति लागू नहीं हो सकती क्योंकि यह सरकार भ्रष्ट है, इसने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की है। मुझे यह टिप्पणी सुनकर दुःख हुआ। मैं भी संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य था। इस समिति की जितनी भी सिफारिशें हैं, उनमें से 85 प्रतिशत से अधिक को लागू किया जा चुका है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ है। निश्चय ही इस समिति की रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि किसी को यूं ही परेशान किया जाए। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिससे कि यह अपेक्षा थी कि वह कुछ ऐसी सिफारिशें दे कि हमारे वित्तीय संस्थानों को किस तरह सर्वोत्तम ढंग से चलाया जा सकता है और जो बातें पहले हुई, उनको फिर दोहराया न जाए। सरकार ने अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं कि किस प्रकार हमारी वित्तीय प्रणाली में सुधार किया जा सकता है।

श्री जसवन्त सिंह ने आगे कहा कि जहां तक बैंकिंग प्रणाली में सुधार किए जाने का प्रश्न है, संयुक्त समिति की सिफारिशों की अनदेखी कर दी गई है। मुझे इस प्रकार की टिप्पणी के बारे में जान कर काफी दुःखी हुआ। सरकार बैंकिंग संस्थानों पर पहले ही काफी नियंत्रण लागू कर चुकी है तथा प्रतिभूति बाजार पर भी। निश्चय ही कोई उसमें दोष नहीं निकाल सकता। कार्यक्रम पहले ही लागू किया जा चुका है और आने वाले वर्षों में इसके प्रभावी परिणाम सामने आएंगे।

महोदय, मेरे विचार में इस वर्ष का बजट प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वचन का पालन करता है हालांकि आंशिक रूप में। माननीय वित्त मंत्री लोगों की गरीबी दूर करने, हमारी कोटि-कोटि जनता में बेरोजगारी दूर करने, हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करने और इसके साथ-साथ हमारे औद्योगिक और कृषि विकास में तेजी लाने से सम्बन्धित आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का वचन पूरा करने में समर्थ हुए हैं।

हमारी आर्थिक नीति का दोहरा उद्देश्य एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जहां कि कर-संग्रहण में वृद्धि हो और इसके साथ-साथ उत्पादन तथा औद्योगिक विकास में भी तेजी आए। ये दोनों उद्देश्य वित्त मंत्री महोदय द्वारा लागू किए गए वर्तमान कराधान उपायों द्वारा पूरी तरह प्राप्त हुए हैं।

महोदय, हमें यहीं कहना होगा कि इस वर्ष के बजट को उस बात की दृष्टि में ही ठीक से समझा जा सकेगा जिसका दावा कि हमने पहले उस समय किया था जब यह सरकार सत्ता में आई थी। वर्तमान वर्ष का बजट वास्तव में उन वचनों की निरन्तरता को जारी रखना है जोकि पहले दिए जा चुके थे और पहले ही पूरे भी किए जा चुके थे हालांकि आंशिक रूप में, क्योंकि परिस्थितियों की मजबूरियां हमारे समक्ष रही हैं जोकि कभी-कभी सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 1995-96 के लिए प्रस्तुत बजट का पुर-जोर समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इन्हें मंत्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिंकिल) : सभापति महोदय, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा जबकि मैंने डा. मनमोहन सिंह जी के पांचवें बजट में गत चार वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों की सफलता की कहानी सुनी, जो सुधार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के आदेश पर लागू किए गए। डा. मनमोहन सिंह का यह दावा है कि वह 1994-95 में अर्थव्यवस्था को 5.3 प्रतिशत की विकास दर पर वापस ले आए हैं जबकि यह दर, 1991-92 में केवल एक प्रतिशत थी;

औद्योगिक विकास की दर जो 1991-92 में एक प्रतिशत से भी कम थी, वह बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई; भारत में उद्योग की स्थिति में व्यापक सुधार हो रहा है; खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 18 करोड़ पचास लाख टन हो गया है जोकि आज तक का सर्वाधिक उत्पादन है जबकि यह उत्पादन 1991-92 में 16 करोड़ 80 लाख टन था और 1 जनवरी, 1995 को गोदामों में रक्षित भण्डार तीन करोड़ दस लाख टन था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 से प्रति वर्ष साठ लाख नौकरियों की वृद्धि हुई और इस वर्ष यह और भी अधिक की आशा करते हैं। विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार बढ़कर 20 अरब डालर हो गया है जबकि 1991-92 में यह एक अरब डालर का था।

परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि सफलता की यह कहानी हमारी जनता नहीं समझ पाई। विभिन्न राज्यों में हाल ही में चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को क्यों पराजित किया? लोगों का क्या अनुभव रहा है? कांग्रेस पार्टी को इन सभी बातों पर विचार करना है। आपके बड़े-बड़े दावों के बावजूद कि आपने देश में इतनी सफलताएं प्राप्त की हैं, लोगों ने आपको चुनावों में क्यों पराजय दी?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने जाने का निर्णय कर लिया है। वे क्यों विचार करें?

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह सही है। खाद्यान्न का उत्पादन 16 करोड़ 80 लाख टन से बढ़कर 18 करोड़ पचास लाख टन हो गया है जोकि आज तक का सर्वाधिक उत्पादन है। फिर इसका क्या कारण है कि खाद्यान्न की उपलब्धता 510 ग्राम से कम होकर 465 ग्राम रह गई है। अतः सरकार जितनी आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर सकी और लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकी। उनके गोदाम भरे पड़े हैं और उनमें तीन करोड़ दस लाख टन खाद्यान्न का भण्डार है। वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एक करोड़ 92 लाख टन खाद्यान्न वितरित हुआ परन्तु कम होकर यह अब एक करोड़ 50 लाख टन रह गया है। इसका क्या कारण है। क्या लोग राशन में मिलने वाले चावल अब नहीं चाहते? इसका कारण यह है कि चावल के मूल्य में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा गेहूं के मूल्य में 72 प्रतिशत की। वास्तविक अनुभव यह है कि यह और भी अधिक है। लोगों की क्रय-क्षमता कम हो गई है और वे राशन में मिलने वाले चावल नहीं खरीद सकते। यदि 1991-92 के उपभोग स्तर को कायम रखा गया होता तो आपके गोदामों में अनाज का एक भी दाना न बचा होता। क्या यह स्थिति आंकड़ों में दर्शाई गई है? गोदामों में इस समय तीन करोड़ दस लाख टन अनाज है। परन्तु इस वर्ष इन्होंने केवल 15 करोड़ टन खरीदा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 1991-92 की तुलना में खाद्यान्न कम है हालांकि अब जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गई है। वे अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं और यही कारण है कि आज आपके गोदाम भरे पड़े हैं।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है,यह दावा किया गया है कि 1994-95 में विकास-दर 8.5 प्रतिशत है। परन्तु यदि हम गत चार वर्षों की औसत विकास दर लें, तो वह क्या है? वह केवल 3.8 प्रतिशत है। 1988-91 की सुधारों से पूर्व की अवधि के दौरान विकास दर क्या थी। औसत विकास-दर 8.5 प्रतिशत थी। अतः इस अवधि के दौरान आप सुधारों से पूर्व की विकास-दर का केवल आधा भाग ही प्राप्त कर सके हैं।

आप तीन वर्ष की अवधि लें। श्री मनमोहनजी केवल 1991-92 और 1994-95 के बारे में ही आंकड़े क्या दे रहे हैं? वे और अन्य आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका कारण यह है कि ऐसा करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक है। मुझे नहीं मालूम कि यदि वर्ष 1991-92 न होता, तो उनकी क्या दशा हो जाती। क्योंकि हमारे विकास के सभी दोष मात्र उसी एक वर्ष की अवधि पर थोपे गए हैं। परन्तु अब जबकि आप गत चार वर्षों से सत्ता में हैं, तो इन सुधारों का क्या हुआ।

वित्त मंत्री का यह दावा है कि रोजगार के अवसर 1991 में तीस लाख से बढ़कर गत वर्ष साठ लाख हो गए और इसमें आगे भी वृद्धि होगी। परन्तु वास्तविकता क्या है? ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति ने आलोचना की है कि 1993-94 के दौरान, रोजगार के अवसर पैदा करने का जितना लक्ष्य था, उसका केवल 45.2 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में रोजगार योजना लागू की गई है। इसकी सफलता क्या है? शहरी विकास सम्बन्धी समिति का कहना है कि समिति को दिए गए लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि बैंक उतना भी ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं जितनी सीमा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित कर रखी है। मंजूर की गई ऋण की राशि बहुत ही कम है और इससे लाभ प्राप्तकर्ताओं को अपने रोजगार के कार्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। वास्तव में जितनी राशि आवंटित की गई है, आप उसके आधार पर रोजगार के अवसरों की गणना कर रहे हैं। परन्तु वास्तविक सफलता क्या है? वह निराशाजनक है और शहरी तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति ने यही कुछ कहा है। सुधारों की चार वर्ष की अवधि के दौरान कितने उद्योग बन्द हुए? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कितने हजार श्रमिकों को हटा दिया जाता है? उद्योग मंत्रालय के अनुसार लघु-स्तर के ढाई लाख रुग्ण मिलों में से केरल 16,000 मिलों को ही बचाया जा सका। उन्होंने हमें समिति में बताया कि शेष रुग्ण उपक्रमों को वास्तव में बचाया नहीं जा सकता। इसके बाद अब रुग्ण मिलों की संख्या लगभग चार लाख है, अर्थात् डेढ़ लाख रुग्ण मिलें और जुड़ गई हैं। कितनी मिलों को बचाया जा सकता है? उनकी दशा क्या है? कितने रोजगार की हानि हुई? हजारों यूनिट बन्द होने के कगार पर हैं। हथकरघा जैसे परम्परागत उद्योग में सुधार-अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों की भुखमरी के कारण मृत्यु हुई? लाखों लोग कष्ट में हैं। प्रधान मंत्री के नए पैकेज से उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। यदि जिले में एक या दो संस्थाओं को सहायता मिलती है तो हम कैसे काम चला सकते हैं? यह तो समुद्र में हींग घोलना हुआ। यदि आप समुद्र में हींग घोलेंगे तो क्या परिणाम होगा? हथकरघा के लिए आपका पैकेज इसी तरह

का है। इससे काम नहीं चलेगा। इसके बजाए पहले की छूट की योजना काफी अच्छी है। आप वर्तमान योजना को कैसे लागू करेंगे? इसका पता आपको बाद में चलेगा।

वित्त मंत्री के अनुसार लघु स्तर का क्षेत्र एक करोड़ 40 लाख नौकरियां उपलब्ध करा रहा है जोकि कुल निर्माण-उत्पादन में से 40 प्रतिशत है; और निर्यात का 35 प्रतिशत लघु स्तर के क्षेत्र का योगदान है। लघु स्तर के क्षेत्र के लिए हमारे वित्त मंत्री ने मात्र 200 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है और शेष राशि की व्यवस्था अच्छे किस्म के सामान के लिए बैंकों ने करनी है ताकि निर्यात-क्षमता सुदृढ़ हो सके। यह क्षेत्र न केवल निर्यात क्षमता को बढ़ा सकता है बल्कि ग्रामीणवासियों की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकता है। सरकार गांवों में अधिक नौकरियों की व्यवस्था कर सकती है। परन्तु, इसमें सुधार करने के लिए बुनियादी बात है भूमि-सुधार। भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून का गत चार वर्षों से कोई उल्लेख नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? वास्तव में वित्त मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल उनका अनुसरण कर रहा है। कम से कम उनसे कुछ सबक लें, क्योंकि उन्होंने भूमि-सुधार कानून लागू किया है और उसके परिणामस्वरूप गांवों में काफी सुधार हुआ है और लघु स्तर के लाखों उद्योग स्थापित हो गए हैं। मैं यह आपको बता सकती हूं कि ठीक से चल रहे लघु स्तर के उद्योगों में से अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण भूमि-सुधार कानून है। जितना भी धन आप ग्रामीण क्षेत्र पर व्यय करने जा रहे हैं, उससे उन्हें उस समय तक कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून को ठीक से लागू नहीं कर दिया जाता। आप आदिवासी लोगों तथा अन्य लोगों की बात कर रहे हैं। परन्तु उनकी दशा क्या है?

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : यह सब कुछ किया जाना राज्यों के लिए है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या यह सब कुछ राज्यों द्वारा किया जाना है?

परन्तु उनके बारे में हम यहां बहुत कुछ कह रहे हैं। उनकी क्या दशा है? भुखमरी से मौतें हुई हैं। मुझे मालूम है वेयनाड में भुखमरी से मृत्यु हुई है। चालीस प्रतिशत लोग 'अनीमिआ' और क्षय रोग से पीड़ित हैं। वे लोग धन अर्जित करने की स्थिति में भी नहीं हैं। आप इतनी सारी बातें लागू करने जा रहे हैं। परन्तु क्या इनका लाभ उन्हें मिलेगा? क्या उनमें इनमें से किसी बात को प्राप्त करने की क्षमता है? काफी कुछ बोला जाता है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं; परन्तु ये उन तक नहीं पहुंच रहे हैं और यह उन तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप भूमि-सुधार को ठीक से लागू नहीं करते। परन्तु आप का प्रयास गांवों में भूस्वामी-वर्ग की सहायता करना है। जब तक कि जन साधारण की, गरीब लोगों की बेड़ियां सचमुच में नहीं तोड़ी जातीं और धन उन्हें ही सीधे नहीं दिया जाता, यह धन उन तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है और मैंने इसीलिए कहा है कि हमारे वित्त मंत्री को पश्चिमी बंगाल से..(**व्यवधान**) गरीब लोगों की सहायता करने के लिए आपको पश्चिमी बंगाल से कुछ सबक सीखना होगा। परन्तु आपकी सरकार का उद्देश्य सदैव समाज के उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करना है।

सभापति महोदय, इन सभी वर्षों के दौरान डा. मनमोहन सिंह का प्रयास वित्तीय घाटे पर नियन्त्रण पाना रहा है और उनके अनुसार अर्थव्यवस्था की सभी खराबियों का कारण वित्तीय घाटा ही है। वर्ष 1991-92 में वित्तीय घाटा 40,331 करोड़ रुपए का था और पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह 37,727 करोड़ रुपए का था। परन्तु 1992-93 में यह 43,000 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1994-95 में वित्तीय घाटा 54,958 करोड़ रुपए होने की सम्भावना थी तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह घाटा 61,035 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1995-96 में यह 57,634 करोड़ रुपए है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस वर्ष के अन्त तक यह बढ़कर 70,000 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। यदि आप पिछला रिकार्ड देखें तो यह 70,000 करोड़ रुपए तक ही रह सकता है। यह सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश वापस ले लेने के बावजूद है। कुल मिलाकर 12000 करोड़ रुपए की राशि से अधिक का विनिवेश क्योंकि दो वर्षों में इससे 7000 करोड़ रुपए और लगभग 5,2000 करोड़ रुपए मिले हैं। अतः यह लगभग12,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इससे पहले भी 2,000 करोड़ रुपए तथा 3,000 करोड़ रुपए। तब, आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं? यह धन लेने से विपरीत प्रभाव भी पड़ेंगे। परन्तु यह धन लिया जा रहा है। इसके बावजूद भी आपका वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। एक कहावत है : "बीज पीस डालो और खा जाओ"। आप देश का मेहनत से कमाया हुआ धन बेच रहे हैं। विदेशी केवल आपके सार्वजनिक उपक्रमों में ही सम्बन्धित हैं। वे अन्य उद्योग आरम्भ नहीं करना चाहते परन्तु वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग चाहते हैं परन्तु वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग चाहते हैं क्योंकि ये उद्योग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं। वे उन पर नियन्त्रण करना चाहते हैं और आप इन यूनिटों को उन्हें दे रहे हैं। यह इस हमारे देश, हमारे श्रमिकों, जिन्होंने कि घाटे परिश्रम किया है, द्वारा मेहनत से अर्जित किया गया धन है, जिसमें कि राज्यों का भी योगदान है, जिसे कि आपने बेच दिया है और आप खा रहे हैं। इसीलिए मैंने उक्त कहावत का उल्लेख किया है : "बीज पीस डालो और खा जाओ"।

श्री पी.सी. थामस : श्री ज्योति बसु तो विद्यमान हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इन बातों का उत्तर देने के लिए श्री निर्मल कान्ति अधिक सक्षम हैं क्योंकि उन्हें सभी बातें सुज्ञात हैं। मैं भी उत्तर दे सकती हूं परन्तु इस पर चर्चा करने के लिए वह अधिक सक्षम हैं। इससे देश के जन साधारण पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं भी उनमें ही काम कर रही हूं। मैं आपकी आर्थिक नीति के, जो प्रभाव लोगों पर पड़ रहे हैं, उनसे अवगत हूं। यही कारण है कि मैं इस पर चर्चा कर रही हूं। अब इतना बड़ा वित्तीय घाटा है। यह क्यों है? प्रत्येक वर्ष हमारे वित्त मंत्री कुछ बहाना बनाते हैं। प्रथम वर्ष यह बहाना था वित्तीय संकट का, दूसरी वर्ष बाबरी मस्जिद के मामले का बहाना था और तीसरी वर्ष यह शेयर घोटाला था और इस वर्ष वित्तीय

घाटे के कारण मूल्य-वृद्धि हुई है। उनका यह कहना है। ऐसा क्यों होता है? आप उद्योगपतियों को करों में छूट देते हैं और उत्पाद-कर कम करते हैं। परिणामस्वरूप इन सुधारों से देश का वित्तीय संकट और भी गम्भीर हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने निवेशक की अपनी भूमिका समाप्त कर दी है, इस वर्ष समृद्ध लोगों तथा उच्च वर्ग के लोगों को करों में 2,390 करोड़ रुपए की रियायतें दी गई हैं और इसमें केन्द्र का अंश 1,592 करोड़ रुपए है। इससे भी राज्य सरकारों के संसाधन कम हो जाएंगे। इससे उन पर कुप्रभाव पड़ेगा।

गत चार वर्षों में राजस्व लेखे में घाटे के कारण सरकार ने मजबूर होकर अधिकाधिक ऋण लिया। इन ऋणों पर ब्याज चिन्ताजनक तरीके से बढ़ रहा है और इस समय यह भार 18 प्रतिशत है। अतः ऋणों पर (वर्ष 1995-96) दिया जाने वाला ब्याज गत वर्षों की तुलना में अधिक होगा और परिणामस्वरूप इस वर्ष के बाद वाले भाग में इस खाते के बजट प्राक्कलनों को संशोधित करना पड़ेगा ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए ऋणों का भुगतान पूरी तरह से किया जा सके। राज्यों को अन्तरण 1994-95 के संशोधित प्राक्कलनों में 5 प्रतिशत वृद्धि करके रखा गया है। वास्तव में, यदि मुद्रास्फीतिकारी दबावों को देखा जाए तो 1995-96 के दौरान राज्यों को अन्तरण में 5 प्रतिशत की कमी होगी।

मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति प्रबन्धन, खाद्यान्न सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा कृषि-उपज के लिए उचित मूल्य नीति से रोकी जा सकती है। हमारे वित्त मंत्री द्वारा 1995-96 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में इन सभी का अभाव है और आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ना अनिवार्य है। वर्ष 1994-95 के आर्थिक सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई है कि वित्तीय घाटे में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा रक्षित भण्डार में तेजी से बढ़ोत्तरी से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी ही दबाव पड़े हैं।

राजस्व घाटे के बारे में क्या है? बड़े राजस्व घाटे का अर्थ सदैव वित्तीय कुप्रबन्ध होता है। राजस्व घाटा यह बताता है कि सरकार अपने साधनों से अधिक खर्च कर रही है। जहां तक इसके वर्तमान व्यय का सम्बन्ध है उसमें भी राजस्व घाटा सुधारों की अवधि से पूर्व सकल घरेलू उत्पाद के अंश के रूप में क्रमशः 2.7, 2.7, 2.6 तथा 3.5 प्रतिशत था। सुधारों की अवधि के पश्चातवर्ती चार वर्षों में यह क्रमशः 2.6, 2.6, 4.2 तथा 3.8 प्रतिशत रहा है।

साधारणतया जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है : वित्तीय कुप्रबन्ध के नाम पर जिन सुधारों को उचित ठहराया गया था, उन्हें ऐसे कुप्रबन्ध को समाप्त करने में, वास्तव में, कितनी सफलता मिली है। यदि वित्त मंत्री मुद्रास्फीति की दर को वास्तव में कम करके एक ही आंकड़े तक लाना चाहते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित अत्यावश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी में कमी करने का कोई अर्थ नहीं है। मुद्रास्फीति का पता इस बात से चलता है कि मांग की तुलना में वस्तुओं की कितनी कमी है। वर्तमान स्थिति में ऐसी कमी का कोई भी कारण नहीं है और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव पर उनका पूरी नियंत्रण होना चाहिए था। फिर दो आंकड़ों वाली इस मुद्रास्फीति का कारण है सभी प्रकार की अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रशासनिक-मूल्यों में वृद्धि। उदाहराणार्थ, एक ओर खाद्यान्न-खरीद के खर्च में वृद्धि और दूसरी ओर खाद्यान्न में सब्सिडी न देने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्यों तथा खुले बाजार के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि बाजार-तत्वों को प्रभावित करती है और इसके फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं।

विशेष वस्तुओं की कमी को किसी समय दूर करने से सरकार द्वारा इन्कार किए जाने से, जबकि यह कमी आसानी से दूर हो सकती थी, और कमी पैदा हुई है और मूल्यों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री के अनुसार अत्यावश्यक विशेष वस्तुओं की कमी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डार का उपयोग करके आयात द्वारा पूरी की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि चीनी के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया। सरकार ने व्यापारियों के लाभ के लिए इसके आयात में विलम्ब कर दिया। अन्त में, बाजार में मूल्य बढ़ जाने के पश्चात् उसने उद्योग को आयात करने और बेचने की अनुमति दी और इस प्रकार लोगों के करोड़ों रुपए की लूट होने दी। परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा से मोहनजी का बचाव नहीं हुआ। वातानुकूलन मशीनरी, प्रसाधन सामग्री, कृत्रिम रेशे, रंगीन टेलीविजनों और कम्प्यूटरों पर आयात-शुल्क अथवा उत्पाद-कर कम करने से गरीबों के जीवन निर्वाह स्तर में सुधार होने वाला नहीं है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। आप कैप्टालैक्टम पर आयात-शुल्क का उदाहरण ही लें। इसको 65 प्रतिशत से कम करके 45 प्रतिशत करने से सार्वजनिक उपक्रम कठिनाई में पड़ जाएगा। वास्तव में इसका अस्तित्व ही कठिनाई में पड़ जाएगा। केरल के सभी सांसदों ने वित्त मंत्री से भेंट की थी और उनसे निवेदन किया था कि वे इस आयात शुल्क में कमी न करें, परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों अथवा केरल के सांसदों की तुलना में वित्त मंत्री के लिए बड़े-बड़े बॉस अधिक महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा ऐसा नहीं किया गया होता। गत वर्ष भी हमने उनसे निवेदन किया था कि वह इसमें कमी न करें। आपने इस बार ऐसा किया है और इससे हमें काफी हानि होगी।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : कोई हानि नहीं होगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : एक प्रतिशत तक की कमी से भी उद्योग को हानि होगी। जबकि शुल्क 60 प्रतिशत था तब भी कैप्टालैक्टम की भारी मात्रा बिक्री हेतु पड़ी हुई थी जिससे पता चलता है कि इस बार की कार्यवाही अन्य बड़े-बड़े बॉसों के दबाव के कारण की गई है।

ग्रामीण गरीब लोगों के लिए मकान, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कल्याण हेतु योजनाएं, ग्रामीण गरीब लोगों के लिए शिक्षा सुविधाएं आदि योजनाओं की घोषणा एक बहानेबाजी है। ये योजनाएं सामान्य जन को

भ्रम में डालने वाली हैं। इन सभी योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मंत्री महोदय सचमुच में ही गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो इन योजनाओं को बैंकों द्वारा लागू किए जाने के बजाए, उनको ये योजनाएं राज्य सरकारों को सौंप देनी चाहिए थीं। अब ये बैंक भी व्यथित हैं क्योंकि विदेशी बैंकों को भी इनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जा रही है। अन्य सामाजिक दायित्व भी बैंकों पर ही हैं और उस पर आपने योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी बैंकों पर ही डाली है। मेरे विचार में, यदि आप राज्य सरकारों को धन दें और उनको इन योजनाओं को लागू करने को कहें, जोकि वे आरम्भ भी कर चुकी हैं, तो इसका और भी अच्छा प्रभाव होगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि आपके द्वारा उठाया गया यह कदम मात्र एक चुनाव प्रचार है और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जब तक कि ये लागू होंगी उस समय तक क्या होगा। एक ओर तो शहरी विकास सम्बन्धी स्थायी समिति ने यह कहा है कि बैंकों ने पर्याप्त धन देने से इन्कार किया है और दूसरी ओर सभी योजनाएं बैंकों के माध्यम से लागू की गई हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन योजनाओं का क्या होगा।

गरीबों के लिए नया पैकेज बिल्कुल भी नया नहीं है। यह नई बोतल में बहुत पुरानी शराब जैसा है। इसमें कुछ भी नया नहीं। बीस प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों को सभी रियायतें देने के पश्चात, सरकार गरीबों के बारे में सोचती है। यह तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई मकान मालिक अथवा भूस्वामी अपने मित्रों को बड़ी दावत दे और उसके पश्चात् बाहर खड़े गरीब लोगों को कुछ बचा हुआ भोजन ले जाने के लिए कहे। सचमुच में यही कुछ हो रहा है और वह भी इन्हें सीधे नहीं मिल रहा है। चावल अभी भी चूल्हे पर हैं, अभी ये उबल रहे हैं, और ये इन्हें केवल बाद में मिलेंगे। आपने यही रणनीति बनाई है। इस परियोजना में गरीबों की सहायता करने का वास्तविक आशय बिल्कुल भी नहीं है।

श्री शरद पवार के पास लोगों के लिए कई पैकेज थे परन्तु वे प्रभावित नहीं हुए। क्रुद्ध होकर उन्होंने एक ऐसे वर्ग के पक्ष में मत डाले जोकि उसी आर्थिक नीति का प्रचार करता है परन्तु देश के लिए अधिक खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनकी पराजय के क्या कारण हैं। कारण यह है कि लोग कांग्रेस पार्टी से काफी क्रुद्ध हैं। लोगों को पैकेजों पर पैकेज दिए गए किन्तु उनके जीवन-निर्वाह स्तर में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। इस सबके पश्चात् वे कांग्रेस पार्टी को क्यों मत दें? इसलिए इससे सबक सीखे जा सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : आपको इससे प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वे आपके पक्ष में मतदान करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हमें प्रसन्नता नहीं क्योंकि सत्ता सम्भालने के लिए धर्मनिरपेक्ष तत्त्व विद्यमान नहीं है। अन्यथा हम प्रसन्न होते।

लोगों का बोझ बढ़ जाएगा। मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। सामान्य बजट के अलावा रेलवे बजट भी लोगों को हानि पहुंचा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री तथा रेल मंत्री में आपस में पक्का समझौता है। वित्त मंत्री द्वारा वेतन पाने वाले लोगों को जो थोड़ा-बहुत दिया गया है, उसे रेल मंत्री पास-धारियों के रेल-किराए में बढ़ोत्तरी करके वापस ले लिया जाएगा। समान-भाड़े में सात प्रतिशत की वृद्धि से कुल मिलाकर देश को हानि होगी। इसमें वेतनभोगी भी शामिल हैं। इस कार्यवाही में दोनों मंत्रियों की एकता है क्योंकि वे जानते हैं कि लोगों को कैसे लूटा जाए। एक मंत्री महोदय दे रहे हैं, तो दूसरे ले रहे हैं।

अतः मैं आपसे अपील करती हूं कि आप घोर चेतावनी की ओर ध्यान दें। कुछ सबक सीखें और अपनी नीति बदलें। मुझे अपने महान् कवि कुमारन आशान की एक पंक्ति याद आती है। वह कहते हैं :

"मात्तिविन चट्टांगले स्वयम

अलेंगिल मात्तुमत्ति निंगले तन्ने।"

इसका अर्थ है : "अपना तरीका बदलो, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा।" आपको समृद्ध लोग, समर्थक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समर्थक, विश्व बैंक समर्थक तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनी समर्थक अपनी आर्थिक नीति को बदलना होगा। हमारे देश में ही पर्याप्त संसाधन हैं। यह एक समृद्ध देश है और हम अपने ही संसाधनों द्वारा अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। हमें इस नीति को नए सिरे से बनाने का तरीका ढूंढना है। यदि आप नहीं बदलेंगे तो लोग आपको निकाल बाहर फेंक देंगे।

मैं इस बजट का विरोध करती हूं और वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस नीति को बदलें। इस देश में लोगों के विकास में जो नीति सहायक हो, उसी को लागू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदय, वैसे देखा जाए तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हुई हैं। जैसे बजट भाषण में कहा है कि किस प्रकार पूरे देश और एक-एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान भरा जीवन व्यतीत कर सकें और हम भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करें, इस दृष्टि से बजट पेश किया है। हमारे वित्त मंत्री जी देश और देशवासियों को गरीबी की गर्त में गिरने से बचाना चाहते हैं, इसलिए कई नई आर्थिक सुधार, उदारवादी नीतियां वगैरह-वगैरह बातें हम सुनते आ रहे हैं। ये सब नीतियां लागू की गई हैं। मुझे लगा जिस दिन मैंने बजट भाषण सुना और देखा, कि ऊपर-ऊपर से देखने में तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वाह, हमारे वित्त मंत्री जी ने क्या बजट बनाया है। कोई नया कर भार नहीं लगाया है और एक प्रकार से तो

मैं कहूंगी कि इलैक्शन के लिए तो बजट बनाया ही है कि आने वाला जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा बजट बनाया गया है। इसमें दिखावा किया गया है कि सहूलियतें हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन छोटी-छोटी बातें अगर उसमें देखें जैसे कुछ में व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने आयकर वगैरह में छूट दी है उन बातों पर मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगी। हो सकता है कि मेरा अभ्यास कुछ कम हो और कहीं मैं गलती करूं तो आप मेरी गलती में सुधार कर सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लगा कि व्यक्तिगत तौर पर आपने कई कनसेशंस दिये हैं और उसमें एक आपने यह कहा है कि उस दिन आपने व्यक्तिगत आय पर 40,000 रुपये तक आयकर सीमा बढ़ा दी। इससे ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत कुछ मिल गया। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री ने यह भी सोचा होगा कि जो मुद्रास्फीति बढ़ी है यह 11 प्रतिशत बढ़ी है और जिसे हम यह कहते हैं कि रुपये का अवमूल्यन तो हो ही रहा है लेकिन रुपये की जो परचेजिंग पावर है, यह क्या रह गई है। हमने जो 35000 रुपये की लिमिट 1994 में दी थी, आज अगर उस लिमिट से देखें तो 40,000 जो क्रयशक्ति है, वह 43000 रुपये से भी ऊपर जाती है। मतलब उसकी लिमिट ऐसी है कि 40,000 कुछ नहीं होता है। अगर 40,000 में कुछ भी क्रय करना चाहेंगे तो वह उसमें क्रय नहीं कर पायेंगे इस प्रकार मुद्रास्फीति बढ़ी है और यह 43-45,000 तक पहुंचती है।

महोदय, मैं चाहूंगी कि यह जो छूट दी गई है, यह एक मायाजाल सा लगता है। मेरी पार्टी ने मांग की थी कि इसको 55,000 तक बढ़ाना चाहिये। हम 40,000 तक कह रहे थे, लेकिन आज की तारीख में इसको 55,000 रुपये तक बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ी है, उस हिसाब से यह कुछ भी नहीं होती है।

कई बातें और ऐसी हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी अपने आपको भारतीय होने में गर्व महसूस करेगी। अगर भारतीय होने में गर्व महसूस करना है तो हमारी कुछ भारतीय परम्परायें हैं। भारतीय संस्कृति में जो हमें कई चीजें विरासत में मिली हैं, उनको भी संजो कर रखना इसके साथ-साथ जरूरी हो जाता है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और एक ऐसी ही गर्व की बात हमारे लिये थी कि हमारा संयुक्त हिन्दू परिवार था। हम एकत्रित होकर संयुक्त परिवार में रहते हैं। जिस प्रकार हम देश को अखंड देखना चाहते हैं, इसी प्रकार हम अपने परिवार को भी अखंड बनाना चाहते हैं। क्या इस दृष्टि से आपने कुछ सोचा है? आपने व्यक्तिगत टैक्स की सीमा बढ़ाई है, लेकिन हिंदू संयुक्त परिवार की टैक्स सीमा 1991 से 18000 रुपए ही है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। आप और आपकी पार्टी बार-बार दुहाई देती है कि हम इंदिरा जी और राजीव जी के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है। मुझे याद है कि इंदिरा जी ने एक ही बार बजट प्रस्तुत किया था,उस समय उन्होंने कहा था कि विरासत में मिली हुई बातें हमारे लिए भगवान की देन हैं, जैसे संयुक्त हिन्दू परिवार, और इसको हमें तोड़ना नहीं है, यह बात उस समय इंदिरा जी ने कही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है। आज तो यह कहा जा रहा है कि परिवार के टुकड़े-टुकड़े करो और टैक्स में छूट ले लो। मेरा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी भारतीय होने में गर्व महसूस करें, तो जो हमारी भारतीय विरासत है, संयुक्त हिंदू परिवार, इसके बारे में आप कुछ सोचिए, यदि वास्तव में आप इंदिरा जी की बातों को कायम रखना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ काम करिए, वरना सिर्फ बातें करने से कुछ काम नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से टैक्स सिस्टम के बारे में कई छोटी-मोटी बातें सुनने में आई हैं, देखने से लगता है कि बहुत भारी छूट दे दी गई है, लेकिन जब बारीकी से देखें और यह देखें कि सामान्य आदमी को क्या मिला है, शुरुआत सामान्य आदमी से करें, तो स्थिति दूसरी ही नजर आती है। आपने कहा है कि टैक्स रेट्स पर जो लोअरिंग किया है, इससे कलेक्शंस बढ़े हैं, लेकिन इसमें प्रापर्टी, लैंड ट्रांस्पोर्टेशन की बात भी कही गई है। मैंने यह भी सुना है कि वकील को जो फीस दी जाएगी, उस पर भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगा। 1976 में कहा गया था कि टीडीएस लैंड ट्रांस्पोर्टेशन पर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज प्रापर्टी, लैंड को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब अगर किराएदार 10000 रुपया महीना किराया देगा तो वह 2000 रुपए वहीं काट कर टैक्स जमा करा देगा। अब अगर मकान मालिक टैक्स पेयर नहीं है तो वह 24000 रुपए के रिफंड के लिए आईटीओ के चक्कर लगाता रहेगा और इससे मेरी समझ में तो करप्शन को ही बढ़ावा मिलेगा। ये जो चीजें बताई गई हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने समाज के छोटा-मोटा व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स के तहत एक योजना चलाई कि 1400 रुपये जमा कराओ और शांति पाओ। उसके लिए एक फार्म भरकर देना होता है। अगर कोई धोबी है या अन्य इसी तरह का छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाला इस रेंज में आता है तो उसके लिए यह आवश्यक है। आप टिक्लिश पाइंट लाते हैं, जो आपकी समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन आम जनता इसे समझ नहीं पाती। आपने कहा था कि दो साल के लिए यह फार्म भरकर देना होगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सुन रही हूं कि यह योजना आप कंटीन्यू कर रहे हैं और अधिकारियों को कहा है कि प्रत्येक को इस तरह के पांच सौ फार्म भरकर जमा कराने हैं। मैं समझती हूं कि ऐसा करके आप यह दिखाना चाहते हैं कि छोटा-मोटा काम करने वाले लोग भी टैक्स दे रहे हैं और आपकी योजना लाभ में चल रही है। हो सकता है आंकड़े दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हों। मेरे क्षेत्र में एक-दो बार ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स कलेक्टर कहते हैं कि हमें पांच सौ फार्म जमा कराने हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह किस प्रकार की योजना चलाई जाती है जिसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं चाहूंगी कि पहले आप लोगों को इसके बारे में शिक्षित करें, फिर योजना चलायें तो ठीक होगा। आप जो व्यक्तिगत रूप से टैक्स लगा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस मामले में, फिर से सोचें। एच.यू.एफ. के बारे में सोचें और आपने जो 40,000 रुपये तक की सीमा इनकम टैक्स में निर्धारित की है, वह भी आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखती है, उसको भी बढ़ाने की दृष्टि

से सोचें। आपने टैक्स की परिधि में ट्रांसपोरटेशन आदि को लिया है, उस पर भी सोचें।

हम लोग उदार नीति की बात करते हैं, नई आर्थिक नीति की बात करते हैं, नई औद्योगिक नीति की बात करते हैं और यह चाहते हैं कि दुनिया के बाजार में हिन्दुस्तान का छोटा उद्योगपति भी गर्व के साथ खड़ा हो जाये। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए इस बजट में आपने ऐसी कौन सी योजना लागू करने की बात कही है? उनको क्या सुविधायें दी हैं? आज की तारीख में अगर वास्तविक रूप से दुनिया के बाजार में उनको टक्कर लेने के लिए खड़ा होना है तो उनको सबसे पहले तकनीकी सहायता चाहिए, उनके रिसर्च एंड डवलपमेंट में खर्चा होना चाहिए। आज हमारी जितनी भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं गलत नहीं समझती हूं तो आप देखिये निर्यात में हमें उनसे 52 प्रतिशत आय होती है। रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो छोटे-छोटे उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन मुझे इस बजट में लघु उद्योगों के लिए कोई भी योजना नहीं दिखी। आपने पहले भी कहा था कि कम्पीटिशन में हिन्दुस्तान के व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि नम्बर अच्छे लाओ, हम नहीं बढ़वायेंगे, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। लेकिन इसके साथ-साथ उनको सुविधायें देना भी जरूरी है, जोकि हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो कई सारे छोटे उद्योग हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा लेकिन पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं। इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि कई विदेशी कम्पनियां ऐसी हैं जिनको अपने देश में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं है लेकिन हमारे देश में आकर पर्यावरण को दूषित करती हैं और यहां पर आकर कैमिकल्स की फैक्ट्रियां लगाते हैं क्योंकि हमारे यहां पर कायदे-कानून लुंज-पुंज से हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती हूं कि यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है लेकिन कहना इसलिये पड़ता है कि अपने राष्ट्र की बात हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिये जिसकी कमी है और वह हमारे देश में है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है।

सभापति महोदय, जहां तक प्लास्टिक की थैलियों की बात है, कहा जाता है जब ये जमीन के अंदर चली जाती हैं तो नष्ट नहीं होती हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त करती जाती है। इनसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। हम देखते हैं कि शहर-शहर में छोटे लड़के फटे कपड़े पहने हुये ये प्लास्टिक की थैलियां एकत्रित करते रहते हैं। यही उन बच्चों की जीविका का साधन बन जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से खराब बात है। ये थैलियां छोटे-छोटे उद्योग वालों को बेच देते हैं जिनको फिर से एक मशीन में डालकर ग्रेन्युल्स बनाये जाते हैं और इन ग्रेन्युल्स के द्वारा फिर से घर-घर में काम आने वाली प्लास्टिक की छोटी चीजें बनायी जाती हैं। आखिर हमारी पालिसी क्या है? एक बात जरूर है कि जब हम बहुत ज्यादा ऊंची दृष्टि रखकर चलते हैं तो नीचे चलने वाले लोगों की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जब ग्लोबलाईजेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से आर्थिक सुधार लागू किये जायें, किस प्रकार नई नीति लागू की जाये, किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाईजेशन होना चाहिये आदि की बातें तो सोचते हैं लेकिन उपरोक्त छोटी-छोटी बात की ओर ध्यान नहीं गया। जो ओरीजिनल प्लास्टिक ग्रेन्युल्स पर एक्साईज ड्यूटी 25 प्रतिशत लगती है वह तो ठीक है कि उससे क्वालिटी की चीजें बनती हैं लेकिन जो बात मैं कह रही हूं कि छोटे तबके के लोग इन थैलियों को एकत्रित करते हैं उन लोगों को केवल 10-20 रुपये की कमायी होती है और थैलियां, जो वह उनको लाकर दे देते हैं उनसे फिर से ग्रेन्युल्स बनाए जाते हैं, जिससे कंज्युमर्स के लिये प्लास्टिक के छोटे पाईप बनाये जाते हैं, जो खेतों में पानी देने के काम आते हैं, तथा उच्च स्तर पर उस प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है, उसपर एक्साईज ड्यूटी लगती है तथा जो और चीजें इनसे बनती है उसकी कास्ट 3-4 प्रतिशत बढ़ जाती है।

4.00 म.प.

इसलिए मैंने कहा कि जो छोटे उद्योग हैं उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि कॉरूगेटेड बाक्स पर ड्यूटी लगी थी पर मंत्री जी द्वारा वह बाद में कम कर दी गई थी। हमारा हिन्दुस्तान गरीब लोगों का देश है। हम अपने देश को गरीब नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन गरीब लोगों का देश तो है ही।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज देश में बड़े उद्योगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं और उनकी एक प्रकार से चेन ऐसी बनी रहती है कि प्रोडक्शन होता है, अपना आर एण्ड डी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है और जब इनके मुकाबले में हमारे हिन्दुस्तान के बड़े उद्योग आते हैं तो उन विदेशी कंपनियों के आगे नहीं टिक पाते। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार यहां हो रहा है। मैंने पूरा बजट देखा है। हो सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया लेकिन इस पूरे बजट में आर एंड डी पर जितना खर्च होना चाहिए उतना प्रावधान हमने नहीं रखा है। हम यहां ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। हम दुनिया में बराबरी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री के मन में यह बात भी आएगी कि कुछ बातें जो बाजार व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं, उन पर वह ध्यान देंगे और बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगी, लेकिन एक और बात देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश के किसानों से जुड़ी हुई है। हमारे माननीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि जितना ध्यान हमें अपने किसानों की ओर देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। आज भी हम तीसरी या चौथी की किताब उठाकर देखें तो लगता है कि जब मैं छोटी थी तब भी वही वाक्य उसमें लिखा होता था कि 'हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं', और आज भी वही लिखा हुआ है। जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो हम कितना

ध्यान खेतो पर देते हैं? आज किसानों की हालत क्या है? खाद कितनी महंगी है और दिन दूनी महंगी हो रही है। उसका कारण क्या है? उस पर नियंत्रण करने के लिए हमने क्या किया? आज किसानों को कई स्थानों पर बिजली नहीं मिल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में हालत बहुत खराब है। सिंचाई के साधन किसानों के पास नही हैं, बीज का क्या होगा। ठीक है, अभी राज्य सभा में बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी क्या हालत होनी है वह हम सभी जानते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश की राष्ट्रीय बचत में कमी हो रही है। बचत राष्ट्रीय आय का 24 प्रतिशत पहले थी, लेकिन आज 17 या 18 प्रतिशत रह गई है। उसमें भी संस्थागत ऋण 32 प्रतिशत से घटकर 27 या 28 प्रतिशत रह गया है। यानी, किसानों को आज ऋण नहीं मिल रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें। जो बात मैं कह रही हूं कि बचत में कमी हो रही है, उसमें आप देखें कि लोगों की बैंकों में पैसा रखने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है और मैं कहूंगी कि और कम हो सकती है, हालांकि उसके और भी कारण हैं। मैं बैंकों के बारे में अलग से चर्चा नही करना चाहूंगी लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आयी है कि बजट में आयकर के मामले में व्यक्तिगत छूट की सीमा को तो आपने बढ़ाया है लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ दी है। बैंक इंटरैस्ट से होने वाली आय पर जहां पहले 10 हजार रुपये तक छूट थी, उसे बजट में बढ़ाकर इस बार आपने 13 हजार रुपये कर दिया है, जिसके लिये सबने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिया है। मैं इसकी चर्चा जरा बारीकी में जाकर करना चाहती हूं क्योंकि इसके साथ-साथ बैंकिंग नियमों में जो परिवर्तन किया गया है, उसके अनुसार बैंकों से जिसको साल में 10 हजार रुपये तक ब्याज मिलता है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर ब्याज की राशि 10 हजार रुपये से एक रुपया भी ज्यादा बढ़ जाती है तो बैंक उस तमाम ब्याज की राशि पर तुरन्त टी.डी.एस. काट लेते हैं, यानी एक रुपये की राशि बढ़ते ही तमाम राशि पर 10 परसेंट की दर से टी.डी.एस. काट लिया जाता है। उसे देखते हुये, इस बार आपने 10 हजार रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर 13 हजार रुपये करके कौन सी रियायत दे दी, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यदि बैंकों से मिलने वाले ब्याज पर तुरन्त टी.डी.एस. काट लिया जायेगा तो क्या उसका बैंकों में पैसा रखने की हमारी आदत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जो व्यक्ति बैंकों में पैसा रखता है, फिर वह सोचना लगेगा कि जब 10 परसेंट के हिसाब से टी. डी.एस. कट जाना है तो मैं अपना पैसा बैंकों में क्यों रखूं।

4.06 म.प.

(श्री पीटर जी मरबनिआंग पीठासीन हुए)

इसके एक दूसरे पहलू की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। यदि लोगों में इस तरह की भावना बढ़ती चली गई तो हमारे देश में कुछ प्राइवेट कम्पनियां ऐसी हैं जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं और जिन पर हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उन पर हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है। इस संबंध में वर्तमान वित्त मंत्री जी से मिल चुकी हूं और जब से लोक सभा की सदस्या बनी हूं, तब से लेकर अब तक अनेक वित्त मंत्रियों का ध्यान खींचती रही हूं कि लक्ष्मी चन्द बग्गा जी के कर्म द्वारा इस देश में बहुत बड़ा फ्राड हो चुका है और उससे अनेक लोगों का इस सिस्टम से विश्वास उठ गया है। अनेक नागरिकों ने इस देश के बैंकों में और बैंकिंग कम्पनियों में करोड़ो रुपये जमा कराये थे। जहां-तहां से, प्रोविडेंट फंड से जितना पैसा मिला उन्होंने इसी आशय से जमा करा दिया कि चलो ब्याज की अच्छी दर मिलेगी, कुछ ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी। जब उन्होंने देखा कि 10 हजार रुपये से ज्यादा ब्याज मिलने पर टी.डी.एस. नहीं काटा जायेगा तो उन्होंने अपनी सारी पूंजी ऐसी बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कम्पनियों में लगा दी। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आये हैं लेकिन वे सारे लोग अपने बुढ़ापे में आज रोते हुये अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमने इन कम्पनियों में इतना पैसा क्यों लगाया। मैं उनसे कहती हूं कि इस मामले को मैं अनेक वित्त मंत्रियों के ध्यान में ला चुकी हूं परन्तु ऐसी कम्पनियों पर हमारा कंट्रोल न होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। उन कम्पनियों में जिस तरह पैसे का घपला होता है और दूसरी तरफ हमारी सेविंग्स में जिस तरह डिक्लाइन आता जा रहा है, यदि ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो बैंकों में लोग पैसा जमा करना कम करते जायेंगे।

लोग जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक उस पैसे का उपयोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छोटे उद्योगों को ऋण देने के काम में करते हैं, उससे किसानों को कर्जा मिलता है। हम जितनी योजनाएं बनाते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाये। परन्तु किसानों की इन योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता है और बैंकों से स्पेशल डवलपमेंट के नाम पर पैसा गैर-उत्पादक खर्चे में चला जाता है। चुनाव की दृष्टि से तो आपने ठीक बजट प्रस्तुत किया है लेकिन योजनाओं का ठीक से लागू होना भी जरूरी है। मैं जितना समझ पायी हूं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर हमारा पैसा लगता है, खर्च होता है, अब वह कैसे खर्च होता है, उसका कितना भाग लोगों तक पहुंचता है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमें देखना चाहिये कि हमारी खेती की आज क्या हालत है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कैश क्रोप के लिये कुछ काम कर रही है मगर हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इस तथ्य पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

अंत में एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि जहां आर्थिक नीति की हम बातें करते हैं, आर्थिक सुधार और उदारीकरण के बारे में बार-बार हम यहां सुनते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या इससे हमें कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं। एक सामान्य महिला होने के नाते, बजट में आयी अनेक भारी भरकम बातें मेरी समझ में नहीं आती

लेकिन जो छोटी सी बात मेरे मन में आयी है, वह है कि जो हमारी आयात नीति है, अब किसी भी चीज का आयात हम क्यों करेंगे?

हमारे यहां अगर उस चीज की स्केयरसिटी हो जाए, मूल्य अगर बढ़ रहे हों, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं। जैसा पहले गेहूं का हाल हुआ, हमने बाहर से गेहूं पी.एल. 480 मंगवाया और उसके साथ गाजर घास नाम की बीमारी आ गई जिससे नुकसान हुआ। अब यह तो हमारे देश की तकदीर बनती जा रही है कि हम कुछ भी चीज विदेश से मंगाते हैं, तो उसके साथ बीमारी मंगा लेते हैं। वित्त मंत्री जी यह बीमारी देश के भविष्य और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसलिए मैं बोल रही हूं कि जो हमने यह नयी आर्थिक नीति बनाई है यह इस देश के अनुकूल नहीं है। इसी नीति के तहत कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए हमने चीनी मंगवाई और उसमें जबर्दस्त घोटाला हुआ। मेरे जैसी महिला को यह लगता था कि चीनी बाहर से मंगाई जा रही है इसलिए शायद चीनी की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। यह जो आपकी नीति है, यह देश को इस प्रकार खाए जा रही है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस बजट में चुनावों को देखते हुए ऊंची उड़ानें तो बहुत भरी गई हैं और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में यह तो पूरा का पूरा चुनावी बजट है। इसके साथ ही जो बड़ी-बड़ी बातें ग्लोबलाइजेशन की और विश्व बाजार की करते हुए यह बजट पेश किया गया है और बार-बार यह कहा गया है कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देंगे और जो हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रीज हैं उनको भी अपना स्तर कायम रखने की बात इसमें कही गई है। इन सब बातों को देखते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि :

> "ऊंची उड़ान फीके पकवान, खाए मेहमान और भूखा रह जाए मेजबान"

[अनुवाद]

श्री डी. वेंकटेश्वर राव (बापतला) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार स्थिति इस प्रकार है : सकल घरेलू उत्पाद 5.3 प्रतिशत; औद्योगिक विकास 8.8 प्रतिशत, खाद्यान्न उत्पादन 18 करोड़ टन और विदेशी मुद्रा भण्डार 19 अरब डालर। इन बातों से पता चलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हमें मुद्रास्फीति की समस्या का भी समाधान करना है जोकि दो आंकड़ों में पहुंच गई, अर्थात् लगभग 11 प्रतिशत और बेरोजगारी की समस्या का भी जो कि निरन्तर बढ़ती जा रही है। जैसाकि आंकड़ों से पता चलता है तीन करोड़ लोग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और इससे भी अधिक यह कि जनसंख्या में वृद्धि 27 प्रतिशत की दर से हो रही है। दूसरे क्षेत्र जहां कि हम जन साधारण की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सके हैं, वे हैं : खाद्यान्न, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं और इनके सम्बन्ध में हम जन साधारण की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सके हैं।

जहां तक जन साधारण की समस्याओं का सम्बन्ध है हमें उन बातों को देखना है जिनका कि अभाव है तथा जो कुल मिलाकर देश के तथा जन साधारण के विकास के लिए आवश्यक है। मुद्रास्फीति की दर 11 प्रतिशत हो जाने से, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। आज हम चावल 9 से 10 रुपए प्रति किलो, खाने का तेल 40 रुपए प्रति किलो तथा चीनी 12 से 14 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में ही चावल के मूल्य में लगभग 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गेहूं के मूल्य में 9.8 प्रतिशत, दालों के मूल्य में 7.2 प्रतिशत, तिलहन के मूल्य में 25 प्रतिशत और इस्पात तथा उर्वरक के मूल्य में क्रमशः सात प्रतिशत और दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में नहीं है कि इस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा सकें जिससे कि जन साधारण प्रभावित हो रहा है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, 1994 के रजिस्टर के अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ऐक करोड़ 40 लाख है और ग्रामीण क्षेत्र में दो करोड़ 60 लाख है। वर्ष 1994 के रजिस्टर के अनुसार बेरोजगार लोगों की कुल संख्या तीन करोड़ दस लाख हैं। ये केवल उन लोगों के सम्बन्ध में आंकड़े हैं जोकि रोजगार कार्यालयों में अपना नाम रजिस्टर कराते हैं जबकि उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जोकि अपना नाम रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर नहीं कराते, इन आंकड़ों से कहीं अधिक है।

जहां तक देश में साक्षरता की दर का सम्बन्ध है, पुरुष साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत है, स्त्री-साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत है तथा औसत 52.21 प्रतिशत है। विभिन्न कार्यों में पुरुष की भागीदारी लगभग 51. 55 प्रतिशत तथा महिलाओं की भागीदारी 22.25 प्रतिशत है। पुरुषों तथा महिलाओं की भागीदारी की औसत दर 37.46 प्रतिशत है। अतः स्वाधीनता के 47 वर्ष पश्चात् भी साक्षरता तथा कार्यों में भागीदारी की दर अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। आज हमारी यह स्थिति है।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां नव-निर्वाचित सरकार इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में प्रयत्नशील है। जब हमने दो रुपए, प्रति किलो चावल की योजना आरम्भ की, तो सभी लोग कहने लगे कि यह सस्ती राजनीति है। बाद में जब निर्वाचन का समय आया, इस प्रकार की योजनाएं विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों द्वारा घोषित की गई और इनमें सत्तारूढ़ दल, अर्थात कांग्रेस भी शामिल है। माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं, जब वह अपने चुनाव अभियान के लिए आन्ध्र प्रदेश आए, प्रत्येक परिवार को दस किलो चावल देने की योजना की घोषणा की जोकि स्वयं आंध्र प्रदेश के लिए ही पांच लाख टन बैठता है। अतः यह एक इस प्रकार का कार्यक्रम बन चुका है जिसके बारे में सबको विचार करना होगा और समाधान निकालना होगा और सारे देश में इस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने के लिए एक

सहमति स्थापित करनी होगी। अतः मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री द्वारा राज्य को दिए गए वचन के अनुसार वित्त मंत्री राज्य को, उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह राशि अथवा खाद्यान्न की इतनी मात्रा देने पर विचार कर सकते हैं।

अब मैं एक और कार्यक्रम का उल्लेख करता हूं जिसका आरम्भ कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किया और वह पूर्ण मद्य-निषेध का है। हम सब भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम अथवा नीति, जो हम लागू करते हैं अथवा कोई भी छूट जो हम देते हैं, वह देश के लोगों की भलाई के लिए होती है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि परिवार का प्रत्येक सदस्य—माता, पिता तथा बच्चे सभी बहुत प्रसन्न हैं। आप कृपया वहां जाएं और देखें। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि परिवार अत्यंत प्रसन्न है। गरीब लोग उन्नति कर रहे हैं। उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। उनका धन अब सुरक्षित है और अब वे मद्य-निषेध जैसी नीति में बहुत प्रसन्न हैं। इस सम्बन्ध में मैं भी सरकार से निवदेन करूंगा कि वह इस नीति का और आगे विस्तार करें। वर्ष 1977 में एक केन्द्रीय मद्य निषेध समिति थी और 30 जुलाई, 1977 को सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई और उन्होंने एक नीति बनाई कि नशाबन्दी के कारण जो आय सरकार को नहीं होगी, उसका 50 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया जाएगा। यह नीति कुछ राज्यों में लागू की जा चुकी है। यह आश्वासन 30 जुलाई, 1977 को दिया गया। बाद में इस राशि से इन्कार कर दिया गया। यह मामला मैं पुनः प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस नीति को फिर से लागू करें और 50 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश को दें। जहां-जहां भी हमने लोगों के कल्याण अथवा भलाई सम्बन्धी नीति लागू की, इस नीति की सराहना की गई। हमारी नीति ऐसी है जिससे कि परिवार को पूर्ण प्रसन्नता मिलेगी और उसकी समृद्धि होगी।

महोदय, अब मैं सिंचाई के मुद्दे पर आता हूं। हम सब भली प्रकार जानते हैं कि गरीबी दूर करने और रोजगार उपलब्ध कराने की ओर हम काफी ध्यान देते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सम्बन्ध है, सिंचाई देश के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में एक करोड़ 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो सकती है। परन्तु इसमें से अब तक कुल 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई हो सकी है। नदी-जल, अर्थात कुल मिलाकर सभी नदियों का जल 2,746 टी.एम.सी. है। इससे केवल 75 प्रतिशत क्षेत्र की ही सिंचाई हो पाती है। जितने क्षेत्र में कृषि-कार्य होता है वह कुल मिलाकर 55 लाख हैक्टेयर है। गोदावरी नदी में 1,450 टी.एम.सी. है। इस समय केवल दो परियोजनाएं हैं, अर्थात गोदावरी परियोजना तथा श्री रामसागर चरण (एक)। पोलावरम परियोजना, श्री राम सागर चरण दो परियोजना तथा इच्छमपल्ली परियोजना केन्द्र के पास लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं। इनको मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हो सके तथा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके साथ आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने 16 बड़ी तथा 15 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं। अब तक योजना आयोग ने केवल पांच मध्यम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शेष 16 बड़ी परियोजनाओं तथा 10 मध्यम परियोजनाओं को अभी केन्द्र ने मंजूरी नहीं दी है। उदाहरणार्थ तेलुगु गंगा परियोजना की आधारशिला स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी द्वारा रखी गई थी। तीन मुख्य मंत्री एक साथ उपस्थित थे और वे यह कार्यक्रम लागू करने के बारे में सहमत थे। परन्तु इसको अभी भी केन्द्रीय सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

गालेरी-नागरी तथा हुंडरी-नीवा जैसी परियोजनाएं भी केन्द्र के पास मंजूरी के लिए लम्बित हैं।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रश्न है, हम इस क्षेत्र के निजीकरण का स्वागत करते हैं। परन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो प्रणाली अपना रखी है, वह हमारी समझ में नहीं आई। इस प्रकार की प्रणाली से हमें आशंका है कि अन्ततोगत्वा बिजली का मूल्य बढ़ जाएगा। उपभोक्ता पर काफी बोझ पड़ेगा। हम समझते हैं कि साधारण प्रणाली से एक मेगावाट बिजली के उत्पादन में दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च आएगा। परन्तु इस प्रकार के निवेश से एक मेगावाट पर साढ़े चार से पांच करोड़ रुपए खर्च आएगा। जहां-जहां भी परियोजनाएं हमारे बिजली बोर्डों और सरकारी उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही है, एक मेगावाट बिजली के उत्पादन पर दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च आता है। यह भी हो रहा है कि कुछ परियोजनाएं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से तथा कुछ समझौता-ज्ञापन से लागू की जा रही हैं। समझौता-ज्ञापन का अर्थ है कि यह अप्रत्यक्ष प्रणाली है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार इस प्रकार की प्रणाली क्यों अपना रही है। इससे अन्ततोगत्वा बिजली की कीमत में अधिक वृद्धि होगी।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम घोटाले से पूरी तरह अवगत हैं। अभी तक लिप्त प्राधिकारियों को दण्ड नहीं दिया गया है और इसमें काफी विलम्ब किया जा रहा है।

अब मैं चीना घोटाले पर आता हूं जिसमें कि हजारो करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जैसाकि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, परन्तु माननीय मंत्री के सिवाय, जिन्होंने कि त्यागपत्र दिया है, किसी अन्य को दण्डित नहीं किया गया है। परन्तु वास्तविक अपराधियों को, जोकि वास्तविक रूप में सक्रिय थे, और जिन्होंने कि इस प्रकार के चीनी घोटाले के षडयन्त्र की रचना की, दण्ड नहीं दिया गया है। उपभोक्ताओं को चीनी बहुत ही अधिक मूल्य पर मिल रही है। इस समय जबकि हम विभिन्न नीतियों का उदारीकरण कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि चीनी का लाईसेंस अभी भी क्यों केन्द्र द्वारा दिया जाए। इस प्रणाली से यह आभास होता है कि इस बारे में कुछ गड़बड़ है। हम सब जानते हैं कि बड़े लोगों ने लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं परन्तु उन्हें कभी भी लाइसेंस नहीं मिले हैं और हम यह भी जानते हैं कि जिन लोगों को लाइसेंस मिले हैं, वे उन्हें किस प्रकार मिले और इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन-कौन से तरीके अपनाने पड़े। आन्ध्र प्रदेश में एक जिला है श्रीकाकुलम और एक अन्य जिला है नेल्लोर। नेल्लोर स्थित क्षेत्रों के लिए लाइसेंस लेने के लिए व्यक्ति को श्रीकाकुलम

जाना पड़ता है तथा श्रीकाकुलम में चीनी कारखाना लगाने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस लेने हेतु नेल्लोर जाना पड़ता है। इस प्रकार की गतिविधियों से यह मानना पड़ता है कि स्थिति कुछ गड़बड़ है। एक ओर तो हम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहे हैं और दूसरी ओर हम इस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं।

महोदय, जहां तक आन्ध्र प्रदेश में जल आपूर्ति, पीने के पानी की सप्लाई का सम्बन्ध है, सरकार के पास कई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। आदीलाबाद जिले में 39 गांव हैं और योजना की लागत दो करोड़ 40 लाख रुपए है; चित्तूर जिले में 52 गांव है और योजना की लागत पांच करोड़ 29 लाख रुपए है; गुन्टूर जिले में 52 गांव हैं तथा वारंगल जिले में 24 गांव हैं जहां कि योजना की लागत सात करोड़ 90 लाख रुपए हैं। अन्य 394 गांवों में 685 करोड़ की लागत आएगी। ये सभी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं के लिए धनराशि शीघ्र जारी की जाए। और यह भी कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों की सरकारों को प्रत्येक गांव में पानी की आपूर्ति करने संबंधी कार्यक्रमों में तेजी लानी चाहिए ताकि यथाशक्यशीघ्र लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, इस वर्ष दी गई सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। हालांकि खाद्यान्न का 18 करोड़ टन का इस वर्ष का उत्पादन काफी सराहनीय है, हमारा विचार है कि यह इस वर्ष देश में अच्छी वर्षा होने का कारण हुआ है। परन्तु इसके साथ-साथ उर्वरकों तथा यूरिया की कमी के कारण निकट भविष्य में खराब परिणाम हो सकते हैं। यह हमारा वास्तविक सोच है और इस क्षेत्र को पर्याप्त सब्सिडी तथा पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

महोदय, अनेक गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम हैं जिनका कि बजट में उल्लेख किया गया है। परन्तु इसके साथ-साथ उन्हें वाणिज्यिक बैंकों तथा यू.टी.आई. आदि से जोड़ दिया गया है। बजट-सम्बन्धी समर्थन की कमी के कारण इस प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि हम इन कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं परन्तु फिर भी हम महसूस करते हैं कि इनके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक कि ग्रामीण गरीब लोगों का सम्बन्ध है इन कार्यक्रमों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों का यह कहना है कि इतने मंझौले योगिकों तथा अनेक अन्य मदों के सम्बन्ध में शुल्कों में कमी करने से भारत के घरेलू उद्योग में बाधा आएगी। अतः पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए तथा पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि हमारे घरेलू उद्योग को हानि न पहुंचे जिससे अन्यथा बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है।

सभापति महोदय, वाद-विवाद में भाग लेते समय मैं पूर्वोक्त टिप्पणियां करना चाहता था और इन टिप्पणियों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

श्री एस.बी. सिदनाल (बेलगाम) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, इस देश में कई बजट पास किए जा चुके हैं और सदैव ही यह आरोप लगाया जाता है कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों में कोई प्रगति नहीं हुई। इन सभी वर्षों के पश्चात्, प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर आजतक, यदि आप देखें, खाद्य-उत्पादन पहले की अवधि के दौरान पांच करोड़ टन से बढ़कर आज की आशातीत फसल और देश में बड़े-बड़े रक्षित भण्डारों तक पहुंच गया। स्वयं इसी से पता चल जाता है कि कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। औद्योगिक क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास नहीं हुआ है क्योंकि उद्योग इस देश में बहुत सीमित हैं। इन सभी वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र हमारे पास रहा है जो कि सारा धन हड़प कर गया और करदाता इस घाटे को पूरा करता रहे तथा सार्वजनिक क्षेत्र साफ बचकर निकलता रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति खराब होने का यही कारण है। अब हमारे प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने निजीकरण के माध्यम से देश को नई दिशा प्रदान की है। कई लोगों ने निजीकरण के प्रश्न को लेकर सरकार पर यह कहते हुए प्रहार किया कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और विदेशी लोग आएंगे और अपना प्रभुत्व जमाएंगे बिल्कुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह जिसने कि, जब वह भारत में आई न केवल अपना प्रभुत्व ही जमाया बल्कि राजनीति सत्ता भी प्राप्त कर ली। यह गलत धारणा है। उस समय का भारत आज के भारत से बिल्कुल भिन्न था। इस ओर मैं अपने उन मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि हमारी आलोचना करते हैं। जब तक कि हम विदेशी सहायता नहीं लेते तब-तक हम प्रगति नहीं कर सकते। हालांकि हमारे देश में विपणन की सर्वाधिक सम्भाव्यताएं हैं। जब तक कि हम उद्योग स्थापित नहीं कर लेते, हम कृषि की ओर से लोगों को नहीं हटा सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या का कृषि पर निर्भर 75 प्रतिशत भाग गत चार पीढ़ियों से कृषि से बुरी तरह दबा हुआ है। हम उनको उद्योग की ओर मोड़ने में असमर्थ हैं। यदि हम उन्हें उद्योगों में लाना चाहते हैं तो हमें आबादी के अनुपात में औद्योगीकरण करना होगा।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने निजीकरण के माध्यम से इस देश को नई दिशा दी। इस देश में अब काफी विदेशी पूंजी आ रही है। हम अपने देश में विशेषकर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में इतने बड़े निवेश नहीं कर सकते थे।

एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश पहले ही हो चुका है परन्तु लाभ अभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए हैं और हम उन्हें लाभों से ठीक प्रकार अवगत भी नहीं करा पाए हैं। कुछ अन्य मित्र इस निवेश के लाभों को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते।

मैं सचमुच में वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में इस देश को नई दिशा दी।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, उनमें विकास की अधिक गुंजाईश नहीं है क्योंकि वे बड़े उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनको अधिकाधिक रियायतें देनी होंगी ताकि जो युवा अथवा इंजीनियर जो इस क्षेत्र में उतरे हैं, निराश अथवा हतोत्साहित न हों क्योंकि जब वे बैंकों से ऋण लेना आरम्भ करते हैं तो कभी-कभी उन्हें हानि होती है। अनेक लघु उद्योग घाटे में चल रहे हैं और बन्द किए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री इससे अवगत हैं। कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी सदैव उपलब्ध होनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि लघु स्तर के उद्योगों का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्होंने छोटे-छोटे नगरों तथा जिला मुख्यालयों में अपने कार्य को आगे ले जाना होता है। कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो निराशा उत्पन्न होगी और भविष्य में सभी राजनीतिक दलों के विरुद्ध विद्रोह होगा। इसको बड़ी गम्भीरता से लेना होगा।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, जब हम चीन जैसे अन्य देशों से तुलना करते हैं, जिन्होंने कि पहले कृषि का विकास किया, तो हम देखते हैं कि हमने इतना नहीं किया जितना कि हम कर सकते थे। हम कहते रहे हैं कि कृषि इस देश का मेरुदण्ड है और हम कृषि की सहायता कर रहे हैं। हम सिंचाई के लिए परियोजनाएं बना रहे हैं। परन्तु वास्तविक लाभ संतोषप्रद नहीं है। जब भी हम जल-प्रबन्धन के लिए परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, लगभग 30 से 40 प्रतिशत जल व्यर्थ चला जाता है। हमने कभी भी इसकी परवाह नहीं की है और न ही तो राज्य सरकार अथवा कोई अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण है जोकि यह सुनिश्चित करे कि सिंचाई ठीक तरीके से हो और इस बात का ध्यान रखें इस देश में उत्पादन के लिए पानी की प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार से बहुत गम्भीर रूप में कहना होगा कि वह सिंचाई की प्रणाली की पूरी निगरानी करे। इसका सर्वोत्तम प्रबन्धन हम कैसे कर सकते हैं? हमारी अनेक परियोजनाएं हैं। हमारे पास प्रशिक्षित कार्मिक नहीं हैं। हमारे यहां एक कृषि कालेज है, एक इंजीनियरी कालेज है तथा एक चिकित्सा कालेज है। ये सब नगरों में स्थित हैं परन्तु हमारे यहां कृषि व्यवसाय के लोगों के लिए कोई तकनीकी संस्थान नहीं है जिनसे कि ये लोग अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। यदि आप उन्हें तकनीकी शिक्षा देते हैं तो वे विश्व में किन्हीं भी लोगों से बेहतर होंगे। अभी भी हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखते हैं। चावल के उत्पादन में भी हमारा स्थान विश्व में दूसरा है। दूध के उत्पादन में हम तीसरा स्थान रखते हैं। हम कई क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य ही है कि हम किसानों को तकनीकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। किसान भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए आ रहा है। उसे जाना पड़ता है क्योंकि तकनीकी शिक्षा देकर हम उसे रोजगार देने में असफल रहे हैं।

इस देश में हमने आबादी के 20 प्रतिशत लोगों के लिए 160 विश्वविद्यालय स्थापित कर रखे हैं जबकि 80 प्रतिशत आबादी के लिए मुश्किल से 25 कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि कृषकों के लिए नगरों तथा जिले में कई स्थानों पर तकनीकी संस्थान खोले जाएं क्योंकि अब हम रातों-रात भूमि की सिंचाई नहीं कर सकते। जितनी भी मात्रा में पानी हमारे पास है, हमें इसका वितरण करना होगा। परन्तु यह नहीं हो रहा है।

जहां तक शुष्क-खेती का सम्बन्ध है, बहुत सी चीजें हैं। फल देने वाले वृक्ष हैं। हालांकि सरकार इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ कर रही है, फिर भी हम लोगों को इस बारे में शिक्षित करने में असफल रहे हैं कि वे इन कार्यक्रमों को स्वीकार करें। यदि हम एक पेड़ लगाते हैं तो वह काट दिया जाएगा। यदि हम कुछ व्यवस्था करते हैं तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। अतः हमें एक ऐसा तरीका जारी करना होगा जिससे कि हम ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनपर ऐसा प्रभाव डाल सकें कि वे उन सभी कार्यक्रमों को स्वीकार करें जोकि उन्हें दिए जा रहे हैं।

दूसरे, हम यह बड़े जोरदार शब्दों में कहते रहे हैं कि कृषि तथा उद्योग का दर्जा समान रहेगा। परन्तु यह केवल कागज पर रह जाता है। इसे बहुत गम्भीरता से लागू किया जाना चाहिए। कृपया आप उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी की ओर देखें। मेरे विचार में कृषि के प्रति हमारा द्वेष रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुश्किल से छोटे तथा सीमान्त किसानों को ही यह सब्सिडी दी जाती है। बड़े-बड़े किसान इन सभी वस्तुओं को खरीद लेते हैं और सभी गरीब किसानों के हस्ताक्षर ले लेते हैं और जो कुछ भी गरीबों को दिया जाता है, उसे लूट लेते हैं। गरीब किसान इन्हें बड़े किसानों को कुछ दान के बदले दे देता है। ऐसा कहना कदाचित सहायतापूर्ण नहीं होगा। परन्तु सच्चाई यही है और गांवों में बस यही कुछ हो रहा है। अतः सब्सिडी बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए कर दी जाने चाहिए। गत वर्ष भी मंत्री महोदय ने वचन दिया था। इस वर्ष भी आप वचन दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह अपना वचन पूरा करें और किसानों को कठिनाई से मुक्त करें।

महोदय, काश्तकारी कानून लागू होने के पश्चात् अब जमींदार कहां हैं? कम से कम कर्नाटक में मुझे कोई जमींदार नजर नहीं आता। "जमींदार" की उपाधि अभी शेष है। परन्तु अब जमीन नहीं है। शुष्क-खेती के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सीमा 50 एकड़ है और सिंचाइ युक्त खेती के लिए दस एकड़। इसलिए आप उन्हें जमींदार कहते हैं। आज सीमान्त किसान कहां हैं? आज बड़ा किसान कहां है? इस काश्तकारी कानून के लागू होने के पश्चात् यदि किसी पिता के पास दस वर्ष पूर्व दस एकड़ भूमि थी, अब प्रौढ़ बेटों के पास मुश्किल से दो या तीन एकड़ होगी। अब वितरण के लिए कोई भी भूमि नहीं है। अतः छोटे, सीमान्त तथा बड़े किसानों के सम्बन्ध में अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसान बिल्कुल गरीब हैं। उनके पास जमीन हो सकती है परन्तु जितनी भूमि उनके पास है, उत्पादन उसके अनुपात में नहीं है। इसका कारण वैज्ञानिक उपकरणों तथा

उर्वरकों का अभाव है। ये चीजें उनके पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि सरकार ने खरीद-मूल्य में वृद्धि की है—मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं—फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। यदि हम शहरों में जाते हैं तो लोग हम पर जोरदार प्रहार करते हैं क्योंकि मूल्य अधिक है। यदि आप स्टाक की स्थिति की ओर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे पास बम्पर स्टाक है। परन्तु यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखें तो आप पाएंगे कि वहां कुछ गोलमाल है। राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित प्रकार से लागू नहीं कर रही हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों वाले पहले बाजार में चले जाते हैं और इन वस्तुओं को बेच देते हैं। इसे प्रणाली से लोगों को निराशा हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई अन्य बेहतर प्रणाली अपनाई जाएगी। परन्तु कड़े प्रबन्धन से राज्य सरकारों को इसमें सुधार करना होगा। केन्द्रीय सरकार को इस बारे स्पष्ट निर्देश भेजने होंगे। आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि कृषि कभी-न-कभी एक उद्योग बने। ग्रामीण क्षेत्र में हम मुर्गीपालन, रेशम-कीट पालन आदि का प्रचार करते रहे हैं। किसानों के लिए अनेक सम्बद्ध व्यवसाय हैं। परन्तु सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इन व्यवसायों से ग्रामीणवासियों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न हो सकता है परन्तु हमने इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया है। धन देना ही पर्याप्त नहीं है। यह तकनीकी ज्ञान, कार्मिक-वर्ग तथा प्रबन्धन के अनुपात में होना चाहिए। इस पहलू का अभाव रहा है। अतः यह देखकर मुझे दुःख होता है कि किसानों तथा उनके बेटों को अपने प्रबन्धन के लिए उचित शिक्षा नहीं मिल रही है।

उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी के अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र हैं। मुझे याद है कि इन्दिरा जी ने बैंकों को गोबर गैस संयंत्र की स्थापना में सहायता करने को कहकर इस देश की महत्वपूर्ण तरीके से महान सेवा की है। पहले यह जहां-तहां खादी बोर्ड के माध्यम से होता था और इतने वर्षों तक मुश्किल से एक प्रतिशत खर्च होता रहा। इसलिए यह किसानों के लिए तिहरी योजना में से एक है जहां कि बैलों की एक जोड़ी अथवा दो गायें रखने से, वह खाद की अपनी आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी कर सकता है। गोबर गैस संयंत्र से उचित आय भी हो सकती है। मैं इसे कृषि का देशी उद्योग कहता हूं जो कि किसान स्वयं चला रहा है। गोबर गैस संयंत्र में तैयार किया गया उर्वरक भूमि में तीन वर्ष तक अपना प्रभाव रखता है तथा कृत्रिम कारखानों में तैयार किया गया उर्वरक केवल एक फसल के लिए ही पर्याप्त हो पाता है। उर्वरक द्वारा भूमि में जो अल्पाईन छोड़ी जाती है, उससे भूमि फिर से बंजर हो जाती है। इसलिए, महोदय, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। आपने बैंकों को सहायता करने के लिए कहा है। बैंकिंग प्रणाली बहुत खेदजनक है। इसमें तनिक सुधार भी नहीं हुआ है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जो भी व्यक्ति बैंक को जाता है, वह रोता हुआ बाहर आता है। बैंक ग्रामीण वासियों की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति दुकान चलाने के लिए ऋण लेने गया। उसने 3,000 रुपए जमा करा दिए। उसे 5000 रुपए का ऋण मिला। अब उसे 25,000 रुपए देने हैं। उक्त बैंक का कर्मचारी मेरे निवास-स्थान का ही रहने वाला है। वह इन तीन हजार रुपयों का आरम्भ में ही ऋण की राशि से समायोजन नहीं कर सका। उसने एक लम्बी अवधि तक यह समायोजन नहीं किया। बैंकों का यह अत्यन्त खेदजनक प्रबन्ध है। मुझे आपको यह सब कुछ बताते हुए दुःख हो रहा है। कृपया इसे बहुत गम्भीरता से लें और यह देखें कि अपराधियों को दण्ड दिया जाए और किसानों की सहायता की जाए।

निजीकरण के पश्चात् एक नई दिशा मिली है। नए प्रकार के निर्यात विकसित हुए हैं। विदेशी मुद्रा का भण्डार सुनिश्चित हुआ है। अनेक विदेशी आज भारत की ओर देख रहे हैं। वे भारत आ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं।

पर्यटन हमारे लिए एक अन्य उद्योग है। पर्यटन उद्योग का विकास प्रति वर्ष हो रहा है और इसका कारण है कि हमारा देश विश्व में सबसे पुरातन है। परन्तु हमने इस उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इस देश में प्रत्येक स्थान सौन्दर्यपूर्ण है और रमणीक हैं और जहां कहीं भी नहीं है अथवा अन्य आवश्यक बातें हैं, वहां आप एक तालुका में कम से कम एक गांव को पर्यटन-स्थान बनाएं जहां कि पर्यटक जा सकें और विश्राम कर सकें। इस समय पर्यटक-स्थल उन्हीं स्थानों पर हैं जहां कि सागर हैं, अर्थात् गोवा तथा केरल। अन्य भीतरी भागों में नहीं हैं। रहने के लिए अच्छे विश्रामगृह भी नहीं हैं। यहां आने वाले अनेक विदेशी पर्यटक तरण-तालों तथा कुछ अन्य सुविधाओं की मांग करते हैं। आप कृपया एक सर्वेक्षण करें और एक मास्टर प्लान तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कर्नाटक में, मैसूर में वृन्दावन गार्डन है। कम से कम हम बेलगाम, घाटप्रभा तथा मालप्रभा में दो या तीन वृन्दावन गार्डन और बना सकते हैं। पानी का प्रवाह केवल गुरूत्वाकर्षण के आधार पर होता है। वहां काफी भूमि उपलब्ध है परन्तु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। दूसरे, पर्यटकों की सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता है। यह बहुत खेदजनक है कि जब हम समाचारपत्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जापान की किसी महिला को लूट लिया गया। हमारे लिए यह कितनी शर्म की बात है?

सरकार को इस ओर बहुत गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में कोई भी पर्यटक सुरक्षित है और वह निश्चित होकर यहां आए और विदेशी मुद्रा यहां खर्च करे जिससे कि हम यह मुद्रा अधिकाधिक अर्जित करें।

महोदय, जहां तक विद्युत का प्रश्न है, इसकी स्थिति काफी खराब है। कृषि को हानि हो रही है। मात्र दो घंटों तक के लिए भी बिजली की नियमित सप्लाई नहीं है। हम जानते हैं कि सरकार की अपनी मजबूरियां हैं परन्तु इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। आप इस देश में किसी भी बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली से पूरी तरह अवगत हैं। इनमें कब तक सुधार होगा? लोगों को परेशानी हो रही है और हम अपने चुनाव क्षेत्रों में नहीं जा सकते क्योंकि वहां बिजली की

सप्लाई अनियमित है। जब हम सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ करते हैं तो वे अनेक तरीकों से स्थिति का स्पष्टीकरण देते हैं। फिर, बिजली बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार है। इन बातों से किसान क्रुद्ध है और उसे निराशा का सामना करना पड़ रहा है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए, निगरानी रखी जानी चाहिए और बिजली बोर्डों में चोरी कम की जानी चाहिए। मेरे विचार में आप इसका उन्मूलन नहीं कर सकते अथवा इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते; आपके लिए शायद यह सम्भव न हो परन्तु आप इसे निश्चित सीमा तक कम कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली में भी किसी कालोनी में जाएं तो आप देखेंगे कि बिजली का कनेक्शन बिना किसी नियमित प्रणाली के और बिना मीटर के बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। अतः इस मुद्दे को काफी गम्भीरता से लेना होगा।

अब मैं चीनी पर आता हूं। मेरे जिले में आठ चीनी मिलें हैं जो गत 25 वर्षों के दौरान स्थापित की गई हैं। हमारे पास इनमें से चार मिलों के लिए लाइसेंस हैं तथा हमने तीन अन्य मिलों के लिए वर्ष 1993 में प्रार्थनापत्र भेजा था। परन्तु केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई भी उत्तर नहीं आया है। जबकि महाराष्ट्र 25 से 30 मिलों की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। मैं अन्य राज्यों को दोष नहीं देता, परन्तु यह असमानता क्यों? हम कम से कम तीन कारखाने चाहते हैं, अर्थात् भाग्यलक्ष्मी, कृष्णा तथा बिहार में एक और तथा कर्नाटक सरकार ने इनकी सिफारिश की है। परन्तु इन्हें अभी मंजूरी नहीं दी गई है। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह मामले की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि मंजूरी दी जाए ताकि हमारी जनता संतुष्ट हो। सहकारी क्षेत्र में प्रवेश एक बाद की प्रक्रिया है हालांकि इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं और इससे ग्रामीण लोगों के पूंजी-निर्माण में भी सहायता मिलती है। परन्तु इससे पूर्व हम चीनी मिलों पर से नियन्त्रण क्यों नहीं हटा लेते? लोगों को आगे आने दो, निवेश करने दो और देश में सम्भाव्यताओं का दोहन करने दो। हम सरकार के द्वार पर ही क्यों प्रतीक्षा करें? जब आप अन्य क्षेत्रों में ऐसा कर चुके हैं आप इस क्षेत्र में भी कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही छोटा क्षेत्र है। एक मिल के लिए मुश्किल से 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इसे चालू करने में एक या दो वर्ष लग सकते हैं। परन्तु यदि हम इसमें सहकारी क्षेत्र आरम्भ करें तो काफी अधिक समय लगेगा और चीनी का उत्पादन शीघ्र नहीं हो सकता। निजीकरण में कोई बुराई नहीं है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह यह प्रणाली आरम्भ करें। गत चुनावों के दौरान जब प्रधान मंत्री बेलगाम आए तो उन्होंने घोषणा की कि चीनी उद्योग पर से नियन्त्रण हटा लिया जाएगा। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसे शीघ्र लागू करें ताकि सम्भावना का अधिकतम उपयोग हो सके।

अधिक क्षेत्र के लिए ड्रिप-सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए आपका धन्यवाद। यदि हम ड्रिप-सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र देखें तो यह बहुत बड़ा क्षेत्र नजर आता है। वर्तमान बजट में 38,650 हैक्टेयर भूमि ड्रिप-सिंचाई के अन्तर्गत लाई जानी है। यह सुविधा और अधिक भूमि में उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसके लिए सब्सिडी भी है। मैंने स्वयं देखा है और मेरा अनुभव भी है कि यदि हम ड्रिप-सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, तो इसका दोहरा लाभ है। प्रथमतया, पानी की बचत होती है और दूसरे पानी की पर्याप्त सप्लाई के अतिरिक्त, भूमि का तनिक भी कटाव नहीं होगा और न ही तो बाढ़ आएगी। इसलिए किसी भी तरह कृपया ड्रिप-सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाएं और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अतः चीनी उद्योग पर से नियन्त्रण हटाना, ड्रिप-सिंचाई के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाया जाना तथा आधुनिकीकरण-ये मेरे सुझाव हैं।

दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी मैं प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश को नई दिशा प्रदान की। परन्तु अभी भी बहुत बेरोजगारी है। हालांकि आप जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से बेरोजगारी कम करना चाहते हैं। मैं पंचायती राज विधान लाने के लिए सरकार को विशेष बधाई देता हूं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी कदम है और यह स्वर्गीय श्री राजीव गान्धी के सपने को साकार करना है जिसे हम संजोए हुए हैं। हम महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान रक्षित रखने तथा सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किए जाने से भी प्रसन्न हैं। संसद, विधान सभाएं तथा पंचायतें समाज का वास्तविक प्रतिबिम्ब बन गए हैं। मैं सरकार को इन सभी बातों के लिए सचमुच बधाई देता हूं। देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल और सुदृढ़ है जैसी कि हमारे राजीव गान्धी जी ने परिकल्पना की थी। आएं, हम वर्ष 2000 में उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रवेश करें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपना पांचवां उत्तरोत्तर चुनाव-उन्मुख बजट प्रस्तुत किया जोकि ग्रामीण जनता तथा शहरी मध्यम-वर्ग के लिए उपहारों से भरपूर है। इसके साथ-साथ चार वर्ष पूर्व आरम्भ की गई कराधान-सुधार तथा वित्तीय स्थिरता की प्रक्रिया को आगे ले जाने का भी इस बजट में प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय बजट में न ही तो गत वर्ष की मुख्य नवीनताएं हैं और न ही तो यह अधिक सुधारवादी है। जो कुछ भी डा. मनमोहन सिंह ने किया है, वह है राजनीतिक तथा आर्थिक आवश्यकता तालमेल स्थापित करना।

महोदय, गत वर्ष का बजट एक जुआ था जोकि सफल रहा और अर्थव्यवस्था का काफी विकास हुआ और अधिक राजस्व प्राप्त हुआ एवं विदेशी मुद्रा के भण्डार में भी वृद्धि हुई। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की ओर विशेष ध्यान देकर गरीबी की कुछ कठोरताओं को दूर करने के लिए सीधे कार्यवाही करने का प्रयास किया है। हमें संतोष है कि केन्द्र कम से कम बुनियादी वास्तविकताओं के प्रति जागरूक हुआ है और उसने गरीबों तथा पद-दलितों की आवश्यकताओं को समझा है।

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटनों में वृद्धि की है और सरकार की योजना यह भी है कि बढ़ते हुए अनाज के भण्डारों में से कुछ का प्रयोग ग्रामीण रोजगार में काफी वृद्धि करने

के लिए किया जाए। तथापि, महोदय इन कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यक्रम नया अथवा भिन्न नहीं है। गरीबी-उन्मूलन तथा सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के कार्यक्रम सामान्यतया सोच-समझ कर बनाए गए हैं परन्तु वे बहुत सीमा तक पहले बनाई गई योजनाओं के आधार पर ही हैं। अतः न ही तो मीडिया और न ही तो लाभ प्राप्तकर्ता इनकी ओर आकृष्ट होंगे। इन सबसे केवल इतना कम अन्तर पड़ेगा जिसकी ओर अधिकांश मतदाताओं का ध्यान तक नहीं जाएगा।

उदारीकरण का लाभ गरीब लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। लोग ऊंचे मूल्यों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस नई आर्थिक नीति का अनुसरण किया जा रहा है उससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न नहीं हुए हैं और न ही तो अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है और इस प्रकार इस नीति से जन साधारण को अभी कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जबकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। अतः मूल्य-वृद्धि और भी गम्भीर रूप ले लेती है हालांकि देश में उत्तरोत्तर वर्षों में गेहूं तथा चावल की बम्पर फसलें हुई हैं तथा सरकार के पास पर्याप्त रक्षित भण्डार भी हैं। इसके बावजूद भी मूल्य बढ़ रहे हैं।

महोदय, केन्द्रीय बजट में मूल्यों को नियंत्रित करने सम्बन्धी रणनीति को पर्याप्त रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया था कि चावल के मूल्य को व्यापार तथा कराधान नीतियों के माध्यम से उचित स्तर पर रखा जाएगा। इस बात पर तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भी बार-बार जोर दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की कीमत में किसी भी स्थिति में वृद्धि न की जाए। मैं वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वागत करता हूं, परन्तु मैं महसूस करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की कीमत के बारे में और भी अधिक स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए था।

5.00 म.प.

मेरा दृढ़ विचार यह भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित वस्तुओं के निर्गम-मूल्यों में कमी करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक शीघ्र बुलाई जाए।

विदेशी मुद्रा के भण्डार की स्थिति वास्तव में इतनी अच्छी है कि किसी प्रकार की कमी को निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके बावजूद भी लोग मुद्रास्फीति की चपेट में हैं जोकि इस समय 12 प्रतिशत है। यह 12 प्रतिशत भी जाली है क्योंकि यह केवल थोक मूल्यों पर ही निर्धारित किया जाता है। फुटकर स्तर पर मूल्यों में हुई वृद्धि 20 प्रतिशत तक की है। दालों तथा खाद्य तेलों के मूल्य आसमान छू रहे हैं। परन्तु मूल्य कम करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। जबकि केन्द्र इन अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने में असफल रहा है। राज्य सरकारें, हालांकि उनके संसाधन बहुत ही सीमित हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्यों में सब्सिडी देने के लिए मजबूर हैं। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल दो रुपए प्रति किलो की दर पर बेच रही है। कर्नाटक सरकार चावल साढ़े तीन रुपए प्रति किलो की दर पर बेच रही है। तमिलनाडु सरकार ने चावल के मूल्य में एक रुपया प्रति किलो कमी करके उसका मूल्य साढ़े तीन रुपए से ढाई रुपए पर लाने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों से सैंकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके खाद्यान्न पर सब्सिडी दे रही हैं। तमिलनाडु की सरकार ने खाद्यान्न पर सब्सिडी के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य सरकारें कल्याण योजनाएं आरम्भ करने पर भी मजबूर हुई हैं क्योंकि केन्द्र मूल्यों को स्थिर रखने में बुरी तरह असफल रहा है।

मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह स्पष्ट रूप में बताएं कि मुद्रास्फीति की दर को कम से कम 6 प्रतिशत तक लाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं। वित्त मंत्री जनता को सीधे सम्बोधित करने वाली राजनीति के अन्तर्गत कुछ योजनाएं लाए हैं परन्तु इन्होंने उनके लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित नहीं की है। बड़ी-बड़ी आशाएं थीं कि व्यक्तिगत आयकर पर छूट की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। परन्तु छूट की सीमा 35,000 रुपए से 40,000 रुपए करना बहुत ही कम है तथा लाभांशों जैसे स्रोतों से आय पर कर-मुक्ति की सीमा 10,000 रुपए से केवल 13,000 करने से लोगों को और भी अधिक निराशा हुई है। इस समय देश में विद्यमान मुद्रास्फीति की तुलना में छूट की सीमा में केवल 5,000 रुपए की वृद्धि बहुत ही कम है। वित्त मंत्री को ज्ञात होना चाहिए कि केवल वेतन-भोगी वर्ग ही पीड़ित होता है। केवल यह ही एक वर्ग है जिसे तुरंत कर देने पर मजबूर किया जाता है हालांकि उच्च मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक अर्थों में इस वर्ग की आय में कमी आई है। मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार केवल मूल वेतन पर ही कर लगाए और मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, नगरीय भत्ता आदि पर छूट दे। इससे वेतन-भोगियों को काफी लाभ होगा। सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि पर भी गहरी चिन्ता है। हालांकि समाज में परिवर्तन लाने के विचार का स्वागत है परन्तु जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें ग्रामीण तथा लघु उद्योग के विकास, प्रारम्भिक, प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की गई है। आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियों को पांच वर्षों के लिए कर से छूट तथा विशेष रक्षित निधि स्थापित किया जाना, ठीक दिशा में कदम है जिनसे कि निवेश में वृद्धि होगी। परन्तु बिजली के क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने के लिए केन्द्र द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं जा रही है। अगले बारह महीनों में कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि कर में दी गई इस छूट के कारण, इस क्षेत्र के परिणाम अगले वर्ष संसदीय चुनाव से पूर्व सामने नहीं आएंगे।

महोदय, जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, हमारी मुख्य मंत्री दक्षिण क्षेत्र के लिए विकास बैंकों की स्थापना की मांग करती रही है तथा नेवेली में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में गारन्टियों को अन्तिम रूप देने की मांग भी करती रही है। हमें काफी निराशा

हुई है कि केन्द्र ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में गारन्टियों को अन्तिम रूप देने में केन्द्र निष्फल रहा है। हालांकि डा. सिंह ने काउंटर-गारंटी जारी रखने के बारे में कठिनाइयां बताई हैं और उन्होंने इसे अल्पकालिक उपाय बताया है परन्तु केन्द्र के लिए यह ठीक नहीं है कि काउंटर-गारंटी के अभाव में लम्बित पड़ी परियोजनाओं में विलम्ब किया जाए।

5.05 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, मैं तमिलनाडु में नेवेली जीरो यूनिट परियोजना का उदाहरण दूंगा जोकि काउंटर-गारंटी के लिए केन्द्र के पास कई महीनों से लम्बित पड़ी है। केन्द्र को इन लम्बित परियोजनाओं पर शीघ्र कोई रचनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इस बात पर भी चिन्ता बनी हुई है कि केन्द्रीय सरकार वित्तीय समायोजन का बोझ राज्य सरकारों पर निरन्तर डालती जा रही है। राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों की योजना-सहायता में इस वर्ष कुछ कमी आई है। यह अनुचित है और केन्द्रीय सरकार को, जहां कि इतने बड़े पैमाने का वित्तीय तथा राजस्व घाटा रहता है, राज्य सरकारों से ऐसा बरताव नहीं करना चाहिए।

महोदय, जबकि कुछ आधारभूत ढांचा तथा विकास-क्षेत्र में योजना-आवंटन में वृद्धि का स्वागत है, केन्द्रीय योजना तथा राज्य की योजना में केन्द्रीय सहायता में पूंजी व्यय के बहुत ही कम प्रावधान के बारे में बहुत खेद है। उत्तरोत्तर वित्त आयोग राज्य सरकारों से न्याय करने में असफल रहे हैं। बिक्री-कर के सिवाय, राज्य सरकारों के पास कोई बड़ा स्रोत नहीं है।

जहां तक मेरे राज्य तमिलनाडु का सम्बन्ध है, इसकी परिवार नियोजन के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हानि हो रही है। एक राज्य को, जिसने कि जनसंख्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है, तो दण्डित किया जा रहा है और जिन राज्यों में जनसंख्या-विस्फोट की सी स्थिति बनी हुई है, उन्हें लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। तमिलनाडु समेत सभी दक्षिणी राज्य यह जोरदार मांग करते आ रहे हैं कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि जो राज्य जनसंख्यात्मक को नियंत्रित करने सम्बन्धी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचें। परन्तु किसी राज्य के योजना-व्यय का निर्धारण करने के समय जनसंख्या अभी भी एक मुख्य कसौटी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए। जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करने सम्बन्धी योजनाओं को लागू करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलने चाहिए।

महोदय, प्रधान मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के बारे में कहा है। ऐसी सहमति केन्द्र, राज्य तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में गरीब लोगों, जिन्हें कि यह आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता है कि सुधारों से उनका भी भविष्य उज्ज्वल है, सभी के हित में होगी। इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आर्थिक सुधारों से यह पता चलना चाहिए कि वे वास्तविक सहमति पर आधारित हैं जहां कि मुद्दा सुदृढ़ राज्यों अथवा अधिक सुदृढ़ केन्द्र का नहीं है परन्तु मुद्दा यह है कि केन्द्र तथा राज्य भारत को आर्थिक रूप से प्रफुल्ल तथा प्रसन्न संघ बनाने में सहयोग दे रहे हैं।

एक अन्य महान कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना है जो गरीबों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। इसका स्वागत है। इस योजना में चार प्रकार के लाभ हैं : वृद्ध लोगों के लिए पेंशन, रोजी कमाने वाले की मृत्यु हो जाने पर परिवार के लिए जीवन बीमा, प्रसूति-कल्याण तथा स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के लिए खाद्यान्न जारी करना। परन्तु बजट में इन कार्यक्रमों के लिए कोई बड़ी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यहां मैं तमिलनाडु में दोपहर के भोजन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। तमिलनाडु गरीबी से पीड़ित लोगों के लिए दोपहर के भोजन सम्बन्धी योजना आरम्भ करने औन इन योजनाओं को बनाने तथा लागू करने के लिए इन्हीं लोगों को इसमें भागीदार बनाने के कार्य में अग्रणी रहा है। तमिलनाडु इस कार्य में न केवल सारे देश में ही अग्रणी रहा है बल्कि इस काम में पूरे विश्व ने इसकी सराहना की है। इस योजना से एक लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अतः केन्द्र को तमिलनाडु के अनुभव को मानना चाहिए और इसकी स्थिति की रक्षा करनी चाहिए और इसे इस कारण वित्तीय हानि नहीं पहुंचानी चाहिए कि यह इस क्षेत्र में अन्य राज्यों से आगे रहा है।

हम राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास निगमों को दान देने के बारे में वित्त मंत्री की घोषणा का भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा इन निगमों के लाभों पर आयकर की छूट होगी। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए भी कुछ लाभ दिए गए हैं।

पूंजी-सामान पर आयात-शुल्क का सरलीकरण भी स्वागत योग्य है क्योंकि इससे निवेश में वृद्धि होगी। आयात-शुल्क में कमी अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां कि स्थानीय उद्योग के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सीरे पर आयात शुल्क 65 प्रतिशत से कम करकके 10 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप तमिलनाडु जैसे चीनी उत्पादक राज्यों के किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इतनी भारी कमी से स्थानीय उद्योग को संरक्षण नहीं मिलेगा।

विभिन्न वस्तुओं के उत्पाद-शुल्क में कमी एक अच्छा कदम है परन्तु सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि से आवास-क्षेत्र तथा विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हमारी मुख्य मंत्री ने बार-बार निवेदन किया था कि दक्षिण क्षेत्र में विकास बैंक की स्थापना की जाए जिसका मुख्यालय मद्रास में हो। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद में भी अनेक अवसरों पर यह मुद्दा उठाया था। परन्तु हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि वित्त मंत्री ने बजट में एक क्षेत्रीय विकास बैंक की स्थापना की घोषणा की है जिसमें केवल पूर्वोत्तर राज्य ही सम्मिलित हैं और इस घोषणा में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के दावे की उपेक्षा की गई है।

कुल मिलाकर बजट, आने वाले आम चुनावों की पृष्ठ भूमि में सर्वोत्तम है जितना कि कोई व्यक्ति आशा कर सकता है। डा. सिंह वित्त आयोग द्वारा अन्तरित राशियों के प्रभाव को रोकने में समर्थ हुए हैं, उन्होंने तुलनात्मक बड़ी योजना का प्रावधान किया है, गरीबी-उन्मूलन के लिए प्रावधानों में वृद्धि की है और फिर भी कर-सुधार प्रक्रिया को जारी रखा है। बजट से अवश्य ही यह संकेत मिलता है कि चुनाव शीघ्र ही होंगे। इस बजट को सुदृढ़ औद्योगिक विकास तथा निवेश के लिए निरन्तर प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसमें कृषि पर इसके प्रभाव के बारे में निश्चितता से कम ही कहा गया है हालांकि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार होना चाहिए।

अन्त में मैं दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन सिफारिशों से ऐसे राज्यों की वित्त व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिनका प्रबन्ध बेहतर है। आयोग ने तमिलनाडु की वित्त व्यवस्था को आवास्तविक रूप से आंका है। इस वित्त व्यवस्था में तमिलनाडु बिजली बोर्ड से सब्सिडी हटा लिया जाना, खाद्यान्न सब्सिडी शनैः शनैः बन्द करना तथा भविष्य में वेतन-संशोधन पर रोक जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयोग की सिफारिशों ने राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए 402 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया। इस कदम का स्वागत है हालांकि तमिलनाडु को केवल 100 करोड़ 85 लाख रुपए मिले। इस प्रकार तमिलनाडु को इसके दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए दण्डित किया गया। केन्द्र बड़ी देर से चले आ रहे निवेदन को भी स्वीकार कर सकता है अर्थात् कम्पनी-कर से अंश तथा खेप-कर प्रस्ताव को लागू करना। हालांकि तमिलनाडु राज्य ने राजस्व लेखे में बढ़ते हुए घाटे की प्रवृत्ति को बदला है, फिर भी दसवें वित्त आयोग से उचित सहायता न मिलने से व्यय नियंत्रित करने के सम्बन्ध में सतर्कता की आवश्यकता पड़ी है। डा. मनमोहन सिंह ने बजट प्रस्तावों से उन सीमित उद्देश्यों की भी पूरी तरह पूर्ति नहीं हो सकती जो कि निर्धारित किए गए हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था में सुधारों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री निश्चय ही यथास्थिति बनाए रखने में सफल होंगे परन्तु उनके कराधान प्रस्ताव जन साधारण को मूल्य-वृद्धि से छुटकारा दिलाने में अधिक कार्यसाधक सिद्ध नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं, अपनी पार्टी, आरएसपी, की ओर से इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस बजट की सराहना नहीं कर सकता क्योंकि यह आत्म-निर्भरता का बजट नहीं है। महोदय वर्गों में विभाजित किसी भी समाज में बजट सदैव एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और वह अर्थव्यवस्था सत्तारूढ़ दल के हित में होती है। माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित बजट मुझे साधन-सम्पन्न वर्ग के लिए प्रतीत होता है जिससे केवल उन्हीं लोगों के हितों की पूर्ति होगी जोकि हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में पहले से ही सुस्थित है। निस्सन्देह बजट में गरीबों के लिए कुछ सुन्दर शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। इसमें गरीब लोगों को रियायतें देने के लिए कुछ शुभ कामनाओं तथा प्रभावशाली वचनों का समावेश है। एक कल्याण राज्य में, एक लोकतन्त्र में गरीब लोगों को ये रियायतें दी जानी अत्यंत वांछनीय हैं। हम इन रियायतों का विरोध नहीं करते। परन्तु इसके साथ-साथ मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि ये रियायतें अपने आप में स्वयं कोई उत्पाद-मूल्य नहीं रखतीं। ये रियायतें गरीब लोगों के लिए, इनकी आवश्यकताओं, मांगों तथा आकांक्षाओं की तुलना में बहुत ही कम महत्व की हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये रियायतें गरीबों को चुनाव वर्ष से पूर्व दान के रूप में दी जा रही हैं। बजट के अनेक पाठकों को यह बजट चुनाव के लिए एक चतुर स्टन्ट प्रतीत हुआ होगा।

महोदय, हमें बजट के आरम्भिक अध्यायों की ओर अपना ध्यान मोड़ना होगा जहां कि वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस बजट को एक विकासोन्मुख बजट के रूप में सामने लाने का सत्यनिष्ठ प्रयास किया है। बजट में दावा किया गया है कि आर्थिक विकास 5.3 प्रतिशत तक बढ़ा है और औद्योगिक विकास 8.7 प्रतिशत तक। यह भी दावा किया गया है कि इस आर्थिक विकास से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। मुझे खेद है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। कपड़ा उद्योग, लघु उद्योग तथा पटसन उद्योग की बिगड़ती हुई दशा, कारखानों की बिगड़ती हुई दशा, कारखानों का बन्द होना, श्रमिकों की छंटनी तथा तालाबन्दी-कुल मिलाकर इन सबको देखने से यही सिद्ध होता है कि यह कोई विकासोन्मुख बजट नहीं है। यह सच है कि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है परन्तु विकास के लाभ उन्हीं लोगों को मिले हैं जिनके पास उत्पादन के साधन हैं। विकास के लाभ गरीबी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। विकास के लाभ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। बेरोजगार युवाओं की वर्तमान संख्या इस बात की साक्षी है। अतः, महोदय मैं बजट की सराहना नहीं कर सकता।

अब हम एक और महत्वपूर्ण पैराग्राफ, अर्थात् मुद्रास्फीति के पैराग्राफ की ओर मुड़ें। बजट में यह माना गया है कि आज मुद्रास्फीति की दर लगभग 11.67 प्रतिशत है। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि के समान है। यह इस देश के जन साधारण की पहुंच से परे चली गई है। माननीय मंत्री यह दावा कैसे कर सकते हैं कि यह बजट एक विकासोन्मुख बजट है। माननीय मंत्री डा. मनमोहन सिंह यह दावा कैसे कर सकते हैं कि यह जनता के हित का बजट है जबकि मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण पाने का कोई प्रावधान नहीं है?

महोदय, एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना होगा और वह है वित्तीय घाटा। बजट में यह दावा किया गया है कि हमारे विदेशी ऋण में तीस करोड़ डालर की कमी आई है। इस बार वर्षों की यह सफलता है। हमारे वित्त मंत्री ने इस सफलता के आधार पर हमारे

प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व की प्रशंसा की है। यह इसलिए है कि प्रधान मंत्री ने नई आर्थिक नीति, निजीकरण की नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण तथा विश्व स्तरीयकरण की नीति स्वीकार की है।

महोदय, इस समय मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं परन्तु मैं इस समय उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, परन्तु मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि आज उधार लेने वाले देशों में विश्व में भारत का ब्राजील तथा मैक्सिको के बाद तीसरा स्थान है। गत चार वर्षों के दौरान क्या यह सरकार की सराहनीय सफलता है? वास्तविक समस्या कुछ और है। वास्तविक समस्या यह है कि वित्तीय घाटा बहुत बढ़ चुका है और विदेशी सहायता का प्रयोग इस घाटे को कम करके दिखाने में किया गया है। डा. मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री, जोकि इस विषय के जन्मदाता हैं, के लिए किसी श्रेय का कारण नहीं बनता। महोदय इस बजट की अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो मुझे प्रतीत होती है वह आयात शुल्क में कमी करने का प्रयास है। आयात शुल्क में कमी इस बजट की महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, इससे स्वदेशी उद्योगों की क्या स्थिति होगी? मुझे अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान नहीं। परन्तु हमारे वित्त मंत्री एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। वह इस विषय में महान हैं और इस विषय के मास्टर भी। वह किस प्रकार यह दावा कर सकते हैं कि आधारभूत ढांचे सम्बन्धी तैयारी के बिना आयात शुल्क में कमी देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी। ऐसी स्थिति में भारत के उद्योगपतियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से असमान आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस स्थिति में स्वदेशी उद्योग को भारी हानि पहुंचेगी। मैं गत चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहनीय सफलता को समझने में असफल हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

महोदय, मैं दिल का साफ हूं। मैं सरकार अथवा वित्त मंत्री की केवल आलोचना ही नहीं करता। मुझे बजट के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहनी हैं। मैं बजट में समाविष्ट अच्छे प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैं पूर्वोत्तर विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैं खादी उद्योग हथकरघा उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग का विकास करने सम्बन्धी प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैं सरकार तथा वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि बैंकों द्वारा प्रस्तुत सुविधाएं गरीब लोगों तक पहुंचे तथा समर्थ मध्य वर्ग तक नहीं।

महोदय, जब हम कालेज में पढ़ रहे थे, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रिक्शा चलाने वाले किसी व्यक्ति को रिक्शा खरीदने के लिए तीन हजार रुपए मिलते थे जबकि समर्थ मध्य वर्ग के किसी युवा व्यक्ति को कार अथवा बस खरीदने के लिए तीन लाख रुपए मिलते थे। इन सभी दिनों में बैंक की सुविधाओं का लाभ मध्य वर्ग ने उठाया। मैं इन सब बातों की याद आपको इसलिए दिला रहा हूं कि आप से यह आग्रह कर सकूं कि आप इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें। आवश्यक रक्षोपायों का प्रावधान करना होगा ताकि बैंक की सुविधाएं गरीबों तथा जरूरतमंदों को मिलें तथा समर्थ मध्य वर्ग को नहीं।

महोदय, मुझ में इतनी सादगी है कि मैं यह स्वीकार करूं कि मैं बजट पर भाषण देने के लिए सक्षम नहीं हूं। हमारे वित्त मंत्री एक मेधावी अर्थशास्त्री हैं। परन्तु मैंने अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से कुछ सीखा है। मैंने तर्क, विवेक तथा मानव-व्यथाओं से कुछ सीखा है। यही कारण मुझे वित्त मंत्रालय पर आरोप लगाने को मजबूर कर रहा है। यह सरकार पर इस प्रकार का जन-विरोधी बजट तैयार करने का आरोप है। यदि मैंने आपकी दृष्टि में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, हमें अगले तीन-चार दिनों में काफी कार्य सम्पन्न करना है जैसे सामान्य बजट पर लेखानुदान, रेलवे बजट तथा जम्मू-कश्मीर के लिए भी। हमारे पास अधिक समय नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आज हम सांय सात बजे तक बैठें और जितना सम्भव हो, उतने सदस्यों को बोलने दें ताकि आज हमें कम से कम साढ़े पांच घंटे मिल जाएं तथा कल सम्भवतया हम बजट पास कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि इस अवसर पर समय बढ़ाया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं यदि वे अपने वक्ता लाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की संख्या काफी बड़ी है। आपके प्रस्ताव का स्वागत है।

श्री के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। पिछले कितने ही वर्षों के दौरान देश में कितने ही बजट प्रस्तुत हुए हैं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आज तक पेश किए गए बजटों में सर्वोत्तम है।

यह बजट उन आर्थिक सुधारों के अनुरूप हैं जिन्हें कि हम पहले ही आरम्भ कर चुके हैं और इन सुधारों को सारे देश ने पूरी तरह स्वीकार किया है। मुझे विश्वास है कि इस बजट की भी सारा देश सराहना करेगा। पिछले दो-तीन बजटों तथा आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप हमारे देश की छवि केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में काफी सुधरी है।

वित्त मंत्री ने उत्पाद-शुल्क, टैरिफ, कर-ढांचे, सामाजिक क्षेत्र तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में भारी परिवर्तन किए हैं। इनकी भी काफी सराहना की गई है। स्वाभाविक है कि बजट में कुछ दोष होंगे परन्तु सामान्यतया यह बजट काफी सराहनीय है और केवल आलोचना के लिए ही आलोचना कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक या दो रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय कृपया उनपर विचार करेंगे। जैसा कि मुझ से पूर्व के कुछ वक्ताओं ने यहां पहले ही कहा है, दो आंकड़ों की मुद्रास्फीति को लेकर कुछ चिन्ता है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि इसे नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्री पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। परन्तु मुद्रास्फीति विरोधी ठोस नीति विशेषकर मूल्यों में कमी लाने के लिए, आवश्यकता है। गरीब लोगों को जो बात काफी सीमा तक प्रभावित करती है वह है मूल्यों में, विशेषकर अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। अतः अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः जैसाकि मैंने सुझाव दिया मुद्रास्फीति विरोधी ठोस नीति की नितान्त आवश्यकता है।

वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत रखा गया है। परन्तु हमें राज्यों के घाटों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों को भी ध्यान में रखना होगा। अतः मुझे सन्देह है कि हम उक्त दोनों बातों की दृष्टि में इस घाटे को 5.5 प्रतिशत तक रखने में सफल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से धन सम्बन्धी एक ठोस नीति की आवश्यकता है ताकि इस घाटे को नियंत्रित किया जा सके।

मेरा अन्य सुझाव यह है कि राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। केरल एक ऐसा राज्य है जिसके लिए कि अधिक संसाधन जुटाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि यह उन राज्यों में से एक है जिनकी कि गत कुछ वर्षों के दौरान उपेक्षा की गई है। इसलिए कम से कम इस वर्ष तो इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक बात का मैं बहुत स्वागत करता हूं और सराहना भी। निर्यात पर जोर दिया गया है। यह एक बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इलायची तथा काली मिर्च जैसी नकदी-फसलों के निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब रबड़ के निर्यात की मांग भी सामने आई है। परन्तु इस समय प्रोत्साहन के बिना भी रबड़ आत्मनिर्भर है। कम से कम काली मिर्च, इलायची तथा अन्य नकदी-फसलों के लिए विशेषकर इलायची के लिए, जिसके मूल्य में कि काफी कमी आ रही है, अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैंने आर्थिक सुधारों का उल्लेख किया। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी विशेषज्ञ ने बताया, यदि मानव-पूंजी में सुधार नहीं किया गया तो आर्थिक सुधारों को भी काफी हानि पहुंचेगी। यह अत्यावश्यक है। इसलिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रमों श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के कार्यों के लिए अधिक आवंटन किया जाना चाहिए।

अब, केरल के दृष्टिकोण से, जो कि मेरा राज्य है, मैं माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ एक या दो सुझाव रखूंगा। उत्पाद-शुल्क में कमी साधारणतया एक अच्छा कदम है। परन्तु उद्योगों के संरक्षण तथा विकास की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कैपरोलैक्टम पर आयात-शुल्क में कमी से एफएसीटी पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि यह इसको पूरी तरह नष्ट कर दे। अतः इस पहलू पर विचार किया जाना है।

कयामकुलम तापीय बिजली परियोजना का उल्लेख है। परन्तु इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। जहां तक मुझे स्मरण है, एजहीमलाई नेवल अकादमी का उल्लेख तक भी नहीं है। अतः साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है।

अनिवासी भारतीयों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, विश्व भर में, विशेषकर खाड़ी के देशों में अनिवासी भारतीयों के समक्ष अनेक कठिनाईयां हैं। मेरा विचार है कि खाड़ी क्षेत्र में कुल अनिवासी भारतीयों में से 50 प्रतिशत से भी अधिक मेरे अपने राज्य केरल से हैं। मैं उनकी सभी समस्याओं का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। परन्तु उन्हें भी निर्यातकों के समान माना जाना चाहिए। प्रोत्साहनों जैसी जो भी सुविधाएं हम निर्यातकों को दे रहे हैं, वे ही सुविधाएं अनिवासी भारतीयों को भी दी जानी चाहिए।

महोदय, कुल मिलाकर यह एक अच्छा बजट है तथा वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में बेहतर नेतृत्व प्रस्तुत किया है।

नेतृत्व दो प्रकार के हैं-कार्यवाही करने सम्बन्धी नेतृत्व तथा कायाकलप करने वाला नेतृत्व ओर मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि वित्त मंत्री ने आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र में कायाकलप करने वाला नेतृत्व प्रस्तुत किया है। मैं एक बार फिर उन्हें बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने पांचवां बजट पेश किया है। बजट को बाहरी दृष्टि से देखते हुए तो लोग बहुत प्रशंसा करने लगे और सारे देश की जनता कहने लगी कि यह बजट गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के फायदे का बजट है, लेकिन जैसे-जैसे वे बजट को गहराई से देखते गए, तो उनको लगने लगा कि यह बजट गरीब एवं मध्यम वर्ग के फायदे का बिलकुल नहीं है बल्कि सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही लाभदायक है और इस बजट से जो अमीर हैं वे और अमीर हो जाएंगे तथा गरीब और गरीब होते जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा गया है और हमारे देश के किसानों को इस देश का पिता माना गया है, लेकिम देश की सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण आज उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। इस बजट में भी उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। वर्ष 1994-95 में 1302.50 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन बाद में उसको रिवाइज कर के 1815.25 करोड़ रुपए कर दिए, परन्तु यह भी कम रहा। अब इस वर्ष के बजट यानी 1995-96 में 1460.22 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं जो कि पिछले वर्ष के रिवाइज्ड बजट से भी कम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के बजट में

जो रुपए का आबंटन है, वह बहुत कम किया गया है। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह हो गई है कि किसान का लड़का आज ड्राईवर बनने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार नहीं है। आज किसान का लड़का दफ्तर में चपरासी बनकर लोगों को पानी पिलाने और फाइलें ले जाने का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने खेत पर पानी पिलाने और खेती का काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी नई आर्थिक नीतियों और बार-बार इस प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाने के कारण देश की हालत इतनी बदतर हो गई है।

महोदय, अभी उर्वरकों की बात हुई थी। इस वर्ष बारिश अच्छी होने से किसान खुश था, लेकिन जब बीज और उर्वरक की जरूरत महसूस हुई, तो गुजरात में उर्वरक की बहुत कमी रही जिसका जिक्र इससे संबंधित संसदीय समिति में भी आया। वहां यूरिया समय पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा, जिसके कारण खेती में बहुत दिक्कत आने लगी। काला बाजार में यूरिया हर जगह बिकने लगा। किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिलता है। आज किसानों को बिजली नहीं मिलती है। अगर उसे 18 घंटे बिजली चाहिए तो 10 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है और वह भी निश्चित समय पर नहीं मिलती है। रात को 2-2 बजे किसानों को अपने खेत में रहना पड़ता है। यह स्थिति आज किसानों की है। हमारे देश में उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारे किसानों ने क्या बिगाड़ा है कि आप उन्हें समय पर बिजली नहीं देते हैं। केन्द्र सरकार को दोनों के प्रति समान रवैया रखना चाहिये।

किसानों को जिस साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसके भाव इतने बढ़ जाते हैं कि वे उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर वे छोटे-छोटे ट्रैक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे भी समय पर नहीं मिलते हैं। उसे अपने काम में इस्तेमाल करने वाले औजार ब्लैक में लेने पड़ते हैं। इसमें रखी गई राशि को बढ़ाना चाहिये।

फर्टिलाइजर की हालत भी बहुत खराब है। हमारे यहां इसकी यह हालत हो गई कि इसको लेने के लिए किसान इधर-उधर दौड़ने लगे। इसका पहले से ही आवंटन हो जाना चाहिये ओर सर्वे होना चाहिये कि कितने यूरिया, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके मुताबिक वह प्रत्येक राज्य को आवंटित की जानी चाहिये। पहले से सुविधा न होने के कारण सभी को परेशानी होती है।

1994-95 में हैल्थ के बजट में 1255.02 करोड़ रुपये रखे गये थे। बजट रिवाइज्ड हुआ तो इस पर रखी गई राशि बढ़ कर 1397.90 करोड़ हो गई। इस बार 1995-96 में इस पर रखी गई राशि बढ़ायी गई है और वह 1458.45 करोड़ की गई। मेरे विचार में यह बहुत कम है। हैल्थ के प्रति हमें बहुत ध्यान रखना चाहिये। टी.वी. और पत्रिकाओं में हैल्थ के सुधार के प्रति बहुत सी बातें बतायी जाती हैं। इस पर करोड़ों रुपये की ऐड भी दी जाती है। पहले से ऐसी सुविधा दी जाये जिससे देश के बच्चे, बूढ़े और जवान तंदरुस्त रह सके। जिस देश के बच्चे भूखे, परेशान और दुर्बल हों, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जिस देश के बच्चों का बचपन भूखा हो, उस देश के जवानों का जीवन कैसा होगा? आज दवाइयों के सहारे बच्चे जी रहे हैं। देश में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। इसमें रखी गई राशि को बढ़ा कर हैल्थ के प्रति सजग होना चाहिये जिससे आने वाला भारत मजबूत भारत बने और यहां के लोग आन और शान से जी सके।

फैमिली वैलफेयर पर 1994-95 में 1678.68 करोड़ रुपये रखे गये थे। जब रिवाइज्ड बजट किया गया तो इस पर रखी गई राशि को बढ़ाकर 1795.58 करोड़ कर दिया। इस बार 1995-96 के बजट में केवल एक हजार करोड़ रुपये ही बढ़ाये गये हैं जो कि बहुत कम हैं। भारतीय संस्कृति में फैमिली वैलफेयर को बहुत महत्व दिया जाना चाहिये। हमारे यहां बहुत से अपंग लोग हैं। वे विवश और परेशान हैं। वे इज्जत की जिन्दगी जीना चाहते हैं। हमारे यहां अपाहिज लोगों को अच्छी नौकरी मिलनी चाहिये और सम्मानित व्यवसाय मिलना चाहिये जिनसे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें, किसी पर बोझ न बनें और गर्व से जी सके। इसलिये इनकी अधिक सहायता करनी चाहिये। इन पर रखी गई राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।

कहा जाता है कि बड़े-बड़े उद्योगों में अपाहिजों को नौकरी दी जायेगी लेकिन वह दी नहीं जाती है। इस कारण वे आज भी परेशान हैं। इनके प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए।

एजुकेशन पर 1994-95 में 2433.63 करोड़ रुपये रखे गये थे। रिवाइज्ड बजट 2494.54 करोड़ रुपये का हो गया, लेकिन इस बार 1995-96 के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिये गये जो कि बहुत कम हैं। देश में शिक्षा का बहुत महत्व है। जिस देश में शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है, वह देश हमेशा आगे बढ़ता है और दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। आज कई स्थानों पर स्कूल नहीं हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो स्थिति बहुत ही खराब है। स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक हैं तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं हैं, टेबल नहीं हैं। यदि सब कुछ है तो ब्लैक-बोर्ड नहीं है। दूरदराज के इलाकों में तो एक शिक्षक पांच-पांच कक्षायें पढ़ाता है। पांच क्लास पढ़ाने वाला शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों का क्या ख्याल रख सकता है। वह सिर्फ इतना ख्याल रख सकता है कि विद्यार्थी कक्षा से बाहर न जायें, कमरे में ही बैठे रहे। किसी-किसी स्कूल में तो छत तक नहीं हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बरसात के दिनों में विद्यार्थियों को घर पर छोड़ दिया जाता है और फिर वे दो-दो महीने तक स्कूल नहीं आते हैं। एक तरफ विद्यार्थियों की यह हालत है और दूसरी तरफ शिक्षक की हालत गुजरात के अन्दर ऐसी है कि वे तीन सौ रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको नौकरी मिल जानी चाहिए।

एक तरफ बच्चों की शिक्षा और दूसरी तरफ बी.ए., एम.ए. पास लोग इधर-उधर घूम रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शहर में एक शिक्षक को नौकरी लेने के लिए एक लाख रुपया देना पड़ता है और गांव में नौकरी पाने के लिए 40 हजार रुपए देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर नौकरी मिलती है। आज का बालक कल के भारत का उज्ज्वल भविष्य है, उसके प्रति यदि ऐसी स्थिति है, तो वे कैसे पढ़-लिख सकते हैं। मेरे विचार से उनको पढ़ने के लिए किताबें देनी चाहिए और दो जोड़ी कपड़े भी देने चाहिए। हमने गुजरात राज्य में मध्य भोजन के लिए एक नई स्कीम शुरू की थी और वह स्कीम यह थी कि जो बच्चा स्कूल जाएगा और उसकी 80 प्रतिशत प्रजैंस होगी, तो उसको सरकार की तरफ से दस किलो गेंहू दिया जाएगा। मान लीजिए, किसी परिवार में पांच लड़के हैं, तो उस परिवार में 50 किलो गेंहू पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके मां-बाप अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते थे। लेकिन जब दूसरी सरकार आ गई, तो उसने इस स्कीम को बन्द कर दिया और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया है कि वह फिर उस योजना को शुरू करेगी। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि यह स्कीम सारे देश में लागू करनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो बच्चा शुरू से ही कमाने वाला बच्चा बन जाएगा और सारे देश में अन्दर शिक्षा का प्रसार होगा।

इसके साथ-साथ कालेजों की भी समस्या है। गुजरात के अन्दर डाक्टरी या अन्य विषय पढ़ने वाले लोग राज्य से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां उनको एडमिशन लेना पड़ता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर एग्रीकल्चरल कालेज बढ़ाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में इस कालेज की स्थापना के लिए वहां के लोगों ने 50 एकड़ जमीन देने के लिए भी वायदा किया है। इस संबंध में मैंने मंत्री जी को लिखा भी है। हमें एजुकेशन के ऊपर अधिक ध्यान देना होगा। एजुकेशन के अन्दर भी डोनेशन देना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को रिश्वत देनी पड़ती है। यदि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए डोनेशन देगा, तो वह आगे जाकर क्या करेगा। इसके साथ ही उनके लिए छात्रावास की भी सुविधा होनी चाहिए। यह प्रश्न बार-बार उठता है कि यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आता है, उसको रहने के लिए घर नहीं होता है। इसके साथ ही महिला छात्रावास की भी सुविधा होनी चाहिए। जब महिला छात्र बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगी, तो वे कहां जाकर ठहरेंगी। सात-आठ कक्षा पास करके वह क्या कर सकता है और जो आगे पढ़-लिख जाते हैं, वे एस एस सी की परीक्षा पास कर लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। होता यह है कि जब कोई शिक्षक अपनी मांग रखना चाहते हैं या रैली निकालना चाहते हैं, तो पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। जिसको हम गुरु मानते हैं, उन पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। यह भी बहुत गलत बात है। ऐसी घटना गुजरात में घटी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक कालेज होने चाहिए, अधिक से अधिक स्कूल होने चाहिए, और प्राइमरी स्कूल तो प्रत्येक गांव में होने चाहिए और शिक्षक भी वहां पर होने चाहिए। मान लीजिए, कालेज में तो शिक्षक के बिना भी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं रहेगा तो उसके भविष्य का रास्ता कैसे आगे बनेगा। इस ओर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, तो देश की सुरक्षा पर भी पैसा आबंटित किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा एक अहम प्रश्न है। पार्लियामेंट के बाहर निकलें नहीं कि तुरन्त सुरक्षा चाहिए। जब हम संसद के अन्दर आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से चैक किया जाता है। यह एक बहुत अच्छी बात है।

लेकिन यह क्या हुआ, गुजरात, राजस्थान और कश्मीर के अंदर और साऊथ के दरिया किनारे पर बाहर से आतंकवादी लोग आ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं है जितना सैनिक बल होना चाहिए उतना नहीं है, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए वह होती नहीं है। बाहर से पाकिस्तान और अन्य जगह से गुजरात में आतंकवादी लोग आ जाते हैं। हमने वचन दिया है कि गुजरात के अंदर किसी आतंकवादी को नहीं आने देंगे। मेरा यह कहना है जब भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाए तो उस समय गुजरात और राजस्थान को रक्षा के लिए अधिक अनुदान दिया जाए। अगर राजस्थान, गुजरात की ओर ध्यान दिया जाएगा तो सारे हिन्दुस्तान के अंदर अमन रहेगा। वहां सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान दिया जाए। वहां समुद्र का किनारा है, कोस्टल हाईवे है उसको सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाईवे में चेंज करें, इसके लिए उनको ज्यादा पैसा आबंटित करें तो गुजरात सारे देश की मदद कर सकता है।

महोदय, मैं डिपार्टमेंट ऑफ वूमैन एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1994 में 705.59 करोड़ की बजट में व्यवस्था थी, उसके बाद 706.16 करोड़ रिवाइज किया गया। लेकिन इस साल 1995 में सिर्फ 774.89 करोड़ की व्यवस्था की गई, यह बहुत कम है इसको बढ़ाना चाहिए, यह मेरी मांग है ताकि देश की महिलाएं सम्मान से जी सकें, अपना व्यवसाय कर सकें और आगे बढ़ सकें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तभी देश में बच्चों का विकास होगा और तभी वह आगे जा करके कुछ बन सकेगा। आप जानते हैं कि आज का बालक कल का भारत है, अगर वह ठीक नहीं होगा तो का कल भारत कैसा होगा।

"बालक है अन्जान, उसे कराओ पहचान, कैसे बढ़े हमारी शान
"बालक बना अगर बदमाश, तो घर का होगा सत्यनाश
बालक बना अगर इंसान, तो दुनिया में कहलाएगा महान"

अगर बच्चे को बचपन से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिले तो वह बड़ा होकर बदमाश बनेगा और दंगा-फसाद करेगा। अगर उसे अच्छी शिक्षा दी तो वह आने वाले दिनों में देश के प्रति मरने के लिए तैयार हो जाएगा।

अब मैं वाटर रिसोंसेज के बारे में कहना चाहता हूं। वाटर रिसोंसेज गुजरात के लिए महत्व की बात कही गई है। इस बजट के अंदर 1994-95 में 392.85 करोड़ रुपया रखा गया था, रिवाइज में 372.57 करोड़ खर्च किया गया, यानी कि 20 करोड़ कम खर्च किया गया। इसका सवाल वाटर रिसोंसेज में बार-बार उठता है कि पीने का पानी नहीं है। 46 साल के बाद हिन्दुस्तान के गांवों के अंदर पीने का पानी नहीं है, यह कितने दुख की बात है। हम जब गांवों में जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि इतने सालों तक हमारे लिए क्या किया है। हमारे क्षेत्र के अंदर जो बूढ़े लोग पानी पीते हैं तो वे सुबह तक उठ नहीं सकते हैं। वहां का पानी पीकर दूसरे दिन उसकी हालत खराब हो जाती है। वहां टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। वहां लोगों को ठीक से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं नर्मदा योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नर्मदा योजना का सवाल सारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर चर्चित हो चुका है। नर्मदा योजना के लिए हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं लेकिन वह पूरी नहीं हुई है, इसके बीच में कोई न कोई बात आने से काम रूक जाता है। मनु भाई कोटड़िया और शुक्ला जी ने आश्वासन दिया था लेकिन उसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे किसी भी तरह से काम को पूरा करेंगे। इससे सिर्फ गुजरात को ही फायदा नहीं होने वाला है बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश को भी फायदा होने वाला है। कच्छ की भूमि के खाली होने से वहां आतंकवादी आ कर बस जाते हैं। अगर कच्छ के खेतिहर लोगों को सुविधा मिलेगी तो वहां के गांवों की आबादी बढ़ेगी, इसके साथ-साथ पीने के पानी का जो प्रश्न है वह भी हल हो जायेगा।

6.00 म.प.

अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है और मेरे क्षेत्र में गांवों में लोग परेशान हैं, वहां पर पीने का पानी टैंकरों से उपलब्ध कराया जा रहा है। टैंकर आता है, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार तो लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं। आजादी के 46 साल के बाद भी देश में पीने के पानी की यह स्थिति है। यदि हम लोग पहले जागे होते, पानी को समुद्र में न बहने दिया होता, छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं बनाई होती, तो गुजरात क्या सारे देश में पीने के पानी की समस्या नहीं होती। लेकिन उद्योगों पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गांव खाली होते गए तथा बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे शहर बड़े होते गए। आज अगर हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो 10 मिनट तक खेत देखने को मिलते हैं तो आधा घंटा बंजर जमीन देखने को मिलती है। इस बंजर जमीन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम जन-प्रतिनिधि और हमारे बुजुर्ग जन-प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। पंजाब के अंदर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप वहां पर खुशहाली आई। हमारे वित्त मंत्री जी भी पंजाब से आते हैं, आज कोई भी ट्रेक्टर का, खाद का या डीजल बचाने का विज्ञापन हो, तो उस पर सरदार जी को दिखाते हैं। इसका कारण यही है कि आज पंजाब खुशहाल है, पंजाब सारे देश में नबंर वन है। यदि नर्मदा सागर योजना बन गई होती तो आज गुजरात भी पंजाब की तरह लहलहाता और खुशहाल होता। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाए और इसको शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। पहले इस योजना की जो अनुमानित लागत थी, देरी होने की वजह से उसमें चार गुना वृद्धि हो चुकी है। एक दिन भी अगर काम रुकता है, तो उससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय हमको इस बात का आश्वासन दें।

एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था के बारे में। गांवों में जो तालाब हैं, उनको 10-15-20 फुट तक गहरा करवा दिया जाए, ताकि उनके अंदर बरसात का पानी एकत्र हो सके, जो कि गार्मियों के दिनों में पशुओं के काम आ सके। इस बारे में मैंने एक बार भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल से पूछा था कि किसान तो टैंकर से पानी पी लेगा, लेकिन वह अपने गाय-बैल को पानी कहां से पिलाएगा। इसका लिखित उत्तर मेरे पास आया कि पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना उसके मालिक की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसान के पास जब स्वयं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने पशुओं के लिए कहां से व्यवस्था करेगा। इसलिए गांवों के अंदर तालाबों को गहरा करने की नितांत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी तरह से समाज कल्याण के लिए 1330.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मेरा निवेदन है कि यह भी बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आजादी के इतने वर्षों के पश्चात अरबों रुपए इस कार्य में खर्च किए गए, लेकिन आज भी गांवों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की वही स्थिति है। कामन कुएं से ये लोग पानी नहीं भर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, होटल में बैठकर चाय नहीं पी सकते, शहरों में तो छुआछूत नहीं है, लेकिन गांवों में आज भी छुआछूत है। सारा पैसा, जो समाज कल्याण के लिए दिया गया, वह कहां गया। आज भी हम देखते हैं कि गांवों में पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान मिट्टी की दीवारों और बांस की पट्टियों से से बने हैं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने तो अपने घर भर लिए, हम लोगों की आज भी वही हालत है, यह स्थिति है। इसलिए मेरा मंत्री महादेय से निवेदन

है कि समाज कल्याण के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाए और इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाए, ताकि ये लोग उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। पिछड़े वर्गों के लिए अधिक लोन की व्यवस्था की जाए, ताकि ये लोग कोई छोटा उद्योग स्थापित कर सकें और उन्नति कर सकें। 2000-5000 का लोन देकर इनके साथ मजाक किया जाता है, 5000 तो आज पान की दुकान लगाने में ही खर्च हो जाता है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ मजाक है, खिलवाड़ है। अगर उनको वास्तव में आप लोन देना चाहते हैं तो राशि को बढ़ायें, वरना न दें।

रेलवे के अंदर गुजरात के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। इस बार भी गुजरात को कुछ नहीं दिया गया। छः साल तक लड़ाई लड़ने के बाद सिर्फ दिल्ली से अहमदाबाद ब्राडगेज लाइन दी गई है। भावनगर से अलंग तक अर्से से रेल लाइन बिछाने की मांग थी, वहां पर शिप ब्रेकिंग यार्ड सारे एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रेल मंत्री ने जवाब दिया था कि इसके लिए 300 करोड़ रुपये का खर्चा है, हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है। अलग से आने वाला लोहा सारे देश में सड़क मार्ग द्वारा भेजा जाता है। इससे काफी खर्चा होता है। अगर उस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ दिया जाये तो देश का काफी लाभ हो सकता है। भावनगर से दिल्ली एवं बम्बई तक सीधी रेल लाइन हमें मिलनी चाहिए। एक शीघ्र रेल गाड़ी भी हमें मिलनी चाहिए।

हमने बिजली के लिए भी मांग की थी। इस देश में बिजली की कमी कब दूर होगी, कुछ मालूम नहीं है। गुजरात के अंदर कोयले से बिजली पैदा होती है जोकि काफी महंगी पड़ती है। इसको लेकर हमारे यहां का किसान परेशान है। गुजरात के किसानों ने बिजली के दाम कम करने के लिए एक आन्दोलन किया और वे गांधीनगर गये। लेकिन वहां उन पर गोलियां चलाई गईं, जिसके फलस्वरूप काफी किसान मारे गये। हमें पिपावा से गैस मिलनी चाहिए। इससे गुजरात के किसानों को कम कीमत पर बिजली मिलेगी और उसकी फसल में भी बढ़ोत्तरी होगी।

गुजरात में औद्योगिक उत्पादन की तरफ भी आपका ध्यान कुछ जगह तो ज्यादा गया है और कुछ जगह बिल्कुल नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आपको गौर करना चाहिए।

हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने लोक सभा में भी मांग की थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये। अगर हम उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो युवा वर्ग कहां जायेंगे? आज वह विवश है। आज का युवा काम चाहता है, रोटी चाहता है, लेकिन हम सिर्फ उसकी बात सुनते ही रहते हैं, उसके लिए करते कुछ नहीं हैं। अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो इन लोगों का दिमाग दूसरे रास्ते पर लग सकता है और ये हमारे लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए।

पिछले सप्ताह इस सदन में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बंद मिलों को चालू करने के बारे में प्रश्न उठा था। पता नहीं ये मिल्स कब चालू होंगी? हमारे गुजरात में भी कई मिल्स बन्द पड़ी हुई हैं। मंत्रीजी ने कहा था कि हम उनका नवीकरण कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वह कब चालू होंगी। बंद हुई मिलों में नियुक्त अधिकारी मशीनरी को बेच रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक बायलर को बेचना चाहा तो मैंने जाकर रुकवाया और कहा कि इसे क्यों बेच रहे हो, मिल चालू होने वाली है। मेरी सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की और अन्य मिल्स जो बन्द पड़ी हैं उनको जल्दी सहायता दी जाये। आप करोड़ों रुपये की योजना बनाते हैं, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है। इससे निराश होकर अगर मजदूर भी आतंकवाद की तरफ चला गया तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक बात होगी। आज अहमदाबाद में बेकारी के कारण मजदूर लोग आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। वहां पर एक कांकरिया तालाब है। सप्ताह में एक-दो मजदूर निराश होकर वहां आत्महत्या करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन मिलों को चालू कराया जाना चाहिए।

आप स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना साथ लाए थे। उसके तहत लोगों को कुछ पैसा देकर रिटायर किया गया। वहां बंद हुई मिलों के लोगों को डराया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि ये मिलें चालू नहीं होंगी, आप लोग अपने घरों को जाओ। अगर बन्द पड़ी मिलों को सरकार नहीं चलाना चाहती है तो उन मजदूरों को ग्रेचुअटी देकर, पी.एफ. का पैसा देकर रिटायर कर दे। क्योंकि बंद पड़ी मिलों के मजदूरों को आधा वेतन कायदे से देना पड़ता है। इससे देश में घाटे पर घाटा हो रहा है। मंत्रीजी जब अपना वक्तव्य दें तो मिल कामगारों के बारे में अवश्य बतायें।

मान्य मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य के लिये कितनी रकम बढ़ायी गयी है या घटायी गयी है और उसका क्या कारण है? भारत सरकार की ओर से जो अनुदान की राशि दी जाती है, वह समय पर नहीं मिली, इसलिये योजनायें फेल हो जाती हैं। इतना ही नहीं उन योजनाओं पर होने वाला खर्च भी दुगना हो जाता है जैसे नर्मदा योजना। अतः सरकार को चाहिये कि अनुदान समय पर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से परिपत्र अंग्रेजी और हिन्दी में राज्य सरकार को जाते हैं। जैसे दक्षिण के राज्यों को उनकी भाषा में परिपत्र जाते हैं, उसी प्रकार गुजरात राज्य को भी उनकी भाषा गुजराती में जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तथापि मैं

आरम्भ में ही कह देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने गत चार वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय की सफलता की जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में मद संख्या तीन के अन्तर्गत इन सफलताओं का उल्लेख किया है। मैं इससे सहमत हूं, विश्वस्त महसूस करता हूं और मैं इसकी सराहना करता हूं।

परन्तु मैं क्यों विरोध करता हूं, मैं इसका कारण बाद में बताऊंगा। मैं अपने विरोध का औचित्य प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो आह्वान किया है, मैं उसका अनुसरण करने को भी तैयार हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में आह्वान किया है जिसे कि मैं यहां उद्धृत करता हूं :

> "अब समय है कि हम नवीन भारत, जोकि हमारे गणराज्य के संस्थापकों के अनुरूप हो, के निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने के अपने सामूहिक पवित्र संकल्प की पुनः पुष्टि करें और इसके प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें – एक ऐसा भारत जो हमारी संतानों को गरिमापूर्ण तथा आत्म-सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने और एक भारतीय होने में गर्व महसूस करने के योग्य बनाए।"

मैं इस आह्वान पर चलने को तैयार हूं और मैं इस आह्वान से काफी आश्वस्त हूं। इसके साथ-साथ महोदय, मैं करों में कमी, करों में छूट जोकि इनके बजट में दी गई हैं तथा नए कर और दर लागू करने सम्बन्धी प्रस्तावों से भी सहमत होने के लिए तैयार हूं। परन्तु फिर भी साधारणतया केन्द्रीय सरकार तथा विशेषकर वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा के कारण मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है और इसकी उपेक्षा की जाती है। इस क्षेत्र में अनेक लघु राज्य समाविष्ट हैं जोकि अपनी कृषि सम्बन्धी स्थिति, उपनी आबादी, नगण्य संसाधनों आदि के कारण आत्मनिर्भर नहीं हैं। तथापि यह क्षेत्र हमारे देश का भाग है। इनकी सामरिक स्थिति के कारण ये राज्य इस क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्यों के रूप में स्थापित हुए हैं। इन राज्यों के आत्मनिर्भर न होने की बात विकास कार्यक्रमों के मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

इस बजट का मेरा विरोध इस कारण है कि साधारणतया केन्द्रीय सरकार तथा विशेषकर वित्त मंत्रालय इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र में स्थित राज्यों, जिनमें कि मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम आदि शामिल हैं, की उपेक्षा करता रहा है। ये छोटे-छोटे राज्य हैं और ये आत्मनिर्भर नहीं है। उनकी रा आय नगण्य है। वे उसपर निर्भर नहीं कर सकते। परन्तु विशेषकर मणिपुर के पास कई संसाधन हैं। मणिपुर में काफी उपजाऊ भूमि है परन्तु वह यूं ही पड़ी रहती है क्योंकि धन की कमी के कारण वहां खेती नहीं होती। वहां बिजली उत्पादन के भी काफी संसाधन हैं। लोकटक परियोजना का एक प्रस्ताव है जहां कि पन-बिजली पैदा होगी। यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है। इसे मंजूरी नहीं दी जाती। इस सभा में मैंने यह मामला बार-बार उठाया परन्तु उत्तर यही था कि "इसकी जांच हो रही है।" अब कई वर्ष बीत गए हैं परन्तु मंजूरी नहीं मिल रही है। केन्द्रीय सरकार का यह रवैया है। यदि यह महाराष्ट्र अथवा बिहार अथवा पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की बात होती तो केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह सकती थी कि इसकी जांच की जा रही है। एक छोटे राज्य के प्रस्ताव की परवाह नहीं की जाती। छोटे राज्यों का यही भाग्य है।

आपने मणिपुर की यात्रा की होगी जहां कि अनेक रमणीक स्थल हैं। आपने प्राकृतिक झील लोकटक देखी होगी तथा पर्वतीय स्थलों का सौन्दर्य देखा होगा तथा वहां की सुखद जलवायु भी। इसे पूर्वी कश्मीर की संज्ञा दी जाती है और जहां तक जलवायु का सम्बन्ध है, इसकी तुलना कभी-कभी स्विट्जरलैण्ड से की जाती है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे "ज्वैल ऑफ इण्डिया" की संज्ञा दी थी। परन्तु जब कभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाता है, इसमें मणिपुर को शामिल नहीं किया जाता। इस कार्यक्रम में मणिपुर को नहीं लिया जाता।

इसी प्रकार, यह क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है। परन्तु धन की कमी के कारण इन संसाधनों का दोहन नहीं होता। वित्त मंत्री द्वारा धनराशि का प्रावधान नहीं किया जाता। यह रवैया है। इसलिए इस क्षेत्र में स्वाधीनता से लेकर आज तक असंतुलन रहा है। आवंटन दुगना करके, विशेष निधियों का प्रावधान करके अथवा इस क्षेत्र के लिए असाधारण बजट तैयार करके यह असंतुलन दूर हो सकता है। अन्यथा यह देश के अन्य भागों के समतुल्य नहीं होगा। इसी कारण हम आपसे सहमत नहीं हैं। यही कारण है कि मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

6.21 म.प.

[श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए]

महोदय, मैंने अभी-अभी कहा है कि अनेक पहलुओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने के माननीय वित्त मंत्री के कई प्रस्तावों से मैं काफी सहमत हूं। समय अभाव के कारण मैं उन सभी कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं करना चाहता। तथापि, उदाहरण के रूप में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों का उल्लेख करूंगा जोकि बहुत अच्छे हैं। परन्तु इन्हें लागू करते समय हमें सोचना है कि इन कार्यक्रमों को कौन सी एजेंसी लागू करेगी। मूल प्रश्न यही है। वित्त मंत्री उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण

के लिए काफी धनराशि दे सकते हैं। मैं उनसे सहमत होने को तैयार हूं। मैं इससे आश्वस्त हूं। परन्तु मूल प्रश्न यही है कि इन कार्यक्रमों को पूरा लागू कौन करेगा।

मणिपुर राज्य में वर्तमान स्थिति के अनुसार इस समय वहां दो सरकारें हैं। एक सरकार तो भूमिगत विद्रोही संगठनों द्वारा चलाई जा रही है। वे नियमित रूप से फिरौती की राशि वसूल करते रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि राज्य के प्रत्येक परिवार के सदस्य प्रशासन में नियोजित हैं तो वे नियमित अंशदान देने के लिए बाध्य हैं। यह सचिवालय स्तर से निम्न स्तर तक है और मुख्य मंत्री स्तर से चपरासी स्तर तक है। यदि पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों के सदस्य किसी स्कूल में नियोजित हैं तो उन्हें भूमिगत संगठनों को अपनी पत्नियों अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से अंशदान देना होगा क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें गोली से मार दिया जाएगा। यदि कोई बच्चे स्कूल अथवा कालेज में हैं, तो परिवारों को मजबूर होकर अंशदान देना होगा क्योंकि यदि वे नहीं देते हैं तो भूमिगत विद्रोही अपहरण कर लेंगे तथा एक बड़ी राशि फिरौती में मांगेंगे। इसी प्रकार सुरक्षा बलों के कमांडर तक भी इन संगठनों को अंशदान देते रहे हैं। यह हमारी जानकारी है। अतः ऐसा कोई नहीं है जो अंशदान न देता हो। यदि वह प्रशासन में नौकर है तो वह महीने के आधार पर देता है अथवा तीन महीनों में एक बार। यदि कोई कोषाध्यक्ष अध्यापक से सौ रुपए, प्रोफेसर से दो सौ रुपए तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति से तीन सौ रुपए एकत्रित करने के लिए रखा गया है और यदि वह फिरौती की निर्धारित राशि एकत्रित नहीं करता है तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। वे इस धमकी के अन्तर्गत राशि एकत्रित करके अपने अंशदान के रूप में भूमिगत विद्रोही संगठन को देते हैं। व्यापारियों तथा ठेकेदारों को देना होता है। राजनीतिक नेताओं तक को भी अंशदान देना होता है क्योंकि वे भूमिगत संगठन को गोली से नहीं मरना चाहते। यही वर्तमान स्थिति है। वे ही लोग सरकार चलाते हैं। यदि उनको कोई व्यक्ति इस कारण पसन्द नहीं आता है कि वह उनके इस कार्य में सहयोग नहीं दे रहा है तो उसे चेतावनी दे दी जाती है। यदि वह व्यक्ति इन्कार करता है तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। जब कभी भी ये भूमिगत लोग चेतावनी देते हैं तो उसे मानना पड़ता है। प्रशासन इसी प्रकार चलाया जा रहा है। यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो वे उसे चेतावनी देकर अधिक धन की मांग करते हैं। यदि वह उतना धन देने में असफल रहता है, तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वे भ्रष्टाचार का इस तरह निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। अपहरण के मामलों में भी, वे शिकार व्यक्तियों से अपील करते हैं और उन व्यक्तियों के गलत कार्यों को ठीक करते हैं।

एक अन्य एजेंसी जो इन कार्यक्रमों को लागू करेगी, वह है सरकार तथा मंत्रालय और वर्तमान दशा में, यह है कांग्रेस तथा दल-बदलुओं की सरकार। यह हाल ही में स्थापित हुई। यह बताने में केवल दो मिनट लगेंगे कि सरकार के कार्यक्रम क्यों और कैसे असफल रहे हैं... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त करें। आपने बीस मिनट से अधिक ले लिए हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : इस दशा में, मैं अभी समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : यह निर्णय आपने लेना है।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं बोलने के लिए यहां सारा दिन बैठ हुआ हूं। जब मैं सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने का प्रयास कर रा हूं, आप निन्दात्मक टिप्पणी कर देते हो। मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि गत चुनाव का क्या परिणाम रहा। ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। हम सामान्य बजट प चर्चा कर रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किय जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री याइमा सिंह युमनाम : इसके बावजूद भी दल ने सरका बनाई और शासन चलाया। इसमें क्या न्याय है? क्या यह उचित है? मैं 1938 से 1968 तक कांग्रेस में था। एक कांग्रेस संस्कृति थी। उर समय मनोबल बहुत ऊंचा था। कांग्रेस ने अल्पमत में होने पर भी कैर सरकार बनाई? वे सत्ता के पीछे क्यों पड़े हैं?

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह सच है कि मैं राज्यपाल से मिला। परन्तु उसने सरकार बनाने की हमें अनुमति नहीं दी जबकि 21 विधायकों के साथ कांग्रेस को सरकार बनाने दी। इस प्रकार, या स्थिति है। यह मंत्रालय कैसे काम चला सकता है?

सभापति महोदय : कौन मंत्रालय?

श्री याइमा सिंह युमनाम : अब वे मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 2[illegible] कर रहे हैं ताकि सभी दल-बदलुओं को उसमें शामिल कर सकें। क्य हमारे वित्त मंत्री इन सभी कार्यक्रमों को लागू करने की स्थिति में होंगे? मैं यही जानना चाहता हूं। सभी दल-बदलुओं को, किसी योग्यता के बिना मंत्रिपरिषद में शामिल करके मंत्रियों की संख्या 20 से अधिक करके कृपया आप एक उदाहरण कायम न करें। इस तरीके से हमें हानि पहुंच रही है।

मणिपुर तक एक रेल-मार्ग होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह चर्चा सामान्य बजट पर है। रेलवे बजट पर बाद में होगी।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री याइमा सिंह युमनाम : पैट्रोल का मूल्य बढ़कर 40 रुपया प्रति लीटर हो गया है। हमें यह खरीदना पड़ता है। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़कर 25 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। इसी प्रकार सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ समस्या थी। इन सभी बातों के कारण अन्ततोगत्वा लोगों को परेशानी होती है। यदि रेल-मार्ग हो, तो कम से कम कुछ शिकायतें तो दूर हो सकती हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की काफी उपेक्षा हो रही है। इम्फाल, दीमापुर तथा सिलचर में क्या स्थिति है? जब कभी भी आपके पास कोई अत्यधिक पुराना विमान होता है, आप उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भेज देते हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र से ऐसा ही भेदभाव कर रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में, आप को अनुभव है कि उनके निर्माण में कितनी खराबी है। इस दृष्टिकोण से यह एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ राज्य है। अतः मैं इन सभी बातों को सामने लाने के लिए इस सभा में खड़ा हुआ हूं।

मैं इस बजट का इसलिए विरोध करता हूं कि हम राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग करते आ रहे हैं और वह मांग पूरी नहीं हुई है। इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। कम से कम मणिपुर राज्य के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया जाना चाहिए। यदि वित्त मंत्री कृपालु हों, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए धनराशि का प्रावधान कर सकते हैं। यह देश के उत्थान के लिए है। इस क्षेत्र का उत्थान किए बिना आप यह दावा नहीं कर सकते कि देश का उत्थान हुआ है।

अन्त में, मैं केन्द्रीय सरकार को यह चेतावना देना चाहता हूं कि जहां तक मणिपुर राज्य की क्षेत्रीय अखण्डता का प्रश्न है, उसे आतंकवादियों तथा विद्रोहियों से समझौता नहीं करना चाहिए। यह मेरे दल का निर्णय है कि किसी संगठन अथवा विद्रोहियों अथवा किसी अन्य वर्ग से मणिपुर की क्षेत्रीय अखण्डता का समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसा केवल मणिपुर पीपुलस पार्टी के मृत शरीर पर होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिए बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैं इस वर्ष के बजट में अनेक सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह सराहनीय कार्यक्रम है। मैं हमारे प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव तथा वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को 75 रुपए की पेंशन देने की घोषणा की। विधवाओं तथा विवाह योग्य आयु की बालिकाओं के लिए भी सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है। हमारे महान नेता के. कामराज के पद-चिन्हों पर आप सारे देश में दोपहर का भोजन सम्बन्धी योजना आरम्भ करने जा रहे हैं ताकि सभी जरूरतमन्द स्कूली बच्चों को लाभ पहुंच सके। आपने शिक्षा के लिए आवंटन भी लगभग 300 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। यह महान नेता कामराज के सपने के अनुरूप है। मैं हमारे प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव तथा वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह दोनों को इन प्रभावी सामाजिक उपायों के लिए बधाई देता हूं।

बजट में अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कमी की गई है। परन्तु मुझे इसमें कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाना है। आपके दृष्टिकोण की सराहना करते हुए मुझे आपका ध्यान बुनाई (निटिंग) तथा बनियान उद्योग की दशा की ओर दिलाना है जिसपर कि केन्द्रीय उत्पाद करके कारण कड़ा प्रभाव पड़ा है।

तमिल में एक कहावत है: "यदि परमात्मा देता भी है तो पुजारी बीच में आ जाता है।" मैं सारे देश में फैले बुनाई उद्योग की दशा आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करूंगा। यह उद्योग कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के रूप में चलता रहा है।

सारे देश में इस उद्योग से सम्बन्धित लगभग 25,000 यूनिटें हैं। यह बात सुविदित है कि बुनाई उद्योग तथा कपड़ा उद्योग की अनेक प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण कि परिष्करण के अनेक यूनिट हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य है कि अब केन्द्रीय उत्पाद कर लागू होने से इन यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप इन यूनिटों में कार्यरत हजारों गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब हमने अपने वित्त मंत्री से पूछा तो हमें बताया गया कि बनियान उद्योग पर उत्पाद-कर नहीं लगेगा। जब तिरूपुर, करूर, इरोड, लुधियाना, चण्डीगढ़, वाराणसी, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली तथा महाराष्ट्र जैसे स्थानों के विभिन्न संघों के पदाधिकारियों ने हमारे वित्त मंत्री से भेंट की तो उन्हें बताया गया कि कोई भी उत्पाद-शुल्क नहीं लगेगा। परन्तु अब उससे उलटा हो रहा है। इस सभा में बजट पेश होने के पश्चात् से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी भिन्न तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अनेकों यूनिटों पर छापे मारे हैं और उनमें से कई यूनिटों को सील कर दिया है।

यहां मैं एक विशेष प्रश्न उठाना चाहूंगा। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही जरूरतमन्द तथा बेरोजगार लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में, जैसाकि वे पहले किया करती थीं, असमर्थ हैं। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र यह रोजगार बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा सकता है। उदाहरणार्थ बनियान उद्योग 30 लाख उद्योगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अर्ध-कुशल, अकुशल बेरोजगार व्यक्ति तथा अशिक्षित महिलाओं तक को रोजगार के अवसर मिलते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग भी इससे

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लाभ उठाते हैं। मैंने इन यूनिटों के कार्यकरण तक के चित्र आपको दिखाए हैं। उनसे पता चलता है कि लोग इन यूनिटों में किस प्रकार काम करते हैं। गत वर्ष विद्युत करघों पर उत्पाद-शुल्क लगाया गया था। अभ्यावेदन किए जाने पर माननीय वित्त मंत्री ने इसके हटाए जाने के निदेश दिए। उस समय में भी जबकि धागे का मूल्य काफी बढ़ चुका था, विद्युत करघा उद्योग सक्षम तरीके से काम करता रहा क्योंकि आपने उत्पाद शुल्क हटाने की कृपा की थी। अन्यथा हजारों कार्मिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इस समय डा. मनमोहन से मेरा केवल एक निवेदन है। यह निवेदन व्यक्तिगत रूप में इस कुप्पुस्वामी के लिए नहीं है परन्तु यह इस निटिंग उद्योग की दशा के बारे में है।

मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो महान कामराज, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी तथा हमारे वर्तमान नेता तथा प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के पद-चिन्हों पर चलता रहा हूं। मैं जन साधारण के लाभ की अपनी मांग पर बल देना चाहता हूं। लघु क्षेत्र के इस बुनाई उद्योग, जिसने कि 3500 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया, में गत वर्ष के दौरान एक प्रकार की गिरावट आई है। यह लगभग 1000 करोड़ रुपए से कम हो गया है। इस उद्योग के समक्ष जैसी भी समस्या हो, रंगाई, विरंजन ब्लीचिंग तथा छपाई की प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। इस प्रकार के अनेक यूनिट कार्यरत रहते हैं। विभिन्न यूनिटों को साइकिलों, आटो रिक्शा तथा मोपेड पर कपड़ों के थान भेजे जाते हैं। विरंजन एक यूनिट में होता है तथा छपाई दूसरे यूनिट में। कैलण्डरिंग किसी अन्य यूनिट मं। रंगाई (ड्रांइग) के बाद कोई दूसरा व्यक्ति इसे पावर टेबल में ले जाएगा वे ज्यादा बड़े नहीं होते। ये 10 सीटों वाले पावर टेबल या 6 सीटों वाले पावर टेबल होते हैं। यह उद्योग यद्यपि काफी बड़ा है इसमें ऐसी अनेक यूनिटें हैं। मैं इस सारे दृश्य का वर्णन अपनी पूरी शक्ति से कर सकता हूं क्योंकि मैं इस उद्योग को तथा ऐसे छोटे यूनिटों के मालिकों की दशा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं कार्मिक संघ के नेता के रूप में इस उद्योग के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। यह उद्योग इस देश में इस समय एक शताब्दी से भी अधिक अवधि से चल रहा है। मुझे इस उद्योग की जटिलताओं की गत तीस वर्षों से जानकारी है।

मैं इस उद्योग की तुलना प्रसिद्ध कहानी में उल्लिखित सोने की हंसिनी से करना चाहूंगा। किसी किसान की सोने की हंसिनी प्रति दिन एक सोने का अण्डा देती थी। उस लालची किसान ने एक दिन सोचा हंसिनी को काट कर एक ही दिन अधिक अण्डे क्यों न ले लिए जाए। यह व्यवहार्य नहीं है। यह उद्योग इस समय भारत में सौ वर्षों से भी अधिक समय से चल रहा है। यदि हम अपने उद्योग को मार देते हैं तो चीन के साथ ताइवान जैसे छोटे देश हम से आगे निकल जाएंगे। हमने गेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। पूंजी सामान मशीनरी के आयात के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा सराहनीय है। परन्तु फिर भी कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। वे कोई साधारण अभ्यावेदन नहीं है। विभिन्न संघों के लोगों ने अपने अभ्यावेदन भेजे हैं। मैंने आपको एक ज्ञापन दिया है। आपने हमें आश्वासन दिया है कि आप उनपर विचार करेंगे। माननीय राज्य वित्त मंत्री श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने हमसे कहा है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। मैंने भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसपर 70-80 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जिनका सम्बन्ध विभिन्न दलों तथा वाराणसी, कानपुर और लुधियाना जैसे स्थानों से है। एक या दो से नहीं बल्कि अनेक संघों ने यह मामला वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत किया है :—

उत्तर प्रदेश होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन अमृतसर निटवियर एसोएिशन

होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, दिल्ली लुधियाना होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन पश्चिम बंगाल होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन तिरूपुर होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन

इस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने निर्यातक एसोसिएशन के साथ-साथ एक अभ्यावेदन दिया है क्योंकि अब यह उद्योग कुछ पिछड़ गया है। इस उद्योग की ओर ध्यान दिए जाने से इसमें रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हम भारतीय खाद्य निगम, दूर-संचार विभाग, डाक विभाग, बैंकों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में इस समय अधिक रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते। जब इस लघु स्तर के क्षेत्र के उद्योग में काफी रोजगार उपलब्ध हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके समक्ष समस्याएं न आएं जिनसे कि यह उद्योग बन्द हो जाए।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस मामले पर विचार करें। यह कुप्पुस्वामी इस उद्योग के सभी पहलुओं से पूरी तरह परिचित हैं। यह एक कारण है जिससे कि मैं बलपूर्वक कह रहा हूं कि इस मामले पर विचार किया जाए। मैं इस महीने की सोलह तारीख को आपका बजट पेश होने के बाद से सो न सका। मैं डा. मनमोहन सिंह तथा उनके सहयोगी मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस लघु उद्योग को विनाश से बचाएं। मैं केवल यह चाहता हूं कि यह उद्योग और आगे प्रगति करे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस उद्योग के विकास के लिए अच्छा वातावरण पैदा करें। मैं इस महान सदन के माध्यम से अपना निवेदन आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

यह लघु उद्योग कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा महाराष्ट्र से पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। यही कारण है कि मैं इतने बलपूर्वक कह रहा हूं कि इस उद्योग पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क न लगाया जाए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इसकी शीघ्र जांच करें। जब मैं कुछ कर्मचारियों से मिला तो उन्होंने हमें जानकारी दी जोकि ठीक नहीं थी। इससे हमें दुःख पहुंचा। ये लोग इस सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम को असफल बना देते हैं। या तो वे हमें गलत निर्देश दे रहे हैं। वे यह दावा करते हैं कि कर्मचारी प्रत्येक स्थान को भेजे जा रहे हैं। वे, निस्सन्देह जाएं, निरीक्षण करें और यह

सुनिश्चित करें कि भारत में एक शताब्दी पुराना यह प्रसिद्ध उद्योग रुग्ण न बने।

अब मैं आपका ध्यान करूर निटिंग कारखानों की दशा की ओर दिलाना चाहूंगा। अनेक महिलाओं को, जिनमें से कि अधिकांश अनपढ़ होती हैं, वहां काम के अवसर मिलते हैं। तौलिए बनाने के कारखानों में महिला कार्मिक हैं। मैंने इस प्रकार के चित्र माननीय मंत्री के दिए हैं। करूर, इरोड, पल्लिपलयम, तिरूचिंगोड, सेलम, सोमानुर, उड़ीसा तथा अनेक अन्य राज्यों में काफी संख्या में रंगाई के कारखाने हैं। जो धागा वे प्रयोग करते हैं, उसपर पहले ही कर वसूल किया जाता है। धागे पर उत्पाद शुल्क से तैयार माल की कीमत और भी बढ़ जाती है। आप उसी सामग्री पर एक और कर कैसे लगा सकते हैं? जब धागे पर पहले ही कर है तो फिर यह बाद वाली प्रक्रियाओं अर्थात रंगाई, छपाई तथा विरंजन पर कैसे लगाया जा सकता है? आप ऐसे उद्योग के बिना किसी बाधा के विकास की किस प्रकार आशा कर सकते हैं। इन बाधाओं के चलते हम पश्चिमी देशों के साथ, जिनके पास कि अत्याधुनिक मशीनें हैं, कैसे स्पर्धा कर सकते हैं?

इसी प्रकार चादर-निर्माण यूनिटों का भविष्य भी अन्धकारमय है। आपने हमें बताया कि हथकरघा क्षेत्र पर अतिरिक्त कर-भार नहीं पड़ेगा। परन्तु कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है। अब वह भी कर-जाल में फंसा है। आप इसकी जांच करें।

मैं आपको "वैट-ग्राइंडर" उद्योग के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यहां उपस्थित सांसदों के सामने यह मामला रखना चाहता हूं। वेट ग्राइंडर के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। खदानों से पत्थर लिया जाता है। एक अन्य श्रमिक पत्थर काटता है। वैट ग्राइंडरों के लिए जिन प्लेटों की आवश्यकता होती है, वे किसी और कारखाने से आती हैं। पेटियां (बेल्ट) किसी अन्य कारखाने से आती हैं। सारे भारत में, बल्कि सारे विश्व में कोइम्ब्यूटर ही एक ऐसा स्थान है जहां वैट-ग्राइंडर बनते हैं। यह लघु-स्तर के उद्योग के अन्तर्गत आता है। इन यूनिटों पर लगभग 4000 श्रमिक निर्भर हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ऐसे यूनिटों पर भी लगाया जाता है, मामला आपके ध्यान में लाए जाने के पश्चात् आपने निदेश जारी करने की कृपा की कि इसमें आगे कार्यवाही न की जाए। परन्तु अब भी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कर्मचारी वहां जाते हैं। ऐसे यूनिटों में 15,20,30 अथवा 40 से अधिक श्रमिक नहीं हैं।

किसी समय हमारा कोइम्बटूर एक औद्योगिक नगर था। इसे इसी रूप में बने रहने चाहिए। जब कोइम्बटूर के अर्थशास्त्री श्री आर.के. शनमुगम चेट्टियर हमारे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने इस नगर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। अपने समय में वह इस नगर की सेवा अपने तरीके से करते रहे। इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि कोइम्बटूर के साथ अच्छा बरताव हो। डा. मनमोहन सिंह इस देश तथा इसकी जटिल अर्थव्यवस्था की ओर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उनकी निरंकुश आलोचना की जा रही है। हम निर्बाध औद्योगिक विकास चाहते हैं। हमें अवश्य ही गरीबी का उन्मूलन करना चाहिए। अतः हमारे मंत्री को छोटे उद्यमियों के समक्ष समस्याओं की जांच करनी चाहिए। इन उद्यमियों का उद्योग के विकास में काफी योगदान रहता है।

आप तमिलनाडु में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करते हैं। राष्ट्र तथा समान औद्योगिक विकास के हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर आपको दृष्टि रखनी चाहिए।

जब हम गांवों की बात करते हैं, तो पेयजल की गम्भीर समस्या सामने आती है। किसानों को बिजली की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वे उत्पादन बढ़ाने में कैसे योगदान कर सकते हैं? गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने से हम अधिक निर्यात करने में समर्थ हुए हैं। परन्तु अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पहले हमारी आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। परन्तु इसके साथ-साथ, प्याज, गुड़, सीरा, कपास आदि के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर विचार करें।

आप इस बारे में अपने अनुकूल निर्णय की घोषणा इस महान सभा में करें। कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय होना चाहिए। कृषक समाज की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बजट में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं संसदीय मामलों के अपने युवा तथा ओजस्वी मंत्री श्री मुकुल वासनिक को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : सभापति महोदय, हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बजट किसी देश का दर्पण होता है, जिसमें देश के आर्थिक विकास और समृद्धि की एक झलक मिलती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट को बड़े नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कुछ मदों पर कुछ राहत जनता को दी है, परन्तु यह राहत उन लोगों को मिली है, जो उच्च माध्यम वर्ग आय या उच्च आय वाले लोग हैं। उनके दैनिक उपयोग में आने वाली विलासिता की चीजों के करों में काफी छूट दी गई है। लेकिन जो आम जनता है, उनके उपयोग में आने वाली जो चीजें है, वह चाहे चीनी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे खेत में डालने के लिए खाद हो, इस तरह की चीजों पर कोई छूट नहीं दी गई है, जिससे उनको भी इस छूट का लाभ मिल पाए। महोदय, इस तरह से यह जो छूट है, यह गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए और गरीबी की रेखा से नीचे जो

अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उनके लिए जो बजट में व्यवस्था की गई है, वह एक छलावा है, दिवास्वपन है। अगर हम उद्योगों की बात करें, तो उद्योगों में कुछ छूट दी गई है। लेकिन जो बड़े उद्योग हैं, जो चीजों का आयात-निर्यात करते हैं, ऐसे उद्योगों को ज्यादा छूट दी गई है। परन्तु जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, छोटे हैं, गृह उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं, उनको इस बजट की छूट का कोई लाभ नहीं है। यदि इस तरह से उनको छूट दी जाएगी, तो उनको छोटे उद्योगों, मध्यम उद्योग, गृह तथा कुटीर उद्योग संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। नतीजा यह होगा कि इन बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आने वाली हैं और स्थापित होने वाली हैं, उससे जो लघु उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग है, गृह उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वे बन्द हो जायेंगे। जब वे बन्द हो जायेंगे, तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी और भुखमरी बढ़ेगी। इसके अलावा मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग जो हैं, इनमें जितने काम के अवसर मिलते हैं, उतने बड़े उद्योगों में नहीं है। इसलिए सरकार यदि चाहती है कि देश में बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी न हो, तो ऐसी स्थिति में इन छोटे उद्योगों को, गृह उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को आर्थिक और व्यापारिक संरक्षण दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने बजट में घाटा दिखाया है, लेकिन उसकी पूर्ति कैसे होगी, इस बारे में बजट में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

1992-93 में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 40.7 प्रतिशत थी जो उस समय की आबादी के हिसाब से 35.5 करोड़ लोग थे। इन दो वर्षों में निश्चित रूप से यह संख्या बढ़ी होगी। हमने यह भी कहा है कि विगत वर्षों में अनाज का उत्पादन काफी रहा है। हमारे यहां 18 करोड़ 50 लाख अन्न का भंडार है। इसके बावजूद बाजार में अनाज महंगा बिकता है, इसका क्या औचित्य है? इसके पीछे निश्चित रूप से अनाज बेचने की, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह ठीक नहीं है। विगत 2-3 वर्षों में राशन दुकानों में अनाज की बिक्री 50 प्रतिशत घट गई। इसके घटने का कारण यह नहीं है कि अनाज हमारे गोदामों में नहीं है, इसके कम बिकने का कारण यह है कि हमारे जो काम के दिन हैं, लोगों को जो काम मिलना चाहिए वह काम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। उनके पास पैसे नहीं है और पैसे न होने के कारण उनकी जो खरीद की क्षमता होनी चाहिए, वह घट गई है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि अधिकाधिक परिवार गरीबी रेखा के निकट चले जा रहे हैं। इस तरह से हमने यह जो बजट में दिखाया है कि इसमें गरीब से लेकर अमीर तक को राहत मिलेगी, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह बजट अमीर लोगों का है और इससे उन्हीं को राहत मिलेगी।

महोदय, जहां तक बजट में गांवों के निर्धन लोगों के कल्याण की बात कही गई है उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में इन्होंने 7700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो विगत वर्षों से करीब दुगने के बराबर है। इसके पहले भी योजनाएं चलती रही हैं, गांवों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए, परंतु आज तक इतने वर्षों में जिस अनुपात में रुपया खर्च किया गया है उस अनुपान में गांवों का विकास भी नहीं हुआ है और जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ऊपर उठना चाहिए, यह लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सकें। भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी जी देहातों में घूमा करते थे तो उस समय वह यह कहा करते थे कि जो दिल्ली से हम सौ रुपया भेजते हैं उसमें से सिर्फ 15 रुपया गांवों तक पहुंचता है यानी इतना बड़ा अत्याचार सारी दुनिया में कहीं नहीं है, जो पैसे गांवों में गरीबों के विकास के लिए खर्च करने के लिए भेजते है उसमें से केवल 15 रुपया वहां पहुंचता है बाकी 85 रुपया कहां चला गया? यह निश्चित रूप से साधारण समझ की बात है कि यह 85 रुपया बीच के बिचौलिये खा गए। इस तरह से आज भी हमने जो राशि खर्च करने के दृष्टिकोण से 770 करोड़ रुपया रखे हैं तो क्या यह राशि गांवों के विकास के लिए खर्च करने की हमने जो योजना बनाई है, क्या यह पैसा गांवों तक पहुंच पाएगा? क्या ये बिचौलिए, जो पहले खाया करते थे, वे समाप्त हो गए हैं। इस तरह से हम जो आज गांवों के विकास की बात करते हैं, उसके लिए अरबों रुपया खर्च करने की भी बात करते हैं परंतु उसमें हमारी जो कार्य प्रणाली में खामियां है, उसमें काम करने की पद्धति में त्रुटियां आ गई हैं। जब तक हम इसको ठीक से दूर नहीं करेंगे, इस बारे में हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो हमारे रुपए खर्च करने के बावजूद भी गांवों में लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले जब हम गांवों की बात करते हैं तो उसमें आज जो काम करने की प्रणाली है, जो तौर-तरीके हैं और योजनाओं की जो रूपरेखा है, उन दोनों पर हमको गंभीरता से विचार करते हुए उन योजनाओं को ग्रामोन्मुख दृष्टिकोण से बनाना चाहिए।

7.00 म.प.

इस प्रकार के ग्रामीण विकास कार्य में लगे कर्मचारियों और एजेंसीज में काम करने वाले लागों को ग्रामीण समाज की संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष आदि की जानकारी दी जानी चाहिए, इसके पश्चात जो रुपया ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा, उसका अधिक लाभ इन क्षेत्रों को पहुंचेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुण्डा, क्या आप एक मिनट रुक सकेंगे? इस समय सात बजे हैं। श्री मुण्डा के अतिरिक्त, केवल एक ही वक्ता हैं, अर्थात श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह। क्या हम कुछ और समय तक बैठें और आज की कार्यवाही समाप्त करें?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : नहीं, महोदय। हम चर्चा कल पुनः आरम्भ कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप और कितना समय लेंगे? क्या आप पांच मिनट के भीतर समाप्त कर सकते हैं?

श्री कड़िया मुण्डा : नहीं, महोदय। मैंने अभी-अभी आरम्भ किया है और मुझे कम से कम पन्द्रह से बीस मिनट चाहिए। मैं कल पुनः आरम्भ करूंगा।

सभापति महोदय : सभा कल 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

7.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 28 मार्च, 1995/7 चैत्र, 1917 (शाक) के 11.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

[illegible] एस. एस.—48/38/10/95 (एन.)
250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और [illegible], 615, सुनेजा टावर-II, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-58 (फोन-5505110) द्वारा मुद्रित।